राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का चौतीसवां दिवस [संख्या : 18

सोमवार;

2 अगस्त, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री केसरदेव बाबर।

लक्ष्मणगढ़ के ग्रामों में सड़क निर्माण

422. **श्री केसरदेव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के एक हजार से अधिक की आबादी के अनेक ग्रामों को अभी तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्रामों को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन ग्रामों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में 1000 से अधिक जनसंख्या के 6 ग्राम हैं जो अभी भी सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। सड़क से नहीं जुड़े हुए 6 ग्रामों की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (विश्व बैंक पोषित) में प्राप्त हो चुकी है जिनकी निविदा की कार्यवाही विश्व बैंक से अनुमोदन के पश्चात् की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-। देखें।)

श्री केसर देव बाबर : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें चार गांवों का उल्लेख नहीं किया है सेवदड़ा, ढाणी कृपाराम की, दीपशहर और बाटड़ानाऊ, यह चार गांव अभी तक सड़क से नहीं जुडे हैं जिनकी आबादी करीब डेढ़-दो हजार की है। बाटडानाऊ, मंत्री महोदय ने पहले भी जवाब दिया था वह भी गलत है, ग्राम बाटड़ानाऊ माननीय सदस्य श्री नंदलाल बंशीवाल जी ने अतारांकित प्रश्न लगाया था और मैंने भी तारांकित प्रश्न लगाया था, उसमें इनका जवाब आया है कि इस ग्राम में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क बनी हुई है और गांव के बीच में चारों तरफ सीमेन्ट सी.सी. और और डामर की सड़क बनी हुई है जिसको रिंग रोड कहते हैं, इन्होंने जवाब दिया है.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें।

श्री केसर देव बाबर : प्रश्न ही पूछ रहा हूं, यह मेरी सड़क का मामला है। प्रश्न यह था उस समय, क्या यह सही है कि बाटड़ानाऊ में गांव के चारों ओर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रिंग रोड बनाई गई है। इन्होंने लिखा है, जी नहीं। जबकि वास्तव में वहां रिंग सड़क बनाई गई है, पैसे का मिसयूज हुआ है।

दूसरा, जो ग्राम छूटे हैं इनमें विलम्ब क्यों हुआ और सरकार की मंशा क्या है, कब तक यह गांव जुड जायेंगे ?

नम्बर-3, सीकर जिले में ऐसे कितने गांव हैं जिनकी आबादी 1000 की है और वह अब तक सड़क से नहीं जुड़े है ?

श्री अध्यक्ष : बता तो दिया 6 गांव हैं।

श्री केसर देव बाबर : मंत्री महोदय सदन को यह अवगत करायें कि पूरे प्रदेश में 1000 की आबादी वाले कितने गांव है जो आज तक सड़क से नहीं जुड़े हैं और सरकार की इसके बारे में मंशा क्या है ? अध्यक्ष महोदय. महत्वपूर्ण बात है, वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो ठेकेदार हैं वह चिल्ला रहे हैं उनको भुगतान नहीं हो रहा है और यह भी सुना जा रहा है कि

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, प्रश्न पूछिए।

श्री केसर देव बाबर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न है पी.एम.जी.एस.वाई. में जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनको भुगतान नहीं हो रहा है। वह यह कह रहे हैं कि अधिकारियों ने मना कर दिया है, हम काम नहीं करेंगे। सरकार भुगतान करने में असमर्थ हो रही है। इसका मंत्री महोदय जवाब देंगे भुगतान के लिये मना कर दिया ? केन्द्र से पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने उत्तर में पहले ही स्पष्ट कर दिया लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जो 6 गांव हैं जिनकी आबादी हजार से ज्यादा है, पहले यह गांव ग्रेवल सड़क से जुड़े हुए थे। प्रधान मंत्री सड़क योजना में जो गांव डब्ल्यू.बी.एम. और ग्रेवल सड़क से जुड़े हैं उनको लिया नहीं जाता था। उसके बाद उनकी गाइड लाइन में थोड़ा संशोधन हुआ और उस गाइड लाइन में संशोधन के बाद निश्चय हुआ कि जो गांव ग्रेवल सड़क से जुडे हैं परन्तु यातायात के दवाब के कारण वह ग्रेवल सड़क सुगम यातायात वहां चले इस लायक नहीं रही और वहां 15 सेन्टीमीटर से कम पत्थर डाले हुए हैं इन गांवों को अनकनेक्टेड माना।

यह इन्होंने दिशा निर्देश जारी किये थे उसके पश्चात् इन 6 गांवों का जिनकी आबादी एक हजार से ज्यादा है इनको अब प्रधान मंत्री सड़क योजना से हमने यहां से प्रस्ताव भेजा है भारत सरकार से हमें अनुमोदन मिल गया है परन्तु वर्ल्ड बैंक से अनुमोदन होना बाकी है।

अध्यक्ष महोदय, 19 जिले ऐसे हैं जिनमें भारत सरकार हमें जो प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत राशि दे रही है।

श्री अध्यक्ष : आप तो उतना ही जवाब दें जितना पूछा गया है। 19 जिलों की बात क्यों करते हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा कि सीकर जिले में ऐसे कितने गांव है ? अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में कुल मिलाकर 10 ऐसे गांव हैं जो 1000 से ज्यादा की आबादी वाले हैं, जिनको अभी सड़क से जोड़ा हुआ नहीं है और आपने पूछा कि राजस्थान में ऐसे कितने गांव हैं। राजस्थान में 1000 से ज्यादा आबादी वाले 32 गांव ऐसे हैं जिनको अभी तक सड़क से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जोड़ा हुआ नहीं है। आपने जिस बाटड़ानाऊ गांव की कही है यह गांव डब्ल्यू.बी.एम. सड़क से जुड़ा हुआ है। मैंने अपने उत्तर में पहले भी आपको कह दिया और मैं समझता हूं स्वीकृति प्राप्त होते ही जल्दी से जल्दी जो शेष सड़कें हैं और 1000 से ज्यादा आबादी के, जिनकी स्वीकृत हो गई उन पर कार्य प्रारम्भ करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के कर्मचारी सही उत्तर नहीं देते हैं मंत्री महोदय को और सदन को गुमराह करते हैं। मैंने एक प्रश्न नम्बर 430

श्री अध्यक्ष : यह आप क्या कर रहे हैं, प्रश्न तो क्या है और आप क्या पूछ रहे हैं, आपका प्रश्न इर्रिलेवेट है। श्री अमराराम धोद।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं वह गलत उत्तर देते हैं, आपको गलत फीड करते हैं क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेने की आप मंशा रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। आप पूछिए।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो इससे संबंधित है, जब वह उत्तर सही नहीं दे रहे हैं, गलत सूचना दे रहे हैं। उसी आधार पर मंत्री महोदय हमें सूचित करते हैं। एक्शन लेने की बात है। हम कहां उठायेंगे इस बात को ?

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम अमरारामजी का पुकारा है। आपको दूंगी मौका, आप बैठिए।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि बाटडानाऊ गांव जिसकी राजास से 8 किलोमीटर दूरी है, क्या यह सही है कि 2000-01 में आपने पी.एम.जी.एस.वाई. में 8 किलोमीटर में से मात्र डेढ़ किलो मीटर सड़क बनाई है ? जबकि कनेक्टेड होता है तो राजास से बाटडानाऊ पूरे 8 किलो मीटर की सड़क बनती। आपके कौन से ऐसे अधिकारी

(श्री अमराराम)

हैं जिन्होंने 8 किलोमीटर में से केवल डेढ़ किलोमीटर बनाकर इसको कनेक्टेड बता दिया है ? क्या आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? इस गांव की बाकी जो साढ़े 6 किलोमीटर की सड़क है, अध्यक्ष महोदय हालात यह है कि

श्री अध्यक्ष : अब हालात नहीं, आप प्रश्न पूछें, हालात नहीं बतायें।

श्री अमराराम (धोद) : प्रश्न यह है कि बाटडानाऊ में पी.एम.जी. एस.वाई. में आपने डेढ़ किलोमीटर डामर सड़क बनाई है और साढ़े 6 किलोमीटर आप कब बनायेंगे ? जिन्होंने अधूरी रखी है उनका क्या करेंगे ? दूसरा मैं आपसे निवदेन करना चाहूंगा जो डब्ल्यू.बी.एम. से जुड़े हुए गांव हैं जिनकी 1000 से ज्यादा आबादी है और जिनकी प्रायोरिटी 2007 के बाद आयेगी क्या सरकार इसकी प्रायोरिटी इससे पहले करने के लिये केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी ? यह मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें जिससे उनको फायदा हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री केसर देव बाबर, मूल प्रश्नकर्त्ता को एक बार पूछ लेने दें।

श्री केसर देव बाबर : अध्यक्ष महोदय, मैंने 4 गांवों का नाम बोला था सेवदड़ा, ढाणी कृपाराम की, दीपशहर और बाटडानाऊ, यह 4 गांव हैं जिनकी आबादी 1000 से ज्यादा है, डब्ल्यू.बी.एम. से जुड़े हुए हैं। इनको डामर कब तक मिलेगी ? मिलेगी या नहीं मिलेगी ? मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि ग्राम बाटडानाऊ में जैसा माननीय अमरारामजी ने कहा कि डेढ़ किलो मीटर सड़क बनाई है, इन्होंने डेढ़ की जगह दो बनाई। जिस पाइण्ट से शुरू किया, जैसे 6 किलोमीटर से शुरू किया तो ग्राम की उस सड़क को 400 मीटर पश्चिम साइड में और 400 मीटर पूर्व साइड में बना दी और बीच में सीमेन्ट सड़क एक रिंग सड़क बना दी जिसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो जवाब दिया था जी नहीं, यह जवाब उनका गलत था। अधिकारियों ने इनको अंधेरे में रखा। इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी, मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में पहले स्पष्ट कर दिया कि जिस गांव की चर्चा धोद से एवं लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने की यह बाटडानाऊ गांव वर्तमान में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं हुआ, यह गांव डब्ल्यू.बी.एम. से जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि इस गांव में

श्री अमराराम (धोद) : 2000-01 में पी.एम.जी.एस.वाई. से प्रमाणित हुआ है। आप बिलकुल असत्य बयान कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बोर्ड लगा हुआ है। जो लिस्ट भेजी है 2000 से लेकर 2004 में उस लिस्ट में आपका नाम है और आप कह रहे हो कि नहीं जुड़ा है। आपने जो लिस्ट भेजी है, पी.एम.जी.एस.वाई. चालू होने से लेकर आज तक स्वीकृति और प्रगति उसमें बाटडानाऊ का नाम है 2000-01 में। आपने डेढ़ किलो मीटर सड़क बनाई है। मंत्री महोदय बिलकुल असत्य बयान कर रहे हैं।

श्री केसरदेव बाबर : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब इनका है कि 2 किलोमीटर हमने पी.एम.जी.एस.वाई. से जोड़ा।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, आपने कॉपी दी है, हर माननीय सदस्य को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह जो गांव हैं, मेरे को जो विभाग ने सूचना दी है....

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप से 2 विधायक इस सदन के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमारे स्वीकृत ही नहीं हुआ। जबकि इनके रिकार्ड में 200 माननीय सदस्यों को, सबको भेजा है। इसमें बाटड़ानाऊ को पी.एम.जी.एस.वाई. में जुड़ा हुआ दिखाया है। इन्होंने सैंक्शन की है, सड़क बनायी है। पी.एम.जी.एस.वाई. का बोर्ड लगा हुआ है। आप कह रहे हैं पी.एम.जी.एस.वाई. में स्वीकृत नहीं हुआ। एक डेढ़ किलोमीटर में कोई सड़क नहीं थी, 6 किलोमीटर डब्ल्यू.बी.एम. में बनी हुई थी तो 500 मीटर से ज्यादा क्या कोई सड़क नहीं होती है ? उसको अनकनेक्टेड मानते हैं ? अनकनेक्टेड मानते हुए फर्स्ट स्वीकृति निकाली और केवल जहां कुछ सड़क नहीं बनी हुई थी वह डेढ़ किलोमीटर बनायी, 6 किलोमीटर जो डब्ल्यू.बी.एम. थी, वह नहीं

(श्री अमराराम)

बनायी। इसको कब तक बना देंगे और जिन्होंने यह गलत स्वीकृति जारी की है उन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मेरे पास है, डेढ़ किलोमीटर सड़क गांव की, बनी हुई है डामर की 15 किलोमीटर इस गांव की सड़क बनी हुई है डब्ल्यू.बी.एम. की और मांननीय सदस्य यह कह रहे हैं अगर प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत इस गांव को जोड़ना प्रस्तावित था और इस गांव के अन्दर अगर 5 किलोमीटर छोड़ दी गयी तो निश्चित तौर पर मैं जांच कराऊंगा। इस जांच के अन्दर जिन लोगों के कारण अधूरी सड़क बनायी गयी उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्यवाही करके अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराऊंगा। दूसरा, मैं निवेदन करूं कि माननीय सदस्यों ने....

श्री अमराराम (धोद) : यह जुड़ कब तक जाएगा ? (व्यवधान) हम, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और (व्यवधान) अगर यह गलत हुआ तो आप कार्यवाही करेंगे ? गांव को तो बेनिफिट तब होगा जब यह गांव जुड़ेगा।

श्री नारायण सिंह : नहीं, नहीं (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यह सड़क स्वीकृत हुई है। अब यह क्यों नहीं बनी, इसके पीछे क्या कारण रहे, यह अलग बात है।

श्री अध्यक्ष : दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, वे बोल रहे थे, आप बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय,.मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि प्रधान मंत्री सड़क योजना में जितनी दूरी में सड़क बनाना चाहिए था उससे कम बनी है तो इसके संशोधित प्रस्ताव भी मैं शीघ्रातिशीघ्र भेजकर इसको स्वीकृत भी कराऊंगा और इसके अन्दर जो कमी रही है, किस कारण से कमी रही, कम बनी, अगर कोई उचित कारण नहीं हुआ, कई बार अध्यक्ष महोदय. जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया राजस्थान में 32 सड़कें ऐसी हैं जो एक हजार से ज्यादा जनसंख्या की हैं, जिनको जोड़ा जाना चाहिए था और 32 में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से एक सड़क को छोड़कर अधिकांश सड़कों में कहीं न कहीं भूमि का विवाद आ गया, कहीं वन विभाग का विवाद आ गया। मैंने पहले ही कहा है कि हम इन सारी विवादित सड़कों को चाहेंगे कि एक हजार की जनसंख्या के गांव से जुड़ जाएं इसके लिये निश्चित समयबद्ध हम कार्यक्रम बना रहे हैं। उसको भी रखेंगे। इसकी भी मैं जांच कराऊंगा और जो एक हजार की आबादी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : असत्य सूचना देने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या करेंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी पूरी जांच कराकर जो भी दोषी होगा निश्चित तौर पर नियमानुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करके सारी स्थिति से न केवल आपको, आसन को बल्कि माननीय सदस्यों को भी अवगत कराऊंगा कि इस तरह सदन के अन्दर पूरा उत्तर नहीं था इस कारण से यह कार्यवाही की गयी।

दूसरा, जो हजार से ज्यादा आबादी गांव की बतायी है। अब राजस्थान के अन्दर यह पहली सरकार है जो डब्लयू.वी.एम. सड़कें, जो चलने लायक नहीं होतीं उन सड़कों को चरणबद्ध तरीके से पूरे राजस्थान में अध्यक्ष महोदय, इन सड़कों को हम डामरीकृत करना चाहते हैं। हमने 200 करोड़ की योजना बनायी है और 2406 किलोमीटर सड़क है इन सड़को को 2 चरणों में हम पूरा करेंगे। उसमें लगभग ये सारे गांव सम्मिलित हो जाएंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसमें कोई नयी बात बची हो तो

श्री अध्यक्ष : ठीक है, नैक्स्ट क्वश्चन।

श्री केसर देव बाबर : अध्यक्ष महोदय, यह जो रिंग रोड है, इसका जवाब नहीं आया, जो सर्वे करवाया है। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब क्या पूछेंगे आप।

श्री रामसिंह विश्नोई : अब क्या पूछूंगा" मैं, मेरी मर्जी, जो पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपका लक्ष्मणगढ़ से क्या तालुक है ?

श्री रामसिंह विश्नोई : लक्ष्मणगढ़ का थोड़ी है। राजस्थान का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन तो लक्ष्मणगढ़ का है। यह लक्ष्मणगढ़ का क्वेश्चन है।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, यह तो नाम मात्र का लक्ष्मणगढ़ होता है।

अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के अन्दर जो एक हजार की आबादी के गांव हैं यह तो करीब-करीब जुड़ गये, 12 महीने हो गये, 5-10-15-20 गांव बचे हैं तो जुड़ जाएंगे। लेकिन इसके बाद में साढ़े सात सौ से हजार के बीच में जो गांव हैं जिसका सर्वे किया जा चुका है वह कब तक करने का विचार है, कम से कम उसका टाइम पीरियड तय किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय. यह सारी चीज निर्भर करती है कि प्रतिपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों की सरकार हमें कितना सहयोग दे। 680 करोड़ रूपया राजस्थान की सरकार के पास प्रधान मंत्री सड़क योजना में कम पड़ा है। 70 करोड़ रूपये हर महीने की हमारे पर देनदारी बढ़ रही है। माननीय सदस्य, सही कह रहे थे, आज हमारे समक्ष बड़ा संकट है, यह ऐसी महती योजना है, अब सरकार सैस लगाकर पैसा ले रही है। पैसे में हमारा हिस्सा है, आप हमारा पैसा दिलाओ तो इस काम को जल्दी से जल्दी करवाएं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पी.डब्ल्यू.डी. विभाग ने बहुत सारे गांवों को सड़क से जोड़ना बता दिया। जबकि उस गांव की सड़क मात्र उस गांव की सीमा को टच करते हुए आगे निकल गयी और उस गांव की जो मुख्य आबादी है, जो स्कूल है, हास्पिटल है, दूसरे हैं, उसको कतई सड़क से नहीं जोड़ा गया है और उन्होंने सड़क से जोड़ना दर्शा दिया गलत तरीके से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है। (व्यवधान) श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री हेमाराम चौधरी : क्या आप उन गांवों के प्रस्ताव तैयार कराने के लिये वापस लिखेंगे कि इस तरह से यदि कोई गांव छूट गया उनके लिए आपका क्या विचार है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निश्चित तौर पर आपके सुझाव के अनुसार।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन लाल जीनगर। (व्यवधान) कुछ विचार नहीं है, मैंने नैक्स्ट क्वश्चन पुकार लिया है।

गंगरार के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

423. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कितने राजस्व ग्राम हैं ? ग्राम पंचायतवार वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने-कितने मजरे व ढाणियां हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के 100 व्यक्तियों की आबादी की ढाणियों व मजरों को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रामनारायण डूडी) : (1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में वर्तमान में कुल 248 राजस्व ग्राम हैं, जिनकी ग्राम पंचायतवार सूची (मय जनगणना 2001 के आधार पर आबादी) परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में वर्तमान में कुल 79 मजरे/ढाणियां हैं, जिनकी वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या सहित सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। निर्धारित मापदण्डानुसार किसी मजरे/ढाणी को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के लिये उसकी आबादी 250 एवं रेगिस्तानी तथा पहाड़ी क्षेत्र में आबादी 200 होनी आवश्यक है तथा शेष रहे मूल राजस्व ग्राम की आबादी भी 250 से कम नहीं होनी चाहिए।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अर्जुन लाल जीनगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही पूरक प्रश्न है इसमें, ढाई सौ की आबादी के जितने मजरे और ढाणियां हैं उनको कब तक राजस्व ग्राम घोषित करने की आप मंशा रखते हैं ?

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय. जैसा कि गंगरार से आने वाले माननीय सदस्य ने पूरक प्रश्न पूछा है, हमने पूरी सूचना पूरे राजस्थान से ढाई सौ की आबादी, रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्र में जहां दो सौ की आबादी है वह सारे प्रस्ताव मांग लिये हैं और जहां भी दिया है, माननीय सदस्यों को भी मेरा निवेदन है कि वह व्यक्तिगत रूप से इसमें रूचि लेकर अपनी जो भी ढाणियां वगैरह अभी गांव नहीं बने हैं, यदि 250 या 200 से आबादी ज्यादा है और उसके साथ ही जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है परिसीमन आयोग का कि कोई भी ढाणियां और मजरे हैं वह गांव घोषित नहीं किये जा सकेंगे। प्रतिबन्ध हटते ही जितने भी हमारे पास, राज्य सरकार के पास विचाराधीन जो ढाणियां गांव में परिवर्तित होनी हैं वह सारी, जिन पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा वह कर दी जाएंगी। साथ ही जितने भी विचाराधीन हैं, कलक्टर लेवल पर और तहसील लेवल पर उनको भी जल्दी से जल्दी मंगवाकर ताकि राजस्व गांव होने के बाद सुविधाएं मिल सकें।

श्री अध्यक्ष : आपने एक बंदिश तो लगा दी, जो रह गया वह भी ढाई सौ से कम नहीं होना चाहिए। यह तो बंदिश लगा दी आपने।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, यह मेरी बंदिश नहीं है। यह उस गांव की आबादी ढाई सौ से कम नहीं होनी चाहिए, आज प्रस्ताव यह भी आ रहे हैं, माननीय सदस्य ने भी पूछा है कि सौ की आबादी वाली ढाणियों को आप कर पायेंगे, यह नियमानुसार अभी विचाराधीन नहीं है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजकिशोर शर्मा।

श्री बृजकिशोर शर्मा : इसमें मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि सेंसस कब की मानी जाएगी।

श्री हेमाराम चौधरी : रेगिस्तानी और पहाड़ी के लिये कितनी आबादी मानेंगे ? रेगिस्तानी के लिये ढाई सौ है या दो सौ है ?

श्री अध्यक्ष : दो सौ। पहाड़ी दो सौ।

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने यह नहीं बताया इसमें सेंसस कब की गिनी जाएगी ?

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न के अन्दर स्पष्ट किया है 2001 के अनुसार मानी जाएगी, आबादी 2001 की गणना के बाद में। जैसा गुढ़ामलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है तो रेगिस्तानी के अन्दर 200 की आबादी की यदि कोई ढाणियां हैं तो उनको गांव घोषित किया जा सकेगा।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, जो पीछे रहता है ना, उसकी मूल गांव की आबादी 200 मान लेंगे।

श्री रामनारायण डूडी : नहीं, ढाई सौ।

श्री हेमाराम चौधरी : उसमें भी 200 होनी चाहिए, मूल गांव की आबादी भी 200 होनी चाहिए।

श्री रामनारायण डूडी : उनका एक्जामिन करवा लेते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : हां, तो आप करवा दो।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश त्रिवेदी।

श्री कैलाश त्रिवेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसी कितनी ढाणियां और मजरे हैं जिनकी जनसंख्या बड़े राजस्व गांव में जोड़ रखी हैं जबकि वह ढाणियां और गांव अपने आप में ढाई सौ से ज्यादा की आबादी के हैं। उनकी जनगणना बड़े गांव में कर रखी है और वह उनके वार्ड माने जा रहे हैं। ऐसे कई गांव हैं। क्या आपने अभी तक ऐसा कोई सर्वे करवाया है और क्या आप ऐसा सर्वे कराने का विचार रखते हैं जिनकी आबादी ढाई सौ से अधिक है और एक-एक, 2-2 किलोमीटर की दूरी पर वह ढाणियां हैं। लेकिन उनकी जनसंख्या बड़े गांवों में काउन्ट कर रखी हैं। आपका क्या उनको अलग करने का इरादा है और इस पर सरकार क्या विचार रखती है ?

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के अन्दर सरकार के पास जो प्रस्ताव आये हैं, कुल 157 के प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के पास हैं। दूसरे जितने भी प्रस्ताव हैं वे जिला कलक्टर और तहसील लेवल पर परीक्षणात्मक हैं। अब यह पूरे राजस्थान का...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्यों खड़े हो रहे हैं ? क्यों खड़े हुए हैं ?

श्री कैलाश त्रिवेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने यह कहा है कि सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है कि जो बड़े राजस्व गांव है, जिन ढाणियों और गांवों की आबादी 250 से अधिक होते हुए उनमें केलकूलेट की जा रही है, उनको अलग करने का आप द्वारा ऐसा कोई निर्देश जिला कलक्टर को दिया गया है ? अगर नहीं दिया गया है तो क्या आप देने का विचार रखते हो ? ऐसे मेरे क्षेत्र में कई गांव हैं, जैसे मासिंगपुरा है और मासिंगपुरा का खेड़ा है। खेड़े की आबादी 300 है लेकिन उसकी आबादी काउन्ट मासिंगपुरा गांव में ही होती है.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये आप। प्रश्न पूछिये।

श्री रामनारायण डूडी : मैं इनका जवाब दे दूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं जैसे कि मंत्री महोदय ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में 200 की आबादी, 2001 की गणना के अनुसार और रेगिस्तानी इलाके में 200 की आबादी पर राजस्व गांव घोषित किये जाते हैं। चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही जिलों के पहाड़ी इलाकों के किन-किन कलक्टरों के द्वारा राजस्व मण्डल के माध्यम से मजरे और ढाणियों को राजस्व गांव में परिवर्तित करने के प्रस्ताव आपको प्राप्त हो चुके हैं ? उनमें से कितने मजरे और ढाणियों को आप राजस्व गांव में तब्दील करना चाहते हैं ?

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, किसी गांव में 400 की आबादी है, ढाणियों में रहते हैं 250 और पीछे बचते हैं 150-200 तो गांव के अन्दर 150 है और ढाणियों में 250 है, उसका आप क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : सुना नहीं आपने। फिर आपने पूरा प्रश्न का उत्तर नहीं सुना इसका मतलब यह है। उन्होंने यह कहा है कि रेस्ट रहे वह गांव के अन्दर 250 रहने चाहिए। यह कहा है उन्होंने। जो गांव बच गया है, नया गांव वह 200 में बनाएंगे। (व्यवधान) लेकिन आपका जो पुराना गांव है उसमें 250 रहने चाहिए तब नया बनेगा। वह यह आपने सुना नहीं।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, इसका भी मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : उन्होंने क्या कहा है ? उन्होने कहा है कि 250 का जब नियम बना दिया आपने तो वह 250 तो वे हो गये, उन्होंने क्या अपराध किया है ?

श्री अध्यक्ष : अब अपराध की तो यह जाने कि क्या किया।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने पूरक प्रश्न के उत्तर में सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, कर दी आपने। बीच मे बोल रहे हैं। नेक्स्ट।

श्री रामनारायण डूडी : और जैसा कि हमने यह समय-समय पर पूर्व में भी इस प्रकार के परिपत्र सभी जिला कलक्टर्स को और रेवेन्यू विभाग की सभी एजेंसीज जो हैं उनको भेजे गये हैं कि जो 250 से ज्यादा आबादी की ढाणियां हैं उनके प्रस्ताव भेजें। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि यह शायद पूरा हो गया होगा।

श्री कैलाश त्रिवेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। जहां गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पर है (व्यवधान)

श्री लालचन्द मेघवाल : जिन रकबों में आबादी बसी हुई है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवदेन करना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

<u>**प्रश्न संख्या—424**</u>

श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)

श्री लालचन्द मेघवाल : जिन रकबों में आबादी बसी हुई है, कस्टोडियन रकबों में आबादी बसी हुई है उनको भी क्या आबादी में कन्वर्ट करने का विचार रखते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

अनुबन्धित चिकिन्साकर्मियों का नियमितीकरण

425. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नर्स. कम्पाउण्डर, लेब टेक्निशियन व सहायक रेडियोग्राफर के पदों पर अनुबन्ध पर नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो किन शर्तों व नियमों के तहत ? नियमों व शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति विधिवत् चयन प्रक्रिया व मैरिट के आधार पर की गई है ?

(3) क्या अनुबन्ध पर नियुक्त उक्त कर्मचारियों को राज्य सेवा में नियमित करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त कर्मचारियों के स्थानान्तरण, अवकाश व अन्य सुविधाओं के कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्या उक्त के बारे में नियम बनाए जाएंगे ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा. दिगम्बर सिंह) : (1) जी हां। नर्स, कम्पाउण्डर, लैब टेक्निशियन व सहायक रेडियोग्राफर के पदों पर अनुबन्ध पर रखें गये कर्मचारियों की पात्रता एवं शर्तों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) संविदा पर नियुक्त कर्मियों के सेवाओं के नियमितीकरण का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(4) जी नहीं। फिर भी संविदा पर नियुक्त नर्स श्रेणी द्वितीय, ए.एन.एम., लेब टेक्निशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर को वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश एवं राजकीय कार्य से मुख्यालय से बाहर की यात्रा करने पर नियमित सेवा के नवीनतम व्यक्ति को देय न्यूनतम टी.ए./एच.ए. (यात्रा भत्ता एवं विश्राम भत्ता) देने के बारे में राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किये गये हैं। प्रतिलिपि संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नवरतन राजोरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के भाग संख्या-एक में अनुबन्ध पर रखें गये चिकित्सा कर्मचारियों की नियुक्ति किन शर्तों व नियमों के तहत की गयी है, यह पूछा था। आपने कर्मचारियों की पात्रता एवं शर्तों का विवरण परिशिष्ट-"ए" पर संलग्न किया है। मेरा सीधा सा प्रश्न था कि जो आपने विभाग में नियुक्तियां की हैं संविदा के आधार पर वे किन सेवा और शर्तों के आधार पर की हैं ? कौन से नियम आपने ऐसे बना रखें हैं ? आपने पात्रता बतायी है न कि सेवा नियम।

भाग-तीन में आपने कहा है कि संविदा पर नियुक्त कर्मियों की सेवाओं के नियमितीकरण का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मेरी जानकारी के अनुसार न्यायालय में यह मामला नियमितीकरण के लिए नहीं है। ओमप्रकाश व अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी कि अनुबन्ध पर चिकित्सा कर्मियों को नियुक्त किये जाने के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। इन नियमों को चुनौती दी गयी।

आपने इसी प्रकार से भाग-चार में इन कर्मचारियों को 15 दिनों का आकस्मिक अवकाश एवं राजकीय कार्य से मुख्यालय से बाहर की यात्रा करने पर यात्रा भत्ता देने का आदेश संलग्न किया है। यह आदेश भी 23-7-2004 को मेरे प्रश्न के लगने के बाद आपने जारी किये हैं। सीधा-सीधा इसका अर्थ निकलता है कि जो कर्मचारी संविदा के आधार पर आपने लगाये, पूर्ववर्ती सरकार ने, तीन-चार साल तक उनको न तो कोई अवकाश दिया गया और न कोई इनको यात्रा भत्ता दिया, इस प्रकार एक प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा था।

इसी प्रकार से प्रसूति महिलाओं को भी, आज जबकि डेलीवेजेज जो आप लगाते हैं महिलाओं को प्रसूति के लिए अवकाश मिलता है। आपके द्वारा वह भी देय नहीं है। आज भी इन कर्मचारियों द्वारा जो संविदा के आधार पर लगे हुए हैं, विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा इनको नियमित करने का सरकार विचार रखती है ?

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो पीड़ा है, वह मैं समझ रहा हूं। संविदा के आधार पर जो नर्स, कम्पाउण्डर

(श्री नवरतन राजोरिया)

या रेडियोग्राफर्स पोस्टिंग्स किये गये हैं उनका निश्चित रूप से इस तरह से कोई नियम राज्य सरकार में नहीं है परन्तु आवश्यकता के अनुसार इनकी पात्रता, योग्यता और पूरी एक मैरिट के आधार पर उसमें पूरा ध्यान रखते हुए आरक्षण का भी, उनकी नियुक्ति दी गयी है। यह बात भी सही है कि इससे पहले इनको छुटिटयों का या टी.ए. का कोई प्रावधान नहीं था। परन्तु अभी इस सरकार के आने के बाद इनको 15 दिन की छुटिटयों का प्रावधान और जो उनका वास्तव में ठहराव का खर्चा है और यात्रा भत्ता है, उसका प्रावधान किया है। माननीय सदस्य ने प्रसूति के लिए एक बहुत ही अहम प्रश्न किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं निश्चित रूप से, एक बार इसको एग्जामिन करवा लूं क्योंकि इसमें फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का इन्वाल्वमेन्ट है और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आधार पर प्रसूति की महिलाओं को सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से इसको क्लियरेन्स मिलती है तो मैं प्रयास करूंगा उनको मैटरनिटी लीव की भी सुविधा मिलनी चाहिए।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयराम जाटव। पहले आई कैच कर ली जयराम जाटव ने।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जो दूसरा भाग है, इसमें जो कम्पाउण्डरों की नियुक्तियां मैरिट के आधार पर की गयी थीं। पिछले दो वर्ष पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक राधेश्याम नाम का कम्पाउण्डर है, उसकी नियुक्ति हो गयी और उसने कोटपूतली में ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के दूसरे दिन उसको वहां से हटाकर दूसरे लड़के को वहां पर लगा लिया। जिसका मैरिट में नहीं था। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी बीच में मिला था और उन्होंने जानकारी के लिए भी वहां से कुछ मंगाये थे। जिस अधिकारी ने उस कम्पाउण्डर के साथ इस तरह का गलत तरीके से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये आप। आप कृपया, जाटव साहब, प्रश्न पूछिये।

श्री जयराम जाटव : उसी का है। प्रश्न है। इसी प्रकार का प्रश्न है। उसको मैरिट के आधार पर लिया है। (व्यवधान) लेकिन उसको फिर वंचित रख दिया। ज्वाइन भी कर आया उसके बाद दुबारा उसको भगा दिया।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये न।

श्री जयराम जाटव : प्रश्न संख्या-2 का ही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के फार्म में पूछिये।

श्री जयराम जाटव : क्या यह सही है कि इसकी जांच के लिए पूछ रहा हूं, मंत्री महोदय, जिस अधिकारी ने गलती की है उस कम्पाउण्डर के खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ आप जांच करवाएंगे और कानूनी कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रशेखर बैद।

श्री चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसी प्रश्न से जुड़े दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहला तो यह कि इसके खण्ड-3 में माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि यह माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो उच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा कि इनकी नियुक्ति टेम्प्ररेरी से परमानेन्ट करने से रोका जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनको कब तक परमानेन्ट कर दिया जाएगा क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने आज से चार साल पहले तय किया था कि इनको चार साल के बाद परमानेन्ट कर दिया जाएगा। वह चार साल कम्पलीट हो गये जनवरी, 2004 में तो इन्होंने अभी आठ महीने के अन्दर क्या प्रक्रिया की ? कब तक यह उनको परमानेन्ट कर देंगे ? नम्बर दो आपने यह कहा कि यह जो प्रेगनेन्ट लेडीज हैं चिकित्साकर्मियों में, उनकी फाइनेन्स से परमिशन लेंगे। इतिहास में यह पहली बार होगा, माननीय अध्यक्ष जी, आप महिला हैं, जो यहां की अध्यक्ष बनी हैं। पहली बार महिला मुख्य मंत्री बनी हैं और जो प्रेगनेन्ट लेडीज हैं, उनको 120 दिन की छुट्टी दी जाती है उसमें फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से पूछने की क्या

(श्री चन्द्रशेखर बैद)

जरूरत है। इस साल तो महिला सशक्तिकरण साल चल रहा है और आप तो परमानेन्ट लेडीज हैं जो चार साल से काम कर रही है, वह बच्चा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि आप उनको 120 दिना की लीव नहीं देते हैं। इसमें फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से पूछने की जरूरत ही नहीं है। यह तो आप एक आदेश पारित करें कि जो लेडी प्रेगनेन्ट होगी उसको प्रेगनेन्सी लीव मिलेगी।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो सवाल रखा मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का इसमें इन्वाल्वमेन्ट इसलिए है कि आज भी यह तो प्रावधान है कोई प्रेगनेन्ट लेडी, उसकी डिलीवरी ड्यू है तो वह छुट्टी जा सकती है परन्तु अभी सरकार ने जो प्रावधान कर रखा है उसकी सर्विस में कोई ब्रेक उसका माना नहीं है परन्तु लीव विद-आउट पे ही जाएगी छुट्टी, और इसमें फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का इन्वाल्वमेन्ट इसलिए है कि अगर उसको हम नियमित रूप से मैटरनिटी लीव देते हैं तो वह छुट्टियां फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का निश्चित रूप से इसमें इन्वाल्वमेन्ट होता है क्योंकि आज की तारीख में तो आज भी सकती है, उनकी सर्विस में हमने कोई ब्रेक नहीं दिया है परन्तु उनको तनख्वाह भी मिले और छुट्टी भी मिले, यह व्यवस्था तो तब ही होगी जब फाइनेन्स से इसकी क्लियरेन्स हो। नम्बर-दो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं आपने कहा कि माननीय हाई कोर्ट ने यह तो आदेश नहीं दिया कि इनको परमानेन्ट करें। आप यह जानना चाहते हैं कि इनको परमानेन्ट कब तक किया जाएगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय यह अभी तक मैटर सब-जुडिस है क्योंकि जब राज्य सरकार ने.....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, रोका नहीं, वह कर्मचारी हो गया। हालांकि चार साल का वायदा किया था तो.....(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : आप मेरा निवेदन सुन लो।.....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : चार साल तक उन्होंने सेवा की है इसलिए आप तो टाइम पीरियड बता दो।

श्री जयराम जाटव : मंत्रीजी, जो गलतियां हुई हैं उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और उस कम्पाउण्डर को दुबारा नियुक्ति देंगे ? इसका जवाब दें साहब। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप कान्ट्रेक्ट में लेना चाहते हैं, क्या मंत्री महोदय, आप अब भी कान्ट्रेक्ट पर लेने का इरादा रखते हैं ? जिनको चार साल से ज्यादा हो गये, उनको परमानेन्ट कीजिये और बाद में कान्ट्रेक्ट पर लीजिये। चार साल के बाद तो कीजिये।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह प्रकरण कोर्ट में ले जाने वाले भी संविदा पर जो लगाये थे नर्स-कम्पाउण्डर या जो भी थे, इन्होंने एक लैटर माननीय केशोट साहब को लिखा और केशोट साहब ने उस चिट्ठी को एक पी.आई.एल. मानकर याचिका नम्बर 7403/03 में उसको दर्ज किया और यह प्रकरण अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अगर वह न्यायालय के अन्दर विचाराधीन नहीं होता तो निश्चित रूप से राज्य सरकार कोई ने कोई फैसला लेने की स्थिति में थी। चूंकि न्यायालय का निर्णय अभी इसमें कुछ नहीं हुआ है इसलिए न्यायालय के निर्णय के बाद ही कुछ कहना सम्भव होगा।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो यह बता दो कि न्यायालय को राज्य सरकार ने क्या जवाब भेजा है मंत्री महोदय ? उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि कितने दिनों में इनको परमानेन्ट करने की योजना है तो राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को क्या उत्तर भेजा, वह बता दें।

श्री जयराम जाटव : मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर तो दें आप। तीसरे माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनका तो उत्तर आ गया। मैंने पहले पूछा है मेरा उत्तर नहीं आया। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : मैटर सब-जुडित हो गया इसका मतलब (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्न सिंह जी।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय जयरामजी ने सबसे पहले सवाल किया था अगर इस तरह का मामला, जिस तरह का राधेश्याम कम्पाउण्डर को नियुक्ति देकर उसके बाद उसको हटाया गया. यह प्रकरण निश्चित रूप से जांच के काबिल है। मैं आपको सदन में यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस तरह की कोई घटना हुई है तो उसकी निश्चित रूप से जांच कराऊंगा और अगर कोई गलती विभाग के स्तर पर किसी भी अधिकारी ने की है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करूंगा। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो संविदा पर कर्मचारी लगे हैं उनकी स्थानान्तरण की नीति क्या है ? महिलाओं से जुड़ा हुआ सीधा सा प्रश्न है कि अगर महिलाकर्मी चार साल पहले कर्मचारी बनी है और उसकी जयपुर में नियुक्ति हुई है (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव : माननीय मंत्री महोदय, उसको दुबारा नियुक्ति देने की मंशा रखते हो तो बता दीजिये हमको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकारा प्रद्युम्न सिंह जी का, आप यूं ही खड़े हो गये। मिस्टर जाटव बैठें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के अन्दर इनको परमानेन्ट करने के लिये आपके नियम आड़े आ रहे हैं। क्या आप इन नियमों में बदलाव चाहते हैं ? (व्यवधान) हां, रूल्स आड़े आ रहे हैं। आप क्या ला डिपार्टमेन्ट से इसके बारे में राय लेकर प्रक्रिया शुरू करेंगे। नम्बर एक-क्योंकि इसके अन्दर अध्यक्ष महोदय, जब इनको परमानेन्ट करने का सवाल आया तो इसके अन्दर बैकलाग का प्रश्न आया कि इसमें जो एस.सी., एस.टी. का बैकलाग है जब तक आप इनकी पूर्ति नहीं करेंगे, इनकी भी पूर्ति आपको करनी पड़ेगी, कुछ पद बढ़ाने पड़ेंगे इसके अन्दर। इसके अन्दर सबसे बड़ी बाधा आ रही है नियमों में परिवर्तन करने की। क्या सरकार इन नियमों के अन्दर जो रिक्रूटमेन्ट के नियम हैं, उनमें परिवर्तन का इरादा रखती है ? नम्बर-2 आपकी सरकार आने के बाद आपने संविदा के आधार पर कितने लोगों को नर्सिंग-कम्पाउण्डर ग्रेड-2 और ए.एन.एम. की पिछले छह माह के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अन्दर इस प्रकार की कितनी नियुक्तियां की हैं ? इसके बारे में मंत्री महोदय, आप कुछ प्रकाश डाल दें, जवाब दे दें तो उचित रहेगा।

श्री नवरत्न राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था प्रश्न के खण्ड चार में, स्थानान्तरण के बारे में पूछा था आप से चार वर्ष पूर्व अगर किसी महिलाकर्मी की नियुक्ति जयपुर में हुई है और चार वर्ष में उसकी शादी हो जाती है झुन्झुनूं या बाड़मेर में तो उसकी स्थिति क्या होगी ? वह झुन्झुनूं रहेगी या ससुराल छोड दे या नियुक्ति छोड़ दे ? इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी देवें।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय सदस्य, यह तो बहुत मुश्किल है। इसका जवाब देना मुश्किल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो पति अपना स्थानान्तरण कराकर पत्नी के पास आ जाये या पत्नी पति के पास में जाये जिसको सुविधाजनक हो वह करा सकता है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो अभी सवाल किया, नियमों में सरकार परिवर्तन का इरादा रखती है या नहीं रखती ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : रखती है नहीं कह रहा हूं। सरकार इसके बारे में विचार कर रही है क्या ?

श्री जयराम जाटव : मंत्रीजी, जिस कम्पाउण्डर के साथ अन्याय हुआ, उसको न्याय दिलाने का आश्वासन देंगे क्या सदन में ?

डा. दिगम्बर : बिलकुल, मैंने आपको आश्वासन दे दिया।

श्री जयराम जाटव : उसको नियुक्ति तो दोगे ना। अब ठीक है। मैं सन्तुष्ट हूं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : अगर उसका मैरिट में नम्बर था। अगर उसके साथ वास्तव में कोई ज्यादती हुई है तो निश्चित रूप से उसकी जानकारी कराऊंगा और मैरिट के आधार पर उसका नम्बर आयेगा तो निश्चित रूप से नियुक्ति दिलाने की प्रक्रिया होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। डा. एन.एस. गुर्जर।

टोडारायसिंह (टोंक) नगरपालिका में नियुक्त वकील

426. डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका टोडारायसिंह जिला टोंक में नगरपालिका के सदस्य के पति को नगरपालिका का वकील नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कब, किसे व किन नियमों के अन्तर्गत ? नियमों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब ? शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त शिकायत की जांच करवाई गई ? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री प्रताप सिंह सिंघवी) : (1) जी, हां। नगर पालिका टोडारायसिंह की पार्षद श्रीमती मुमताज बानो के पति श्री इस्लाम मोहम्मद को विभागीय आदेश क्रमांक प.8(क)17डीएलबी/2000/4560 दिनांक 21-8-2001 द्वारा विधि सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। आदेश एवं नियम की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में शिकायत दिनांक 31-1-2004 को प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्राप्त शिकायत की जांच विभाग के पत्र दिनांक 31-01-2004 के द्वारा क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर से कराई गई थी। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो नियुक्ति हुई यह टोटली इल्लीगल था। यह पिछली सरकार के समय की हुई। पत्नी मेम्बर है, उसके पति का

श्री कालीचरण सराफ : कौनसे राज में हुई यह ? बी.जे.पी. के या कांग्रेस के ?

श्री अध्यक्ष : 2001 में किस का राज था, यह आपको मालूम है फिर क्या पूछ रहे हैं आप अननेसेसरी।

श्री कालीचरण सराफ : नहीं, इनके राज में क्या-क्या हुआ, यह जनता को पता लग रहा है।

श्री अध्यक्ष : अब 2001 बता दिया तो 2001 में आपको पता होना चाहिए किस का राज था।.....(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह इसलिए स्पष्ट करवाया कि जनता को पता लगे पिछली सरकार में क्या-क्या गुल खिलाये इन्होंने।

डा. एन.एस. गुर्जर : इनके पति को विधि सलाहकार लगाया गया, म्युनिसिपल एक्ट की धारा 26, सब-सैक्शन 12 के विपरीत था और इसके समबन्ध में तीन फैसले आ चुके हैं।

30 Cuttak Law Reporter p. 368, AIR 1964 Bombay p. 46 and 1964 BL JR p. 108.

यह तीनों फैसले आ चुके हैं कि इस तरह से नहीं लगाया जाए लेकिन कानून के विरूद्ध इसको विधि सलाहकार लगाया.....(व्यवधान).....मैंने बता दिया न तीन केस, और उसके विरूद्ध भी यह लगाया गया।

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि कई म्युनिसिपैलिटीज हैं, एक में ही नहीं है, राजस्थान में इस तरह की अनियमितताएं की जाती हैं। नौ नौ महीने तक इस नगर पालिका, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वहां के जो चेयरमैन और ई.ओ. हैं, नौ महीने से मीटिंग नहीं बुलायी है.....

श्री हरिमोहन शर्मा : बूंदी की नगरपालिका, जहां आपके चेयरमैन हैं, यही हाल है और मंत्रीजी पुन ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह टोडारायसिंह में बूंदी कहां से आ गया ?

डा. एन.एस. गुर्जर : बूंदी कहां से आया ? (व्यवधान) शायद टोडारायसिंह में बूंदी बनती होगी तो वह बूदी समझ गये।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह जो पार्षद है उसको आप सस्पैंड करेंगे ? दूसरा उस ई.ओ. के खिलाफ और चेयरमैन के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे क्योंकि कानून के विरूद्ध काम किया है, तो आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, ई.ओ. का जहां तक सवाल है, आपने पूछा है कि इस प्रकरण में ई.ओ. की भूमिका क्या है, इस बिन्दु पर अलग से जांच करने के आदेश दे दिये हैं व उसे आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पर लगा दिया गया है।

दूसरा, विधि सलाहकार का आदेश एक वर्ष तक प्रभावी था परन्तु, अध्यक्ष महोदय, ई.ओ. द्वारा उसके बाद भी काम लिया गया है, इसकी भी जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : मेरा तो सीधा सा प्रश्न है, ई.ओ. के खिलाफ आपने कार्यवाही कर दी लेकिन जो मैम्बर है, जो उस मीटिंग में इन्वाल्व है उस मैम्बर के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : और जो आपका विधि सलाहकार लगा हुआ है, उसको हटाने के बारे में आप क्या कार्यवाही करेंगे ? जो चेयरमैन है, नौ महीने से मीटिंग नहीं बुलायी, उसके विरूद्ध आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने अभी अपने उत्तर में कहा कि उस विधि सलाहकार से एक वर्ष की अवधि के बाद नगरपालिका मण्डल ने काम लिया, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि नगरपालिका मण्डल को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी विधि सलाहकार से नगरपालिका के लिए काम ले सके ? केस टु केस भी एपाइंटमेन्ट के नगरपालिका मण्डल को अधिकार है. फिर किस आधार पर आपने यह जांच के आदेश दिये ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं बता रहा हूं, इस आधार पर दिये कि विधि सलाहकार की नियुक्ति थी वह एक वर्ष के लिए की थी....

श्री अध्यक्ष : शिकायत आयी इस आधार पर।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उसके बाद अगर बोर्ड उसको आगे के लिए एक्सटेन्ड करता है तो कोई बात नहीं थी। उसकी राज्य सरकार से परमिशन लेनी होती है। परमिशन नहीं ली थी इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका मण्डल को यह स्पष्ट अधिकार है कि वो यदि किसी केस के मामले में (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है, पहले इसका जवाब आने दीजिए। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, बीच में खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता पूछिये।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं कह रहा हूं लीगली विधि सलाहकार बनाने का (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनको मालूम नहीं है, लीगली एक वार्ड मैम्बर है वहां आलरेडी, उसका इन्ट्रेस्ट है, उसका हसबैंड वहां विधि सलाहकार नहीं लग सकता। मैंने यहां कोर्ट केसेज कोट किये हैं। कोर्ट में जो केसेज हुए हैं

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये प्रश्न।

डा. एन.एस. गुर्जर : क्या उस वार्ड मैम्बर के विरूद्ध और जो सलाहकार है, उसके विरूद्ध कार्यवाही करेंगे ? यह है मामला।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : बोर्ड ने नियुक्त किया था तो अकेले इस सदस्य ने नियुक्त किया है ? यह पूरे बोर्ड का निर्णय था उसको नियुक्त करने का या खाली सदस्य का निर्णय था ?

डा. एन.एस. गुर्जर : इल्लीगल नहीं कर सकता।

श्री जुबेर खान : बोर्ड के खिलाफ कार्यवाही करिये पूरे के खिलाफ।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, मैं कह रहा हूं न करिये (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक मिनट, मैं बताता हूं न। एक मिनट, आपका भी जवाब देता हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, एक-एक का जवाब दे दूं।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या वर्तमान में ऐसा कोई जनप्रतिनिधि है जिन्होंने अपने पतियों को वकील बना रखा है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय। सिरोही से आने वाले माननीय संदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : आपने जिस फैसलों का जिक्र किया है वो क्या विधि सलाहकार के सम्बन्ध में हैं ? वह लाभ के पद के बारे में हैं, ठेकेदारी के बारे में है, विधि सलाहकार के सम्बन्ध में नहीं है वह।

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं। आप आपस में बात करने लगते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : आप गुमराह कर रहे हैं।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में अब ऐसे कोई जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने अपने पतियों को वकील बना रखा है या ई.ओ. बना रखा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री अशोक बैरवा, मंत्रीजी जवाब देने के लिए खड़े हैं।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : बहुत छोटा सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष : नो, विराजिये आप। आप स्थान ग्रहण करें, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पार्षद के विरूद्ध भी नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत धारा 63 में निलम्बन एवं न्यायायिक जांच कर हटाने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जुबेर खान : पूरे बोर्ड ने किया है निर्णय तो, अकेले पार्षद ने किया है क्या ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप निलम्बन की बात कर रहे हैं, पक्षपात करते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री जुबेर खान : निर्णय किसने किया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।......(व्यवधान).....

श्री जुबेर खान : बोर्ड के खिलाफ कार्यवाही करिये। और राज्य सरकार से इजाजत ली गयी थी या नहीं ली गयी थी ? अगर राज्य सरकार ने इजाजत दी है तो क्या उस सदस्य के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? जहां आपके बोर्ड ने अनुमति दी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। आप एक आदमी को इस तरह नहीं कर सकते। आप पूरे बोर्ड के खिलाफ कार्यवाही करिये।.....(व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : विधि सलाहकार नहीं बन सकता।

श्री जुबेर खान : बोर्ड का निर्णय है।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह इल्लीगल है और पार्षद के खिलाफ कानून के हिसाब से......(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : बोर्ड की सामूहिक जिम्मेदारी है। और अगर राज्य सरकार ने परमिशन दी है (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : यह कानून में लिखा हुआ है, पार्षद के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, उस वार्ड मैम्बर का क्या कसूर है ? जिसने गलत निर्णय लिया है, और राज्य सरकार ने गलत अनुमोदन किया है तो उस वार्ड मैम्बर का क्या कसूर है ?

श्री जुबेर खान : यह निर्णय बोर्ड ने लिया है। माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, यह निर्णय अगर बोर्ड का है तो बोर्ड के खिलाफ

(श्री जुबेर खान)

कार्यवाही करवाएं, एक सदस्य के खिलाफ यह बिलकुल गलत है। यह साजिश है, निर्णय तो बोर्ड का है।

श्री हेमराज मीणा : निर्णय तो बोर्ड ने लिया है। बोर्ड ने निर्णय लिया है तो राज्य सरकार ने परमिशन दी है, राज्य सरकार ने परमिशन दी है तो राज्य सरकार के खिलाफ कार्यवाही करो या बोर्ड के खिलाफ कार्यवाही करो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, निर्णय तो बोर्ड का है..... (व्यवधान) ई.ओ. जो वहां है नगरपरिषद का वह भी जिम्मेदार है। आप सब के खिलाफ

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी ने जो धारा 63 का हवाला दिया है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप बीच में खड़े हो गये।

श्री संयम लोढ़ा : धारा 63 का जो हवाला दिया है और उन्होंने कहा है कि निलम्बन कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा : उस पार्षद के खिलाफ अभी कोई जांच रिपोर्ट नहीं आयी, किस आधार पर मंत्रीजी यह वक्तव्य दे रहे हैं ?

डा. एन.एस. गुर्जर : कानून के अन्दर प्रावधान है ऐसा (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, जांच के बाद कार्यवाही कर दी जायेगी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपको प्राथमिक जांच करवानी पड़ेगी, आपको नोटिस देना पड़ेगा उसको। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : पहले से जांच चल रही है। हां, नोटिस... (व्यवधान) यह कानून की धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था है..... (व्यवधान) प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाने की व्यवस्था व अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने के अधिकार के बारे में (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : नगरपालिका के पार्षद का क्या नियुक्ति का अधिकार है ?

श्री अमराराम (धोद) : यह बीच में कहां से आ गया ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, एक अध्यक्षीय व्यवस्थां है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री जुबेर खान : सदस्य को नियुक्ति का अधिकार है क्या जो आप उसके अकेले के खिलाफ, उसको नियुक्ति का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कानून में प्रावधान है इसलिए मैंने कहा है।

श्री जुबेर खान : उसको नियुक्त किसने किया ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, सुन तो लें आप एक बार। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वार्ड मैम्बर की क्या गलती है, मंत्रीजी, गलती तो बोर्ड की है, बोर्ड के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, जवाब तो सुनें।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप पढ़ कर तो आते नहीं हो। कार्यवाही हो सकती है, कानून में प्रावधान है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक बार स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अशोक बैरवा। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछने का यह कोई तरीका नहीं है। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, यह हाथ उठाकर आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं, इस वक्त कुछ नहीं कहेंगे आप। आसन पांवों पर है, (व्यवधान) नो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी आपका। आप यह भी ध्यान नहीं रखते कि आसन पांवों पर है। एक साथ पांच-पांच सदस्य खड़े होकर के जोर- जोर से बोलने लग जाते हैं। न मंत्री को सुनता है, न आसन को सुनता

(श्री अध्यक्ष)

है, न वह जवाब दे पाते हैं, न मैं कुछ व्यवस्था दे पाती हूं, यह कौनसा तरीका है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक एक पूछेंगे तो मैं तो जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आसन आप सबका सहयोग चाहता है। आसन पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का सहयोग चाहता है कि सदन की कार्यवाही ठीक तरीके से चल सके इसके लिए कम से कम एक ही सदस्य एक समय में खड़े हों ताकि मंत्री भी जवाब दे सके और उसका कुछ निराकरण भी निकल सके। एक साथ खड़े होकर के उत्तेजित होकर जोर-जोर से आप लोग बोलने लग जाते हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। फरमाएं, मुख्य सचेतक महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, वह तो व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया। वह भी कुछ कहना चाहते होंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : आपकी इजाजत है, अध्यक्ष महोदय ? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय. यह फालतू ही सदन का समय हमेशा ही खराब करते रहते हैं। इसके सिवाय इनका कोई काम ही नहीं है क्या ? इन्हें मुख्य सचेतक इसलिए बना रखा है क्या यह सदन का समय बीच बीच में लेते रहें ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप समय खराब कर रहे हैं या मैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप ही बोलते चले जाएंगे, दूसरे की भी सुनना सीखिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय. मैं 13-4-1999 को इसी पकार प्रश्नकाल के दौरान जो व्यवस्था दी गयी उसमें निवेदन करना चाहता हूं। प्रश्नकाल को विनियमित करने तथा अधिक से अधिक प्रश्न प्रशनकाल में पूछे जा सकें इस हेतु निम्न व्यवस्था दी। "कल मैंने सदन को सूचित किया था कि मैं प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न व अनुपूरक

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था दूंगा। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। यह देखने में आया है कि प्रश्नकाल के दौरान प्रतिदिन तीन चार तारांकित प्रश्नों पर ही विचार किया जाता है जबकि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह क्या, मैं आपकी परमिशन

श्री हरिमोहन शर्मा : यह तो आप ही ने फरमा दिया वह क्या कह रहे हैं ? यह तो आप ही ने कह दिया पहले।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं बता दूंगा सब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कह दिया जो नहीं बता रहा हूं, इसके आगे भी बता रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद) : मान ली आपकी।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह प्रश्नकाल समाप्त करना चाहते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कहा गया है, मैं यह चाहता हूं केवल दो चार सदस्यों का मामला नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो 200 माननीय सदस्य हैं विधान सभा के, उन सबका संरक्षण करने का दायित्व आसन पर है।

श्री अमराराम (धोद) : आसन कर रहा है ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सबके सवालों का उत्तर यहां पर आना चाहिए, इस दृष्टि से बारह प्रश्न आएं, इसका कठोरता से पालन हो, यह माननीय आसन से व्यवस्था हुई है।

श्री अमराराम (धोद) : सक्षम हैं अध्यक्ष जी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक जी, यह 12 प्रश्न आने की बात मैं कई बार कह चुकी हूं। दो बार कह चुकी हूं। अब दूसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है इसलिए मैं नैक्स्ट क्वश्चन पुकार रही हूं। श्री प्रमोद जैन भाया। (अनुपस्थित)

डा. सी.पी. जोशी : अलाउ करो।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन गठौड़।

डा. सी.पी. जोशी : बड़ा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है आप अलाउ करिए। सारे एम.एल.एज. का है (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो 427 है यह सदन के तमाम माननीय सदस्यों से सम्बन्धित है। इसलिए माननीय सदस्य प्रमोद भाया नहीं है तो आप अलाऊ करें जिससे मंत्री महोदय जवाब दे दें और प्रश्न हो सके।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, यदि सदन चाहता है तो जवाब दे दीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : हां, मंत्रीजी दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक वह सदस्य प्रश्न पूछने वाला लिखित में कोई अथोरिटी नहीं दें (व्यवधान) सदन सर्वोच्च है।

श्री अमराराम (धोद) : आपको क्या दिक्कत है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान) अध्यक्ष की व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह सारे सदन की भावना है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ?

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 427

श्री अध्यक्ष : आपको अधिकृत किया है क्या ?

श्री संयम लोढ़ा : आपकी आज्ञा से पूछ रहा हूं मैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है।

श्री अमराराम (धोद) : आपने अलाउ किया है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी देंगे नहीं जवाब तो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी से दिलवाएं आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, नई परम्परा हो जाएगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : श्री प्रमोद जैन को मंत्रीजी ने हाऊस में अनुपस्थित रहने के लिए दबाव डाला, इस तरीके का दबाव.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सवाल महत्वपूर्ण है पर अध्यक्ष महोदय, यह एक नई परम्परा हो जाएगी। या तो माननीय सदस्य किसी को अधिकृत करके जाते। अधिकृत करके जाते तो आसन अनुमति देता, मंत्री महोदय जवाब देते। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है वह गलत आरोप लगाया है (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सदन की भावना के अनुरूप (व्यवधान) आसन ने व्यवस्था दे दी है। मंत्री महोदय, आसन की व्यवस्था है इसलिए आप जवाब दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष ने सभी माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए अलाउ कर दिया तो आप जवाब दीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वैसे आसन सर्वोपरि है। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म और दायित्व है। आप आज्ञा देंगे तो मंत्री महोदय जवाब देने के लिए तैयार हैं (व्यवधान) वैसे, अध्यक्ष महोदय, नई परम्परा हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि जैसा मंत्रीजी फरमा रहे हैं, परम्परा तो नई होगी। आज दिन तक तो ऐसा ही हुआ है कि जब कभी किसी को अधिकृत किया गया है

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छी परम्परा डालो आप।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे क्या डाइरेक्शन दे रहे हैं ? बोल रही हूं मैं, अभी तक तो ऐसा ही हुआ है जिसे अधिकृत किया गया है वही पूछता है और

(श्री अध्यक्ष)

उसका जवाब दिया जाता है लेकिन सदन की मंशा है तो आपको जवाब देने में क्या दिक्कत है ? जवाब तैयार है तो दे दीजिए क्या है।

श्री ओम बिरला : अध्यक्ष महोदय, जवाब का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि सदस्य को मंत्रीजी ने मिली भगत करके गायब कर दिया। इस प्रश्न पर यह सदन के पटल पर माफी मांगे पहले या सदन के पटल पर स्पष्ट हो। माहिर आजादजी ने.... (व्यवधान) आरोप लगाते हैं माननीय सदस्य, उनका दिमाग खराब करते हैं। (व्यवधान) आपने आरोप लगाया है यहां कि मंत्रीजी ने मिली भगत करके माननीय सदस्य को गायब कर दिया है (व्यवधान) यह सदस्य के खिलाफ मानहानि है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री कनकमल कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माहिर साहब ने गलत आरोप लगाया है। मंत्रीजी ने ऐसा कोई दबाव नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप तो जवाब दे दीजिए। माहिर साहब क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं इस बात को आप ध्यान में मत लाइए।

राजकीय समारोह में अग्रताक्रम सूची (प्रोटोकोल) की पालना

427. **श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) :** क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विधान सभा सदस्य राजस्थान राज्य में लागू प्रोटोकाल निर्देशिका एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अग्रताक्रम सूची परिपत्र अनुसार जिले के जिला कलक्टर एवं जिला प्रमुख से अग्रताक्रम (प्रसीडेन्स) में ऊपर हैं ? यदि हां, तो उक्त परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य व जिला स्तर पर समय-समय पर होने वाले राजकीय समारोह या उत्सव यथा, गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस समारोह में भी उक्त अग्रताक्रम सूची परिपत्र अनुसार ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निर्धारित किये जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री प्रमोद जैन)

(3) क्या यह सही है कि अग्रताक्रम की सूची के ऊपर के व्यक्ति के समारोह में उपस्थित रहते हुए भी नीचे के व्यक्ति द्वारा समारोह के मुख्य अतिथि का उत्तरदायित्व निर्वहन की जिम्मेदारी दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या विधान सभा सदस्यों को उनके पद की गरिमा व अग्रताक्रम सूची के अन्तर्गत यथोचित सम्मान प्रदान करने हेतु सरकार भविष्य में आयोजित होने वाले राजकीय समारोह, उत्सव, गणतन्त्र दिवस व स्वतन्त्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि का उत्तरदायित्व देने हेतु आदेश जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

सामान्य प्रशासन मंत्री (श्री कनकमल कटारा) : (1) हां, परिपत्र संलग्न है।

(2 व 3) नहीं। राज्य स्तर व जिला स्तर पर राजकीय समारोह यथा गणतन्त्र दिवस, स्वाधीनता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित किये जाते हैं।

(4) राज्य सरकार विधान सभा सदस्यों को उनके पद की गरिमा के अनुसार यथोचित सम्मान प्रदान करने हेतु समय-समय पर निर्देश निकालती रही है। जहां तक विधान सभा सदस्यों को गणतन्त्र दिवस और स्वाधीनता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनाने का प्रश्न है इस बाबत राज्य सरकार भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही करती है।

(परिपत्र के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं एक सप्लीमैन्ट्री पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है प्रश्न का जवाब दे दिया है उन्होंने। भविष्य में नजीर नहीं बनेगा यह। भविष्य में जिसके पास अधिकृत अथोरिटी होगी वही पूछ सकेगा लेकिन आपकी मंशा को, सदन की मंशा को देखते हुए उन्होंने जवाब दे दिया जो उनके पास जवाब थे, आगे अब क्या बहस करेंगे आप।

डा. एन.एस. गुर्जर : एक सप्लीमैन्ट्री पूछने की आप इजाजत दें तो पूछ सकता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : भारत सरकार की क्या गाइड लाइन्स हैं ?

डा. एन.एस. गुर्जर : अगर आप इजाजत दें तो एक सप्लीमैन्ट्री।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमैन्ट्री कैसे पूछेंगे. प्रश्नकर्ता ही नहीं है। मैंने यही एक नजीर न बन जाए, पहले ही निवेदन कर दिया।

डा. एन.एस. गुर्जर : चूंकि आपने उत्तर दिला दिया इसलिए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वश्चन, श्री मदन राठौड़।

सड़क निर्माण में दोषी संवेदकों के विरूद्ध कार्यवाही

428. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में 1000 की आबादी वाले ऐसे गांव आज भी हैं जो केवल मैटल सड़कों से ही जुड़े हुए हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने गांव हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में ऐसी कितनी मैटल सड़कें हैं जिनके लिए डामर सहित सड़क निर्माण की निविदाएं निकाली गई, लेकिन केवल (डब्ल्यू.बी.एम.) कंकरीट डाल कर रोड छोड़ दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार ऐसे संवेदकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? क्या सरकार उन सड़कों का डामरीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस योजना में व कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी हां, राज्य में 1000 एवं इससे अधिक की आबादी (जनसंख्या वर्ष 2001 के अनुसार) वाले 407 गांव हैं जो केवल मैटल सड़कों से ही जुड़े हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य में ऐसी 47 मैटल सड़कें हैं जिनके लिए डामर सहित सड़क निर्माण की निविदाएं निकाली गई थी लेकिन केवल (डब्ल्यू.बी.एम.) कंकरीट डाल कर छोड़ दिया गया। जिलेवार सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिन संवेदकों की गलती के कारण कार्य अधूरा रहा, के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विरूद्ध अनुबन्ध के अनुसार शास्ति आरोपित की गई, एवं जहां बजट की अनुपलब्धता के कारण कार्य अधूरा रहा, उस पर संवेदक के विरूद्ध अनुबन्ध के अनुसार कोई शास्ति आरोपित नहीं की गयी। जी हां, इन सड़कों का डामरीकरण किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री मदन राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि पाली जिले की कूलना, पादेला, गुढ़ाप्रतापसिंह तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क किस मद में हुई, डामरीकरण क्यों नहीं हुआ ? दादरी, खिंदारा और पराखिया जाखेड़ा डब्ल्यू.बी.एम. किस मद में हुई व डामरीकरण क्यों नहीं हुआ ? भाजपा सरकार में स्वीकृत टीपला, केलवा सड़क डब्ल्यू.बी.एम. करने के बाद क्यों रोक दी गयी और कानूना आसन जिलेलाव सड़क क्यों रोक दी गयी व एम.एल.ए. एल.ए.डी. में स्वीकृत हुई थी क्यों रोक दी गयी ? गुढ़ाप्रतापसिंह कूलना जो सड़क है, कृषि विभाग ने अपने जवाब में दिया है कि 2001-2002 में ही 11 लाख 62 हजार खर्च किये जबकि एक धेला भी खर्चा नहीं हुआ, क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस सड़क के लिये कह रहे हैं कि कृषि विभाग ने 11 लाख रूपये उस पर व्यय करने की बात कही और पैसा भी खर्च नहीं हुआ, निश्चित तौर पर उसकी जांच मैं मेरे स्तर पर एडिशनल चीफ इंजीनियर से कराऊंगा। जिन सड़कों का आपने उल्लेख किया, यह प्रश्न से कोई सीधा संदर्भित तो नहीं है परन्तु फिर भी अधिकांश सड़कें इसमें से आश्वासित रोजगार योजना, एम.एन.पी. योजना और विधायक के विकास फण्ड से बनी हुई है। सड़कों में जो टुकड़ा अधूरा रह गया और मुख्य सड़क जो बीच-बीच में बनी हुई नहीं है इसमें मुख्य रूप से फालनां से सुमेरपुर है इसमें दो सड़कें बीच में डब्ल्यू.बी.एम. हैं जो पूरी सड़कें नहीं है उसको जोड़ती नहीं है उनके बारे में इस वर्ष जो हमारी प्रस्तावित योजना रखी है उसमें लेने का हम प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री मांगीलाल गरासिया एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के विद्यालयों में अध्यापकों के पद नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा राहत कार्य खोलने की तिथि की घोषणा नहीं करने के सम्बन्ध में।

इसी सत्र में विद्यालयों में अध्यापकों के पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा हो चुकी है तथा इसी तरह राज्य में अकाल की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। अतः उक्त दोनों ही स्थगन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

<u>नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं</u>

(1) श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से आयुर्वेद विभाग में संविदा चिकित्सकों को दिये जा रहे कम वेतन के सम्बन्ध में।

(2) श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से जिला जोधपुर की पंचायत समिति मण्डोर की ग्राम पंचायत बेरू के पूर्व सरपंच द्वारा अपने पद का कथित दुरूपयोग करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री अशोक नागपाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के श्री विजयनगर स्थित सेठ केसरीचन्द्र राजकीय चिकित्सालय में डाक्टर्स का पदस्थापन करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामचन्द्र सराधना, सदस्य की ओर से नेशनल हाईवे नं. 8 से जयपुर बाईपास बनने वाले रोड में अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा नहीं मिलने के सम्बन्ध में।

(5) श्री प्रभूलाल वर्मा, सदस्य की ओर से जिला बूंदी की चाकन बांध मध्यम सिंचाई परियोजना का कार्य पूर्ण करने के समबन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री अर्जुन लाल मीणा, सदस्य की ओर से सामुदायिक चिकित्सालय, सलूम्बर को 100 शैय्याओं का अस्पताल करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सदस्य की ओर से लूणकरणसर के नहरी क्षेत्र में भूमि की कीमत कम करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री बद्रीलाल जाट, सदस्य की ओर से कपासन में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(9) श्री केसर देव बाबर, सदस्य की ओर से जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा राज्य में लगाये गये हैण्डपम्पों में उपयोग किये गये पाइप के सम्बन्ध में।

(10) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के जवाई बांध से नहर के बजाय पाइप लाइन से बाली, फालना, राणी आदि क्षेत्रों में पानी सप्लाई करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री हेमराज मीणा, सदस्य की ओर से जिला बारां में गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत कराये गये निर्माण कार्यों की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री बृजकिशोर शर्मा, सदस्य की ओर से जलमहल, जयपुर की 110 बीघा जमीन मामूली राशि लेकर निजी संस्थानों को लीज देने की कथित कार्यवाही के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

मुझे चार पर्चियां प्राप्त हुई हैं।

श्री जीतमल खांट, लोक जुम्बिश परियोजना में सेवाएं देने वाले अनुदेशकों को सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित करने के सम्बन्ध में।

श्री केसर देव बाबर, जलदाय विभाग में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

आपका इस पर 295 भी है फिर और क्या बोलेंगे आप ?

श्री मदन राठौड़, बालकों की प्रारम्भिक शिक्षा में भारतीय संस्कृति के मान बिन्दुओं की रक्षा पर।

श्री मांगीलाल गरासिया, थाना गोगुन्दा में श्री नन्दलाल कुम्हार के कपड़े उतार कर मारपीट से बढ़ती अशान्ति व अपराधियों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में।

पर्ची पर तीन सदस्यों को बोलने की अनुमति होगी और चूंकि केसर देव बाबर अपना 295 का प्रस्ताव पढ़ सकेंगे। इसलिये यदि आवश्यक हुआ तो एक मिनट का समय दे दिया जायेगा वर्ना वह अपनी बात तो 295 में कह ही चुकेंगे। 295 में वही बात तो है आपकी।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने राहत कार्य खोलने की तिथि की घोषणा नहीं की है। केन्द्र सरकार ने सूखे की हालत को गम्भीर माना है और एक लाख मैट्रिक टन गेहूं राजस्थान के सूखा पीड़ितों को देने का फैसला किया है। अध्यक्ष महोदय, अकाल पर जो राजस्थान विधान सभा में चर्चा हुई, पूरे राजस्थान की जनता को उम्मीद थी कि सरकार इस बारे में तारीख की घोषणा करेगी....

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन समबन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं आयुर्वेद विभाग में नियुक्त संविदा चिकित्सकों को दिये जो रहे कम वेतन की ओर राज्य सरकार एवं माननीय चिकित्सा....

श्री संयम लोढ़ा : कि किस तारीख को राहत कार्य खोले जा रहे हैं। यह अत्यन्त खेद का विषय है कि सूखे की इतनी भीषण स्थिति होने के बावजूद आज केन्द्र सरकार द्वारा रहम करके एक लाख मैट्रिक टन गेहूं देने का फैसला करने के बाद भी राजस्थान सरकार ने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने आपको बोलने की अनुमति तो नहीं दी। मैंने बोलने की अनुमति नहीं दी है आपको... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपको अकाल से क्या......(व्यवधान) पूरे राजस्थान की जनता इस प्रकार कर रही है तो सरकार अकाल के काम शुरू करे और अभी तक यह सरकार...(व्यवधान) लगता है आप प्रार्थना कर रहे है भगवान से कि अकाल पड़ जाये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने बोलने की अनुमति नहीं दी है। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री जुबेर खान : xxx

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अशोक बैरवा : xxx

श्री अध्यक्ष :...(व्यवधान) बोलने की अनुमति दी जाती है, विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है इसलिये मैं आवश्यक नहीं समझती दुबारा चर्चा करवाने की। श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

श्रीमती राजकुमार शर्मा : मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार की वर्तमान में कांट्रेक्ट पर चिकित्सक रखने की नीति...

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : xxx

डा. एन.एस. गुर्जर : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री तगाराम चौधरी : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो रहा है...... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : x x x

श्री कालूलाल गुर्जर : x x x

श्री बाबूलाल गुर्जर : x x x

श्री अशोक (खण्डार) : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री अशोक बैरवा : x x x

श्री ओम बिरला : x x x

श्री अशोक बैरवा : x x x

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री मदन दिलावर : x x x

श्री हीरालाल रैगर : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री भवानी सिंह राजावत : x x x

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

डा. जालम सिंह रावलोत : x x x

श्री हरिमोहन शर्मा : x x x

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री राकेश मेघवाल : x x x

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अशोक बैरवा : xxx

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। आसन कुछ कहना चाहता है। अकाल को लेकर के प्रतिपक्ष को जो अपना विरोध दर्ज कराना था वह आपने करा दिया। आप दो मिनट बोलते तब भी वही बात रहती। आपने सबने मिलकर करा दिया, माननीय सदस्य अब आगे की कार्यवाही चलने दें......(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री हीरालाल रैगर : xxx

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री ओम बिरला : xxx

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री राकेश मेघवाल : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री ओम बिरला : xxx

श्री अशोक बैरवा : xxx

श्री भवानी सिंह राजावत : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, माननीय सदस्य गण, प्रतिपक्ष के नेता, पहले मैं कह दूं.....(व्यवधान) पहले मैं कह दूं। मिस्टर नागर, आसन पांवों पर है। प्रतिपक्ष के नेता, आपसे आसन यह पूछना चाहता है कि क्या प्रतिपक्ष इस बात पर दृढ़ प्रतिज्ञ है कि आगे की कार्यवाही न चलने दी जाए ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : ऐसा कब बोला है ?

श्री अध्यक्ष : तो फिर आखिर क्या बात हो गई, मुझे बताइए ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, मैं बताता हूं, आप विराजिए। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन फेमिन की डिबेट हुई थी उस दिन माननीय मंत्री महोदय ने यह घोषणा नहीं की थी कि किस तारीख से अकाल राहत के कार्य शुरू होंगे। माननीय सदस्यों को यह बता दें कि कब से अकाल राहत के कार्य शुरू होंगे। आपको केन्द्रीय सरकार ने गेहूं दे दिया है, इसलिए यह उत्तेजना है।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल पर जब चर्चा हो रही थी उस दिन माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने यह बात नहीं बोली ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी, आप क्या कहना चाहते हैं ? बोलिए।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, कल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्दर एक बैठक हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने इनका नाम पुकारा है।

श्री विष्णु मोदी : प्रतिपक्ष अकाल के नाम पर यहां राजस्थान की जनता को क्या कहना चाहता है ? राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक बैठक हुई और वहां इनके महामंत्री, जो इन्चार्ज हैं, उनको इसी सदन के एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि इनको आपने गेहूं कैसे दे दिया। यह आज सारे समाचार-पत्रों में छपा है कि हम आते हैं तो गेहूं देते हैं। कांग्रेस इस बात पर आमादा है कि इस कण्ट्री का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ना करना

(श्री विष्णु मोदी)

चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं। (व्यवधान) कांग्रेस ने आते ही गेहूं दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, कीप द रिकार्ड। (व्यवधान) यज्ञ कराने के तुरन्त बाद राजस्थान में बांसवाड़ा से लेकर अलवर तक, पूरे राजस्थान की लेंथ एण्ड ब्रेथ में बारिश हुई है और इस तरह का स्पेल आया है मानसून का जो पहले कभी नहीं आया।

श्री संयम लोढ़ा : हमारा ही एजेन्ट और हमारे ही खिलाफ ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप ही बोलते चले जाएं और किसी की सुने नहीं, यह कौनसा तरीका हुआ ? क्या आप तीनों माननीय सदस्यों ने फैसला कर लिया कि हम ही खड़े रहेंगे, बोलेंगे और किसी को नहीं बोलने देंगे ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 तारीख को अकाल पर विस्तृत चर्चा हुई थी और मैंने पूरे सदन को विश्वास दिलाया था। मैंने वेदों का भी प्रमाण दिया तो इन तीनों ने, संयम जी सहित, खड़े होकर कहा कि यह पोंगा पण्डित है। (व्यवधान) वेदों में जिस करीरी यज्ञ का उल्लेख है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, पोंगा पण्डित के यज्ञ करते ही बारिश तो आ गई है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इनको वहां भेज दीजिए जहां बारिश नहीं हुई है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री) : माननीय मंत्रीजी ने मनसा वाचा कर्मणा से यज्ञ किया है, वेदों के उच्चारण के साथ। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : केन्द्र सरकार को आप यह कह दीजिए कि हमें गेहूं नहीं चाहिए, हम अकाल राहत कार्य नहीं खोल रहे हैं। बारिश अच्छी हो गई है यहां और फसल [illegible] है यह आप लिख कर भेज दीजिए। आपके बिना मांगे केन्द्र सरकार ने आपको गेहूं दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाबूलाल नागर।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन आवर में पाइण्ट आफ आर्डर नहीं होता है।

डा. एन.एस. गुर्जर : इस पर उस दिन चर्चा हो चुकी है इसलिए दुबारा चर्चा नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : मुझे बुलाया है।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात पहले।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी पहले कह दें कि अकाल नहीं है, बरसात हो गई है, बात खतम हुई।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर चर्चा हो चुकी है, उस पर दुबारा चर्चा नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मंत्री खड़े होकर कुछ कहना चाहे, बोलना चाहे तो आप सुने नहीं, प्रतिपक्ष के सारे माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान) आप कम्पलीट करने दें मुझे। आप फिर खड़े हो गए ? मिस्टर जुबेर खान, आप प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक हैं और आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं ? आप बैठे-बैठे बोलते हैं, यह भी गलत है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं कह रही थी कि मंत्री खड़े हुए कुछ कहने के लिए, बोलने के लिए तो आपके सारे माननीय सदस्य खड़े हो गए ?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : राठौड़ साहब ने बैठा दिया उनको, मैंने देखा है।

श्री अध्यक्ष : आपने बोलने नहीं दिया। आप सुने नहीं और अपनी ही बात कहते चले जाएं, सदन ऐसे कैसे चलेगा, आप बताइए ? यदि आप कहते हैं तो आपको उधर की भी सुननी पड़ेगी।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : क्योंकि उधर से ब्रेक लग गया। अब मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि बोल लें आप कब से काम शुरू कराना चाह रहे हैं। आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि अकाल नहीं है, या आप बोल लें कि काम कब से शुरू करना है।

श्री अध्यक्ष : मिस्टर मीणा, जब वे बोलने खड़े हुए तो आपने सुना ही नहीं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अब बोल लें, इधर से कोई चूं तक नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष : आसन किसी मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता। वह बोलना चाहें, खड़े होना चाहें, खड़े हों, बोलें लेकिन आसन बाध्य नहीं कर सकता।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइण्ड आफ क्लेरीफिकेशन। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य पर आरोप लगाया कि हमारे एजेण्ट हैं, इस बात पर क्लेरीफिकेशन होना चाहिए।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : यह नहीं कहा। हमारा डेपुटेशन पर गया हुआ आदमी उधर काम कर रहा है, यह कहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : आप क्या कहना चाहते हैं, डेपुटेशन पर नहीं है ? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने "एजेण्ट" शब्द का प्रयोग किया है, इसे कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री अध्यक्ष : मैं कार्यवाही देखूंगी, यदि कोई भी अशिष्ट या आरोप या अगर इस तरह की असंसदीय कोई भी शब्द होगा तो उसे निश्चित तौर पर देखकर एक्सपंज करूंगी।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मेरे उस दिन सदन में सारी चर्चा सुनने के बाद, पूरी लम्बी बहस हुई, बहुत से माननीय सदस्यों ने उसमें भाग लिया, पूरा

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

सदन और विपक्ष पूरी तरह से सन्तुष्ट था। भारत सरकार द्वारा एक लाख टन गेहूं देने का आश्वासन देने के बाद, कल इनकी कोई मीटिंग हुई, इनको डांटा गया कि आपने शोर क्यों नहीं मचाया, इसलिए ये शोर मचा रहे हैं। यदि हम पूजा करते हैं तो उस पर आब्जेक्शन करते हैं, कोई हवन-यज्ञ करते हैं तो उससे इनके पेट में दर्द होता है, वर्षा हो जाती है तो उससे भी इनको पीड़ा होती है।

श्री अध्यक्ष : आप विषय पर आ जाएं। (व्यवधान) सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे, बहुत बाधा पहुंचाते हैं आप।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, पहले भी कह दिया था आपने करीरी यज्ञ पढ़ा होगा, बरसात हो गई। अध्यक्ष महोदय, हमने पहले सेक्रेट्रीज़ को भेजा था, सेक्रेट्रीज जब रास्ते में लौटे तो बरसात हो गई। अकाल पर बहस करके गये तो बरसात हो गई। मैंने उनको यह कहा था जिस दिन मैं भाषण दे रहा था कि आज 30 तारीख है और तीन दिन बाद सावन आने वाला है और वर्षा की झड़ी लग जाएगी। बरसात हो रही है राजस्थान में, प्रसन्ता की बात है कि कई जगह बरसात है, इसलिए प्रतिपक्ष के नेता महोदय उसकी पुनर्समीक्षा करानी पड़ेगी और निकट भविष्य में जैसा मैंने कहा है उचित समय पर अकाल राहत के काम चालू कर दिये जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो करीरी यज्ञ किया उसमें राबड़ी देवी कौन थी ? राबड़ी देवी आपके साथ बैठी थी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं कहना चाहता हूं जहां सामान्य से कम बरसात हुई है वहां पर काम शुरू करेंगे अगस्त के महीने में ? (व्यवधान) जहां सामान्य से 50 परसेन्ट से कम बरसात हुई है वहां आप अगस्त में काम शुरू करेंगे ? (व्यवधान) मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है जहां आज भी सामान्य बरसात से 50 परसेन्ट कम हुई है वहां क्या आप अगस्त में काम शुरू करेंगे ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मेरे बैठने के बाद में दो तरह के सवाल आये। एक तो प्रतिपक्ष के नेता ने यह पूछा कि जहां बरसात नहीं हुई है, 50

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

परसेन्ट से कम हुई है, औसत से कम हुई है वहां पर काम चालू कब कराएंगे और माननीय संसदीय मंत्रीजी ने पूछा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं। (व्यवधान) बैठे-बैठे बात नहीं कहें। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं जवाब दे रहा हूं। जोशीजी, पूछने में आब्जेक्शन क्यों ?

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्षजी ने खुद ने व्यवस्था दी कि संयुक्त रेस्पोंसिबिलिटी है, सामूहिक जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष : आप बहुत अनुभवी हैं।

डा. सी.पी. जोशी : मंत्री क्वेश्चन पूछ रहे हैं। काहे की सामूहिक जिम्मेदारी रही ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं बोल रहा हूं, मंत्रीजी ने पूछा नहीं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मंत्रीजी ने यह पूछा, मैं रिपीट कर देता हूं जो राबड़ी देवी इनके साथ बैठी थीं वो कौनसी राबड़ी देवी है ? यह पूछा है।

डा. सी.पी. जोशी : यह आप आपस में पूछ लेना, हम नहीं पूछ सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह महत्वपूर्ण सवाल मैंने पूछा था।

डा. सी.पी. जोशी : यह नाथूसिंहजी का है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : राबड़ी देवी तो मेरी घरवाली है मैडम। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप भी किस अकाल की बात करते हो ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : कल्लाजी, आपको मैं कहना चाहता हूं जितने आप चिन्तित हैं उतने चिन्तित हम भी हैं और आज हमारे कैबिनेट की मीटिंग

(डा. किरोड़ी लाल मीणा,

है मुख्यमंत्रीजी के साथ 5 बजे चर्चा करने के बाद में आपको घबराने की जरूरत नहीं. हम अतिशीघ्र जितना सम्भव शीघ्र से शीघ्र हो सकता है, जैसे क्षेत्र आपने बताये है उनमें हम टेस्ट वर्क चालू कर देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब सब बात कह दी है और क्या है ? (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है.....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती राजकुमारी आप एक बार बिराज जाएं उनको भी शंका समाधान कर लेने दो।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है प्रदेश में 3-4 दिन से काफी बरसात हो रही है और हमें प्रसन्नता है, पूरे प्रदेश में बरसात होनी चाहिए, हो रही है, यह बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभी तक 5-10 हजार गांवों के अन्दर बरसात नहीं हुई है, वहां पानी की कमी है, घास की कमी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है. बाजरी, मूंग, मोठ का जो समय होता है वो चला गया, किसी भी तरह के अनाज होने की गुंजाइश नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मूंग मोठ का तो नहीं गया।

श्री रामसिंह विश्नोई : एक लाख टन गेहूं दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : मूंग मोठ का समय नहीं गया है, आप भी खेती करते हो, मैं भी करती हूं, मूंग का समय अभी नहीं गया। (व्यवधान) अब बरसात नहीं होगी तो चला जाएगा। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अभी जाएगा नहीं, 4-5 दिन जब झड़ी लगती है तो मूंग कैसे बोएंगे ? कल जब खुलेगा तब तक और लेट हो जाएंगे। आप इन्तजार तो करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप अप्रेहेंसन पर बात कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो मेह बरसने दो। "मेहो तो बरस्यो भलो होनी हो सो होय।" (व्यवधान

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय ये काल्पनिक प्रश्न कर रहे हैं। ये कल्पना कर रहे है। (व्यवधान,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनकी बात सुनें। वो भी कृषि पण्डित हैं, इनकी बात सुनें।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं ऐसी बात नहीं करता आप खूब काम करें, लेकिन कम से कम आप यह लिख सकते हैं कि राजस्थान के अन्दर बरसात हो गई है, अकाल की स्थिति नहीं है और एक लाख टन गेहूं आया है उसको हम सधन्यवाद रिटर्न करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वो ही जवाब दे रहे हैं आपको बोलने की क्या आवश्यकता है ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, गेहूं के अभी आदेश नहीं हुए हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था और हम यह मानकर चलते हैं हमारे पास गेहूं आ जाएगा। जितना जल्दी गेहूं हमारे पास आ जाएगा उतनी जल्दी ही हम काम चालू कर देंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अभी तो गेहूं ही नहीं आया और यों ही चिल्ला रहे हैं। (व्यवधान) अभी तो गेहूं ही नहीं आया। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : आश्वासन के आधार पर आप काम नहीं खोल सकते ? आश्वासन दे दिया उस पर आपको भरोसा नहीं है, आप बाद में ही विचार करोगे। इसका मतलब आपको भरोसा नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारे बिना गेहूं दे दिया, हमको पूछा नहीं। कल कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई थी। (व्यवधान) माननीय सदस्य माथे पर हाथ लगाकर ऐसे बैठ गये। अब आप बताएं राजस्थान की जहां स्थिति है उसमें अपनी पार्टी की बैठक में इस प्रकार हाथ लगाकर यह कहें कि हमको पूछा नहीं। अब बताओ यह कोई संवेदनशीलता है ? (व्यवधान) क्या यह राजस्थान की जनता की चिन्ता है ?

श्री हेमाराम चौधरी : हमारी पार्टी की चिन्ता आप क्यों करते हो ? हमारी पार्टी ने तो आपको एक लाख टन गेहूं दे दिया।

डा. सी.पी. जोशी : किरोडीलालजी राज कराएं और बरसात लाइए। फिर आप कहें (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, गेहू देना सरकार बन्द कर

(डा. सी.पी. जोशी)

रही है (व्यवधान) हम लोगों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है आप तो यज्ञ करों, पूजा करो। काम करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) यह क्या तरीका है ? (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, 295 से अकाल राहत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मंत्रीजी ने 30 तारीख को कहा था (व्यवधान) आप भी कह रहे हैं शुरू कर देंगे, आखिर आप कौनसी तारीख से शुरू कराएंगे, आप तारीख बता दो।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

आयुर्वेद विभाग में संविंदा चिकित्सकों को दिया जा रहा वेतन

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभ की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं आयुर्वेद विभाग में नियुक्त संविदा चिकित्सकों को दिये जा रहे कम वेतन की ओर राज्य सरकार एवं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार की वर्तमान कान्ट्रेक्ट पर चिकित्सक रखने की नीति के तहत आयुर्वेद विभाग में नियुक्त किये जा रहे चिकित्सकों को रूपये 6000/- मासिक स्थायी वेतन दिया जा रहा है जबकि चिकित्सा विभाग में संविदा पर नियुक्त किये जा रहे चिकित्सकों को रूपये 8000/- मासिक वेतन दिया जाता है। इतना ही नहीं, यदि सरकार एक पशु चिकित्सक भी संविदा के आधार पर नियुक्त करती है तो उसे भी रूपये 8000/- ही मासिक दिये जाते हैं। यह आयुर्वेद विभाग में नियुक्त किये जाने वाले चिकित्सकों के साथ नाइंसाफी है। जब नियमित नियुक्ति के समय आयुर्वेद चिकित्सक, पशु चिकित्सक एवं ऐलोपैथिक चिकित्सक का वेतनमान एक ही है तो आयुर्वेद चिकित्सक के साथ संविदा पर नियुक्ति के समय यह भेदभाव क्यों बरता जा रहा है, यह समझ के परे है।

मेरा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि आयुर्वेद अपने देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इस चिकित्सा पद्धति को तो

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

अधिकाधिक विकसित एवं विस्तारित करने की आवश्यकता है। अतः मेरा विनम्र अनुरोध है कि आयुर्वेद चिकित्सकों को संविदा पर नियुक्ति के समय रूपये 8000/- मासिक वेतन दिलाने के आदेश शीघ्र जारी करवाकर इस विसंगति को दूर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन मेघवाल।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी का सराड़ा का स्टेटमेन्ट का टाइम बता दीजिए उस वक्त यहां मौजूद रहें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सराड़ा की चर्चा के सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी स्टेटमेन्ट देंगे। (वयवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन मेघवाल।

पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बेरू (जोधपुर) द्वारा अपने पद का दुरूपयोग

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायत राज मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जोधपुर जिले की पंचायत समिति मण्डोर की ग्राम पंचायत बेरू के सरपंच व हाल में जिला परिषद सदस्य श्री मोतीराम चौधरी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर लाखों रूपये की राजस्व हानि सरकार को पहुंचाई एवं गरीब व असहाय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी भूमि को हड़पने की साजिश की है।

अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत बेरू जिला जोधपुर के पूर्व सरपंच श्री मोतीराम ने अपने कार्यकाल के दौरान ग्राम बेरू के खसरा नं. 867 में इन्दिरा आवास कालोनी की योजना स्वीकृत कराकर आवासों का निर्माण करवाया है। यह भूमि आज की तारीख तक निजी खातेदारों के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है जबकि मोतीराम पूर्व सरपंच, बेरू ने 15 वर्ष पूर्व इस भूमि को पंचायत की भूमि दिखाते हुए सरकारी धन से इन्द्रा आवास बनाकर निजी खातेदारों के साथ धोखा करते हुए पद का दुरूपयोग किया है। इसी प्रकार खसरा नं. 881 व 882 जो इसी ग्राम के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी थी उसे पंचायत के नाम सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कार्यों हेतु समर्पित करवाकर दो निजी

(श्री मोहन मेघवाल)

भवन निर्मित करवाये एवं इनको सरकारी संस्थान दूरसंचार (बी.एस.एन.एल.) व बैंक आफ इण्डिया को किराये पर दिया है। उक्त संस्थानों से जो इकरार किया गया है वह स्वयं मोतीराम के नाम से है एवं इनका किराया मोतीराम के बैंक खाते में जमा हो रहा है। जबकि पंचायत के अभिलेख के अनुसार इन भवनों का कोई पट्टा आज तक जारी नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त ग्राम बेरू के खसरा नं. 838, 841, 860 एवं 643 गैर मुमकिन रास्ता व गोआ राजस्व अभिलेख अनुसार जो मोतीराम के निजी खातेदारी की भूमि के पास ही स्थित है जिसको भी मोतीराम ने अपने स्वयं के स्वार्थपूर्ति हेतु अतिक्रमित कर लिया है।

उक्त सभी अनियमितताओं की शिकायतें समय-समय पर की गई जिसकी जांच सी.ई.ओ. जिला परिषद जोधपुर ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर एक कमेटी बनाकर करवाई। उक्त कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर सम्भागीय आयुक्त जोधपुर ने मोतीरामा चौधरी के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किए गए हैं। किन्तु बड़े खेद के साथ मैं यहां उल्लेखित करना चाहता हूं कि इन अनियमितताओं की ताईद होने के उपरान्त भी इनके विरूद्ध आज दिनांक तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। आरोप पत्र जारी किए हुए भी लगभग 3 माह हो चुके हैं किन्तु मोतीराम अपने राजनीतिक दबदबे के कारण इस पर कार्यवाही नहीं होने दे रहे हैं।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी अधीनस्थों से प्राप्त कर आज ही दोषी व्यक्ति मोतीराम को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जिला परिषद की सदस्यता से बरखास्त किया जाए एवं अनियमितताओं बाबत आपराधिक प्रकरण सम्बन्धित पुलिस या राज्य अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज करवाया जाए ताकि कोई अन्य जनप्रतिनिधि अपने पद का दुरूपयोग करने की हिम्मत नहीं कर सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अशोक नागपाल।

श्री विजयनगर (श्री गंगानगर) सेठ केसरीचन्द राजकीय चिकित्सालय में डाक्टर्स का पदस्थापन

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के अन्तर्गत श्री विजय नगर शहर जिसकी आबादी करीब 30,000 (तीस हजार) है। जहां पर एक परिवार द्वारा करीब 70 लाख रूपये लगाकर सेठ केसरीचन्द्र राजकीय चिकित्सालय का निर्माण कराया था पिछले 2 वर्ष से वहां जो डाक्टर कार्यरत थे उनमें से एक सर्जन तो प्रतिनियुक्ति पर पदमपुर में कार्य कर रहा है। एम.डी. डाक्टर वहां पर है नहीं और अन्य 2 पद भी रिक्त पड़े हैं। चिकित्सालय बन्द होने के कगार पर खड़ा है, महिला चिकित्सक का पद भी रिक्त है, शहरवासियों को व इसके साथ लगते सैकड़ों गांवों को जो सुविधा मिलनी चाहिए उससे वंचित रह रहे हैं। अनेकों मौतें समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण हो चुकी हैं क्योंकि श्री विजयनगर से श्री गंगानगर करीब 100 किलोमीटर दूर है वहां तक पहुंचते-पहुंचते मरीज भगवान को प्यारा हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि शहर की मुख्य समस्या को मद्देनजर रखते हुए रिक्त पदों को तुरन्त भर कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र सराधना।

नेशनल हाईवे नम्बर 8 से जयपुर बाईपास के लिए अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : माननीय अध्यक्षजी, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत नेशनल हाईवे नं. 8 के चन्दवाजी से जयपुर बाईपास रोड में अवाप्त की गई भूमि का किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलने एवं एक व्यक्ति को नियमों को तोड़कर लाखों रूपये का नाजायज लाभ पहुंचाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख।

महोदय, केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या का.आ. 929/आ.तारीख 2-7-2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाश सं. 443 से

(श्री रामचन्द्र सराधना)

प्रकाशित हुई कि "राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 चंदवाजी 0/00 किलोमीटर से हरमाड़ा राजमार्ग सं. 11 के किलोमीटर .247 हरमाड़ा तक 34.5 किलोमीटर जयपुर बाईपास फेज-।। (मण्डल "घ") में किसानों की भूमि अवाप्त की जानी है।" इसमें सालड़वास, बीसलपुर, सुन्दरपुरा, मानपुरा, घटवाड़ा आदि गांवों की अवाप्ति हेतु कृषि भूमि विवरण सहित प्रकाशित की गई। इस प्रक्रिया के पूर्व होने के बाद उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा क्रमांक आर.ए.आई./रूपा./4/2001/862 दिनांक 11 जून, 2001 के आदेशानुसार अवाप्ति में आने वाली भूमि खसरा नं. 439 = 0.40 हैक्टेयर ग्राम सालड़वास तहसील आमेर की भूमि का कृषि से व्यावसायिक में संपरिवर्तन कर दिया गया। जबकि उपखण्ड अधिकारी, आमेर को इस भूमि की अवाप्त की जाने की जानकारी थी। फिर भी अनदेखी करके उक्त भूमि का संपरिवर्त कर दिया गया।

संपरिवर्तन आदेश में काशतकार को निर्देश दिये गये थे कि इस संपरिवर्तित भूमि को अगले दो वर्ष तक अन्य किसी को अंतरण/बेचान नहीं किया जा सकेगा। लेकिन आदेश मखौल साबित हुआ और उसी संपरिवर्तन भूमि का बेचान 2 वर्ष के बजाय दिनांक 27-6-2001 को मात्र 16 दिन बाद ही बेचान कर उप पंजीयक, आमेर (ड्राई) पंजीयन कर दिया गया। परिणाम यह रहा कि एक अधिकारी विशेष की रूचि ने सब कृत्य किया। क्योंकि इस भूमि अवाप्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया उस अधिकारी के हाथों से जारी थी। उन्होंने अपने प्रभाव से भूमि संपरिवर्तन के सभी नियमों को ताक में रखकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन को संपरिवर्तन करवाकर अपने निजी व्यक्ति के नाम खरीदी और लगभग उस पौने दो बीघा भूमि का मुआवजा करीब 36 लाख रूपये सरकार से उठाने में कामयाब हो गया। जबकि अन्य किसानों को दो से तीन लाख रूपये बीघा का नुकसान हुआ है। किसानों का मुआवजा तय करने वाले भी वही अधिकारी थे। इन्होंने किसानों की भूमि की कीमत का कम आंकलन कर नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि आंवला एवं अन्य कीमती पेड़ों वाली भूमि का भी मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है, किसानों ने कलक्टर, जयपुर को उचित मुआवजा के लिए प्रार्थना पत्र दिया है परन्तु अब तक उचित फैसला नहीं हुआ, फलतः किसान दुखी हैं।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

अतः प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मेरा राजस्व मंत्री से निवेदन है कि इस मामले की जांच कर दोषी अधिकारी को दण्डित कर विक्रय पत्र खारिज किया जाए और काश्तकारों को समुचित मुआवजा दिलाया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुराम वर्मा - अनुपस्थित।

श्री अर्जुन लाल मीणा।

सामुदायिक चिकित्सालय, सलूम्बर को 100 शैय्याओं का अस्पताल बनाने बाबत

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष जी, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत सामुदायिक चिकित्सालय सलूम्बर को 100 शैय्याओं का हास्पिटल करने बाबत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सलूम्बर कस्बा, नगरपालिका क्षेत्र है। यहां पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। यहां पर अधिकतर चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। यहां पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र भी हैं। वर्तमान में यह हास्पिटल मात्र 50 बैड का है। पूरी तहसील में मात्र यही हास्पिटल सबसे बड़ा है। इसके अन्तर्गत 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां पर मरीजों को भर्ती करने की कोई सुविधा नहीं है। सलूम्बर क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है।

अतः जनजातियों एवं जनता की मांग को देखते हुए इस हास्पिटल को 50 बैड से 100 बैड में क्रमोन्नत करने का श्रम करावें।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

लूणकरणसर के नहरी क्षेत्र में भूमि की कम कीमत

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के नहरी क्षेत्र की भूमि की

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

कीमत कम करने बाबत विशेष उल्लेख के तहत निवेदन है कि बीकानेर जिले का नहर (सिंचित) क्षेत्र जिसमें आई.जी.एन.पी का पानी लगता है, पूरा क्षेत्र रेतीला व कम उपजाऊ भूमि वाला है। इस क्षेत्र के प्रथम चरण में भूमि की कीमत 4 लाख रूपये प्रति मुरब्बा कर रखी है और द्वितीय चरण में भूमि की कीमत एक लाख रूपया प्रति मुरब्बा कर रखी है जबकि प्रथम एवं द्वितीय चरण की पूरे जिले की जमीनों की किस्म में कोई अन्तर नहीं है। तहसील पूगल के आधे हिस्से की दर एक लाख रूपये व आधे हिस्से में चार लाख कर रखी हैं।

भूमिहीन काश्तकारों के लिए चार लाख रूपये कीमत बहुत ही ज्यादा है और एक ही तहसील क्षेत्र में समान किस्म की भूमि में इतना अन्तर अपने आप में विरोधाभास दर्शाता है।

प्रथम चरण में छोटे टुकड़ों की कीमत 32,000/- रूपये प्रति बीघा कर रखी है जो विशेष आबंटन की दर से भी दुगुनी बैठती है जो एक आदमी के लिए असहनीय दर है। इतनी ज्यादा दर बढ़ाने के बाद छोटे टुकड़ों का आबंटन प्राय: बन्द सा ही हो गया है।

अत: आप भूमि की किस्म व उसके उपजा ऊपन और काश्तकार की वर्तमान माली हालत को ध्यान में रखते हुए भूमि की कीमत प्रथम चरण में द्वितीय चरण के समान करने की व्यवस्था फरमावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीलाल जाट। (अनुपस्थित) श्री केसर देव बाबर।

जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा राज्य में लगाये गये हैण्डपम्पों में उपयोग किया गया पाइप

श्री केसर. देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत पिछले कुछ वर्षों में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा गलत नीति एवं कार्य पद्धति से राजकीय कोष को करोड़ों रूपये की हानि पहुंचाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं माननीय

(श्री केसर देव बाबर)

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, पिछले कई वर्षों से पानी की कमी के चलते जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा पूरे राजस्थान राज्य में जगह-जगह पर हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं जिससे जनता को पानी की सुविधा प्राप्त हो सके। पांच वर्ष पूर्व तक विभाग द्वारा लगाये जा रहे हैण्डपम्पों में चार इन्च के पाइप काम में लिये जा रहे थे, जो पानी की समुचित मात्रा में जमीन से निकासी के लिए पर्याप्त थे परन्तु विभाग के आला अफसरों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण बिना कोई सरकारी या विभागीय आदेश जारी किये ठेकेदारों से मिलीभगत करके चार इन्च के पाइप के स्थान पर पांच इन्च के पाइप लगाने के आदेश जारी कर दिये और पूरे राजस्थान भर में हैण्डपम्पों में चार इन्च के पाइप के स्थान पर पांच इन्च के पाइप लगा कर अरबों रूपयों का चूना पिछले पांच वर्षों में विभागीय अधिकारी राज्य सरकार को लगा चुके हैं और यह स्थिति बदस्तूर जारी है।

मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में तकनीकी विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच तुरन्त करवाई जाकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तो की ही जाये, साथ ही राज्य कोष को हानि पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर वसूली की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा संगीन मामला है। आज भी 5 इन्च के पाइप लगाये जा रहे हैं। मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अब तो कम से कम सरकार चेते और एक तकनीकी कमेटी बनाकर के पाइप चार इन्च के काम में ले ताकि जो सरकारी कोष को नुकसान हो रहा है उसको रोका जा सके।

श्री अध्यक्ष : आप तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, कुछ और बात ही बोल रहे हैं। 295 में केवल वही पढ़ा जाता है जो लिखा जाता है।

श्री केसर देव बाबर : अध्यक्ष महोदय मेरी पर्ची भी है।

श्री अध्यक्ष : पूरा पढ़ा ही नहीं और उससे पहले बीच में ही कह रहे हैं।

श्री केसर देव बाबर : अध्यक्ष महोदय. पूरा पढ़ लिया है, मेरी पर्ची भी है।

श्री अध्यक्ष : नियमों का पालन करवाने की और करने की केवल आसन की ही जिम्मेदारी नहीं है, माननीय सदस्यों की भी है इसलिए नियमों का पालन होना चाहिए।

श्री केसर देव बाबर : अध्यक्ष महोदय, पर्ची पर अब बोलूं या बाद में ?

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा था कि यह पढ़कर के एक मिनट में और कोई बात कह देना। आपने पूरी पर्ची पढ़ी ही नहीं और बीच में भाषण शुरू कर दिया।

श्री केसर देव बाबर : बाद में बोलना है पर्ची पर ?

श्री अध्यक्ष : 295 शुरू किया और करने के बाद बीच में और कुछ बोलने लगे।

श्री केसर देव बाबर : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची पर दुबारा बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपने सब बात तो लिख दी इसके अन्दर वो ही पढ़ दीजिये आप या फिर आप इसे बिना पढ़े वैसे बोल दीजिये। इसे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, आप वैसे बोल दीजिये।

श्री केसर देव बाबर : अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है। मैं जलदाय विभाग के बारे में कुछ चीजें इस पर्ची के माध्यम से बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बोल दो। अब पर्ची का तो बाद में आयेगा न। या तो यह पढ़ दो या बोल दो, एक काम कर लो। जो आप चाहो वह काम कर लो।

श्री केसर देव बाबर : ठीक है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री पुष्पेन्द्र सिंह। (अनुपस्थित) श्री हेमराज मीणा।

बारां में गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत कराये गये निर्माण कार्यों की जांच

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में जिला ग्रामीण विकास द्वारा संचालित जिला गरीबी उन्मूलन योजना अन्तर्गत करोड़ों रूपये बारां जिले की तहसीलदार द्वारा निम्न संस्थाओं द्वारा व्यय होना बताया गया है।

1. बारां तहसील में 11 करोड़ 86 लाख 6144 रूपये
2. अन्ता तहसील में एक करोड 14 लाख 68145 रूपये
3. अटरू तहसील में एक करोड़ 28 लाख 99452 रूपये
4. छबड़ा तहसील में 92 लाख 48183 रूपये
5. छीपाबड़ौद तहसील में 20 लाख 20881 रूपये
6. किशनगंज तहसील में एक करोड 82 लाख 56699 रूपये
7. शाहबाद तहसील में 3 करोड़ 26 लाख 78284 रूपये

ये रूपये निम्न संस्थाओं द्वारा व्यय किया गया :-

1. कोटा दुग्ध डेयरी द्वारा 4 करोड 16 लाख 250 रूपये
2. भारत ज्ञान विज्ञान 3 करोड़ 54 लाख 18 रूपये
3. काउन्सिल फोर सोशियल डवलपमेन्ट 1,63,125 रूपये
4. आई.आई.आर.डी. द्वारा 21750 रूपये
5. चम्बल डवलपमेन्ट सोसायटी 3 लाख 60 हजार रूपये
6. असेफा द्वारा 16 लाख 90125 रूपये
7. स्वच्छ किशनगंज, शाहबाद 69~9 रूपये

बारां जिले में इन संस्थाओं के माध्यम से व अलग से 21 करोड़ 12

(श्री हेमराज मीणा)

लाख 24455 रूपये कुल व्यय किये गये परन्तु मौके पर किये गये कार्य इन संस्थाओं के सन्तोषजनक नहीं है। यह धनराशि विश्व बैंक द्वारा ऋण के रूप में प्राप्त की गई है। जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो भी निर्माण कार्य कराये गये जो घटिया किस्म के हुए हैं उनमें गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा गया है।

कई प्रकार के स्वरूचि समूह बनाये गये जिनके द्वारा बजट तो व्यय किया गया परन्तु स्वरूचि समूह के पास किये गये संसाधन नहीं है। स्वरूचि समूह केवल कागजों में बनाये गये व बनाये गये वास्तविक रूप से सदस्यों की जानकारी में भी नहीं है। ऐसा लगता है कि इन सभी संस्थाओं में आर.ए.एस. व आई.ए.एस. अधिकारियों के द्वारा व परिवार वालों के द्वारा चलाई जा रही संस्थाएं सम्पूर्ण जिले में कार्यरत हैं। ये संस्थाएं अधिकतर जिले के बाहर की हैं क्योंकि स्थानीय संस्थाओं द्वारा डी.पी.आई.पी. को कोई योजना नहीं दी गई है। स्वयंसेवी संस्थाओं में ये सभी कर्मचारी व पदाधिकारी बाहर के व्यक्ति हैं जिन्होंने इस योजना में खूब भ्रष्टाचार किया है। वास्तविक रूप से मेरा नाम किसी स्वरूचि समूह सम्पादित है। स्वरूचि समूह केवल कागजों में बने व इस योजना का व संस्थाओं का पूर्ण लाभ केवल एक ही व्यक्ति ले रहा है क्योंकि निर्माण कार्यों की स्वीकृति में कमीशन तीन प्रतिशत अग्रिम रूप में लिया जाता है। इसके बाद ही स्वीकृति जारी की गई है। किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में पेयजल हेतु ट्यूबवैल लगाये गये, पूरी धनराशि व्यय होने के बाद भी ट्यूबवैल से पानी नहीं मिल रहा है। इस संस्था में कार्यरत जिला प्रबन्धक परियोजना अधिकारी डा. गीता मोहन की राजस्थान सरकार ने अवैध नियुक्ति घोषित की गई है। हाईकोर्ट के माध्यम से स्टे लेकर पद पर कार्य कर रही है। हाईकोर्ट का स्टे खारिज नहीं होने में उच्च अधिकारियों की मिलीभगत है।

नियुक्ति विवादास्पद होने से भ्रष्टाचार की सीमा तोड़ी गई है। पूरे जिले में 31 करोड़ का व्यय बताया गया है परन्तु किसी निर्माण कार्य का अथवा स्वयं सेवक संस्था के कार्य का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

शाहाबाद में कई शिकायतें प्राप्त हुई जिनकी जांच हुई उनके खिलाफ

(श्री हेमराज मीणा)

कलक्टर द्वारा एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई गई। बारां जिले में जिला गरीबी उन्मूलन योजना का सभी कार्यों का जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन हो व एक अलग से कमेटी बनाकर जांच करवाई जावे। बारां जिला परियोजना प्रबन्धक डी.पी.आई.पी. की विवादास्पद नियुक्ति को तत्काल समाप्त कर अन्य प्रशासनिक अधिकारी को लगाया जा सके जिसमें डी.पी.आई.पी. योजना के करोड़ों रूपयों को वास्तविक गरीबी उन्मूलन में लगाया जा सके। अतः आज की निर्धारित कार्यवाही रोककर मामला जनहित का इस प्रस्ताव पर विचार के लिए समय दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : 295 तो पढ दिया है। धन्यवाद। श्री बृज किशोर शर्मा।

मामूली राशि लेकर लीज पर निजी संस्थाओं को आबंटन

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत 200 करोड़ रूपये की लागत की 110 बीघा जमीन मामूली राशि लेकर लीज पर निजी संस्थाओं को आबंटित करने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

मैं सबसे पहले तो मुख्य मंत्रीजी एवं स्वायत्त शासन मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न जो जलमहल के सम्बन्ध में था, उसके उत्तर में जलमहल की योनजा को बजट में स्थान दिया क्योंकि इस जलमहल के विकास की वजह से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं जयपुर शहर तथा राजस्थान को भी इसका लाभ मिलेगा। चूंकि जलमहल मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में आता है। अतः मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि योजना को चालू करवाने का कार्य आदरणीय नवल किशोर जी शर्मा ने शुरू करवाया था जो 11वीं राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे......

श्री अध्यक्ष : और मेरे पिताश्री भी हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा : मुझे नहीं मालूम किन कारणों से इस कार्य को पिछले 6-8 महीनों से रोक दिया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस

और आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां तक मेरी जानकारी है, उसके मुताबिक इस योजना में गढ़गणेशजी का प्राचीन मन्दिर है वहां से जलमहल तक रोप-वे बनाने का प्रस्ताव था पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मेरे प्रश्न के जवाब में इस रोप-वे बनाने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान देने का कष्ट करें।

मैं अध्यक्षजी, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा, इस जलमहल से जुड़ी हुई 110 बीघा जमीन जो कि खाली पड़ी है और जे.डी.ए. ने इस जमीन को पर्यटन विभाग को हस्तान्तरित कर दी है। इस 110 बीघा भूमि की कीमत करीब 200 करोड़ रूपये है और राज्य सरकार ने जलमहल विस्तार के लिए पूर्व में करोड़ों रूपये खर्च किये हैं और अभी भी 50 करोड़ रूपये योजना के लिए स्वीकृत कर दिये हैं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस 200 करोड़ रूपये की 110 बीघा भूमि को पर्यटन विकास के नाम से मनोरंजन पार्क, नौकायन, रस्टोरेन्ट, अप्पूघर आदि के लिए मामूली दर पर अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए लीज पर देने के मामले पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और निजी व्यक्तियों को करोड़ों रूपये की जमीन को कौडियों के भाव लीज पर षड़यन्त्रपूर्वक देने की कार्यवाही विचाराधीन है।

अतः मैं सरकार का ध्यान इस सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

और अन्त में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जन प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाये, जिस तरह मुख्य मंत्रीजी ने जो जून, 2005 तक इसकी समय सीमा निर्धारित की है, उसको और उसकी गुणवत्ता को समय पर परखा जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : प्रभुलाल वर्मा। आप कहां थे जब पुकारा गया तब ? मिस्टर प्रभुलाल वर्मा, आप कहां थे नाम पुकारा तब ? बात कर रहे थे ? आइन्दा ध्यान रखें।

चाकन बान्ध (ग्राम गुढ़ा व जिला बूंदी) सिंचाई परियोजना की स्वीकृति

श्री प्रभुलाल वर्मा (पल्दा) : जी साहब, थैंक्यू।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गुढा तहसील इन्द्रगढ़ (जिला बून्दी) के समीप चाकन बान्ध मध्यम सिंचाई परियोजना काफी लम्बे समय से प्रस्तावित है। इस सिंचाई परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र की लगभग 2059 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इस सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में 289.5 हैक्टेयर वन भूमि आती है, जिसके बदले में राज्य सरकार ने इतनी भूमि वन विभाग को उपलब्ध करवा दी।

किन्तु पूर्व में वन अधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र में वृक्षों की संख्या अनुमानित एवं भ्रामक रूप से दर्शाते हुए रिपोर्ट भेजी। उसके आधार पर केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय की सलाहकार समिति ने वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अंततः 10-9-2003 को असहमति व्यक्त कर दी जबकि प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्र में वास्तविक रूप से पौधों/वृक्षों की संख्या नहीं के बराबर है। इस परियोजना को महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण दिनांक 19 जनवरी, 2004 में बिन्दु संख्या-3 सिंचाई एवं पेयजल में मध्यम सिंचाई परियोजना में चिन्हित किया है।

मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में मध्यम सिंचाई परियोजना को चिन्हित कर मेरे क्षेत्र की जनता को आशान्वित किया है। इनकी आशाओं एवं विश्वास को बनाये रखने के लिए इस परियोजना का पुनः सर्वे एवं आश्वयकता होने पर साईड प्लान बदलवाकर नये तखमीने बनवाकर परियोजना का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करवाया जाना अति आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : पर्ची पर श्री जीतमल खांट.

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

लोक जुम्बिश परियोजना के अनुदेशकों का सर्व शिक्षा अभियान में समायोजन

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे शिक्षा मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं। पिछली सरकारों का राजस्थान में यह प्रयास रहा है कि निरक्षरता के कलंक को राजस्थान में किस तरह समाप्त कर दिया जाये। इस निरक्षरता के कलंक को समाप्त करने के लिए हमारे देश में उपराष्ट्रपति महामहिम भैरोंसिंह जी शेखावत साहब के कार्यकाल में सन् 1992 में लोक जुम्बिश परियोजना को इन्होंने राजस्थान प्रदेश के कुछ विकास खण्डों में प्रयोग के तौर पर अपनाया। मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा, लोक जुम्बिश परियोजना की शुरूआत के पहले देश को आजादी मिली 1947 में, 1947 से लेकर 1992 के बीच में जितना समय रहा, इस प्रदेश के अन्दर ग्रांमीण क्षेत्रों में, ढाणियों और मजरों में रहने वाले बालक-बालिकाओं का स्कूल के अन्दर क्या शिक्षा के प्रति रूझान था, कितनी प्रतिशत इनको शिक्षा हासिल होती थी, कितने बच्चे स्कूल में जाते थे ? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 1948 से 1993 के बीच में राजस्थान के अन्दर बालक-बालिकाओं की शिक्षा में नामांकन वृद्धि प्रति वर्ष केवल 0.5 प्रतिशत हुआ करती थी और राजस्थान में मात्र तीन प्रतिशत बालक -बालिकाएं प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करते थे लेकिन अभिनव प्रयोग के माध्यम से लोक जुम्बिश परियोजना राजस्थान के जिन 25 विकास खण्डों में, जिस तरीके का जो काम किया, काम करने का जो तरीका अपनाया और पूरे राजस्थान के उन 25 विकास खण्डों में, एक हम लोक जुम्बिश परियोजना को साधारण रूप में समझ रहे हैं, तीन वर्ष के दरमियान जिस तरीके का प्रयोग था, इतनी सफलता राजस्थान की जनता के सामने, राजस्थान की सरकार के सामने आई कि 1992 से सितम्बर, 1995 के बीच में कम से कम इन 25 विकास खण्डों के अन्दर 70 प्रतिशत छात्र-छात्राओं का नामांकन बढ़ा और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन सारे विकास खण्डों में जिस रूचि के साथ में, उस इलाके में रहने वाले अनुदेशक लोगों ने जिस तरीके का जो परिश्रम किया, चाहे वह शिक्षा दर्पण का काम हो,

(श्री जीतमल खांट)

चाहे वह उत्तर साक्षरता का काम हो, चाहे वह साक्षरता मिशन से सम्पूर्ण ढांचे का काम हो, यानि के जिस गति के साथ में उन अनुदेशकों ने गांव, ढाणी और मजरे में पहुंच कर इस तरीके से उस गांव का एक मानचित्र तैयार किया, नक्शा तैयार किया और उन अनुदेशकों ने उस गांव के अन्दर ऐसी कमेटी का गठन किया, उस शिक्षा समितियों के नाम से वहां पर कमेटियां का गठन किया। कमेटियां इसलिए गठित की गई कि उस गांव में रहने वाला जागरूक व्यक्ति जा सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करता था उस गांव के अन्दर पूरी जिम्मेदारी ले के कोई भी बच्चा, पांच से चौदह वर्ष आयु का शिक्षा से वंचित नहीं रहे, यह उद्देश्य था और अध्यक्ष महोदया, जिस तरीके से उस अनुदेशक ने तन, मन और बड़ी लगन के साथ में परिश्रम किया, गांव के महिलाओं और पुरूषों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की, दुर्गम पहाडियों और पठारी भागों में बसे ग्रामीणों का इस तरीके से एक पूरा मास्टर प्लान तैयार किया, प्रत्येक परिवार में से ऐसे बच्चे की खोज की गई, अनुसंधान किया गया, सर्वेक्षण किया गया के पांच से चौदह वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इस उद्देश्य के साथ में एक सक्षम नियोजन से उसका सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के माध्यम से यह पूरा साक्षरता का एक मिशन चलाने का काम इन अनुदेशकों ने किया। आज सरकार की जो भी उपलब्धियां हम देखते हैं, पिछली सरकार रही हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, आज जितना भी साक्षरता आन्दोलन को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम अगर किया है तो इन अनुदेशकों के माध्यम से किया गया है, इनके कन्धों पर ही साक्षरता को हमने अर्जित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब लोक जुम्बिश परियोजना का शुभारम्भ हुआ था तब इन अनुदेशकों ने मात्र तीन सौ रूपये मानदेय के नाम पर अपनी सेवाएं शुरू की थीं और 1992 से लगाकर 2004 तक, आज उनको एक हजार रूपये मिलते थे, आज मैं सरकार के सामने अपना विरोध नहीं दर्शा रहा हूं लेकिन माननीय मंत्रीजी इस बात को गम्भीरता से लें कि यह वह अनुदेशक हैं जो गांव और ढाणियों के अन्दर मात्र तीन सौ, चार सौ रूपये और हजार रूपये लेकर अपना चूल्हा जलाते हैं और इस सरकार से उम्मीद करके बैठे थे, इस सरकार का परिवर्तन हो चाहे न हो, लेकिन ऐसे लोगों ने जिन्होंने तन, मन के साथ में साक्षरता आन्दोलन को, इस मिशन को बढ़ाने के लिए, इन सफलताओं को हासिल करने

के लिए जिस तरीके से परिश्रम किया है, आज इन सारे अनुदेशकों को हटाया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा मंत्रीजी काफी विद्वान व्यक्ति हैं, हमें इनको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन अनुदेशकों को आप सर्व शिक्षा अभियान....

श्री अध्यक्ष : आपने सात मिनट ले लिये हैं माननीय सदस्य, आप समाप्त कर दें।

श्री जीतमल खांट : मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर 1200 के करीब अनुदेशक हैं और यह सारे जनजाति के उम्मीदवार हैं, प्रार्थी हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जिन्होंने बांसवाड़ा का सारा भौगोलिक इलाका छान मारा, गांव, ढांणी, मजरे में कहां, कौन सा अशिक्षित बालक है, इस तरीके से कठिन परिश्रम करने के बाद उस बालक को शिक्षा दिलाने का काम किया, दस साल तक उसने नियमित तरीके से विद्यालय को चलाने का काम किया, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह लोग, जिनके लिए मैं आपके सामने कह चुका हूं कि तीन सौ रूपये, चार सौ रूपये से उनका चूल्हा जलता है और इतना होने के बावजूद भी, कम पैसे में सारा दिन काम करते हैं, महीने भर परिश्रम करते हैं, ऐसे लोगों को आपने हटा रखा है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिला हो चाहे डूंगरपुर हो, जिन विकास खण्डों में अनुदेशक आपने बन्द कर रखे हैं, आप कृपा करके सर्व शिक्षा अभियान के अन्दर कहीं न कहीं उनको समायोजित करें, निश्चित रूप से आपको याद करेंगे, वरना आपके नाम से, मुझें कहना नहीं चाहिए, आप बड़े विद्वान हैं, हमारे कटारियाजी भी जब यहां राजीव गांधी पाठशालाओं की बात आती थी, कटारिया साहब, आप बुरा न मानें, हम भी आपके पड़ौस में बैठकर खूब हाथ हिलाते थे, खूब लड़ाई लड़ते थे, आज पूरे उदयपुर सम्भाग में राजीव गांधी पाठशालाओं में लगे सारे पैरा टीचर आपके नाम का पुतला जला रहे हैं। कृपया निवेदन है कि आप जैसे महान व्यक्तियों के पुतले वहां के......(व्यवधान) उसमें क्या बड़े हैं, हमारे लिए बड़ी अशोभनीय व्यवहार है, आप उनके लिए भी कोई न कोई रास्ता ढूंढिये और राज्य के जिन युवाओं ने आपके ऊपर बहुत गर्व के साथ महसूस किया था कि हमारी सरकार आयेगी, कुछ करेगी हमारे लिए, आप निश्चित रूप से इनके लिए चिन्तन-मनन करके कोई रास्ता ढूंढिये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री केसर देव बाबर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी सदन में बिलकुल स्पष्ट किया था कि लोक जुम्बिश एक परियोजना थी जिसके अन्तर्गत चार प्रकार के लोग काम करते थे। एक लोक जुम्बिश के कार्मिक थे उनको हमने समायोजित कर लिया है सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दूसरे प्रतिनियुक्ति पर जो कर्मचारी गये थे उनको भी कर लिया है। तीसरे, जो एन.जी.ओ. के माध्यम से और सेवा एजेन्सियों के माध्यम से थे, उनको भी एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर समायोजित करने का निश्चय कर लिया। यह चारों हो हो गये। इनके बाद में, अध्यक्ष महोदय, ईमानदारी की बात है कि जितना खोजते हैं उतना लगता है पता, इतना इसमें ढांचा बिखरा हुआ था, मुझे तो खुद को ही पता नहीं था कल्ला साहब, कि जैसे पैराटीचर्स में गये तो पैराटीचर्स आ गये, फिर डीपीईपी पैराटीचर्स आ गये, फिर मदरसा पैरा टीचर्स आ गये, फिर उसमें पांच प्रकार से पैराटीचर्स आ गये। इसी प्रकार से लोक जुम्बिश में पहले जब बात हुई थी और लोक जुम्बिश ने प्रस्ताव किया था, जिस लोक जुम्बिश का आप वर्णन कर रहे हैं, उन्होंने उन चार का ही प्रस्ताव किया था, अब उसके बाद में जब आगे खोजने चले तो फिर उसमें मुक्तांगन निकला, शिक्षा मित्र निकला, सहज शिक्षा केन्द्र निकला, अनुदेशक निकला, सहायक अनुदेशक निकला और फिर जिस-जिस में आप जा रहे हैं उसमें पचास-पचास प्रकार के काम हैं, लेकिन मैं एक बात बिलकुल साफ करना चाहता हूं, पहली बात तो यह है कि यह सहज शिक्षा के केन्द्र थे जिसको धीरे-धीरे करके मूल धारा में विद्यार्थी को लाने का काम करना चाहिए था, वह काम सरकार ने प्रारम्भ कर दिया। हमने एक बात तय कर दी अब कि कोई भी टीचर टेम्परेरी नहीं लगेगा और कोई भी टीचर इस प्रकार की तनख्वाह पर नहीं लगेगा। एक काम। दूसरा, जो लगे हुए हैं उनको किसी को हटाने का नहीं है, उनकी सहायता करने का है। अब, अध्यक्ष महोदय, आप ध्यान करें, लोक जुम्बिश 30 जून, 2004 को समाप्त हो गई। इसमें अनौपचारिक शिक्षा के रूप में कई प्रकार के काम चलते थे, एक चलता था सहज शिक्षा केन्द्र जिसके 6135 स्थान हैं, दूसरा मुक्तागंन, उसके 112 स्थान हैं, तीसरा शिक्षा मित्र, इसके 1515 स्थान हैं। अध्यक्ष महोदय, यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

संख्या प्रतिमाह कम हो जाती है, ज्यों-ज्यों वह लड़के प्राथमिक पाठशालाओं में चले जाते हैं, त्यों-त्यों उनकी संख्या कम हो जाती है। तो आज अनुदेशक कितने हैं इनको नहीं कहा जा सकता। मैं यह कहना चाहूंगा कि एसएसए की गाइड लाईन के अनुसार लोक जुम्बिश के अनौपचारिक शिक्षा के इन प्रयासों को हमने एसएसए में समायोजित करने का फैसला कर लिया है और उसके लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया। डाइरेक्टर, एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान, एक और डिप्टी डाइरेक्टर (एजुकेशन प्लान), एलीमेन्ट्री एजुकेशन का है, प्लान, उन दोनों की कमेटी बना दी, जो प्रदीप बोरड़ पहले इसी में थे लोक जुम्बिश में, वह भी इसके मैम्बर हो गये हैं और यह समिति 10 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा मित्र केन्द्रों की व्यवस्था है, अतः मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि उन शिक्षा मित्र केन्द्रों के अन्दर इनका समायोजन जितनों का हो सकता है, अधिक से अधिक काम कराने का प्रयत्न करेंगे, किसी भी बात पर इनको किसी भी प्रकार से इनकी सेवाओं को झुठलाने का हमारा इरादा नहीं है, यह तो मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं। दूसरा, आपने पैराटीचर्स की बात उठाई, आज वह बिल आ रहा है, उस बिल के टाइम पर मैं दोबारा अपनी बात रखूंगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री केसर देव बाबर।

जन स्वास्थ्य अभियन्ता कार्यालय, सीकर द्वारा अनुपयोगी सामान की खरीद

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बोलने की अनुमति के लिए धन्यवाद। मैं सरकार का ध्यान जलदाय विभाग के वृत्त सीकर की ओर दिलाना चाहूंगा। यह जो अधिकारीगण हैं, जिस चीज की आवश्यकता नहीं होती है वह पहले लेते हैं और जिसकी आवश्यकता होती है उसको लेते ही नहीं हैं। जैसे सीकर में पिछले वर्षों में ए.सी. प्रेशर पाइप खरीदे गये और इतने पाइप खरीदे गये कि वहां रखने के लिए जगह भी नहीं है। सरकार को चाहिए जिस चीज की जरूरत हो वह चीज समयबद्ध खरीदे। आज हालत यह है वहां करोड़ों रूपये के पाइप व्यर्थ पड़े हैं जिनका कोई उपयोग नहीं

(श्री केसर देव बाबर)

हो रहा है और स्टोर के बाहर ही पड़े हैं। दूसरे, वृत्त सीकर में आज जैसे हमारे पास, हम जाते हैं तब वह कहते हैं कि हमारे पास मोटर नहीं है कुएं में लगाने के लिए और पिछले एक साल से चक्कर काट रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, अधिकारीगण जिस चीज में कमीशन ज्यादा मिलता है वह तो पहले लेते हैं और जिसमें कमीशन कम मिलता है वह बाद में लेते हैं। एक प्रकरण और है, सरकार स्वजल धारा पेयजल योजना के अन्तर्गत गांव-गांव में काम करवाती है। सीकर वृत्त में एक स्वच्छ जलाशय का आदेश दिया गया दिनांक 6-7-2004 को जिसकी लागत है 6 लाख 5 हजार रूपये और उस स्वच्छ जलाशय की कैपेसिटी है एक लाख लीटर, जबकि वहां पर करीब छह महीने पहले या साल पहले निविदाएं की जा चुकी थीं, एक रेट कांट्रेक्ट ठेकेदारों का होता है उसमें रेट आई थी करीब, मेरे पास काफी है 4 लाख 45 हजार रूपये और जिस ठेकेदार को दुबारा आदेश दिया गया बिना किसी निविदा, बिना किसी नींव के उसमें सरकार को 1 लाख 55 हजार का नुकसान हो रहा है। मेरा जलदाय विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के तुरन्त उपाय किये जाएं। पूर्व में वृत्त सीकर में वर्ष 2003 में जो भी निविदाएं हुई उनमें भारी घोटाला हुआ। वर्ष 2003 में एक वर्ष के दौरान जो भी निविदाएं हुई उनकी जांच करवाकर और जो सम्बन्धित अधिकारी हैं उनको दण्ड दिया जाए और भविष्य में

श्री अमराराम (धोद) : ये कह रहे हैं कि जैसा टेण्डर में आया उसके अलावा दिया उसमें 1 लाख 55 हजार अधिक भुगतान दिया।

श्री केसर देव बाबर : एक काम में। यदि वो उस काम को 5 हजार कम में करवाते हैं तो ठीक है लेकिन डेढ़ लाख रूपये ज्यादा और वो ठेकेदार काम करने के लिए तैयार हैं। कम से कम उन ठेकेदारों को पूछना तो चाहिए कि आप काम करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो ? यदि ठेकेदार मना कर देते तो बात अलग थी और वर्तमान में एक फर्म है गंगा कंस्ट्रक्शन कम्पनी वो गोकुल का बास में इसी रेट 4 लाख 45 हजार पर कार्य कर रही है, इस समय कर रही है। फिर भी वहां के अधिकारियों ने डेढ़ लाख रूपये और ज्यादा में किसी दूसरी फर्म को बिना किसी टेण्डर के काम दे दिया। इससे डेढ़ लाख

का सरकार को चूना लगा। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस प्रकरण की जांच करवा कर दोषी अधिकारियों को दण्ड दिलवाया जाएं और जो मैंने पूर्व में 4 इंच और 5 इन्च पाइप की बात कही है इसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय कुछ बयान दें। क्योंकि इसमें करोड़ों अरबों का घोटाला है यह छोटी बात नहीं है। मंत्री महोदय, यह पिछले 5-6 साल से काम हो रहा है। इस तरह 4 इंच और 5 इंच के पाइप में 3-4 हजार का फर्क आएगा और इतनी रेट का जब गुना-भाग होगा तो ये अरबों में जाएगा। पहले 4 इंच के हैण्डपम्प लगते थे, अच्छे थे, पानी मिलता था लेकिन आज 5 इंच का पाइप लगा रहे हैं। मैंने एक अतारांकित प्रश्न किया था दो महीने का समय मिला सरकार को परन्तु मेरा जवाब नहीं मिला इसलिए मंत्री महोदय यदि आश्वासन दें।

श्री सांवर लाल : आप चाहें तो दे दूंगा।

श्री केसर देव बाबर : मैं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पर्ची पर इस प्रकार यदि मंत्री जवाब देने लग जाएंगे तो मैं समझती हूं कि यह नयी परम्परा डाली जा रही है।

श्री सांवर लाल : आपकी अनुमति हो तो ?

श्री केसर देव बाबर : अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा मामला है ये 4 इंच और 5 इंच का मामला है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप पहले मुझे सुनें। यदि इस प्रकार पर्चियों पर माननीय मंत्री जवाब देने लग जाएंगे तो मैं समझती हूं कि यह नयी परम्परा होगी।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, अच्छी परमपरा है।

श्री अध्यक्ष : सुनिये तो सही आप पहले। अच्छी हे कि बुरी है मुझे पहले कम्पलीट कर लेने दीजिए बात। मैं समझती हूं कि बजाय पर्ची के यदि आप वैसे ही मंत्रीजी को लिख कर देते तो शायद ज्यादा ठीक तरह से वो इस बात की इंक्वायरी कर सकते थे और ज्यादा इफेक्टिव उसका रिजल्ट आता। वैसे ठीक है आप जवाब देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री केसर देव बाबर : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था अतारांकित डेढ़ महीने पहले। इतना समय मिला सरकार को लेकिन मेरे को जवाब नहीं मिला।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो बातें उठायी हैं। पहली जो बात उठायी है कि वहां पर ठेके देने में, काम देने में कोई अनियमितता हुई, सारे तथ्यों की जानकारी करने के बाद में देखूंगा और मुझे ऐसा महसूस होगा, मैं माननीय सदस्य से भी चर्चा कर लूंगा, तो इसके सम्बन्ध में कार्यवाही करूंगा और दूसरा जहां तक हैण्डपम्प के पाइप का सवाल है 5 इंच का लगने से लागत जरूर बढ़ती है पर पानी कम हो जाता है तो उसको वापस री-डीपनिंग करने में हमको सुविधा होती है इसलिए विभाग ने लगा दिया। इसलिए इसमें घोटाले वाली जो बात आप कह रहे हैं इसको मैं नहीं मानता हूं। जनता की सुविधा के लिए, सरकार की सुविधा के लिए हमने 5 इंच हैण्डपम्प प्रारम्भ किये ओर अगर आवश्यकता होगी तो 4 इंच हैण्डपम्प के लिए हम विचार कर सकते हैं।

श्री जीतमल खांट : मंत्रीजी, ये हैण्डपम्पों में पी.वी.सी. रबर के पाइप डाले हैं।

श्री अध्यक्ष : बस। पर्ची पर किसी को प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं है। नो। नयी परमपरा नहीं डालनी। श्री मदन राठौड़।

कक्षा-4 की किताबों में सारे धार्मिक त्यौहारों का उल्लेख न होना

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में सर्वधर्म सम्भाव और धार्मिक सहिष्णुता विद्यमान है लेकिन साथ ही भारतीय संस्कृति के महान बिन्दुओं की रक्षा करना यह भी हमारा कर्तव्य है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत में प्रत्येक तिथि को कोई न कोई त्यौहार है। एकम को स्थापना, दूज को भाई दूज, तीज को आखातीज, चौथ को गणेश चौथ, पंचम को नाग पंचमी। इसी प्रकार के ऊथछठ, शीत सातम, जनमाष्टमी, रामनवमी, दशहरा, देव झूलनी ग्यारस, बछवारस, धनतेरस, अनन्त चौदस, शरद पूर्णिमा प्रत्येक दिन कोई न कोई त्यौहार हैं। मैं आपके माध्यम

(श्री मदन राठौड़)

से मैं निवेदन करना चाहूंगा अभी एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया कि हिन्दी की कक्षा 4 की पुस्तक में यह आया है कि हमारे त्यौहारों में केवल दो त्यौंहार बताये गये हैं। एक तो ईद और दूसरा क्रिसमस-डे।

श्री अध्यक्ष : आपके इस प्रश्न का जवाब शिक्षा मंत्रीजी ने दे दिया था।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह बताना चाहूंगा कि जब इसका जवाब दिया तो इसमें यह आना चाहिए था कि इससे पूर्व की कक्षाओं में यह-यह त्यौहार पढ़ा दिये गये। यह इसमें लाइन नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : उनको कहा था वही तो बताया था उन्होंने।

श्री मदन राठौड़ : यह लाइन इसमें दी जानी चाहिए अन्यथा जो विद्यार्थी चौथी कक्षा में पढ़ रहा है वो प्रश्न करेगा कि केवल दो ही त्यौहार है क्या ? ये हमारे कुछ विपक्षी बन्धु जो शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाते रहते हैं जब कभी भी अवसर आया तो वो शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाते हैं। पहले जब हमारे यहां पर पढ़ाया जाता था बच्चों को **"ग"** से "गणेश" तो इस पर इनको एतराज हुआ तो बाद में "ग" से "गाय" पढ़ाना शुरू किया इस घर भी इनको एतराज हुआ और इन्होंने "ग" से "गधा" पढ़ाना शुरू किया। ये देखिये इनकी मानसिक विकृति कितनी है, इसकी पराकाष्ठा है। ये शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : ....(व्यवधान).....7 महीने हो गये आपकी सरकार को। आपकी सरकार ने नहीं देखा क्या ? सात महीने बाद आपके ध्यान आया, सरकार का नहीं आया क्या ? सरकार उसको सही मानती है।

श्री अध्यक्ष : "ग" से "गधा" क्यों बनाया ? "ग" से **"गमला"** बनाइये।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं तो विकृत मानसिकता का एक संकेत मात्र दे रहा था लेकिन साथ ही मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से भी आग्रह करूंगा कि इसमें इस प्रकार की लाइन जरूर जोड़ दी जाए कि पूर्व की कक्षा में

(श्री मदन राठौड़)

यह पढ़ाया गया और अब हम जैसे त्यौहार नम्बर-1 लिखा है त्यौहार नम्बर-1 नहीं लिख करके पहले से त्यौहार दिये गये थे उसके आगे के त्यौहार का नम्बर लगा देते तो बच्चों के मन में इस प्रकार का भ्रम नहीं होता जिस प्रकार की यह भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। यही निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है मंत्रीजी फरमा दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। स्पष्ट करना जरूरी है। मैंने उस दिन भी स्पष्ट कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : हां किया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लड़का कोई सीधा चौथी में भर्ती नहीं होता है वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं में आता है। पहली से तीसरी तक हमने उसमें होली है, दीपावली है, रक्षा बन्धन है, पढाया है उसके बाद में चौथी में ईद और क्रिसमस है और इसके बाद हमने उसमें विजयादशमी, रक्षा बन्धन, 26 जनवरी, गणतन्त्र दिवस को पढ़ाया है फिर जब आपने इतने गिनाये हैं कि हमारे एक से लेकर 15 तक हैं 8 बार 9 त्यौंहार हैं 33 करोड़ देवी-देवता तो मोहम्मद साहब और ईसा मसीह दो और जुड़ जाएंगे तो 33 करोड़ 2 हो जाएंगे हमारे को कहां दिक्कत है उसमें ? हमारे को इसमें दिक्कत नहीं है। सभी प्रकार के हम पढ़ा रहे हैं इसलिए माननीय सदस्य, दूसरा सब कक्षाओं में, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि पर्ची जब आप निकलवाते हैं और पर्ची जब आती है तो जो ऐसी पता लगती है और आपका जब पता लगता है तो सारा मंगा कर रखना हमारा कर्तव्य होता है इसलिए मैंने मंगा कर रखी है मैं पढूंगा नहीं। पहली से लेकर पांचवीं तक जितने सारे है राष्ट्रीय त्यौहारों के बारे में, राष्ट्रीय जानकारी के बारे में पूरा पाठ्यक्रमों में है इसलिए माननीय सदस्य, किसी भी प्रकार से भारतीय संस्कृति के बारे में या उसके बारे में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। जो पाठ्यक्रम यहां पर है वो एन.सी.ई.आर.टी. और सी.बी.एस.ई. के पाठ्यक्रम के अनुसार तय कर उसको

लागू कर दिया गया इस बारे में किसी प्रकार के विवाद की गुंजाइश ही नही है।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया।

गोगुन्दा में लगातार बढ़ती जा रही वारदातें

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : महोदय, विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की ओर माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोगुन्दा में लगातार वारदातें होने से अशान्ति का वातावरण फैला हुआ है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 25-2-2004 को जिस तरह से गोगुन्दा बाइपास पर श्री रमेश को दिन दहाड़े मोहनसिंह तथा उदयसिंह झाला निवासी मोतीकुआ ने मारपीट करके उनके साथ में दुर्व्यवहार किया। उसके जस्ट एक दिन बाद में 25 तारीख को बाइपास पर गोगुन्दा में घटना हुई और 26 तारीख को जसवन्तगढ़ में चौराहे पर फिर मोहनसिंह और दो अन्य साथियों के साथ में भैंरूलाल सुथार के साथ मारपीट की गई और फिर भाटानाड़ी में मोहनसिंह जो एक ट्रक ड्राइवर था जिसकी गाडी नम्बर आर.जे. 24 जी 173 थी वह पड़ी हुई थी और वह सीमेन्ट भर कर आ रही थी तब मोहन सिंह द्वारा यह कहा गया कि मेरे घर पर सीमेन्ट खाली कराने के लिये कुछ कट्टे भिजवाने का काम करना पड़ेगा। मोहन सिंह झाला ने उसके साथ जब दस्ती की और फिर नहीं भेजने के बाद मोहन सिंह द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हीरसिंह की गाडी को जबरदस्ती उठा दी और जब वह नहीं दे रहा था तो उसके साथ भी मारपीट कर उसकी टैक्सी लेकर वह निकल गया। अध्यक्ष महोदय, डेढ़ महीने बाद में पुनः सुरेश कुमार पालीवाल, मोहनसिंह और अन्य तीन जनों के माध्यम से पंचायत झाडोली में एक मोम्डन के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया, तोडफोड कर दिया और उनके कपड़े वगैरह बाहर निकाल कर बिस्तर वगैरह जलाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, फिर दो महीने बाद में उसी गैंग के माध्यम से रामलाल गरासिया पर 20-6-2004 को तेज

(श्री मांगीलाल गरासिया)

धारधार हथियार तलवार से एवं लोहे के सरियों के साथ आत्मघाती हमला किया गया और रामलाल गरासिया घायल हो गया। उसमें भी मोहनसिंह और छोटूसिंह झाला दोनों थे। अध्यक्ष महोदय, 36 दिनों के बाद 16-7-2004 को गोगुन्दा में नन्दलाल कुम्हार निवासी समीजा जो गाड़ी का ड्राइवर था आर.जे.27 जी.5605 को पूरी तरह तोड़फोड़ कर उसका अपहरण किया गया और अपहरण के बाद उसके कपड़े उतार दिये, उसके साथ मारपीट की गई और 2-3 घंटे मारपीट करने के बाद उसको चौराहे पर घुमाया गया। अध्यक्ष महोदय, 20-6-2004 के बाद यह 16-7-2004 को घटना हुई और आज दिन तक, 17 दिन हो गये मैं मानता हूं कि हमारे माननीय गृह मंत्रीजी उदयपुर जिले के हैं और गोगुन्दा की हर वस्तुस्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं पर आज दिन तक वहीं गेंग इसी तरह से उपद्रव किया करती है और पूरे गोगुन्दा में अशान्ति का वातावरण कायम किया है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा आप घटनाक्रम से पूरी तरह वाकिफ हैं, मैंने पूरा आपको लिखित में भी दिया है। इससे मुझे लग रहा है कि वहां अशान्ति का वातावरण जिस तरह से हो रहा है उसमें आप उनको पूरी शक्ति प्रदान करके जो गेंग है, जो भाग गये हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ कार्यवाही करके गिरफ्तार कराने का काम करेंगे। वह 17 दिन बाद भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं इससे उस एरिया में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और लोगों का विश्वास उठ रहा है यदि ऐसी घटना करने वालों के साथ सख्ती से नहीं निपटा गया तो हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसी कई तरह की घटनाएं हो सकती हैं जिससे लोगों में भय और अशान्ति का वातावरण फैलेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारे माननीय गृह मंत्रीजी जो हमारे उदयपुर जिले के हैं, पूरी शक्ति प्रदान कर गिरफ्तार करायेंगे और ऐसी घटना नहीं हो तो प्रशासन के लिये भी पूरा आश्वस्त करेंगे और मुझे भी आश्वस्त करेंगे क्योंकि हमारे उदयपुर जिले के हैं और पूरी तरह से वाकिफ हैं इस मामले से। माननीय गृह मंत्रीजी मेरा यह निवेदन था मुझे थोड़ा....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है यह बिलकुल सही है। एक लम्बे समय से दो ग्रुप के बीच में निरन्तर एक के बाद एक वारदात होती जा रही है। इसमें गिरफ्तारी भी हुई है इस घटना में भी दो लोगों को गिरफ्तार किया है लेकिन सुरेश जो इसका सबसे बड़ा सरगना है और जिसकी हिस्ट्रीशीट खुली हुई है वह लगातार उस घटना के बाद भागता रहा है, पकड़ में नहीं आया है। निश्चित रूप से उसे पकड़ कर बाकी जो उसके साथी हैं उनको जे.सी. किया हुआ है। वह जेल में पड़े हैं। लेकिन वह अभी तक हाथ में नहीं आया है। पुलिस बराबर प्रयास कर रही है इसको निश्चित रूप से पकड़ कर गैंग को तोडेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया, अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं अपना विषय रखने से सूचना का प्रश्न माया इन्टरनेशनल होटल, जयपुर में सट्टा पकड़ा गया पहले एक सूचना सदन को देना चाहता हूं कि आज लगभग ढाई करोड़ का सट्टा पुलिस ने पिछली रात को माया इन्टरनेशनल में पकड़ा है। मैं सोचता हूं यह सबसे बड़ी इस समय की उपलब्धि है। एक ही होटल के कमरे में 11 फोन, 11 मोबाइल, एक टी.वी., एक कम्प्यूटर, पांच किताबें और उसका सारा लेखा जोखा करके 6 लोगों को भी उसमें गिरफ्तार किया है और वहां के एस.पी. ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है, यह मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं

सदन पटल पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचना

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या-प.22(1)गृह.9/97 दिनांक 17-7-2004 जिसके द्वारा राजस्थान दहेज प्रतिषेध नियम, 2004 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ, याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : इसमें बीच में क्या निवेदन करेंगे आप ?

श्री रघुवीर सिंह मीणा : सराड़ा में जो घटना हुई उसके बारे में गृह मंत्रीजी से कोई वक्तव्य दिलाना चाहें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह बात खतम हो गई उसके बाद अधिसूचना रख दी।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप समय तय करवा दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी तो अधिसूचना हो रही है उसके बाद आप बात उठाइयेगा।

याचिकाओं का उपस्थापन

दिल्ली-आगरा-टोंक रोड, जयपुर का बाइपास बनाये जाने विषयक

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली रोड से आगरा रोड व आगरा रोड से टोंक रोड को मिलाने के लिए बाइपास रोड बनाने बाबत 8 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

घाट की गूणी, जयपुर में टर्नल निर्माण

(2) आगरा रोड पर घाट की गूणी, जयपुर की पहाड़ी में टर्नल निर्माण कराने बाबत 8 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

घाट की गूणी, जयपुर में भारी वाहनों पर रोक की मांग

(3) घाट की गूणी, आगरा रोड, जयुपर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने बाबत 8 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

कृष्णानगर, आगरा रोड, सयाडा में रोडवेज बस स्टोप की मांग

(4) कृष्णा नगर, आगरा रोड, जयपुर पर परिवहन निगम का बस स्टैण्ड खोलने तथा टीन शेड लगाने बाबत 8 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती राजकुमारी शर्मा। याचिका का उपस्थापन कीजिए। याचिका नहीं है क्या आपके पास ? माननीय सदस्या, देखा करें पहले

(श्री अध्यक्ष)

आप कि आज का बिजनेस क्या है फिर तैयारी रखियेगा भविष्य के लिये। (व्यवधान) नहीं है क्या आपके पास ? है तो रख दीजिए और नहीं है तो फिर रख देना।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : मैं फिर रख दूंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

लूणकरणसर तहसील में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तहसील एवं उपखण्ड मुख्याल लूणकरणसर जिला बीकानेर में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री हरिमोहन शर्मा, ध्यान आकर्षित करेंगे आप।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

चम्बल सिंचित क्षेत्र की समस्याओं तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अवैधानिक चैकअप, लघु सिंचाई परियोजना और एनीकट्स बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका इस बात के लिये आभार अभिव्यक्त करता हूं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है यह आपका राइट है।

श्री हरिमोहन शर्मा : जिस प्रकार की चर्चा पंजाब से पानी के विवाद के मामले में, इन्टरस्टेट के मामले में इस सदन ने पूरी एकता से दिखाई यह वैसा ही अधिकार का मामला है कि चम्बल वैली में गांधीसागर बांध पर मध्य प्रदेश सरकार ने 152 एनीकट बनाकर 1.25 मिलियन एकड़ फीट पानी को रोक दिया आने से। इससे राजस्थान के किसानों को जो आधा पानी मिलने वाला था वह आधा पानी हमको नहीं मिल पा रहा है और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न

(श्री हरिमोहन शर्मा)

है जिस प्रकार का संकल्प पंजाब के मामले में हमने किया था, एक जुटता दिखायी थी वहीं एकजुटता मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जो हमारा 1.25 मिलियन एकड़ फिट पानी 152 चेक डेम्स बनाकर रोका है, उस प्रकार के संकल्प को वापस दोहराने की आवश्यकता है। यदि हमने वैसा संकल्प नहीं दोहराया तो न हम राजस्थान की जनता के साथ न्याय करेंगे और न हमारी जो एकरूपता, जो एकजुटता जो पंजाब के मामले में प्रदर्शित हुई वह प्रदर्शन हमारा बेकार चला जाएगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ध्यानाकर्षण का यह नियम है कि एक मिनट के अन्दर आप यह कहते हैं कि मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, फिर मंत्रीजी अपना स्टेटमेन्ट देते हैं और फिर कोई क्लीयरीफिकेशन आपको चाहिए तो आप क्लीयरीफिकेशन लेते हैं। (व्यवधान) अब आप भाषण नहीं देंगे आपने ध्यान आकर्षण कर दिया, अपनी बात कह दी।

श्री हरिमोहन शर्मा : इसके साथ ही इण्टर स्टेट जो मैंने अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में....

श्री अध्यक्ष : हर आदमी, हर सदस्य, भाषण के लोभ का संवरण कर सकता है क्या (व्यवधान) हर सदस्य भाषण के लोभ का संवरण नहीं कर पाता है। यह एक कमजोरी माननीय सदस्य की भी है।

श्री हरिमोहन शर्मा : इण्टर स्टेट के सम्बन्ध में और नहरों के रखरखाव के सम्बन्ध में जो मैंने ध्यान आकर्षण किया है.....

श्री अध्यक्ष : आप कहें, ध्यान आकर्षण करता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : उस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान आकर्षण करता हूं

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बल अन्तर्राज्यीय बहु-उद्देशीय परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश के सहयोग से पूर्ण की गयी चम्बल परियोजना क्षेत्र में विभिन्न चरणों में निर्मित बांध एवं

(श्री सांवर लाल)

उनकी भराव क्षमता इस प्रकार है, गांधी सागर - 5.936 एम.एफ. एम.सी.एफ.टी., राणाप्रताप सागर 2.355 एम.एफ., जवाहर सागर 0.055 एम.एफ., कोटा बैराज-.09 एफ.एफ।

कोटा बैराज से निकाली गयी मुख्य बायीं नहर से कोटा बूंदी जिले के काश्तकारों को सिंचाई जल उपलब्ध होता है। इसी प्रकार दायीं मुख्य नहर से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है। जलाशय में उपलब्ध जल का बंटवारा राजस्थान व मध्य प्रदेश में बराबर-बराबर होता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश शासन द्वारा गांधी सागर जल ग्रहण क्षेत्र में लगभग 152 लघु सिंचाई परियोजनाएं, चेक डेम्स आदि का निर्माण करवाकर .229 एम.एफ. पानी जो गांधी सागर में आता था, उसे रोक लिया गया। मुख्य अभियन्ता, सिंचाई ने 4-11-2003 को आदेश जारी कर .05 एम.एफ. मध्य प्रदेश के हिस्से से काटकर राजस्थान के हिस्से को उपलब्ध कराने के आदेश दिये। आगामी 74वीं मध्य प्रदेश राजस्थान नियन्त्रण बोर्ड की स्टेंडिंग कमेटी, नम्बर दो में इस मुद्दे को राजस्थान के अधिकारियों द्वारा अपना पक्ष रखकर उक्त निर्माण कार्यों को ध्वस्त करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार से मांग की जाएगी। सी.ए.डी. सिंचाई तन्त्र का निर्माण 1960 में हुआ था। मुख्य नहर वितिरिकाओं का निर्माण हुए काफी समय हो गया। विगत वर्षों में मरम्मत के लिय राशि ने मिलने के कारण नहरों की स्थिति ठीक नहीं है। इस कारण उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस वर्ष हेतु 635 लाख रूपंये के प्रावधान है। दायीं मुख्य नहर पर होने वाले व्यय का 75.65 प्रतिशत मध्य प्रदेश शासन द्वारा वहन किया जाता है। नहरों के निर्माण के लिये 87.71 करोड़ का नुकसान लगाया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति के प्रयास किये जा रहे हैं। सिंचित क्षेत्र एवं जल प्रबन्ध्न कार्यों के अन्तर्गत 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार से प्राप्त होती है। शेष राशि राज्य मद से उपलब्ध करायी जाती है। इन कार्यों को 2007 तक पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : क्लीयरीफिकेशन, जो जानना चाहें, आप वह ले सकते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : सबसे पहले आपने अपने जवाब में 152 एनिकट्स का मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा बनाना स्वीकार किया है। आपने अपने जवाब में दशमलव .229 मिलियन एकड़ फीट पानी, इनके बनने के बाद गांधी सागर की भराव क्षमता में नहीं आने का अपने जवाब में लिखा है और इस .229 मिलियन एकड़ फीट पानी जो उन्होंने रोका जिसमें हमारा आधा हिस्सा है बकौल आपके, उस आधे हिस्से में जो आपने पानी रोकने की बात की है राजस्थान का 229 में हमारा जो हिस्सा बनता है आधा, 115 आधा होता है। इसके बजाय आपने .05 मिलियन एकड़ फीट पानी रोकने का आदेश किया है, उसका लाजिकल आधार क्या है ?

(समय 13:44 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नम्बर दो, आपका जो विभाग है, उसने आपको सही तथ्य नहीं दिये। सत्य तथ्य इसलिये नहीं दिये, इसी इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट ने जो इम्पोर्टण्ट इण्टर स्टेट मैटर से रिलेटेड जो नोट है उस नोट के पेज नम्बर 66 पर आपने लिखा है

"During the past few years, Madhya Pradesh government has constructed a number of irrigation projects in the catchment area of Gandhi Sagar dam, without securing concurrence of Rajasthan Government. Many other projects are proposed to be taken up in the near future. According to the note on the shortage scheme, upstream of Gandhi Sagar prepared by Madhya Pradesh in December, 1978, these projects on completion are likely to intercept at least 1.25 million acre feet water."

आपका जो नोट है, जो आज का नहीं है, यह 78 का है, और जो नोट आपने दिया है इण्टर-स्टेट डिस्प्युट्स के हिसाब से आपने 1.25 मिलियन एकड़ फीट पानी का दिया है। आज आप, यह सरकार और यह विभाग जो जवाब दे रहा है उसमें .229 मिलियन एकड़ फीट पानी को रोकना बताते हैं, जबकि इस समय भी 152 एनिकट्स का निर्माण होना ही बताया गया था। तो इसमें जो पानी आप ले रहे हैं यह पानी किस आधार पर है। दूसरा, मेरा जो सब्मिशन है

(श्री हरिमोहन शर्मा)

राजस्थान सरकार से, अगर हम राजनीति से ऊपर उठकर विचार कर रहे हैं, जिस प्रकार पंजाब की जो भावना थी, पंजाब के साथ हमने लड़ाई लड़ी हमने प्रस्ताव पास किये वह सवाल था .60 मिलियन एकड़ फीट पानी का, 60, यह सवाल 1.25 मिलियन एकड़ फिट पानी का है। मध्य प्रदेश से जो हमारा एग्रीमेन्ट है, आपको यह जानकारी और आश्चर्य होगा कि आज तक मध्य प्रदेश की गवर्नमेन्ट ने, वहां के अधिकारियों ने जो इंफार्मेशन आपके डिपार्टमेन्ट ने मांगी है, वह आज तक आप दर्शक के रूप में उसको देखते रहे हैं। आज तक रिकार्डेड इंफार्मेशन मध्य प्रदेश ने नहीं दी है, इस मामले में और.....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हो गयी ना, आपका भाषण थोड़े होगा। आपके तो सवाल होने चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप इस गम्भीर प्रश्न को राजनीति की ओर मत मोड़िये। आपने जो भावनाएं प्रदर्शित की थीं पंजाब से लड़ाई लड़ने में..... (व्यवधान) आप बैठिये। पंजाब से लड़ाई लड़ने में तो आपकी भावना दूसरी है और मध्य प्रदेश की कमी बताते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां की मुख्य मंत्री साध्वी हैं और उनसे आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, हमारे हकों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिये आप उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। दो मापदण्ड नहीं चलेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दिग्विजय सिंहजी के राज में बने उस समय अशोकजी गहलोत थे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : दो मापदण्ड नहीं चलेंगे, मापदण्ड एक होगा, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री भरत सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, हरिमोहनजी, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : कोटा का मामला है, इसलिये दो सवाल पूछ लेता हूं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप कह रहे हैं जो सही है, आप विराजें। हो गया आपका सवाल आपकी भावना पूरे सदन में आ गयी।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं अभी और है, फिर दुबारा पूछूंगा नहीं तो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपका मुख्य उद्देश्य यही है, राजस्थान के हिस्से का पानी चाहिए, इसके अलावा आप क्या चाह रहे हो ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, अभी और है। (व्यवधान) फिर दुबारा पूछ लूंगा, इनको सुनने के बाद पूछ लूंगा, इनको सुनने के बाद पूछ लूंगा।

श्री भरत सिंह : माननीय मंत्रीजी, मुझे दो प्रश्न पूछ लेने दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्रीजी आपको कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीं सांवर लाल : एक बार आपको सन्तुष्ट कर दूं।

श्री भरत सिंह : दोनों को ही सन्तुष्ट कर दीजिए साथ में।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो सवाल पूछूंगा, कोटा का मामला है इसलिये।

श्री भरत सिंह : चलिये, आप इनको सन्तुष्ट कर दीजिए।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वास्तव में वाजिब है, राजस्थान के हक के लिये पानी जो हमारा है, वह मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश ने विगत वर्षों में जो एनीकट्स, तालाब, बांध जो भी बनाये हैं उसकी एग्जेक्टली जानकारी हमारे पास नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं। जो मध्य प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवायी है, उसी आधार पर हमने जवाब दिया पर मैंने हमारे अधिकारियों को कहा है कि मुझे एग्जेक्ट सूचना चाहिए। चाहे सैटेलाइट से या किसी भी प्रकार से वह सूचना आनी चाहिए और अभी भी जो मीटिंग होगी उसमें तो हम प्रोटेस्ट करेंगे ही, बाकी पाइण्ट टू टू नाइन (दशमलव .229) का जो सवाल है यह इसलिए हम नहीं कह सकते हैं

(श्री सांवर लाल)

जब तक सही इन्फोरमेशन हमारे पास नहीं आये। दशमलव .05 MAF पाइण्ट जीरो फाइव एम.ए.एफ. जो पानी काटने का सवाल है, अधिकारियों से मैंने बात की है और जैसे आपने गणित में जोड़, गुणा, बाकी. भाग बताये हैं, वैसे मैं भी जानता हूं। तो मैंने कहा कि इतना कम कैसे आदेश दिया तो इन्होंने कहा कि साहब, इसके केचमैन्ट एरिया के कुछ एरिया में बरसात हुई थी, उसके आधार पर जितने पानी का हमने अनुमान किया, रूका, उसके आधार पर हमने चिट्ठी लिखी है। पर मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि भविष्य में इसका कोई न कोई समाधान हम निकालेंगे। मध्य प्रदेश या पंजाब, जैसे आप बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। राजस्थान के अधिकारों के लिए कोई सरकार होगी उसको उसी प्रकार से लड़ेंगे और हमारे अधिकार का पानी हम नहीं छोड़ेंगे। अब आपने एक सवाल किया कि पाइण्ट सिक्स (दशमलव .6) एम.ए.एफ. के लिए कि यहां पर प्रस्ताव और संकल्प पास नहीं हुआ था। यह हुआ था। जो हमारे पूरे समझौते आज तक के हुए थे उनको रद्द कर दिया था पंजाब असेम्बली ने कानून बनाकर, उसके सम्बन्ध में हमने पारित किया है और इस समझौते में भी अगर सदन चाहेगा कि साहब, इसके ऊपर भी उस तरह, एक बार हमारा प्रयास होने दीजिए, अगले सैशन में अगर कार्यवाही नहीं हुई तो सबकी भावना के हिसाब से हमारी भावना है। राजस्थान के किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। राजस्थान को पानी का हिस्सा, हमारा हक मिले, इसके लिए मैं कटिबद्ध रहूंगा। हमारी सरकार कटिबद्ध रहेगी, यही विश्वास दिलाता हूं।

श्री हेमराज मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ तो लिया आपने और क्या है ?

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, अब पूछूंगा साहब। बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है मेरा, अभी तो दो पार्ट हैं।

श्री हेमराज मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : अभी तो दो पार्ट हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इससे ज्यादा और क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं ?

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, दो पार्ट हैं साहब, आप सुनो तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये इनको पूछने दीजिए।

श्री हेमराज मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने इसका.....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : इनको पूछने दीजिए

श्री हेमराज मीणा : उनका इन्टर स्टेट बोर्ड है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको पूछने दीजिए। माननीय सदस्य

श्री हेमराज मीणा : मध्य प्रदेश सरकार ने अन्तरारज्यीय जो बोर्ड है उनकी बिना परमिशन के एनीकट्स बनाये हैं

श्री उपाध्यक्ष : इनको पूछने दीजिए आप पूछिये पहले।

श्री हेमराज मीणा : और यह 145 ही नहीं बनाये, 152 नहीं बनाये बल्कि छोटे-छोटे माइनर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बने हुए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये

श्री हेमराज मीणा : यह काफी पानी रोकते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य

श्री हेमराज मीणा : क्या सरकार उन एनीकट्स के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपको परमिशन मिल जाएगी, बैठिये आप बोलिये हरिमोहनजी।

श्री हरिमोहन शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जो आश्वासन आपने दिया है, हम चाहते हैं कि उसी संकल्प के साथ हम मजबूती से लड़ें लेकिन लगता नहीं है सात महीने हो गये राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी की वार्तालाप आज तक

(श्री हरिमोहन शर्मा)

इस गम्भीर प्रश्न पर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी से नहीं हुई है। आज तक जो इन्टर स्टेट डिस्प्यूट कमेटी बनी है उसमें कभी माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं पधारी हैं। राजस्थान को आधुनिक रूप से आधुनिकीकरण करने में राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी......(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप विराजिये साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, हां। मुझे कहने तो दो साहब, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह उतना ही गम्भीर है जितना हमारे साथ....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपने तो भाषण देना शुरू कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें। मान रहे हैं, माननीय सदस्य, आप अपना स्पष्टीकरण मांगे, आपका कोई संकल्प होगा तो वह.....(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, मैं पूछ रहा हूं न साहब, यह साधारण प्रश्न नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इन्टर स्टेट डिस्प्यूट का प्रश्न है। राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश ने जो हमारे हितों की असुरक्षा हो रही है, उससे सम्बन्धित है। कोई वैसे ही शोरगुल का प्रश्न थोड़े ही है कि वैसे ही शोरगुल कर रहे हैं विधान सभा में..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पर माननीय मंत्री महोदय ने आपको सारा जवाब दे दिया है कि हम भी इस बारे में चिन्तित हैं और राजस्थान के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अब आपकी सारी बातों का जवाब आ गया। आपकी सारी बातें आ गयी और सारा जवाब हमने दे दिया। आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे हमने ही सारा कुछ किया बाकी आपकी सरकार थी जब तो बहुत कुछ

(श्री सांवर लाल)

किया। यह एनीकट्स कब बने, तालाब कब बने, बांध कब बने, कितने साल से यह इन्टर स्टेट मामला चल रहा है ? छह महीने में भी हमने बहुत प्रयास किये। मैंने इर्रिगेशन मिनिस्टर, एम.पी. से बात की कई बार और मैं आपको आश्वस्त कर चुका हूं इसके बाद बचा ही क्या है ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पंजाब में 81 और 92 से चल रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस गम्भीर प्रश्न पर इन्टर स्टेट कमेटी की जो मीटिंग्स हुई इन सात माह में माननीय मुख्य मंत्रीजी अगर उसमें जाती और इन सब प्रश्नों पर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी से अगर विचार करतीं तो कोई मामला बनता। सात माह तक यह 1.25 मिलियन एकड़ फीट पानी या पाइण्ट टू टू फाइव या नाइन मिलियन एकड़ फीट पानी यह जब राजस्थान सरकार की जानकारी में था तो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने यह पूछ लिया। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सवाल का जवाब दे दिया, अब भाषण दे रहे हो।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप मुझे पूछ लेने दो साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने पूछ लिया। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया इस मुद्दे पर और उन्होंने जवाब दे दिया है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, नहीं, जवाब नहीं दिया अभी और है, प्रश्न-दो के भाग का....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, यह भी बता दिया है।

श्री हरिमोहन शर्मा : अभी उन्होंने जवाब दिया है। पर प्रश्न के दो भाग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। कहां क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह बात अभी विवाद की नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : + + + प्रश्न के दो भाग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा : प्रश्न के दो भाग हैं। आप मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को पढ़ो तो सही, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दूसरा पुकारो साहब, हो गया यह तो।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप उसको देखो तो सही, प्रश्न के दो भाग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपका हो गया।

श्री हरिमोहन शर्मा : रिपेयर का अलग है और इन्टर स्टेट डिस्प्यूट का अलग है अभी तो एक भाग हुआ है, मेरा एक भाग बाकी है।

श्री भरत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो सवाल हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : दो तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : बार बार आप कह रहे हैं। आपने ध्यान आकर्षण कर दिया।

श्री हीरालाल (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, बोल रहे हैं, माननीय सदस्य, आपकी बात नहीं मान रहे हैं। उपाध्यक्ष जी को + + + बोल रहे हो, वरिष्ठ सदस्य होकर यह आपकी भाषा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्ट प्रश्न पूछिये कि आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के हितों का मामला है और इसमें हम आपसे भी संरक्षण चाहते हैं कि राजस्थान के हितों का सवाल हम कोई उठाये तो चेयर भी हमारी मदद करें और कितनी ही बातों को, फालतू कितने ही भाषण यहां पर हो जाते हैं घण्टे-दो घण्टे बेकार चले जाते हैं। यह तो बहुत इम्पोर्टेण्ट सवाल है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्टर स्टेट डिस्प्यूट की मीटिंग्स होती हैं उसमें माननीय

(श्री हरिमोहन शर्मा)

मुख्य मंत्रीजी को जाना चाहिए और अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिए। माननीय इर्रिगेशन मिनिस्टर साहब, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि मध्य प्रदेश की गेरूआ वस्त्रधारी साध्वी मुख्य मंत्री आपके दबाव में आ जाएगी। वह आप जैसों को तो कई को खेल खिलाती हैं। हमारी मुख्य मंत्रीजी जाएंगी तब तो फिर भी कोई रास्ता निकलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये। (वयवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : अगर मध्य प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को हमारे सिंचाई मंत्री दबा लें, यह असम्भव है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : दूसरा मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला : जो सदन में नहीं है उनके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : चर्चा नहीं हो रही है। पंजाब के मुख्य मंत्रीजी भी नहीं थे, यहां पर तो। आपने यहां पर नहीं किया था क्या मुकाबला ? यहां वे मुख्य मंत्रीजी आज है तो दृष्टिकोण बदल लें। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : क्या साध्वी नहीं हैं ? क्या भगवा वस्त्रधारी नहीं हैं ? वह भगवा वस्त्रधारी है, भगवा वस्त्र पहनती हैं और उन्होंने यह कहा है। इसके अलावा आगे एक शब्द भी उन्होंने कहा नहीं है। (व्यवधान) अब आपने पंजाब के मुख्य मंत्री का, वह तो सदन में आ गया। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : आप उसकी बात कैसे कर रहे हो ?

श्री सी.डी. देवल : आप उस समय तो क्यों बोल रहे थे ?

श्री ओम बिरला : आप नहीं कह सकते यह। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : नहीं-नहीं, इन्होंने कोई नही कहा है। इन्होंने यह

(श्री सी.डी. देवल)

कहा है कि साध्वी हैं। आप यह सदन में कह दो कि साध्वी नहीं है। या यह कह दो कि वह भगवा वस्त्र नहीं पहनती हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : साध्वी नहीं है ? इसमें शक है क्या आपको ?

श्री सी.डी. देवल : कह दो यह सदन में कि वह साध्वी नहीं हैं ?

श्री हरिमोहन शर्मा : दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि अपने इर्रिगेशन के नोट पर जब डिस्प्यूट में आपने 1.25 मिलियन एकड़ फीट पानी का डिस्प्यूट बताया कि इतना पानी उन्होंने रोक लिया। आज आप यह कहते हैं कि, कहीं कोर्ट में कोई मामला गया और यह पहले वाली जो इर्रिगेशन की जो रिपोर्ट है, उसके पेज नम्बर-66 पर आपने जो 1.25 मिलियन एकड़ फीट पानी रोकना बताया, आज आप यह बताओगे तो इन सरकारी रिकार्डों को भी आप देखकर सदन में जवाब दें ताकि आगे आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट हमारे सामने मध्य प्रदेश के साथ हो तो कानूनी रूप से भी आपका पक्ष मजबूत हो। एक जगह पर आप 1.25 बताते हो और दूसरी जगह पर यह बताते हो तो इस प्रकार के जो डिस्प्यूट्स हैं उस मामले में जवाब देने से पहले सिंचाई विभाग के अधिकारियों को और इन सचिवों को गम्भीरता से देख लेना चाहिए कि उन्होंने नोट इंटर डिस्प्यूट वाटर के मामले में, यह डिस्प्यूट में जो नोट है, वह क्या भेजा है और आज क्या भेजा है और आज क्या जवाब दिया है ? दूसरा मेरा जो सब्मिशन यह है कि आपने नहरों के रख -रखाव के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाये, आपको अप्रैल में केन्द्र सरकार से एक पत्र मिल गया.....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह तो भाषण हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप विराजिये, कॉ-आपरेटिव मिनिस्टर साहब। आपसे दुबारा बात करूंगा, आने दो अभी बिल। आ रहा है। आ जाना मैदान में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उसमें आवश्यकता से अधिक......(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : साफ लिखा है। मेरे प्रस्ताव का हिस्सा है। मेरे प्रस्ताव का हिस्सा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरे प्रस्ताव का हिस्सा है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं अलाऊ नहीं करूंगा। आपका प्रस्ताव है तो आप स्पष्टीकरण मांग लीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : + + + साहब, इन्होंने जवाब दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने स्पष्टीकरण मांग लिया और उन्होंने जवाब दे दिया। अब मैं आगे अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री हरिमोहन शर्मा : इन्होंने जवाब दिया है, केन्द्र सरकार ने अप्रैल माह में तो.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं-नहीं, बैठिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : + + + इन्होंने जवाब दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : कैस अलाऊ नहीं करेंगे ? आप कैसे अलाऊ नहीं करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आप तो तैश में आ गये।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप कैसे अलाऊ नहीं करेंगे ? इस बात के लिए कैसे अलाऊ नहीं करेंगे आप ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको बोलिये। यह + + + कह रहे हैं, मंत्रीजी को भी + + + कह रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : + + + बात तो सुनो आप। केन्द्र सरकार ने (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : + + + बात तो सुनो आप।

श्री हीरालाल (निवाई) : आप वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, को + + + कह रहे हैं, + + + क्या होता है ?

श्री हरिमोहन शर्मा : आप इन्टरेस्ट तो समझिये।

श्री सांवर लाल : आप बुद्धिमत्ता दिखाएंगे या पानी लाओगे ? एक बात तो बता दो मुझे ? एक मिनट, जब यह सारी बात क्लियर हो गयी और हमने कह दिया उसके बाद क्या चीज बच गयी। मैं खुद कह रहा हूं न।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक और है क्लियर होना।

श्री सांवर लाल : ओथेंटिक हमारे पास अभी इतनी पुख्ता जानकारी नहीं है कि वास्तव में कितना पानी रूक रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक क्लियर और सुन लो।

श्री सांवर लाल : इसके लिए हमने कह दिया कि जैसे ही सदन की भावना होगी, हम संकल्प ले आये, आप कह रहे हो उमाजी नहीं दबेंगी। कौन दबता है किससे ? नीति और नियम से दबेगा कोई आदमी दबेगा तो। जो हमारा अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। इस तरह की भाषा इस्तेमाल मत करिये आप। राजस्थान के हक का सवाल है, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने एक अन्तरराज्यीय विवाद के लिए सैल का गठन भी कर दिया, वह सैल भी अपनी जगह यह काम करेगा। सरकार को समय-समय पर बताएंगे और सरकार सदन को बताएगी।

श्री हरिमोहन शर्मा : दूसरी मेरा यह कहना है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाये......(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सही सिचुएशन में आप आपके अधिकारियों के माध्यम से आ जाएं क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार तो नहीं देना चाहती। आप

(श्री अमराराम)

अपने अधिकारियों के माध्यम से कितने समय में एक्चुअल पोजीशन ले आयेंगे ? वह समय सीमा बता दो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : अब यह बीच में ही आ गये। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने जो प्रस्ताव भिजवाये 87.71 करोड़ के लैफ्ट मैन कैनाल और राइट मैन कैनाल के, आपको केन्द्र सरकार से अप्रैल में पत्र मिल गया। उन्होंने यह कहा कि 50 प्रतिशत राशि हम देंगे, 50 प्रतिशत राशि स्टेट गवर्नमेन्ट देगी। यह रिकमण्डेशन शायद अभी तक आप तक तो आ गयी होगी लेकिन अभी आपसे आगे इसने दिल्ली का दरवाजा नहीं देखा। अगर आप इसको दिल्ली का दरवाजा दिखा दें तो जो कमियों हैं, वहां से जो दिलवाना है, उसका हम सब प्रयास करें। इससे आपको कितना नुकसान हो रहा है यह तीन सौ क्यूसेक्स पानी राइट मैन कैनाल से आपका व्यर्थ जा रहा है और 70 क्यूसेक्स पानी इन नहरों के रख-रखाव के अभाव में लेफ्ट मैन कैनाल से जा रहा है। इसमें अगर यह सारा पानी रूक जायें तो करीब पचास लाख हैक्टेयर भूमि की अलग से सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है।

मेरा आपसे अनुरोध है इन सब बातों को आप गम्भीरता से लें, राजनीति से ऊपर उठकर के और मैं फिर कहना चाहता हूं सिंचाई मंत्रीजी, वह मुख्य मंत्रीजी आपसे दबने वाली नहीं हैं। राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी मुकाबला कर सकती है तो गलतफहमी में मत रहना नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। (वयवधान)

[illegible] सांवर लाल : आप भी तो किसी से नहीं दब रहे हो। उपाध्यक्ष जी, मैंने आपसे निवेदन कर दिया जो अप्रैल में मांगा, चूंकि अभी चुनाव बीच में थे, इस वजह से कुछ डिले हो गयी। आपकी भावना के हिसाब से जल्दी ही हम प्रस्ताव भेज देंगे। मैं धोद से आने वाले माननीय सदस्य को भी आश्वस्त करता हूं मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि यह सारी जानकारी और वास्तविक जानकारी हमारे तक आये, [illegible] जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें। कोशिश हमारी यही होगी कि अ[illegible] में [illegible] तक यह जानकारी हमारे पास आ जाये।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय. बजट सत्र तो एक साल में होगा।

श्री सांवर लाल : अब आप सुनिये मेरी थोड़ी। जहां पर विवाद हो जाता है समय तो लगेगा। अगली बैठक में हमारे अधिकारी बात रख रहे हैं कि जो भी बंधे हुए अवरोध हैं उन सबको तोड़ा जाये। इसके बाद क्या स्थिति बनती है, यहां सारी चर्चा हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका जवाब दे दिया। विराजिये आप।

श्री भरत सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा सवाल पूछ लेने दो।

श्री अमराराम (धोद) : मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं दे रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन है कि यह डिस्पुट है। यह 1977 से है। अभी तक हम एक्चुअल जानकारी नहीं ले पाये। इसलिए सवाल इस बात का नहीं है कि सरकार कांग्रेस की थी, या भारतीय जनता पार्टी की या जनता दल की। सवाल है राजस्थान के हितों का और 1.25 मिलीयन फीट एकड़ पानी का है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको समय सीमा में बांधे क्योंकि जो कमेटी है उसमें भी वह अधिकारी देने वाले नहीं हैं। हमारे अधिकारियों के माध्यम से समय सीमा में बान्धकर कि इतने समय में हम वास्तव में पोजीशन मंगा लेंगे। यह तो क्लियर करो।

दूसरा, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि चम्बल प्रोजेक्ट, क्या यह सही है कि बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स में पानी की बाराबंदी है ? समय के अनुसार पानी दिया जाता है लेकिन क्या यह सही है कि चम्बल में आज भी इतने सालों के बाद उस पानी का सदुपयोग नहीं करके, बाराबंदी नहीं करके राजस्थान की एक-एक बून्द की जहां आवश्यकता है, सदुपयोग की है, वहां बरबाद नहीं करके उसका उपयोग करने के लिये विभाग क्या कर रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न अलग से है माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह (दीगोद) : उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सिंचाई

(श्री भरत सिंह)

मंत्रीजी से दो प्रश्नों के बारे में जानकारी चाहता हूं। 1960 से चम्बल की नहरें चल रही हैं। मध्य प्रदेश में 152 या जितने भी उन्होंने एनीकट्स बनाए हैं उनकी संख्या है और एक निश्चित मात्रा में पानी गांधी सागर के कैचमेंट में नहीं आ रहा है। आपने जब उल्लेख किया कि हम इसको तुड़वाएंगे, तोड़ने की बात तो मुझे सम्भव नहीं दिखती। जो व्यावहारिक बात है कि जितना पानी उन्होंने रोका, उसका आंकलन करके आप पानी रोकें। मध्य प्रदेश सरकार की उनके किसानों के हित में जो उन्होंने कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूं। गांधी सागर के कैचमेंट के अन्दर जो पानी आता है, जिस इलाके से आता है उन्होंने उन काश्तकारों का ध्यान रखा और उनको इस एग्रीमेन्ट को एक तरफ रखते हुए एनीकट बनाकर सरकार ने अपने स्तर पर 152 एनीकट बनाये।

माननीय मंत्री महोदय, आप कोटा पधारे थे, आपने कहा कि जिस प्रकार का सोच चल रहा है नदियों को जोड़ने की बात करें, आपने रावतभाटा में तीन हजार करोड़ की जो योजना है उसका उल्लेख किया है कि हम पानी चम्बल बेसिन में डालेंगे ताकि नहरों को पानी मिले। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आज भी आप इसका उतर दें कि जिसमें हमारा बस नहीं चलता मध्य प्रदेश में, जहां हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है, उसकी तो बात कर रहे हैं, जो हमारे हाथ में है आज तीन लिफ्ट सिंचाई योजना, आठ मध्यम सिंचाई योजना, 182 लघु सिंचाई योजना, जो राजस्थान में किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं उसमें तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और 152 या 200 हो जाएं और जिस पर हमारा किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। नियन्त्रण तो आपका इसी पर है कि आप पानी रोक लीजिये। जो यहां पर उनको देना है उसमें आप पानी रोक सकते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपका जब कोटा दौरा हुआ था तब समाचार पत्रों में आपका यह उल्लेख आया था कि हम चम्बल बेसिन का पानी रावतभाटा में या गांधी सागर में, जहां भी उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन प्रिवेल करती है, उसको डालने की बात करें। क्या आपकी प्राथमिकता उस पानी को इस गांधीसागर, रावतभाटा में डालने की है या आपकी प्राथमिकता काली सिंध और परबन की है जो झालावाड़ जिले के

(श्री भरत सिंह)

अन्दर तीन मेजर इर्रिगेशन, आठ मध्यम इर्रिगेशन और 182 माइनर इर्रिगेशन हैं, इसको करने की आपकी प्राथमिकता है। आप इसका उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सहकारी सोसायइटी (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री भरत सिंह : उपाध्यक्षजी, इनसे जानकारी तो दिलाओ। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्षजी, मेरा एक सवाल है वह देने के लिये तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह प्रश्न डायरेक्ट स्पष्टीकरण का है इसलिए सम्बन्धित नहीं है।

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बिना अन्तरराज्यीय बोर्ड की परमिशन से एनीकट बनाया है। 152 एनीकट बनाने का राज्य सरकार ने माना, मंत्रीजी ने माना है और यह 152 एनीकट नहीं है, वहां पर कई माइनर प्रोजेक्ट, कई बड़े प्रोजेक्ट भी बनाये हैं।......(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपने यह सवाल उठाये न भारत सरकार नई बन गयी है, पहले प्रधान मंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी की योजना थी नदियों को जोड़ने की, अगर यह योजना बरकरार रखेगी भारत सरकार तो आपको समय पर मैं अवगत करा दूंगा।

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं आई कि पिछले पांच साल की जो कांग्रेस की सरकार थी, उस जमाने में भी एनीकट बने हैं और हम यह चाहेंगे कि यह सेटेलाइट सर्वे से पता लगाया जा सकता है कि वहां 145 एनीकट नहीं, वहां 1500 एनीकट से कम नहीं हैं तो यह मंत्रीजी कब तक करवायेंगे, यह टाइम बाउण्ड प्रोग्राम तो बता दें ? दूसरा मध्य प्रदेश सरकार पूरा पानी ले रही है। नहरों की मरम्मत भी नहीं करवाती बल्कि 75

(श्री हेमराज मीणा)

प्रतिशत पानी मध्य प्रदेश सरकार लेती है, 75 प्रतिशत नहरें, मध्य प्रदेश की है और पैसा सारा राजस्थान खर्च करता है और हमारी छाती पर होकर हमारे सामने होकर पानी जाता है और मध्य प्रदेश ने अपना पानी भी रोक रखा है और मरम्मत की राशि भी नहीं देते हैं तो इन्टर स्टेट बोर्ड में मंत्रीजी क्या करेंगे, क्या बात रखेंगे, जरा यह जानकारी तो दें।

श्री सांवर लाल : यह जानकारी मैंने दे दी हम कोशिश करेंगे कितना पानी रोक रखा है कितना नहीं ?.......(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ रखेंगे।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

बगरू (जयपुर) के पास नीमेड़ा रोड पर छत गिरने से 50 लोगों के दब जाने की सूचना

श्री जुबेर खान : माननीय गृह मंत्रीजी से जानना चाहेंगे कि जयपुर जिले के बगरू थाने के पास नीमेड़ा रोड पर जो एक छत गिरने से 50 लोग दब गये, उनमें से आठ मर गये। हमारी सूचना यह है कि इसमें सही है कि सरकार का कोई दोष नहीं है, यह एक आपदा हुई। लेकिन यह हादसा होने के बाद विभाग ने या प्रशासन ने वहां क्या कदम उठाये, नहीं उठाये। हमारी सूचना यह है कि अभी तक भी जो उपाय होने चाहिए थे वहां मेडिकल टीम होनी चाहिये थी, बसों में लाद-लादकर लोगों को डालकर लाये हैं। एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचे तो महत्वपूर्ण मसला है। पचास आदमी दबे हैं, आठ लोग मरे हैं उनमें बच्चे हैं, औरत हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं। सरकार इस पर वक्तव्य दे। सरकार इसमें वस्तुस्थिति बताये कि क्या घटना हुई है, कैसे हुई है ? क्या क्या कदम उठाये गये हैं, क्या उपाय किये गये हैं और यह संवेदनशीलता के नाते सरकार को सुओमोटो स्टेटमेन्ट देना चाहिये था कि जयपुर की जड़ में बिलकुल लगता हुआ इतना बड़ा हादसा हो जाये और सरकार मौन बैठी रहे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि सरकार इस घटना के ऊपर अपना वक्तव्य दे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) · वक्तव्य किस बात का ? इस वक्तव्य का सवाल नहीं है। कल यह घटना घटित हुई। जब मुझे पता लगा यह घटना करीब साढ़े तीन-चार बजे हुई। एक प्राइवेट फार्म था बंसल का। नीमेड़ा गांव में ही उस गांव में मकान का निर्माण हो रहा था। पहली मंजिल की छत गिरी 15 दिन हुए थे, उसके बाद 15 दिन में दूसरी मंजिल में छत गिर गयी। जब बरसात होने लगी तो लोग वहां चले गये। पहले ऊपर की मंजिल गिरी, ऊपर की मंजिल गिरने के बाद दूसरी मंजिल गिर गयी और गिरने के बाद उसी समय वहां पर कलक्टर, एस.पी., जे.डी.ए. के अधिकारी सारे अपनी चले गये। सारे संसाधन वहां पर चले गये। आपके एम.एल.ए. लालचन्दजी कटारिया वहां पहुंच गये थे। मैं स्वयं वहां पहुंच गया था। तीन घण्टे तक, चार घण्टे तक वहां रहे, रात को 12 बजे, एक बजे तक उनको सब लोगों को निकाल लिया था, भिन्न-भिन्न अस्पतालों में भेज दिया और जिन अस्पतालों में भेजा था उन अस्पतालों में मैं स्वयं चला गया। उनकी चिकित्सा की व्यवस्था थी, आठ आदमियों के सुबह जब तक पोस्टमार्टम हुआ, तब मैं वहां पर गया। उसके बाद में उनको रवाना कर दिया।

एक दुखद घटना थी, उनकी सारी, इलाज की व्यव्सथा की हैं, मृतकों को सहायता की भी घोषणा की है, इस सम्बन्ध में जो भी सरकार को और मदद करनी है वह करेंगे, इस सम्बन्ध में जो भी जांच करनी हो करेंगे। जो वे बना रहा था, जिसका ठेका था वह खुद ठेकेदार भी नीचे दब कर मर गया। इस प्रकार से सारी घटना थी, वह प्राकृतिक घटना है और प्रशासन ने इसमें पूरी सावचेती से काम किया। लगातार सारी मशीनरी करके, सारा करके वहां पूरी रात भर जाग कर सारा काम कम्पलीट किया। लोगों को निकाल कर भिन्न-भिन्न अस्पतालों में उनको पहुंचाया, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की। बाकी सब बिलकुल ठीक है। आठ आदमियों की दब कर मृत्यु हो गयी, उनका पोस्टमार्टम हो कर शव को सौंप दिया।

इसमें सरकार ने, पूरे प्रशासन ने और आस-पास के गांव के लोगों ने भी जिस प्रकार से मदद की है वह कल एक देखने लायक था। वहां पर कटारियाजी भी थे, जो आपके माननीय विधायक हैं, मैं भी वहां पर था और सारे जनप्रतिनिधि भी वहां पर थे। सारा प्रशासन वहां पर था इसलिए इसमें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कोई चिन्ता करने की बात नहीं है। दुखद घटना हो गयी, इसके लिए सरकार को बहुत-बहुत दुख है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री मदन दिलावर (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा। (अनुपस्थित) श्री रामनारायण मीणा (अनुपस्थित) डा. एन.एस. गुर्जर।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय. यह जो राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के अध्याय पांच में धारा 32 से 37 तक जो संशोधन लाया गया है इसमें इन्होंने तत्कालीन महाधिवक्ता से राय ली और उन्होंने कहा कि इनके जो चुनाव हैं, जिस पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव इलैक्शन कमीशन कराता है हमारे यहां का, वह नहीं करा सकता इसलिए इसके लिए एक अलग इलैक्शन कमीशन बनाया जाए कोआपरेटिव चुनाव के लिए।

यह तो ठीक उन्होंने राय दे दी और यह ले आए लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस एक्ट में सैक्शन 27 का 4 है, 2001 में इस एक्ट में एक संशोधन किया गया था और उस समय चुनाव का, कोआपरेटिव सोसायटीज के चुनाव में देरी क्यों हुई, इसका कारण यह था कि सरकार की मंशा थी कि जैसे पंचायती राज संस्थाओं में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है वह व्यवस्था इसमें लागू हो, इसलिए इनके चुनाव देरी से हुए। वह अमेंडमेन्ट आया, अब यह अमेंडमेन्ट आ गया जब चुनाव करने लगे तो यह दिक्कत आ गयी, फिर यह अमेंडमेन्ट लाये हैं मैं यह जानना चाहूंगा इसका 27 सैक्शन का सब सैक्शन 4 है, इसमें लिखा है

(डा. एन.एस. गुर्जर)

"At least one member each in the committee of a village service society, a farmers' society, a dairy co-operative society, a land development bank and a central co-operative bank shall be from Scheduled Cast, Scheduled Tribe. Other backward class, and women, and if for any reason whatsoever, the members of the aforesaid sections to the extent as afore said are not elected on the committee of any society, or a vacancy occurs therein, the deficiency or vacancy of a member belonging to the aforesaid societies in the committee of a society shall be made good or filled-in, as the case may be, by the committee by co-option from amongst members belonging to the aforesaid section."

यह इस सैक्शन में कहा गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिस तरह से पंचायती राज संस्थाओं में एक ग्राम पंचायत में कई जगह 12 मैम्बर होते हैं, कई जगह 11 मैम्बर होते हैं. कई जगह 10 मैम्बर भी होते हैं और कई जगह 9 मैम्बर भी होते हैं उसी तर्ज पर 2001 में यह संशोधन लाये, यह संशोधन डिफेक्टिव संशोधन है। अगर एक-एक मैम्बर, एक एस.सी. का ले लो, एक एस.टी. का ले लो. एक ओ.बी.सी. का ले लो और एक महिला ले लो, उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं पंचायत राज मंत्री था तो मेरे सामने भी इस तरह के सुझाव आये थे कि पंचायत राज संस्थाओं में एक-एक मैम्बर ले लो लेकिन चूंकि यह सैक्शन इतना बड़ा है एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और महिलाओं का कि उनको आप एक-एक मैम्बर क्या दान में दक्षिणा दे रहे हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय, पिछली सरकार ने जो गलती की है 2001 में संशोधन लाकर के उस गलती को आप सुधारें और यह जो आप इलैक्शन के लिए लाये हो, इसके पहले चूंकि विधान सभा दो दिन और चलेगी, आप इसमें संशोधन तो ला नहीं सकते तुरन्त, इलैक्शन कराने का यह अमेंडमेन्ट पास हो जायेगा तो इलैक्शन करने की व्यवस्था हो जायेगी आपकी, आप इलैक्शन करा सकते हो, इलैक्शन के पहले यह जो सैक्शन 27 है इसमें, एक अमेंडमेन्ट लाइये इसके सब सैक्शन 4 में कि जिस तरह से पंचायती राज संस्थाओं में 33 परसेंट महिलाएं और एस.सी., एस.टी. उनकी पापुलेशन के आधार पर और

(डा. एन.एस. गुर्जर)

ओ.बी.सी. का 21 परसेंट जो रिजर्वेशन है आप इसी तर्ज पर, सेम जो पंचायती राज एक्ट में प्रावधान है उनको इसमें समाहित कराएं उसके बाद चुनाव करवाएं ताकि इन लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके इन सहकारी संस्थाओं में।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी संस्थाएं, जिस तरह से पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनके अन्दर बहुत बड़ा, करोड़ों रूपये का आदान-प्रदान होता है। इनमें बैंक्स में, सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक्स में, कोआपरेटिव बैंक में, सोसायटीज में और यह लोन देते हैं गरीब तबके के लोगों को लेकिन जब उनका प्रतिनिधि ही नहीं होगा तो उनका शोषण होता है, वहां उनसे कमीशन लिया जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो वर्षों से इन संस्थाओं में जम कर बैठ गये हैं। पंचायत राज संस्थाओं में इसलिए रिजर्वेशन दिया जाता था कि कई लोग तो प्रधान के नाम से जाने जाने लगे थे, कई लोग सरपंच साहब के नाम से जाने जाने लगे थे, इसी तर्ज पर इनमें भी कई लोग आज भी चेयरमैन साहब के नाम से जाने जाते हैं तो यह जो प्रभुत्व हो गया कुछ सीमित लोगों को इन सोसायटीज में यह समाप्त हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि आप जो पंचायती राज संस्थाओं में है उसी तर्ज पर आर्डिनेन्स के जरिए इसमें फिर अमेंडमेन्ट लाइये ताकि इन वर्गों को उनको अधिकार मिल सके, वे इससे वंचित नहीं रह सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्द्रशेखर बैद। (अनुपस्थित)। डा. सी.पी. जोशी।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेन्ट लाये हैं उसमें एक तो कारण यह बताया गया है कि स्टेट इलैक्शन कमीशन स्टेचुअरी बाडी है इसलिए इलैक्शन करना उचित है या नहीं। और राय दी गयी कि उचित नहीं है इसलिए अमेंडमेन्ट लाये हैं। पर मैं यह समझ नहीं पाया कि इस अमेंडमेन्ट के साथ में सैक्शन 28 के 8(ए) में एक प्रोविजो नया जोड़ा गया-

"No member of a committee, which has failed to provide the required information or assistance to the State Co-operative Election Authority under Chapter V shall be eligible for election or appointment as a member of the committee for a period of five years from the date of such failure."

(डा. सी.पी. जोशी)

यह जो अमेंडमेन्ट लाया गया है सैक्शन 28 में यह सैक्शन 28

Sec. 28 deals with disqualification of membe etc. of committee.

इसके अन्दर यह अमेंडमेन्ट लाया गया है जो आलरेडी सैक्शन 28 में सात प्रोविजन हैं। उन प्रोविजन के होने के बाद यह प्रोविजन लाने के पीछे मंशा क्या है ? इसके पीछे मंशा शायद यह लगती है कि-

"No member of a committee which has failed to provide the required information or assistance to the state co-operative..." How will they define the required information or the assistance to the State ?

उसको सहायता करना और उसको रिक्वायर्ड इन्फोर्मेशन देना, यह दो आधार हैं जिस आधार पर उसको डिसक्वालिफाई कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सब्जैक्टिव चीज हो जायेगी इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो अमेंडमेन्ट लाये हैं इसमें यह बताने की कृपा करें, मंत्री महोदय कि जो रिक्वायर्ड इन्फोर्मेशन असिस्टेंट नहीं दे रहे हैं, क्या आप उसको नोटिस देंगे जिससे सामने वाला आदमी अपनी बात को यूज कर सके ? यदि आप उसको नोटिस नहीं देकर केवल मात्र सब्जैक्टिव आधार पर जो आपका इलैक्शन करने वाला आदमी है वहीं सैटिस्फाई है कि मुझे असिस्टेंस नहीं थी इसलिए मैं इसको डिस-क्वालिफाई करता हूं तो यह एक बहुत बड़ी पावर हम उसको नियम कर रहे हैं जो डैमोक्रेटिव सैटअप के बिलकुल खिलाफ है।

उपाध्यक्ष महोदय. इसलिए मैं चाहूंगा जो अमेंडमेन्ट का कारण बताया वह तो बताया गया कि स्टेट इलैक्शन कमीशन से इलैक्शन नहीं करवाना और अमेंडमेन्ट आपने प्रपोज कर दिया सेक्शन 28 के अन्दर। ठीक उसी प्रकार से सैक्शन 30 में भी आपने अमेंडमेन्ट प्रपोज कर दिया। सैक्शन 30 में यह अमेंडमेन्ट प्रपोज किया कि

".....after sub-section (2) and before sub-section (3), the following new sub-section shall be inserted, namely :-

"(2-A) if. before the expiry of the term of the committee of a

society, a new committee is not constituted, the Government may direct the Registrar to appoint a Government servant as an Administrator to manage the affairs of the society till a new committee is constituted:

Provided that no member of the committee, replaced by an Administrator under this sub-section, shall be deemed to be disqualified under sub-section (5) of section 30."

यह नया क्लाज इसमें एड कर दिया।

एक तरफ तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सैक्शन है यह सैक्शन डील करता है, यह सैक्शन 30 है Removal of committee or member thereof. मेन एक्ट में 30 आलरेडी रिमूवल आफ कमेटी और मैम्बर देयर आफ में क्लाज दे रखे हैं। उसमें सारा लिख रखा है कि हम किसी को रिमूव करेंगे तो उसको नोटिस देंगे। यह सब क्लाज लिख रखा है। यह आपके क्लाज सैकिण्ड में लिख रखा है कि

"On the proposal to remove a committee or a member thereof under sub-section (1)] the Zonal Registrar in case of primary society, the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, in case of Central Society and the State Government in case of an appex society may, after giving the committee or the member, as the case may be, a reasonable opportunity to state his objection, if any, by order in witing."

यह क्लाज आलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपने नया क्लाज इसमें जोड़ दिया, यह नया क्लाज-2 जोड़ दिया। इस क्लाज में आपने अपोर्चुनिटी करने का और नोटिस देने का सारे काम भी विथड्रा कर लिए, उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं नहीं समझ पाता कि जो हम अमेंडमेन्ट मूव कर रहे हैं उस अमेंडमेन्ट में मंशा यह थी, इसमें लिखा हुआ है कि अमेंडमेन्ट करने के पीछे सरकार ने जो कारण दिए हैं उसमें कारण नहीं लिखा है, उपाध्यक्ष महोदय,

"A question was raised by the Commission as to whether the duty to conduct elections of institutions like co-operative societies

(डा. सी.पी. जोशी)

could be entrusted to a Constitutional body like the State Election Commission. The question was referred to the then Advocate General and he opined that such a duty could not be entrusted to the Commission."

यह इसमें काज दिया है यही एक कारण है जिसके कारण आप अमेंडमेन्ट ला रहे हैं। आपने जितने भी क्लाज दिए वह क्लाज तो डील करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, 32 से लगाकर 37 तक और आपने दो नए क्लाज एड कर दिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब हम एक हाथ से तो लोकतन्त्र को ताकत देना चाहते हैं दूसरे हाथ से हम लोकतन्त्र की ताकत को विथड्रा करना चाहते हैं।

इसलिए मैं चाहता हूं यह जो अमेंडमेन्ट मूव किया गया है दोनों सैक्शन 28 में 8-ए आर सैक्शन 30 में 2-ए यह दोनों ही उस इलैक्शन कराने के पीछे जो मंशा है उसके विपरीत यह दोनों अमेंडमेन्ट हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आशा करूंगा कि आप जब उत्तर दें तब यह स्पष्ट करें कि यह दो क्लाज होने के बाद आप किस तरह से लोकतन्त्र को मजबूत करना चाहते हैं। जबकि आपका आलरेडी जो मेन एक्ट है उसमें लिख रखा है, सैक्शन 34 लिख रखा है

"The Chief Executive Officer of every cooperative society specified in sub-section (1) of Sec. 33 shall, when a written request in such a manner as may be prescribed, to the authority to conduct election of its committee six months before the expiry of the term of the existing committee.

"(2) On receipt of the request under sub-section (1), the authority shall ensure that election is conducted before the expiry of the terms of the existing committee."

यह क्लाज आपका आलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो जो सोसायटी के इलैक्शन नहीं करवा रहा है यह जिम्मेदारी तो फिर उसके ऊपर आ गयी फिर आप यह पावर क्यों लेना चाहते हैं ? आप 2-ए में यह पावर क्यों लेना चाहते

(डा. सी.पी. जोशी)

हैं कि छह महीने पहले लिखकर देना है इलैक्शन नहीं हो तो यह कार्यवाही होगी। यह आलरेडी आपके मेन एक्ट के अन्दर प्रोवीजन कर रहा है और आपने 2-ए में सैक्शन 30 में और 28 में जो प्रोवीजन किए उसका मतलब तो यह हो गया कि उस आदमी के ऊपर जिम्मेदारी भी फिक्स नहीं की। सरकार चाहे तो आदमी किसी को अपाइन्ट भी कर सकेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर भी कर लेगी। इसका मतलब सरकार की मंशा लोकतान्त्रिक पद्धति को मजबूत करने की नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह जो अमेंडमेन्ट मूव किया गया है इस अमेंडमेन्ट में इलैक्शन कराने के नाम पर, इलैक्शन कराना कोआपरेटिव सोसायटी में एक इंडिपेन्डैंट एजेन्सी के माध्यम से कराने के लिए सरकार अमेंडमेन्ट लाई, उसके लिए धन्यवाद। स्टेट के इलैक्शन नहीं करा सके, स्टेटयूटरी बाडी है, आप नई अपाइन्ट करके करवा रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद लेकिन लोकतन्त्र में इसके साथ-साथ दो जो अमेंडमेन्ट आपने मूव किए हैं वह दोनों ही अमेंडमेन्ट अलोकतान्त्रिक हैं। वह दोनों ही अमेंडमेन्ट आपको इतनी पावर देते हैं कि आप जिस सोयायटी में चाहे उसको आप खतम कर देंगे, आप जिस सोसायटी में चाहें उस मैम्बर को डिसक्वालिफाई कर देंगे, जिसको चुनाव नहीं लड़वाना है उसे इलैक्शन एजेन्सी के माध्यम से कहलवा देंगे, इसने कोआपरेट नहीं किया है इसलिए डिबार है पांच साल के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आप ब्लेंकेट पावर 8-ए में ले रहे हैं यह लोकतन्त्र की इस व्यवस्था के बिलकुल खिलाफ है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सैक्टर को जो मजबूत करने की आपकी मंशा है, उस मंशा में लोकतन्त्र जिन्दा रहे इसके लिए आप कृपया कष्ट करके 8-ए अमेंडमेन्ट और 2-ए अमेंडमेन्ट दोनों अमेंडमेन्ट का विथड्रा करिए और जो आप इलैक्शन कराने के नाम पर नई अथोरिटी बनाना चाहते हैं यह आपके लिए बिलकुल ठीक बात है कि इम्पार्शल इलैक्शन हों। उसको करने के सम्बन्ध में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आप जो प्रपोजल ला रहे हैं वह ठीक है लेकिन इसमें भी उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद वकील हैं, 37 पढ़ लें, ठीक रहेगा, मेन इलैक्शन का चैप्टर-5 का सैक्शन 37 क्या कहता है। उपाध्यक्ष महोदय,

(डा. सी.पी. जोशी)

"(1) The Authority may issue instructions, as it may consider reasonable for conducting free, fair and impartial elections, to any society or its committee or members.

"(2) The instructions issued by the Authority under this section shall be binding."

अब यह जो अथोरिटी है यह सब्जैक्टिव आधार पर निर्णय करेगी कि जो इलैक्शन हैं वह फेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वह इलैक्शन फ्री हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इलैक्शन इम्पार्शल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं और उस अथोरिटी ने कह दिया कि इलैक्शन फेयर नहीं है इलैक्शन कैन्सिल कर दिया जाए तो वह इलैक्शन कैन्सिल हो जाएंगे। यह आलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इसके अन्दर प्रोवीजन जो पहली सरकार ने मूव किया उसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है आप जवाब दे दोगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह भी ब्लेकेंट आपके पास अधिकार हैं 37 में तो फिर 8-ए और 2-ए में अमेंडमेन्ट लाने की जरूरत कहां पड़ी।

इसका मतलब, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि हमारा उद्देश्य दूसरा है। कुछ सोसायटीज में हमने एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिए। उन एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करने के लिए कोर्ट के फैसले हो गए। कोर्ट के फैसले को जस्टिफाई करने के लिए हमें अमेंडमेन्ट लाना ही लाना है। यह हमारी मंशा है तो जो हम अमेंडमेन्ट मूव कर रहे हैं, जिस स्पिरिट के आधार पर हम मूव करना चाहते हैं वह उसके विपरीत है। इसलिए अच्छा होता, उपाध्यक्ष महोदय, इसको दो भागों में बांटते। एक तो अमेंडमेन्ट मूव करते कि जो स्टेट इलैक्शन कमेटी का स्टेट्यूटरी बाडी है वह इलैक्शन कराए नहीं, उसके अमेंडमेन्ट कराए नहीं, अमेंडमेन्ट मूव करते, बिलकुल ठीक था।

दूसरा अमेडमेन्ट मूव करना था कि हमें सैक्शन 30 और 28 में अमेंडमेन्ट करना है उसके लिए दूसरा अमेंडमेन्ट बिल लाते और इसमें जो लिखते स्टेटमेन्ट आफ आब्जैक्ट एण्ड रीजन्स, उसमें यह मेंशन करते। अब उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बताएं किसी बिल के साथ स्टेट और आब्जैक्ट

(डा. सी.पी. जोशी)

लिख दें, उसके पीछे मंशा क्या है कि सदस्यों को मालूम पड़े कि हम अमेंडमेन्ट क्यों ला रहे हैं। अब बताएं कि इसमें यह सैक्शन 30 और 28 में जो आप अमेंडमेन्ट ला रहे हैं उसका एक भी वर्ड आप पढ़ लें आब्जैक्टिव में मेंशन किया हुआ हो तो, जब आपने मेंशन ही नहीं किया, आप अमेंडमेन्ट मूव करके ला रहे हैं तो इसका मतलब You are withholding certain information with the House. मैं समझता हूं अच्छा होता कि स्टेट आब्जैक्टिव में भी क्लियर लिखते कि सैक्शन 30 और सैक्शन 28 में आप अमेंडमेन्ट क्यों लाए। इसका भी यदि उल्लेख किया होता तो शायद मैं समझता हूं कि ठीक काम होता।

इसलिए निश्चित तौर पर मेरा यह मत है कि कानून की दृष्टि से भी जो हमारा प्रीरिक्विजिट है कि कोई भी बिल आएगा उसके साथ स्टेटमैन्ट आफ आब्जैक्ट एण्ड रीजन्स होंगे। उसमें आप पढ़ लें सैक्शन 28 और सैक्शन 30, इन दोनों के अमेंडमेन्ट के सम्बन्ध में एक भी शब्द स्टेटमैन्ट आफ आब्जैक्टिव में मेंशन नहीं किया है। इसमें केवल मेंशन किया है कि स्टेट इलैक्शन कमीशन एक स्टेट्यूटरी बाडी है उसको नहीं कराने के लिए हम करना चाहते हैं। इसलिए यह जो बिल लाया गया है वह हैस्ट बिल लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह हैस्ट में लाने के साथ-साथ लोकतान्त्रिक पद्धति के खिलाफ भी है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हू, जल्दी नहीं है, आप वैसे भी इलैक्शन कराएंगे, उसके लिए अथोरिटी अपाइन्ट करेंगे। इसलिए अच्छा है कि इसको जनमत जानने के लिए भेज दें। आप इलैक्शन कमीशन अपाइन्ट करने का पावर लेना चाहते हैं, लें पावर, बिलकुल ठीक है, आपको पावर लेकर करना चाहिए उसमें अमेंडमेन्ट, हमें कोई तकलीफ नहीं है लेकिन जो सैक्शन 30 और 28 में बिना आब्जैक्ट मेंशन किए हुए आप जो अमेंडमेन्ट लाए हैं यह इस विधान सभा के नियम और कानून में बिल क रखने के पीछे जो आब्जैक्टिव है, यह मेंशन करना जरूरी है। उसका ओमिशन हुआ है। इसलिए मैं सदन से

(डा. सी.पी. जोशी)

निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए जिससे हम इसमें ज्यादा ध्यान देकर एक कांकरीट और अच्छा बिल बना सकें, जिससे आने वाले समय में हम राजस्थान में कोआपरेटिव मूवमैन्ट को मजबूत कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी (अनुपस्थित), मोहम्मद माहिर आजाद (अनुपस्थित), श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के प्रावधानों के सम्बन्ध में अभी माननीय डाक्टर सी.पी. जोशी ने अपने विचार रखे हैं। मैं इन प्रावधानों के सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो धारा 28 में आप जोड़ने जा रहे हैं और इसमें जो आधार आपने बनाए हैं वह यह है कि समिति का कोई भी सदस्य जो अध्याय-5 के अधीन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारों को अपेक्षित जानकारी या सहायता प्रदान करने में विफल रहा है, ऐसी विफलता की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

मेरा सबसे पहले सरकार से अनुरोध है कि इलैक्शन कराने का काम इलैक्शन अथोरिटी को आप देने जा रहे हो। इलैक्शन कौनसी तारीख को, कब होंगे यह फैसला इलैक्शन अथोरिटी आप जो कर रहे हैं वह बनाएंगे। राजस्थान सरकार सहकारी विभाग इलैक्शन अथोरिटी के पास वह डेट्स हैं किस डेट को कौनसी सहकारी समिति का कार्यकाल समाप्त होगा। अब आपने इसमें यह किया है कि अगर कोई अधिकारी या सदस्य जानकारी नहीं देता है कि चुनाव करवाने हैं तो हम आपको अयोग्य घोषित कर देंगे। यह कैसा फैसला है ? जब सरकार के पास इस बात का रिकार्ड है, इलैक्शन अथोरिटी के पास इस बात का रिकार्ड है कि चुनाव की अविध फलां तारीख को, आज विधान सभा का नहीं है क्या, आज ग्राम पंचायतों का नहीं है क्या, आज नगरपालिका का नहीं है, सबका है, अगर उसमें भी कोई ऐसा क्लाज होता, नगरपालिका का चेयरमैन अगर कोई सूचना नहीं देगा चुनाव की तो हम उसको अयोग्य घोषित कर देंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा:

आप इस आधार पर राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति को जो आपके लिए अनुकूल न हो या आपके समान विचारों का नहीं हो उस आधार पर यह शक्ति अपने हाथ में लेकर इसके माध्यम से उसको चुनाव लड़ने से डिबार करना चाहते हैं इसलिए यह अगेन्स्ट कांस्टीट्यूशन में आर्बिट्रेरी और एक ऐसी शक्तियां हाथ में लेने का प्रावधान आप जोड़ रहे हैं जो लोकतन्त्र के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

दूसरा आपका धारा तीस में जो संशोधन है धारा 30 में संशोधन आपने प्रशासक नियुक्त करने का किया। पहले प्रावधान था, 90 में भी प्रावधान था कि सहकारी समिति का कोई भी चुना हुआ जो मण्डल है उसके समय समाप्त होने पर चुनाव हो जायेंगे या जब तक दूसरा चुनाव नहीं हो जाए तब तक लोकतन्त्रीय परिपाटी के हिसाब से वह खुद काम करते रहेंगे। आपने तो केवल, राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री तो एक राजनीतिक मैसेज यह देना चाहते थे राजस्थान में कि जो सहकारी समितियां, पांच हजार सहकारी समितियां हैं, आपने उनमें तो प्रशासक नियुक्त नहीं किया। लेकिन जिला स्तरीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां जो निरन्तर लाभ में चपल रही थीं उन पर इनकी नजर पड़ी और दुर्भावनापूर्वक राजनीतिक दृष्टिकोण को अपने ध्यान में रखते हुये इस बात के आधार पर कि जो कोई इनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे इसलिये उन सब जिला स्तरीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां जो लाभ में चल रहीं थी उनमें से प्रशासक नियुक्त करने करने के दृष्टिकोण से आपने अधिकार यह ले लिया। यह न्यायसंगत है.? अगर आपको प्रशासक नियुक्त करने का ही अधिकार है तो पांच हजार सहकारी समितियों का जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया उनमें भी प्रशासक नियुक्त कर दो। उनमें नहीं कर रहे हो, उन पांच हजार में नहीं कर रहे हो। आपका केवल मात्र यह संशोधन और आर्डिनेन्स निकालने के पीछे उन दुग्ध उत्पादक समितियां जो निरन्तर लाभ में चल रही थीं उन पर सरकारी शिकंजा कसकर अपने हाथ में लेने का प्रयास था। उसी नीयत से आपने यह किया है। जबकि यह जानते हैं, राजस्थान की सरकार जानती है कि जिन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में प्रशासक थे पांच, सब निरन्तर दीवाले में है और जिनमें

(श्री हरिमोहन शर्मा)

इलेक्टेड परसंस थे वह सब लाभ में चल रही हैं। इन सहकारी समितियों के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वह लगातार मीटिंग करके यह कह रहे हैं कि हमारा जो बोर्ड है वह उचित है, प्रशासक नियुक्त मत करो हम नुकसान में चले जायेंगे। उस लोकतंत्रीय भावना का भी आपने कोई ख्याल नहीं रखा और राजनैतिक दृष्टिकोण से आपने उन सब अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया।

एक बात यह समझ नहीं आयी कि आपने इसमें धारा 30 उप धारा (2), उप धारा 4 में राज्य निर्वाचन आयोग लिखा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग के स्थान पर आप राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी करना चाहते हैं। यह आयोग शब्द से क्या एलर्जी हो गयी आपको। आयोग क्यों हटा रहे हैं, प्राधिकारी क्यों कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो राज्य सहकारी निर्वाचन की जगह प्राधिकारी के स्थान पर अगर आपकी नीयत बहुत साफ है, आयोग शब्द को हटाने का कारण क्या है। आयोग से जो लिटरलसेंस निकलता है उसको आप प्राधिकारी के हिसाब से क्यों बदलना चाहते हैं। इसलिये यह जो प्राधिकारी लिखा है इस स्थान पर भी आपको आयोग ही रहने देना चाहिये। आयोग बदलने के पीछे आपकी मंशा क्या है ? यह स्पष्टीकरण हमारे सामने आना चाहिये।

आपने धारा 32 में किया निर्वाचन कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के किसी अधिकारी को किया है। आप ए.आर. को निर्वाचन अधिकारी बनायेंगे या इंसपेक्टर कापरेटिव सोसायटी को आप इलेक्शन अथोरिटी बनायेंगे या आई.ए.एस. अधिकारी को आप निर्वाचन अधिकारी बनायेंगे। यह चीज आप जो अधिकार में लाये हैं, इसकी जगह बहुत साफ बात होनी चाहिये कि जो निर्वाचन अधिकारी होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। निर्वाचन अधिकारी हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज कर दो आप, वरिष्ठ आई.ए.एस. सीनियर स्केल का उसको आप निर्वाचन अधिकारी कर दो। आप केवल किसी अधिकारी का अधिकार अपने हाथ में लेकर मनमाने ढंग से किसी भी आदमी को जो इतना काम्पीटेन्ट नहीं हो लेकिन राजनीति में आपके उद्देश्यों की चुनाव के माध्यम से पूर्ति कर दे इसलिये आप ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी स्थान पर बैठाना चाहते हैं। क्या दिक्कत आ गयी।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

पंचायतीराज की कैसी बढ़िया व्यवस्था है। समय पर चुनाव हो रहे हैं, पांच साल से एक मिनट नहीं निकलता। नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं। इसमें परेशानी क्या है। जो प्रिंसीपल्स पंचायतीराज में चुनाव के लिये हमने फालो किये, जो प्रिंसीपल्स हमने नगर पालिकाओं के लिये फालो किये, उनको क्यों नहीं फालो करके आप यह नया रास्ता अख्तियार कर रहे हैं क्योंकि हम लोकतन्त्र में स्वस्थ तरीके से चुनाव भी राजनैतिक हस्तक्षेप करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। इस मंशा से आप जो लाये हैं यह अनुचित है, न तार्किक है और न लोकतन्त्र की भावनाओं के अनुरूप है।

पांचवां आपने परिवर्तन किया, आपने रोकने का बताया कि किसी भी सहकारी सोसायटी के निर्वाचन की प्रक्रिया एक बार आरम्भ होने के पश्चात् प्राकृतिक आपदा या कानून और व्यवस्था भंग होने की परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी कारण से रोकी या मुल्तवी नहीं की जा सकती।

मेरा इसमें आपको सुझाव है कि कानून और व्यवस्था की व्याख्या करना मंत्री महोदय का काम है। मंत्री महोदय की अगर इच्छा हो गयी लोकतन्त्र में कि कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है तो अपने दस, पांच आदमियों से हल्ला करवाओ, अखबारों में छपाओ। मंत्री महोदय के पास उस अखबार को लेकर आओ और कहो कि कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है मंत्री महोदय उस चुनाव को रोक दें कानून और व्यवस्था का काम सरकार का है। कल कोई यह कह दे कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है लोक सभा के चुनाव नहीं होंगे, विधान सभा के चुनाव नहीं होंगे, पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव नहीं होंगे और इसलिये हम रोक दें तो आप और हम इस सदन में जो समय पर पहुंचते हैं, नहीं पहुंच पायेंगे। इस भावना से कानून और व्यवस्था को मामला हटा दिया जाना चाहिये। केवल प्राकृतिक आपदा वाली बात इसमें रख सकते हैं लेकिन उसमें भी यह है कि स्टोप और पोस्टपोन, स्टोप शब्द इससे हटा दिया जाना चाहिये। स्टोप क्यों ? स्टोप अनलिमिटेड है। आप कहोगे हम साल भर तक नहीं करायेंगे इसलिये उस जगह पर जो पोस्टपोन वर्ड है वह रखा जाना चाहिये और स्टोप हटा दिया जाना चाहिये। उससे आगे अगर आपको यह संशोधन करना ही है तो उसके साथ यह भी जोड़ देना

चाहिये कि हम कम से कम तीन मास की अवधि में इस चुनाव को दुबारा करवा देंगे। आप अनलिमिटेड करना चाहते हैं पोस्टपोन कर दिया फार अनलिमिटेड पीरियड, स्टॉप कर दिया फार अनलिमिटेड पीरियड, अगर आपका डेमोक्रेटिक माइण्ड है और आप लोकतन्त्र को कायम रखना चाहते हैं तो यह सरकार में बैठते वक्त मंत्रिमण्डल का सदस्य बने रहने तक तो बहुत अच्छा लगता है कि हम सारी शक्तियां अपने हाथ मे निहित कर लें और आप जैसे ही उधर से इधर जाओगें आपको यह कानून याद आ जायेगा। आप इस सदन में खड़े होकर कहोगें कि लोकतन्त्र की हत्या हो रही है। तो ऐसा कोई अधिकार जिससे लोकतन्त्र की हत्या होती हो आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिये।

इन सब बातों के साथ जो मैंने आपको सुझाव दिया उसके हिसाब से क्योंकि मैंने यह कहा कि यह कमियां हैं इसलिये इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभी दिलावर के डेमोक्रेटिक माइण्ड के बारे में आपको कोई संशय है ?

श्री हरिमोहन शर्मा : राजस्थान के मंत्रिमण्डल में यही एक मंत्री हैं जो कानून जेब में रखकर चलता है।

श्री उपाध्यक्ष : डा. श्रीगोपाल बाहेती (अनुपस्थित), श्री गंगाराम चौधरी (अनुपस्थित)। प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कानूनी जवाब दो।

श्री मदन दिलावर (सहकारिता मंत्री) : कानूनी दे रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी टोड़ारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य डा. एन.एस. गुर्जर साहब ने बात कही है कि जो 2004 में आप संशोधन ला रहे हैं। उसमें उल्लेख है कि एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. और महिला एक-एक सदस्य आप उसमें रखेंग और इन्होंने यह भी कहा कि जनसंख्या के आधार पर रखना चाहिये। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जनसंख्या के आधार पर चुनाव नहीं होते। चुनाव होते हैं सोसायटी के सदस्यों की संख्या के आधार

(श्री मदन दिलावर)

पर। यह तय नहीं किया जा सकता कि कितनी जनसंख्या है और उस हिसाब से इतने सदस्य रखे जाये, यह सदस्यों के आधार पर रखी जाती है इसलिये हमने तय किया है कि जहां ग्यारह सदस्य हैं वहां कम से कम एक एस.टी., एक एस.सी., एक ओ.बी.सी. औरं एक महिला सदस्य हो।

उपाध्यक्ष महोदय, सी.पी. जोशी साहब जो नाथद्वारा से पधारते हैं, धारा 28 और 30 में हम संशोधन ला रहे हैं उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहले हमारे संशोधन का तो समर्थन किया है। निर्वाचन आयोग की जगह राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण बना रहे हैं, उसके बारे में किये गये समर्थन के लिये तो मैं धन्यवाद देता हूं। परन्तु उन्होंने यह कहा है कि जो वहां पर अधिनियम संख्या 16 की धारा 28 को, 8 के पश्चात् और 9 से पूर्व तक जो आप जोड़ रहे हैं, उचित नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि लोकतन्त्र में यह आवश्यक है कि लोकतन्त्र के जो हामी लोग हैं और जो इस लोकतन्त्र में अपना काम करते हैं उनके लिए भी कुछ बाध्यताएं होनी चाहिए कि वह भी नियम-कानून और इन सबकी पालना करें। मान लो निर्वाचन अधिकारी या जो हमारा प्राधिकारी है उसको भी समय पर सूचना नहीं देते हैं, समय पर जानकारी नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से निर्वाचन के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, डिले होगा और उस कारण से काफी परेशानियां खड़ी हो जायेंगी इसलिए इसमें यह अमेंडमेन्ट किया गया है। आपको यह सूचना देनी आवश्यक है अन्यथा उसके खिलाफ कार्यवाकी की जा सकती है। इसलिए अमेंडमेन्ट लाया जा रहा है और इसी तरह इन्होंने आगे कहा है कि 2002 में राजस्थान अधिनियम संख्या 16 की धारा 30 का संशोधन भी यह गलत कर रहे हैं, यह लोकतन्त्र के हामी नहीं है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वर्तमान राजस्थान सरकार हमेशा लोकतन्त्र की हामी रही है, परन्तु मैं उन कारणों में बाद में जाना चाहूंगा, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अमेंडमेन्ट ला रहे हैं उससे पूर्व की जो स्थिति है उसमें यह है कि यदि हमारा जो निर्वाचित सदस्य है, जो वहां का चेयरमैन है और यदि आगे चुनाव नहीं होते हैं तो यह कहना चाहता हूं कि वह लगातार बना रहना चाहिए। हमारा ऐसा कहना है कि यदि उसका कार्यकाल समाप्त हो

(श्री मदन दिलावर)

गया, जितने समय के लिए उसका निर्वाचन हुआ था उसके बाद उसको तुरन्त हट जाना चाहिए। लेकिन अभी विधेयक में जो कमी रह गयी थी उसका लाभ लेकर निरन्तर रूप से बने रहना चाहते हैं और कोर्ट में भी लोग इस बात को लेकर गये हैं। हमने उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद जो पूर्व सरकार थी, उसका एक-एक वर्ष, तीन साल तक लगातार बढ़ाया और वह बने रहे। उन्होंने यह सोचा कि हमें लगातार बने रहना चाहिए इसलिए वह कोर्ट में गये हैं, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेन्ट यह किया है कि हम कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक नियुक्त कर सकें, चुनाव होने तक प्रशासक नियुक्त रहेंगे। ऐसा हमने इसमें तय किया है इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे माननीय सदस्यों को आपत्ति होनी चाहिए थी। यह तो सीधी सी बात है।

श्री हरिमोहन शर्मा : सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

श्री मदन दिलावर : यह तो सीधी सी बात है कि यदि कार्यकाल पूरा हो गया, तो हट जाना चाहिए। यह तो हम स्वयं जानते हैं, लोकसभा और विधान सभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद अपने आप ही एक बार हट जाती है, दूसरी सरकार चुनी जाती है। दूसरी सरकार अपना कार्यभार सम्भाल लेती है।

श्री उपाध्यक्ष : कभी-कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं....।

श्री मदन दिलावर : कई बार राष्ट्रपति शासन लग जाते हैं तो यह थोड़े ही है कि कानून में राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है, क्या होता है ? यह एक तरह से प्रशासक नियुक्त करने का जो हमारा संशोधन है यह मैं उचित मानता हूं और इसको आप सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह से जो हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने भी यही आपत्ति दर्ज करायी है, मैं समझता हूं कि मैंने उसका जवाब दे दिया है। अब यह कहना चाहते हैं कि लाभ में थे तब भी हटा दिया है। प्रशासक के समय में नुकसान रहा है और जो चुने हुए लोग थे तब फायदा रहा है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर भी इसकी जानकारी दे देना चाहता हूं। यदि यह जानना

(श्री मदन दिलावर)

चाहें तो कि जब चेयरमैन रहे हैं तब केवल एक हमारी दुग्ध सहकारी समिति में ही फायदा रहा है और प्रशासक रहे हैं जब लगातार अधिकतर संस्थाओं में फायदा रहा है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि चुने हुए सदस्य होते हैं तब घाटा होता है और प्रशासक लगा देते हैं तब फायदा होता है। यह तो वहां कौनसा व्यक्ति क्या काम कर रहा है उसके ऊपर डिपेण्ड करता है परन्तु मैं इसका भी हामी हूं कि लोकतन्त्र से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। समय पर चुनाव होने चाहिए। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं पिछले कुछ वर्षों से यह सहकारिता की जो संस्थाएं हैं, इनके चुनाव नहीं हुए हैं। लगातार कोई न कोई बहाना लेकर के पूर्ववर्ती सरकार उनको टालती रही है। मैं इतना आश्वस्त करता हूं राजस्थान सरकार की तरफ से कि हमेशा हम लोकतन्त्र के हामी रहे हैं, लोकतन्त्र के हामी रहेंगे। किसी भी प्रकार की हम ना तो इनको छेड़खानी करने देंगे, इसके साथ ना हम इसमें कोई डिले करेंगे। समय पर चुनाव कराने का हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....(व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा : मुझे भी कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट में कह लेना......(व्यवधान) आपका इसमें नाम नहीं है।

श्री महीपाल मदेरणा : जनमत जानने के लिए, गिवन टू दा सलेक्ट कमेटी.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनका है नहीं इसमें।

श्री महीपाल मदेरणा : नाम नहीं है तो भी बोल सकते हैं...... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : जनमत जाने के लिए मेरा है.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो नाम है। आप अभी नहीं थे, बोलना चाहें तो बोल दें.....(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोल दीजिये।

डा. एन.एस. गुर्जर : जवाब हो गया.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वैसे हेमारामजी यह है कि जवाब आ गया इसलिए अब वापस मौका मिल जायेगा....(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मंत्रीजी का जवाब हो गया....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव दिया है जनमत जानने के लिए मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि, आपके अकेले के वापस लेने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं।

डा. एन.एस. गुर्जर : है, लेकिन वह प्रक्रिया होती है.....(व्यवधान) जब मैंने दिया है तो वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो आप इस पर मतदान कराते। मैं सत्तारूढ़ दल का सदस्य हूं।

श्री जुबेर खान : अपने आप ही हो जायेगा मतदान.....(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : आप असंतुष्ट हैं इसलिए आपने दिया है.....(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, यह जितने भी बिल आते हैं उसमें सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सदस्यों राइट है कि अमेंडमेन्ट दे सकता है....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हम असंतुष्ट हैं......(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप तो सचेतक महोदय बनकर के संतुष्ट हो गये। वह कैसे संतुष्ट हो जाते। आपने किया क्या है.....(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं वर्षों से इस सदन का सदस्य रहा हूं, इवन हम सेक्शंस पर भी अमेंडमेन्ट दे सकते हैं। नाट ओनली जनमत जानने के लिए...। किसी भी सेक्शंस में अमेंडमेन्ट दे सकते हैं कोई भी सदस्य.... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : जनमत जानने के लिए इस खण्ड में संशोधन किया जाये उन्होंने वापिस लिया हमेशा.....(व्यवधान) और वह सत्ता में रह थे उस समय.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री नाथूसिंहजी, सदस्य, विधान सभा को संशोधन वापिस लेने की भी अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाए ?

श्री मदन दिलावर : पारित किया जाये.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, पास कराओ ना, विचारार्थ तो ले लिया (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, विचारार्थ ले लिया गया है। अब आप पास कराने के लिए कहें। जिससे तीसरी स्टे पर आये।

खण्डशः विचार

श्री उपाध्यक्ष : खण्डशः विचार। खण्ड 2 से 6 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये गये। खण्ड। अधिनियमन सूत्र नाम आदि, कोई संशोधन नहीं प्रश्न यह है कि अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

अधिनियम, सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए।

विधेयक का पारण

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री मदन दिलावर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाए।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाए। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है, मैं एक मिनट बोल लेता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : पहले माननीय सदस्य इनको बोलने दें। आप तो सीनियर हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं एक मिनट में बात कर लूंगा, वे तो लम्बा बोलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, विचारार्थ लेते समय मैंने जो बात कही थी तो आपने कहा था कि चूंकि इसमें सदस्य बनते हैं, यह मुझे भी मालूम है कि सदस्य बनते हैं। (व्यवधान). कोई बात नहीं, थर्ड रीडिंग पर सब कुछ बोला जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। इवन उसके बारे में पूरा बोला जा सकता है, आप तो अमेंडमेन्ट की बात कर रहे हो। मैं कोई नया नहीं हूं, मुझे सारी जानकारी है नियमों की।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मैम्बर्स के बारे में कहा, आप इसमें एक प्रोविजन डाल दें कि मैम्बर्स की जितनी संख्या होगी वह और यदि उसमें नहीं आता है तो मिनीमम एक-एक सदस्य होगा। (व्यवधान) हां, रूल्स में डाल दें।

(डा. एन.एस. गुर्जर)

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप एक्ट में लाएं, रूल्स में डाल दें। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आर्डिनेन्स लाना पड़ेगा।

हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया था, मैं भी वह उठाना चाहता हूं। सैक्शन 109 में एक अमेंडमेन्ट आया है और यह कहता है,

"In clause (r) of sub-section (1) of section 109 of the principal Act, for the expression "State Election Commission". the expression "State Co-operative Election Authority" shall be substituted."

हमारे यहां लोक सभा और विधान सभा इलक्शन करवाने के लिए कमीशन बना हुआ है। फिर हमने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलैक्शन के लिए स्टेट इलैक्शन कमीशन का नाम दिया। आप इसको को-आपरेटिव स्टेट इलैक्शन कमीशन कह सकते हैं। यह नाम जो आप लेकर आए हैं "अथोरिटी", यह हमारी समझ में नहीं आया कि कहां से ढूंढ कर लाए हैं और इसकी सलाह आपको किसने दी कि "कमीशन" की जगह "अथोरिटी" शब्द आना चाहिए। क्यों जहां-जहां भी इलैक्शन के लिए है वहां "कमीशन" शब्द यूज किया गया है, "अथोरिटी" यूज नहीं किया गया है। इसलिए "अथोरिटी" शब्द "कमीशन" की जगह क्यों आया, किस अफसर ने इसको कैसे इजाद किया, कृपया आप इसके बारे में बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : मदेरणाजी।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता की बात तो बहुत कही जाती है। मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा के "नई सदी-नई सहकार" लेकिन यह उस प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धता के खिलाफ है। इसलिए खिलाफ है कि जो संशोधन ये लेकर आए हैं इस पर राष्ट्रपति की कमेंट बहुत जरूरी थी। आपने आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में यह दे दिया कि हमने गवर्नर से इसकी स्वीकृति ली है। "The consent of His Excellency the President of India is necessary. It is mandatory and spe-

cific also, and stipulated in the Constitution of India."

इसमें यह कहा है कि It is obligatory on the part of the State to have the consent of the President of India."

अगर उसका नहीं है तो आपका वाइड अबीनिशियो हो जाएगा। सारे सदन के पास करने के बाद भी आपको नया संशोधन विधेयक लाना होगा। इतनी बड़ी गलती इस सोसायटी एक्ट में होगी जो कोई समझ में नहीं आता है। यह असंवैधानिक इसलिए है कि आर्टिकल 31(ए)(1)(सी) आफ द कांस्टीट्यूशन इम्प्यूज करता है। इसलिए भी जरूरी है इस बात को देखना।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है।

You are holding a judicious post and where a legislation is going to be passed.

आपको स्टोपल करना चाहिए। दोहरी बात नहीं हो सकती। एक जगह तो आप स्वीकृति ले लो और दूसरी जगह नहीं लो तो ऐसा बिल वाइड एबीनिशियों हो जाएगा। उसके ये प्रोविजन इन को-आपरेटिव सोसायटी के हितों के खिलाफ रहेंगे।

दूसरा ये बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं। यह कह रहे हैं कि हम 28, न्यू इन्सर्टिंग ए सेक्शन्स, न्यू इन्सर्टिंग सैक्शन्स कुछ नहीं है। इन प्रजातान्त्रिक संस्थाओं के चुनाव 1992 के बाद नहीं हुए हैं और इतने लम्बे समय तक एडमिनिस्ट्रेटर के अधीन चलने से कई नई बातें हो जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के कार्यों में इन्होंने नया इन्सर्ट किया है न्यू सैक्शन, इसके अन्दर भी कोई टाइम स्पेल्ट नहीं किया है एडमिनिस्ट्रेटर का। यह पहले 1965 के एक्ट में था। फोर पीरियड आफ टू ईयर्स और दूसरा अनलिमिटेड पावर दिए इनको कि भले पांच साल तक नहीं कराओ, मत कराओ, आपको टाइम पीरियड तो देना चाहिए कि तीन महीने, छह महीने, नौ महीने, दो साल, तीन साल का, जब तक आप नियम बना देंगे. नियम तब तक बनेंगे।

अभी तो को-आपरेटिव सैक्टर में इतना बढिया कानून, मैं तो समझता था कि इसमें संशोधन की कोइ जरूरत ही नहीं थी। इन संशोधनों से इन

(श्री महीपाल मदेरणा)

प्रजातान्त्रिक संस्थाओं का गला घोंटने का काम आप करेंगे और कुछ नहीं होने वाला है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेन्ट दिया, वह जजमेन्ट है पैरा 10 पर....।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : पांच वर्ष तक इन्होंने चुनाव ही नहीं कराए।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : कानून की बात कर रहे हैं। नहीं कराए तो नहीं कराए।

श्री मदन राठौड़ : अब इतने समय, 5 वर्ष तक तो कराए नहीं और अब कह रहे हैं कि नहीं कराए तो नहीं कराए। पांच वर्ष तक आपके कानों पर जूं नहीं रेंगी, परवहा नहीं की और अब इतने संवेदनशील बन रहे हैं, आप इतने गम्भीर बन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नया अधिनियम आने के बाद में वह स्थिति पैदा नहीं होगी।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्षजी, जब तक मैं बोल लेता हूं बीच में।

श्री महीपाल मदेरणा : मैं एक जजमेन्ट को कोट कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो कह दिया न ?

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, वह ढूंढ रहे हैं तब तक मैं बोल लेता हूं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कहा जब मैं रूल्स के बारे में कह रहा था। सैक्शन 27, सब सैक्शन 4, जिसमें साफ लिखा है कि एक-एक होगा तो क्या एक्ट को रूल्स प्रिवेल कर सकता है, नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि नहीं कर सकता, लॉ मिनिस्टर भी यही हैं, नहीं कर सकता इसलिए आपको आर्डिनेन्स लाना पड़ेगा, इसके लिए आर्डिनेन्स लाइए।

डा. सी.पी. जोशी : (व्यवधान).....इनको मालूम था लेकिन आपके ज्ञान के लिए पूछा है।

श्री महीपाल मदेरणा : बात सुप्रीम कोर्ट की सामने आई, आर्टिकल 31 (1)(सी) आफ द कांस्टीट्यूशन आफ इण्डिया में उसके इण्टरप्रिटेशन की बात

(श्री महीपाल मदेरणा)

आई। दमन सिंह वर्सेस स्टेट का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आब्जर्व किया कि को-आपरेटिव सोसायटी एक कोरपोरेशन है, वह अण्डर आर्टिकल 31 (1)(सी) आफ द कांस्टीट्यूशन में आएगी। इसलिए यह जो अमेंडमेन्ट ला रहे हैं जिसमें प्रेसीडेन्ट की अप्रूवल जरूरी है, मेण्डेटरी है और अगर यह नहीं करेंगे तो मैंने आपको जो केस कोट किया है उसके हिसाब से और प्रोपर मेनेजमेन्ट के लिए इस सैक्शन में इस इण्टरप्रिटेशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ने कर दिया है। जो आप आर्डिनेन्स ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं, अगर बिना प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति के होगा तो वह वाइड एण्ड अबीनिशियो होगा। यही मेरा निवेदन है, धन्यवाद।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : यह जो बिल लाया गया है इसमें को-आपरेटिव स्टेट इलक्शन अथोरिटी गठित करने और उसके माध्यम से को-आपरेटिव सोसायटीज के चुनाव कराने की बात कही है। पूर्व में यह स्टेट इलैक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाने का था। इन्होंने एडवोकेट जनरल को लिखा और उन्होंने अपनी राय दी कि यह स्टेट इलक्शन कमीशन से नहीं कराए जाएं। तो फिर एडवोकेट जनरल की राय क्या है वो सदन में प्रस्तुत की जानी चाहिए जिससे हमको मालूम पड़े कि एडवोकेट जनरल ने ऐसी क्या राय दे दी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन इन को-आपरेटिव सोसायटी के इलैक्शन करवाने में सक्षम नहीं है या उसके पास इतना अधिक काम है कि वह करवा नहीं सकता। जब स्टेट इलैक्शन कमीशन है, उसके पास काम तो सिर्फ स्वायत्तशासी संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का है, पांच साल में एक बार चुनाव होते हैं पंचायती राज संस्थाओं के और एक बार होते हैं स्वायत्तशासी संस्थाओं के, फिर पांच साल के पीरियड में और दूसरा काम स्टेट इलैक्शन कमीशन के पास नहीं होता है, स्टेट इलैक्शन कमीशन के ऊपर भी कितना खर्चा होता है, कितने अधिकारी और कर्मचारी होते हैं जो हमेशा के लिए होते हैं। जब उसी खर्चे में यदि को-आपरेटिव के चुनाव स्टेट इलैक्शन कमीशन करवा सकता है, कानून में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है तो फिर यह अलग से अथोरिटी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी ? अब एडवोकेट जनरल की राय की बात आपने कही है तो एडवोकेट जनरल की राय क्या है उसके

(श्री हेमाराम चौधरी)

बारे में भी पहले आप वो जानकारी दे दें तो उसके बाद में सारी स्थिति आपके सामने रख सकें और इसमें जो भी आप अमेण्डमेन्ट कर रहे हैं उससे इलैक्शन सही ढंग से करवाने का इसमें कुछ है ही नहीं।

सैक्शन 28 में भी आप कह रहे हैं जो सूचना नहीं देगा उसको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। अब सूचना में क्या पता कौनसी सूचना है। आप कुछ भी लगा देंगे कि आपने यह सूचना नहीं दी। अब कितनी सारी सूचनाएं हैं उसका कोई मेंशन है नहीं। यदि आपको किसी को डिसक्वालिफाई करना ही है तो आप पहले से ही उसको डिसक्वालिफाई कर देंगे फिर वो चुनाव लड़ेगा कैसे ? इसका मतलब यह हुआ जिस किसी को आप चुनाव से रोकना चाहेंगे तो आप आसानी से सैक्शन 29(8) में सब सैक्शन 8(ए) और एड करने जा रहे हैं इससे सरकार के पास इतना अधिकार हो जाएगा कि जिसको आप रोकना चाहेंगे उसको तो आप डिसक्वालिफाई कर देंगे, उसके ऊपर यह आरोप लगा देंगे कि आपसे को-आपरेटिव इलैक्शन अथोरिटी ने यह सूचना मांगी थी वह आपने नहीं दी इसलिए आप तो डिसक्वालिफाई हो गये, मौज करो, घर जाकर बैठो।

श्री रामसिंह विश्नोई : फार्म भरते हैं तब सारी बातें लिखते हैं। जब आप एम.एल.ए. का फार्म भरते हो तब सारी बातें नहीं लिखते हो ?

श्री हेमाराम चौधरी : वह लिखते हैं, लेकिन कौनसी सूचनाएं ? इसमें सोसायटी के मेम्बर की इलेक्टेड बाडी है उसकी बात है कि यह सूचनाएं नहीं दी।

दूसरा, चुनाव नहीं होने के बाद में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का अधिकार सरकार अपने पास ले रही है। अब आप इलैक्शन कराओ नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दो और एडमिनिस्ट्रेटर के जरिये आप को-आपरेटिव सोसायटियों को चलाओ, जब लोक सभा, विधान सभा, पंचायती राज, स्वायत्तशासी संस्थाओं सबके चुनाव पांच साल में हो सकते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता नहीं है तो इसमें ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता कहां महसूस कर रहे हैं और आप इस तरह का अधिकार अपने

(श्री हेमाराम चौधरी)

आप ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पांच साल के अन्दर आपकी मंशा चुनाव कराने की नहीं है और आप एडमिनिस्ट्रेटर के जरिये ही इन को-आपरेटिव सोसायटियों को चलाना चाहते हैं, प्रजातन्त्र में आपका विश्वास है, मेरे कहने का मतलब यह है।

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच साल आपने तो किया विचार ? पूरे पांच साल मंत्री पद भोग कर सरकार चलाकर आपने कराया ही नहीं और अभी से हमारी मंशा आपको पता लग गई कि आप करना ही नहीं चाहते। आपकी मंशा तो बहुत क्लीयर थी पांच साल पहले।

डा. एन.एस. गुर्जर : मान लो बीच में भंग हो गई सोसायटी, इसलिए यह रखा है, यह ला में रखना जरूरी होता है।

श्री धर्मपाल चौधरी : सी.पी. साहब भी बैठे थे, वे भी मंत्री थे। पांच साल तक तो आपने विचार किया नहीं, अब कहते हैं आपकी पता नहीं मंशा है या मंशा नहीं है। अभी से ही पता लग गया कि हमारी मंशा क्या है ?

श्री हेमाराम चौधरी : भंग होने का, ऐसा नहीं लिखा है। डिजोल्व हो जाए उस स्थिति में यह कहा है, यह मेंशन कहां किया कि भंग होने की स्थिति में। मान लो वह स्थिति भी पैदा हो सकती है, वह अलग बात है। इसलिए आप इस प्रकार की (व्यवधान) सारी खामियां ही आप निकाल रहे हो, जवाब भी आप दे रहे हो, या तो खामियां निकालना छोड़ो, अभी आप मंत्रीजी की खूब खिंचाई कर रहे थे, आप तो कर सकते हो क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के हो, आप असंतुष्टों में गिने जाते हो, लेकिन हम भी तो कर सकते हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं सुझाव दे रहा था, खिंचाई नहीं कर रहा था।

श्री हेमाराम चौधरी : आप जनमत जानने के लिए संशोधन ले आये।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैंने विड्रा कर लिया। (व्यवधान) मैंने बताया है क्यों रखना जरूरी होता है।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिए मैं यह चाहूंगा इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पूर्व में को-आपरेटिव एक्ट में प्रावधान है और यह

(श्री हेमाराम चौधरी)

चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से होना चाहिए। स्टेट को-आपरेटिव इलेक्शन अथोरिटी बनायी जा रही है यह तो पहले वाला ही सिस्टम हो जाएगा, पहले ही को-आपरेटिव वाले चुनाव कराते थे वो फेयर इलैक्शन नहीं होता था आप यहां फ्री, फेयर, इम्पार्शियल इलैक्शन की बात कर रहे हैं तो फ्री, फेयर, इम्पार्शियल इलैक्शन तो दूसरी बाडी कराएंगे तब ही होंगे, इस को-आपरेटिव के लोग इसमें होंगे और वो ही इलैक्शन के लिए आफिसर मुकर्रर होंगे तो फिर कतई फेयर इलैक्शन नहीं होगा। फेयर इलैक्शन कराने के लिए तो को-आपरेटिव एक्ट लाएं और नये को-आपरेटिव एक्ट लाने के लिए भी आप चुनाव इस को-आपरेटिव विभाग के माध्यम से करवाना चाहेंगे तो फेयर इलैक्शन नहीं कराना है, हमको तो हमारे लोगों को चुनकर इसमें लाना है, किस प्रकार से कैसे बैकडोर की एन्ट्री हो तो ठीक है, बाकी मैं समझता हूं स्टेट इलैक्शन कमीशन ही इसमें काफी है और इसमें जैसे चुनाव के खर्चे का है, स्टेट इलैक्शन कमीशन को तो पैसा गवर्नमेन्ट देती है, इसमें यह फर्क है यह पैसा सोसायटी से लेंगे। चुनाव कराएंगे, इसका फण्ड है जो खर्चा आएगा वो ये सोसायटियां वहन करेंगे, चुनाव के लिए सोसायटी कों कहा जाएगा कि पैसा आप दो। उसके अलावा कुछ सोसाइटियां इसमें जो मेंशन की उनके चुनाव ये अथोरिटी कराएंगी। बाकी जो सोसायटियां हैं उनकी मीटिंग बुलाकर जनरल बाडी में करवा देंगे, वो ही करवा देंगे तो फिर वह कैसा चुनाव होगा। इसलिए यह जो बिल लाये हैं इस बिल में कोई नयी बात नहीं है, न कोई इसकी आवश्यकता है, यह तो सिर्फ सरकार सारा अधिकार अपने पास रखना चाहती है। ये फिर कह रहे हैं अभी हरिमोहनजी कह रहे थे अभी ये सत्ता में हैं इसलिए इनको अभी कुछ दिखता नहीं है, ये सोचते हैं सारा पावर हमारे पास है जिससे कि हम चाहे जैसे करते जाएं, लेकिन आने वाले समय में यह आपके लिए बहुत कष्टदायक हो सकता है। इसलिए हम आपको आगाह करना चाहते हैं आप इस दृष्टि से मत सोचें कि हम जो कानून बना रहे हैं यह हमेशा हमारे ही काम आएगा, यह हमेशा आपके काम आना नहीं, इसका दुरूपयोग आप भी करोगे, फिर वापस दूसरे लोग आ जाएंगे, हम लोग आ गये तो हम भी सत्ता में आने के बाद सबकी सोच बदल जाती है। सवाल सत्ता का नहीं है, सहकार बन्धु

(श्री हेमाराम चौधरी)

एक सबके लिए, सब एक के लिए, इस भावना से इस को-आपरेटिव का निर्माण हुआ तो फिर आप इस तरह की भावना से काम करने की क्यों मंशा नहीं रखते हो ?

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब दें इससे पहले दो क्वेरी मैं करवाना चाहता हूं। सैक्शन 34 है इसमें-

"The Chief Executive Officer of every co-operative society specified in sub-section (1) of section 33, shall send a written request in such manner, as may be prescribed, to the Authority to conduct election of its committee, six months before the expiry of the term of the existing committee."

जब छह महीने पहले आपको सूचना देने की जिम्मेदारी चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर की है तो फिर यह 2(ए) में अमेण्डमेन्ट क्यों ला रहे हैं जिसमें लिखा है-

"If, before the expiry of the term of the committee of a society, a new committee is not constituted....."

यह ड्यूटी तो सी.ओ. की है कि छह महीने पहले आपको इलैक्शन कराने के लिए लिखकर भेजे। तो जो सोसायटी छह महीने पहले लिखकर नहीं भेजेगी तो उसके सी.ई.ओ. के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। हम कैसे एंटीसिपेट कर रहे हैं कि छह महीने पहले लिखकर नहीं देंगे। यह क्लाज आलरेडी 34 में रखा है और 2(ए) में हमने यह पावर ले ली-

"If, before the expiry of the term of the committee of a society, a new committee is not constituted....."

नयी कमेटी नहीं बने यह जिम्मेदारी तो सी.ई.ओ. की है। 34 में ालरेडी है। 34 में यह काम तो सी.ई.ओ. का है कि छह महीने पहले लिखकर जे कि इलैक्शन कराना है। यदि वो नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ र्यवाही का प्रोविजन होना चाहिए या हम यह प्रोविजन रख रहे हैं कि उसकी ह एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर देंगे। 34 के अगेंस्ट में 2(ए) का अमेण्डमेन्ट

(डा. सी.पी. जोशी)

है आप उसको देख लें। आपने जो कहा था कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले 34 के अन्दर सी.ई.ओ. की जिम्मेदारी है जो सी.ई.ओ. छह महीने पहले आपको लिखकर दे रहा है, इलैक्शन अथोरिटी नहीं कराये उसको सजा मिलनी चाहिए या उस कमेटी को भंग करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं 2(ए) आर्टिकल 34 का जो प्रोविजन है उसके खिलाफ है, आप चैक कर लें।

दूसरा 8(ए) में आपने जवाब दिया हमने अमेण्डमेन्ट किया उसमें सूचना नहीं देने के कारण। आप मानते हैं, नहीं कापरेट कर रहा है एग्रीड। आप इसमें प्रोविजन रखिए कि वो कम से कम उसको नोटिस दे यह टोटल पावर उसके पास लेने के लिए नोटिस लिख दें कि मुझे इसने कापरेट नहीं किया इसलिए मैं भंग कर रहा हूं, यह तो सब्जेक्टिव चीज हो जाएगी। 8(ए) में यदि आपको प्रोविजन रखना है तो ट्रांसपेरेन्ट और साफ चीज जनता के सामने आये, उसमें यह प्रोविजन रखिए कि कौनसी सोसायटी, ऐसा कौनसा व्यक्ति जो इलेक्शन के साथ कोपरेट नहीं कर रहा है इसमें वर्ड लिख रखा है-

"......required information or assistance...."

यदि असिस्टेंस नहीं कर रहा है, कोपरेशसान नहीं कर रहा है तो कृपया इलेक्शन अथोरिटी उसको नोटिस दे कि आप यह कापरेट नहीं कर रहे हो उसके बाद आप एक्शन लो तो समझ में आता है कि आप जो काम करना चाहते हैं उसमें आप ट्रान्सपेरेन्ट मैनर में काम करना चाहते हैं। आप यह अधिकार दे ही नहीं रहे हो जबकि क्लाज 32 है उसमें आलरेडी लिख रहा है। 32 में बिलकुल क्लीयर लिख रखा है- उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि रिजनेबल अपरचुनिटी टू स्टेटयूटरी दी जाएगी। आपने इसमें सैक्शन 30 के 2 में आलरेडी यह प्रोविजन कर रखा है कि हम ऐसे मैम्बर को रिजनेबल अपरचुनिटी देंगे. उसके सुनने के लिए यह प्रोविजन आलरेडी 32 में एग्जिस्ट कर रहा है फिर आप यह 28 ए में यह प्रपोजल क्यों नहीं रख रहे हैं ? जो एक व्यवस्था आलरेडी को-आपरेटिव के अन्दर एग्जिस्ट कर रही है कि वह कोपरेट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है तो आप उसको नोटिस देकर यह अधिकार क्यों नहीं लना चाहते हैं ? यह प्रावधान इसके साथ आप जोड़ देते त

(डा. सी.पी. जोशी)

आपकी जो भी अमेडमेन्ट करने की मंशा है वह सही मंशा इसमें परिलक्षित होती अन्यथा यह जो 8 ए का अमेडमेन्ट है यह डिस्क्रिशनरी पावर होगा।

आज आपकी सरकार है, आपके कहने से अथोरिटी काम कर देगी, कल दूसरी सरकार आएगी तो वह अथोरिटी का आदमी दूसरी सरकार के कहने से काम करेगा, यह व्हिम एण्ड फैंसी पर काम हो जाएगा। इसको यदि रोकना है तो आपको इसमें इनबिल्ट यह सिस्टम रखना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति, ऐसी कमेटियों के सदस्य और ऐसी सोसायटी जो विभिन्न आफिसरों के साथ में कोपरेट नहीं करे उसको एक नोटिस देने के बाद ही आप कार्यवाही करें तब तो मैं समझता हूं कि आपका यह 8 ए का अमेंडमेन्ट भी ठीक है और 2 ए का अमेंडमेन्ट तो माननीय मंत्री महोदय फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं आप 34 को पढ़ लें, इसकी एक एबनोर्मल स्थिति बनी हुई है, सोसायटी को तीन साल का एक्सटेंशन दे दिया, बाकी को नहीं दिया इसलिए आपने क्लाज डाला वह अलग बात है लेकिन 34 में आलरेडी प्रोविजन है कि भविष्य में कोई भी सी.ई.ओ. है उसकी ड्यूटी होगी कि 6 महीने पहले इलैक्शन कराने के लिए नोटिस दे तो यह जिम्मेदारी सी.ई.ओ. की है, उस सी.ई.ओ. के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, वह कार्यवाही तो हम कर नहीं रहे हैं, अब वह सरकार ने आर्डर निकाल दिया, तीन साल का नोटिस दे दिया इसलिए हम 3 साल का काम नहीं करना चाहते। यह दो बातें देख लें।

तीसरी बात, जो माननीय भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है, यह को-आपरेटिव का जब बिल बना तब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सारी ईर्रस्पेक्टिव आफ पार्टी जो को-आपरेटिव मूवमेन्ट में काम करने वाले व्यक्तियों, इसके सदस्य इकट्ठे हुए, उनकी लम्बे समय तक मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद यह को-आपरेटिव एक्ट बनाया और भारत सरकार को प्रेसीडेन्ट को साइन करने के लिए भेजा, उसके बाद यह एक्ट आया। अब इस एक्ट में जब हमने इलैक्शन अथोरिटी का प्रोविजन किया था तब इसमें साइन प्रेसीडेन्ट के थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं करेक्ट नहीं हूं तो आप मुझे मंत्री महोदय करेक्ट कर दें कि जो बिल पास होकर को-आपरेटिव सोसायटी का जिसमें स्टेट इलैक्शन कमीशन का प्रोविजन

(डा. सी.पी. जोशी)

था उस पर प्रेसीडेन्ट के साइन थे। अब आप इसमें आज अमेंडमेन्ट कर रहे हैं, उस अमेंडमेन्ट में प्रेसीडेन्ट के पास साइन नहीं करवा कर आप इसको अमेंडमेन्ट करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया उसको भी एक्ट में देख लेना चाहिए कि कोई भी एक्ट जो प्रेसीडेन्ट के एसेन्ट से होकर हाउस में आया हुआ है उसमें अमेंडमेन्ट बिना प्रेसीडेन्ट के हम कर रहे हैं, यह भी कानून की दृष्टि से ठीक नहीं है, आगे जाकर कोर्ट में इसका वजूद क्या रहेगा, यह प्रश्न भी खड़ा हो जाएगा इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया उन दोनों जवाब के साथ देख लें कि हेस्ट में लाकर हम ऐसे एक्ट का प्रोविजन करना चाहते हैं जिस एक्ट का आगे कानून में कोई वजूद ही नहीं रहेगा तो लोग कानून का मजाक उड़ाएंगे कि कानून बनाने वाले आदमियों ने कैसा कानून बनाया, कानून को कोर्ट के अन्दर चैलेन्ज मिल गया। मैं समझता हूं इन सब बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं मंत्री महोदय जवाब देंगे तब इन प्रश्नों का भी जवाब देंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्टेट इलैक्शन कमीशन था, महाधिवक्ता ने जो राय दी है जिस समय 2001 में यह अमेंडमेन्ट आया था तब भी इस पर राय ली होगी, सारा लॉ डिपार्टमेन्ट से ही होकर आया था शायद उन्होंने बाद में महाधिवक्ता ने जो राय दी है वह इसलिए दी है कि 73वां, 74वां कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेन्ट के तहत स्टेट इलैक्शन कमीशन बनाने का प्रोविजन किया गया है और उसमें लिखा है कि यह स्टेट इलेक्शन कमीश्न होगा जो पंचायत राज संस्थाओं का और म्युनिसिपेलिटीज का इलैक्शन कराएगा लेकिन कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंन्ट में कहीं भी यह मनाही नहीं है कि बाकी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराएगा। उन्होंने तो यह कहा है कि इनके चुनाव कराने के लिए एक स्टेट इलैक्शन कमीशन की स्थापना की जाए और उसमें इसको रोकने का प्रोविजन भी उस स्टेट इलैक्शन कमीशन में नहीं है तो जिस समय यह एक्ट में अमेंडमेन्ट आया 2001 में उस समय भी विधि विभाग की दो राय ली होगी, विधि विभाग ने राय दी होगी तो विधि विभाग

की दो राय उस समय तो कह दिया स्टेट इलैक्शन कमीशन चुनाव करा सकता है और बाद में कह दिया नहीं, स्टेट इलैक्शन कमीशन चुनाव नहीं करा सकता है। मेरी दृष्टि से कानून में कांस्टीट्यूशन के तहत कहीं भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि स्टेट इलैक्शन कमीशन चुनाव करा सके इसलिए आप फिर इस सम्बन्ध में विचार करिये, अमेंडमेन्ट तो ला रहे हो और अथोरिटी जैसे जयपुर डवलपमेन्ट अथोरिटी, बाम्बे डवलपमेन्ट अथोरिटी, देहली डवलपमेन्ट अथोरिटी, ये विकास करने वाली अथोरिटी होती हैं कहीं भी, where there is an election, there is an election, wherever,

जहां भी होंगे वह इलैक्शन कमीशन होता है, आप भी जानते हैं, आप भी कानून के ज्ञाता हैं, अथोरिटी कोई नहीं होती है, इलैक्शन के लिए कमीशन होता है तो यह कहां से नया वर्ड इजाद किया है, अथोरिटी का कमीशन कैसे मना कर सकता है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार कह रही है उसका प्रोविजन लाई है।

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय सदस्य, मैं सुझाव दे रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप वाजिब बात तो मानो।

मोहम्मद माहिर आजाद : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट, एक मिनट।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, आपकी बात को ही सपोर्ट कर रहा हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर : Let me complete, please. मैं कानून की दृष्टि से, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को सावचेत कर रहा हूं। अधिकारी जो गलतियां करवाते हैं आपसे, चाहे उनकी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो उसके अन्दर जाइए कि यह अथोरिटी वर्ड क्यों यूज किया गया है। क्या स्टेट इलैक्शन कमीशन उसको जो 74वां, 75वां अमेंडमेन्ट है, कहीं मनाही है क्या कि जो स्टेट इलैक्शन कमीशन बनेगा, पंचायत और म्युनिसिपेलिटीज का चुनाव कराने के लिए, दूसरी किसी स्टेट्यूटरी बाडी के चुनाव नहीं करा पाएगा, कहीं बंदिश नहीं है उसमें, उसमें केवल यह है कि यह बनाया जाए, पोजीटिव चीज कहीं है,

(डा. एन.एस. गुर्जर)

नेगेटिव चीज कहीं है इसलिए आपको लाने की जरूरत ही नहीं है, दुबारा इस पर राय लीजिए और यह अथोरिटी वगैरह सब समाप्त कीजिए, बनायें तो भी कमीशन वर्ड यूज कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्लाजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने काफी उपयोगी सुझाव दिये है, मैं तो सबसे पहले amendment of section 30, Rajasthan Act No. 16 of 2002.

इसमें "after sub-section (2) and before sub-section (3), the following new sub-section shall be inserted, namely-

"(2-A) If, before the expiry of the term of the committee of a society, a new committee is not constituted, the Government may direct the Registrar to appoint a Government servant as an Administrator to manage the affairs of the society till a new committee is constituted....."

उपाध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में मेरा यह कहना है कि यह जो परिवर्तन इस राजस्थान को-आपरेटिव एक्ट में सरकार लेकर आई है इसका स्पष्ट मंतव्य यह है कि 16 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां जो इलेक्टेड थी उनको भंग करने के लिए 19 फरवरी, 2004 को यह राज्य सरकार अध्यादेश लेकर आई और अध्यादेश लेकर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इन्होंने एक तरीके से हटा दिया जबकि कायदे से यह होना चाहिए कि इसके लिए इनका चुनाव कराना चाहिए और चुनाव कराने के बाद जो भी परिणाम सामने आते हैं, वह हो जाते, इस धारा को जोड़कर लोकतान्त्रिक संस्थाओं का गला घोंटा है।

जब आप राजस्थान सहकारी सोसायटी संशोधन, 2004 को ला रहे हो तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह स्पष्ट प्रावधान करना चाहिए, जैसे पंचायत, नगरपरिषदों के, नगरपालिकाओं के चुनाव हर पांच साल बाद होंगे, वैसी की वैसी यह व्यवस्था करते। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स को लाना लोकतन्त्र का गला घोंटने के समान है इसलिए इसको प्रजातन्त्र में कोई भी मान्यता नहीं मिलेगी, प्रजातन्त्र में उन्हीं चीजों को मान्यता मिलती है जो

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

चुने हुए लोकतान्त्रिक तरीकों मे लोग चुनकर आते है उन्हीं को जनता मान्यता देती है इसलिए चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटाकर एडमिनिस्ट्रेटर को लगाना यह प्रजातन्त्र का गला घोंटने के समान है इसलिए हम इसका विरोध करते हैं।

दूसरी बात यह है कि जैसे सता पक्ष के भी और प्रतिपक्ष के भी सभी माननीय सदस्यों ने धारा 32 में जो इन्होंने संशोधन किया है खास तौर से पहले इसका काम स्टेट इलैक्शन कमीशन को दिया गया था। आज स्टेट इलैक्शन कमीशन की जगह इन्होंने स्टेट इलैक्शन अथोरिटी बना दी। मैं समझता हूं कि पूरे देश में कहीं भी चुनावों के लिए कोई प्राधिकार कमेटी नहीं बनती, अथोरिटी नहीं बनती। अथोरिटी जैसे जे.डी.ए. है, जयपुर डवलपमेन्ट अथोरिटी चुनावों के लिए कोई अथोरिटी नहीं है इसलिए कई बार कोई संशोधन इस सदन में जब बी.जे.पी. का राज था और हम लोग प्रतिपक्ष में थे चार बिलों को हमने थर्ड स्टेज के ऊपर संशोधित करवाया और हमारी बात मानी गई इसलिए इसमें जिद नहीं करके या तो यह काम पहले की तरह स्टेट इलैक्शन कमीशन को सौंपा जाए और स्टेट इलैक्शन कमीशन को यदि नहीं सौंपते हैं तो स्टेट को-आपरेटिव इलैक्शन कमीशन की स्थापना की जाए ताकि राज्य सरकार कमीशन के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव करा सके।

इसके अलावा, यह मेरा सुझाव है कि जब आप कोई भी बिल में संशोधन लेकर आयें तो उसके बारे में विचार करें कि किस तरीके से दूसरे बिल चल रहे हैं। हमारी पंचायत एक्ट में, नगर परिषदों के एक्ट में यह सब बातें आ गई कि हमने वहां महिलाओं को आरक्षण किया है, हमने वहां ओ.बी.सी. का आरक्षण किया है, एस.सी., एस.टी. का आरक्षण किया है। इन सब बातों को भी इस एक्ट में सम्मिलित करना चाहिए ताकि यह फुल प्रूफ एक्ट बन सके-और इसका लाभ सोशियल जस्टिस के आधार पर सभी को मिल सके।

जहां तक सहकारी संस्थाओं के चुनाव की बात है, मैंने कहा समय पर चुनाव होने चाहिए, कम से कम हर तीन साल या पांच साल की अवधि बनाकर इन को-आपरेटिव संस्थाओं के चुनाव निश्चित रूप से समय पर होने

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

चाहिए, उसमें यह प्रावधान होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहकर मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। किसी भी एक्ट में खर्चा जो है वह संस्थाओं के ऊपर नहीं लादा जाता है, यह खर्चा तो मैं समझता हूं कि या तो अपेक्स बाडी पर डालना चाहिए या सरकार को स्वयं वहन करना चाहिए। को-आपरेटिव सोसायटी से यदि आप खर्चा लेंगे तो फिर चुनाव का मतलब क्या होगा ? संस्था अपना चुनाव करायें और चुनाव खर्चे को वो वहन करें, मैं समझता हूं कि ऐसा प्रावधान हमने पहली बार देखा है इसलिए इस चुनाव के खर्चे को स्टेट गवर्नमेन्ट वियर करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात उठायी थी कि माननीय राष्ट्रपति जी की अनुमति इस बिल में जो संशोधन कर रहे हैं उसके लिए लेनी चाहिए थी और इसमें राय नहीं ली गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान का आर्टिकल 31(ए) तभी लागू होता है जब अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा हो। इस विधेयक का कोई भी खण्ड मूल अधिकारों के विरूद्ध नहीं है इसलिए इसमें मैं राष्ट्रपति महोदय की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं समझता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने यह कहा कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तब राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ही मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये किसने लिखकर दे दिया ?

डा. एन.एस. गुर्जर : ईवन पार्लियामेन्ट नहीं कर सकती। पार्लियामेन्ट भी नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आपको किसने लिखकर के दे दिया मंत्री महोदय ? मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि फण्डामेन्टल राइट्स का किसी बिल के जरिये उल्लंघन हो रहा है....

श्री हेमाराम चौधरी : यह अधिकारी आपको फंसाना चाहते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रभावित करता हो यह कहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रभावित भी नहीं हो सकता। आप क्या कह रहे हैं माननीय विधि मंत्री महोदय ? आपको किसने लिखकर के दे दिया ?

डा. एन.एस. गुर्जर : ये अधिकारी क्या जवाब दिलवा रहे हैं आपसे यहां हाउस में ? यह आपसे किसने जवाब दिलवाया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आपसे किसने जवाब दिलवाया ? यह तो बिलकुल बेकार का, मतलब जिसको जानकारी नहीं हो, जानकारी के अभाव में ऐसा जवाब मंत्रीजी से दिलवा देते हैं, बड़े खेद की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं बहुत बड़े वकील रहे हैं, मंत्री महोदय का यह कहना कि अगर किसी मूल अधिकारों का उल्लघंन हो रहा है तब राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी की आवश्यकता है, बड़े खेद की बात है, इस प्रकार का जवाब माननीय मंत्री महोदय दे रहे हैं यहां पर।

डा. एन.एस. गुर्जर : अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो क्या राष्ट्रपति उसका कंसेंट दे सकता है ? दे ही नहीं सकता। वो, यही मैं कह रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नो, मैं भी यही कह रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह इमरजेंसी लगाई थी तब मूल अधिकारों का हनन हुआ था।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, अगर कोई गलती सार्वजनिक रूप से मंत्रीजी से हो जाती है तो स्वीकार कर लेना चाहिए, कोई गलत बात बोल गये हों तो यह बहस का मुद्दा नहीं है। यह आपकी समझ से बाहर है, कानूनी मुद्दा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या गलती है उसमें ? ऐसा है आपकी समझ में क्या है यह मैं जानता हूं। आप अपना ध्यान रखो तो ज्यादा अच्छा है।

श्री हेमाराम चौधरी : कपड़ा फाड़ना हो तो ये कर सकते हैं। यह काम इनके वश में है।

श्री मदन दिलावर : इंजीनियर हूं इंजीनियर। मैं इंजीनियर हूं, कपड़ा फाड़ना भी जानता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राधिकार, अथोरिटी के बारे में भी माननीय सदस्य ने कहा है कि यह शब्द क्यों लाया गया है। क्योंकि आयोग यहां पंचायती राज के चुनाव भी करातें हैं, एम.एल.ए., एम.पीज. के चुनाव भी कराते हैं। वैसे इसका आयोग भी नाम रहे तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन थोड़ा सा लोगों को भेद करने में, अन्तर करने में ठीक रहेगा इसलिए इसके लिए यह प्राधिकरण शब्द का, अथोरिटी का उपयोग यहां किया गया है। यह अथोरिटी शब्द लिखाना कोई प्रतिबंधित भी नहीं है क्योंकि आप सब माननीय सदस्य जानते हैं, आपकी कांग्रेस पार्टी की जो चुनाव कमेटी है, चुनाव कराने के लिए जो आपने अथोरिटी तय की है उसका नाम भी आपने इलैक्शन अथोरिटी लिखा हुआ है जिसे आप जानते हैं, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें हैं। अथोरिटी रख रखा है।

श्री जुबेर खान : वह पार्टी है इसलिए उसमें अथोरिटी नाम रखा है। उसको संवैधानिक दर्जा नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं है, इलैक्शन तो इलैक्शन है।

श्री मदन दिलावर : हम उसमें रखना नहीं चाहते, मेरा तो एक ही है कि सामान्य लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाए। अथोरिटी रखना प्रतिबंधित नहीं है लेकिन जन सामान्य के चुनाव आयोग कहते ही ध्यान आ जाए कि यह पंचायती राज का या विधान सभा, लोक सभा का चुनाव कराना है और जब अथोरिटी कहेंगे, इलैक्शन अथोरिटी कहेंगे तो ध्यान आ जाए कि को-आपरेटिव से सम्बन्धित बात की जा रही है इसलिए यह थोड़ा-सा अन्तर रखने के लिए किया जाता है।

श्री हरिमोहन शर्मा : इलैक्शन कमीशन है पंचायतों का, नगरपालिकाओं का है और एक ही भूलते क्या हम ? यह भी याद रखते।

श्री बृजकिशोर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने यह कहा कि यह पार्टी का चुनाव है तो सहकारी समितियां कोई कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की है क्या जो अथोरिटी की बात कह रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : पार्टियों के चुनाव भी संविधान के अन्तर्गत ही होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेट को-आपरेटिव अथोरिटी या स्टेट को-आपरेटिव इलैक्शन कमीशन कह देंगे तो कोई न कोई आफिसर तो अपाइण्ट होगा ही।

It will make no difference.

इसमें क्या फर्क पड़ेगा तो यह कोई any officer can be appointed as a commission or a authority.

श्री हरिमोहन शर्मा : यह कमीशन शब्द के स्थान पर अथोरिटी शब्द क्यों लाये, यह आप समझा दें।

श्री हेमाराम चौधरी : यह अलग से आप अथोरिटी बनाओगे तो इसके ऊपर कितना पैसा खर्च होगा और वो पैसा आप को-आपरेटिव सोसायटी से वसूल करेंगे जबकि स्टेट इलैक्शन कमीश्न के पास में पंचायती राज और स्वायत्तशासी संस्थाओं के पांच साल में एक बार चुनाव करवाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। उसमें तो सरकार का कितना खर्चा हो रहा है और यह अलग से खर्चा करने के लिए अलग से अथोरिटी बना रहे हो। जनता का सारा पैसा इन आयोगों और कमीशनों में, अथोरिटी में ही खर्च करेंगे या विकास के नाम पर भी कुछ खर्च करोगे ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री घनश्याम तिवाड़ी (संस्कृत शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोगेश्वर गर्ग। श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 पेश किया है इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट, 1998 में पास हो गया, आज इसको छह साल हो गये और माननीय मंत्री महोदय, आपने तो कई बार कहा है कि भारत की संस्कृत मातृजुबान है, सबसे पुरानी जुबान है। आपने विश्वविद्यालय बना दिया। अगर संस्कृत के प्रति भी सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमने योजना का आकार बहुत बढ़ा दिया, मुख्य मंत्रीजी बार-बार कहते हैं कि धन की कमी नहीं आने दी जाएगी तो फिर राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए आप उधार के कर्मचारी, अधिकारी क्यों ला रहे हैं ? आप पैसे दीजिये इस विश्वविद्यालय को, आप अपनी नियुक्ति कराइये। जिस व्यक्ति की या जिस अधिकारी की या जिस शिक्षक की एक बैकग्राउण्ड और उसके अन्दर संस्कार संस्कृत के होंगे तो उसका संस्कृत के प्रति दृष्टिकोण अच्छा होगा, उसमें मन लगाकर के काम करेगा और आप किसी अंग्रेजी के प्रोफेसर को या किसी अधिकारी को जिसका संस्कृत के प्रति लगाव नहीं है, ज्ञान नहीं है, अगर उसको प्रतिनियुक्ति पर संस्कृत विश्वविद्यालय भेज देंगे तो टाइम पास करेगा और तनख्वाह लेगा, टी.ए., डी.ए. उठायेगा, उसकी मानसिकता संस्कृत को फैलाने की नहीं रहेगी। जिस उद्देश्य से 1998 में यह एक्ट लाये थे कि राजस्थान में एक संस्कृत विश्वविद्यालय बने और संस्कृति का प्रचार-प्रसार हो संस्कृत भाषा जो यहां की मूल भाषा है, हमारे भारतवर्ष में सही मायने में उसकी जानकारी हो सके, उसके भी विद्वान बन सकें। अगर आप मानते हैं आप संस्कृत भाषा के प्रति संवेदनशील हैं तो आपको यह एक्ट लाने की जरूरत ही नहीं थी। आप तो लाते, बजट में प्रावधान करते कि इतने सौ करोड़ रूपये

(श्री जुबेर खान)

संस्कृत विश्वविद्यालय को बनाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, पूरे हिन्दुस्तान में एक ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय बनाने के लिए हम प्रावधान कर रहे हैं तब तो सही होता। मेरा आपसे निवेदन है कि नियुक्तियां-प्रतिनियुक्तियां छोडिये और संस्कृत से जुड़े हुए लोगों को इसमें लगाइये और आपको जरूरत पड़े तो अपाइण्टमेन्ट के मार्फत लगाइये। मेरा यही निवेदन है कि आप संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ में खिलवाड़ मत कीजिये, जिस मूल्य और उद्देश्यों के लिए इसकी स्थापना की गई है, इसके सदुद्देश्य को पूरा करिये माननीय मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप महज औपचारिकता पूरी करने के लिए अगर संस्कृत विश्वविद्यालय का संशोधन विधेयक लाकर इतिश्री करना चाहते हैं तो यह अलग बात है। (व्यवधान) आप सुन लो श्लोक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बचपन में पढ़ता था, संसकृत का एक श्लोक सुना रहा हूं, सुनिये नन्दलालजी।

"शैले शैले माणिक्यं, मोतिक्यां न गजे गजे

साध्वो नेहि सर्वते, चन्दने न वने वने।"

(व्यवधान) और सुन लो। और सुना देता हूं। एक और पढ़ा था मैंने गृह त्यागो विद्यार्थिये पंचलक्षम्।"

''काक चेष्टो बको ध्यानम्

स्वल्पनिद्रा च अल्पाहारो

अब आपके पास बचा कुछ ? अब आपके पास कुछ है ? (व्यवधान)

कौए की जैसी चेष्टा, बगुले के जैसे ध्यान......

श्री मदन दिलावर : "कालो गच्छति धीमताम्, निद्राया कलहेनवा....."

मोहम्मद माहिर आजाद : सहकारिता वाले में तो आपकी बोलती बन्द हो गई थी और अब इसमें कहां संस्कृत में अड़ रहे हो। आपको मैं एक अरबी की आयत पढ़कर सुना देता हूं, आप एक शास्त्र सुनाओ।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

"आरजू बिल्लाही मिनश शैयता निर्रजी-बिस्मिल्ला हिर्रहमान

निर्रहीम- कुल हो बल्लाहो अहद अल्लाहुस्तमद लम यलिद बलद

यूलद - बलम यकूल लहू कुफोवन अहद-"

आप सुनाइये एक लाइन। सुनाइये एक लाइन। मेरे से तो संस्कृत की सुन ली, अरबी की सुनाऊं। अगर आपका ज्ञान हो तो सुनाइये आप, कोई भी सुना दीजिये। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तो आप लोग नहीं निकल पायेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : कितने ही विद्वान हैं, कितने विद्वान हैं, सुनवाइये। आपने मुझसे संस्कृत का श्लोक सुन लिया, आप अरबी का, उर्दू का सुना दीजिये एक लाइन। (व्यवधान) पूरा सुना दें, पूरा सत्ता पक्ष सुना दें। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : हमारे पास बहुत है, बहुत हैं हमारे पास। सुनाये क्या।

मोहम्मद माहिर आजाद : सुनाइये। एक ही सुना दें। मेरी चेतावनी है कि एक भी अगर सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति....

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी : मैं सुनाता हूं अरबी। "चूकार अजहमा हीलते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदन वै शमशीर दस्त।"

मोहम्मद माहिर आजाद : यह अरबी नहीं है, फारसी है, यह अरबी नहीं है। (व्यवधान) मैंने चेतावनी दी आपको, संस्कृत का और सुनना है तो और सुना दूं, आप 120 में से कोई भी एक अक्षर जानता हो ? (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुनाता हूं, मैं सुनाता हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अब आप सुनाइये, सुनाइये। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री नन्दलाल बंशीवाल : देखो मियांजी संस्कृत बोल रहे हैं। (व्यवधान) आठवां आश्चर्य हो गया. मियांजी संस्कृत बोल रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ : मैं सुनाता हूं, लाअल्लाह मोहम्मद असूल अल्लाह......

मोहम्मद माहिर आजाद : वाह साहब वाह, बहुत बढिया। अब आप मुसलमान हो गये, कलमा पढ़ लिया तो आपने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री मदन राठौड़ : यह इसलिए सुनाया है कि आपने चुनौती दी थी इसलिए सुनाया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, एक शायर का शेर है, "मस्जिद तो बना दो शव भर में, ईमां की हरारत वालों ने पर मन जो पुराना पाया था, वर्षों में नमाजी हो न सका।" तो आप कायदे-कानून बना दें, संविधान संशोधन कर दें, यह आपकी नीयत को परिलक्षित नहीं करता है। माननीय घनश्याम तिवाड़ी साहब, मैं आपका बड़ा आदर और सम्मान करता हूं, आप विद्वान व्यक्ति हैं इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा है। आप ताज्जुब करेंगे, यह दौसा से आने वाले माननीय सदस्य को बताता हूं, मेरा बच्चा पढ़ता है स्कूल में और आप्शन में पूछा गया कि आप उर्दू और संस्कृत में दोनों में से थर्ड लैंग्वेज में कौनसी भाषा लेंगे ? बच्चे ने मुझसे पूछा, डैडी, कौनसी लूं ? मैं कहता हूं बेटे, उर्दू तो तू जानता है, संस्कृत और ले ताकि एक भाषा और जान सके। हम इस तरीके की सोच रखने वाले लोग हैं इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं, क्या आप वाकई में राजस्थान के अन्दर संस्कृत को बढ़ावा देना चाहते है और जो हमारे हिन्दुस्तान की एक मूल जबान है, एक भाषा है तो मेरा निवेदन है कि आप इस तरीके से इतिश्री और औपचारिकता मत पूरी कीजिये. जल्दबाजी में मत लाइये। अभी आप इसको जनमत जानने के लिए छोड़ दीजिये और पूरी डीम्ड यूनिवर्सिटी मत बनाइये। आप खाली औपचारिकता पूरी मत कीजिये। एक बढ़िया संस्कृत विश्वविद्यालय राजस्थान में बने जो राजस्थान ही नहीं उत्तर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

भारत में दूसरी जगह के लोग हैं, वे भी यहां शिक्षा अर्जित करने आयें, राजस्थान का नाम बने, इसलिए मैं आपके इस संशोधन में यह निवदेन करना चाहता हूं कि आप इसको जनमत जानने के लिए छोड़ दें और नैक्स्ट सात महीने बाद जब दुबारा बजट सैशन हो, उसमें पूरे बजट का प्रावधान करके राजस्थान में एक आदर्श संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना आप करें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा (अनुपस्थित)। श्री संयम लोढ़ा (अनुपस्थित), श्री एन.एस. गुर्जर।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, ये बाकी चीज तो इसमें ठीक है, जो कर्मचारी आपके पास कहीं से सरप्लस हो जायेंगे, किसी यूनिवर्सिटी से आप लायेंगे, दूसरे सरप्लस हो जायेंगे। यह जो संशोधन लाया गया है, एक्ट 37 और 38 सैक्शन्स के बीच में यह एक नया 37-ए जोड़कर लाया गया है, जिसमें कहा गया है, ट्रान्सफर आप मैन पावर और इसमें लिखा है -

"Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Chanceller may, in order to give effect to the provisions of this Act, on the advice of the State Government, ..."

यह तो ठीक है "...make such orders as are deemed necessary, for the transfer of any officer,...."

यह तो ठीक है आफिसर के लिए। टीचर्स, मेरा आब्जेक्शन तो यही है कि टीचर में, अब ये टीचर्स आप कहां से उधार लेकर आयेंगे यूनिवर्सिटी के लिए, यह मेरी समझ में नहीं आया और कितने समय पर लायेंगे उनको, क्या परमानेन्ट टीचर्स नहीं लगायेंगे ? एम्प्लोयी, यह भी ठीक है और सर्वेन्ट, यह भी ठीक है। "...from any other University of which he is the Chanceller to the University constituted under this Act on such terms and conditions as may be specified in the order."

अब यह टीचर्स को आप साथ कहां स लायेंगे तो जहां से लायेंगे, वहां खाली हो जायेंगे इसलिए यह हमको आप मंत्री महोदय, समझा दें कि टीचर्स

(डा. एन.एस. गुर्जर)

शब्द इसमें जोड़ा गया है, यह किस उद्देश्य से जोड़ा गया है, यह थोडा-सा आप समझा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रशेखर बैद (अनुपस्थित) डा. सी.पी. जोशी।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी भी यूनिवर्सिटी के जो फंक्शन हैं, उनको एनकरेज करने का प्रस्ताव लाया गया है। जब भी यूनिवर्सिटी इनकोरपारेट होती है, यूनिवर्सिटी का एक्ट बनता है तो उसमें हर चीज डिफाइन है कि चांसलर का क्या रोल है, वाइस चांसलर का रोल क्या है ? यूनिवर्सिटी की अथोरिटी है, उनके फंक्शन क्या हैं ? मैं समझता हूं कि जितने हमने राजस्थान में पास किये यूनिवर्सिटी के बिल, आज दिन भी जितनी यूनिवर्सिटी बनी हैं, उसमें चांसलर के फंक्शन को डिफाइन है बाई-एण्ड-एनलाज में, मैं कोट करना चाहता हूं, चांसलर के फंक्शन क्या-क्या हो सकते हैं -

"The Governor of the State of Rajasthan shall be the Chancellor or the University. The Chancellor shall, by virtue of his Office, be the Head of the University. The Chancellor will present/shall preside over the convocation of the University....."

पावर आप द चांसलर, उसमें कहीं भी नहीं लिख रखा है, पावर आफ चांसलर आप देख लें, अपाइण्टमेन्ट करने का अधिकार चांसलर को नहीं है। यूनिवर्सिटी एक्ट के अन्तर्गत अपाइण्टमेन्ट करने का अधिकार सिंडीकेट को है, बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट को है और जितनी भी हमारी स्टेट्युअरी बोडी बनी हुई हैं, उसमें वाइस चांसलर प्रिसाइड करते हैं मीटिंग, उन्हीं को अपाइंमेन्ट करने का अधिकार है। हमारे यहां राजस्थान में एक एक्ट 1974 में पास किया हुआ है, सारी यूनिवर्सिटी पर लागू हैं जिसके अन्तर्गत यूनिवर्सिटी के अन्दर कोई भी टीचर छह महीने से ज्यादा नियुक्त नहीं हो सकता। यह एक्ट सब जगह लागू है आज की तारीख में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय. यदि हमें यूनिवर्सिटी क्रिएट करनी थी तो कोई जरूरी नहीं था कि हम टीचर्स की नियुक्ति क सम्बन्ध में उसमें कुछ प्रोविजन नहीं करते। पहली बार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चांसलर

(डा. सी.पी. जोशी)

के पावर को, क्या पावर दिये जा रहे हैं, चांसलर के पावर्स में माननीय उपाध्यक्ष महोदय-

"Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Chanceller may, in order to give effect to the provisions of this Act, on the advice of the State Government, ..."

सारे विश्वविद्यालयों के अन्दर स्टेट गवर्नमेन्ट का मंत्री महोदय, कोई रोल नहीं है। एक बार विश्वविद्यालय का एक्ट बन जाये, विश्वविद्यालय का एक्ट बनने के बाद, विश्वविद्यालय के एक्ट के अन्दर जो पावर डेलीगेट कर रखी है, उसमें स्टेट गवर्नमेन्ट का कोई इन्टरपेंशन नहीं है। इसमें केवल मात्र स्टेट गवर्नमेन्ट की रिक्वेस्ट पर चांसलर इंसपैकशन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेन्ट कोई नहीं कर सकती है। आपको याद होगा मंत्री महोदय, तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत के राज में राजस्थान यूनिवर्सिटी के उपकुलपति के सम्बनध में चर्चा हुई, बहुत लम्बी चर्चा हुई सदन के अन्दर, चर्चा होने के बाद मामला चांसलर के पास गया और आज दिन तक उसमें आपको मालूम है कि क्या फैसला हुआ। उस समय भी यह कहा गया कि यूनिवर्सिटी का एक्ट बना हुआ है, कानून बनाया जा सकता है विधान सभा में, कानून बनने के बाद जो पावर डेलीगेट किया गया है उस पावर को डेलीगेट करने के सम्बन्ध में हम कोई चर्चा नहीं कर सकते। आप मुझे बतायें कि चांसलर को यदि हम पावर दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेन्ट की रिकमंडेशन पर चासलर टीचर को अपाइण्ट करेगा, आफिसर को अपाइण्ट, यह आपने वर्ड टीचर लिखा है, आप इसमें पढ़ लीजिये-

"... on the advice of the State Government, make such orders as are deemed necessary, for transfer of any officer, teacher, employee or servant ..."

चारों केटेगरी आपने ली है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1947, सबसे पुरानी यूनिर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उससे लगाकर हमने इतनी यूनिवर्सिटी बना दी, कोटा

(डा. सी.पी. जोशी)

यूनिवर्सिटी बना दी, बीकानेर यूनिवर्सिटी बना दी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना दी, ला यूनिवर्सिटी बना दी, मुझे एक भी यूनिवर्सिटी के एक्ट में प्रोवीजन बतायें जहां चांसलर को यह पावर दी गई है कि चांसलर यह काम करेगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय यह मान सकते हैं कि राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, आप संस्कृत विश्वविद्यालय लगाना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय, संस्कृत के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कहां से आयेगा, राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है ? या तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में संस्कृत डिपार्टमेन्ट है या जोधपुर में संस्कृत डिपार्टमेन्ट है या उदयपुर में डिपार्टमेन्ट है। तो प्रोफेसर तो आप ले सकते हैं, उन्हीं यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, बाकी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी में कहीं आपके प्रोफेसर नहीं हैं। जितने आपके गवर्नमेन्ट कालेज हैं वहां गवर्नमेन्ट कालेज में कहीं भी आपके प्रोफेसर नहीं हैं, रीडर नहीं हैं। तो यूनिवर्सिटी चलाने में सबसे बड़ा इम्पोर्टेन्ट काम होता है, या तो रिसर्च का काम होता है या एक्सटेंशन का काम होता है या टीचिंग का काम होता है। यदि संस्कृत विश्वविद्यालय को एनरिच करना है, टीचर उपलब्ध नहीं है तो हम केवल मात्र अपना कंसलटेशन करें, रिसर्च का काम करें केवल। रिसर्च का काम करने के लिए जितने आपके विद्वान आदमी उपलब्ध हैं उनको आप ले लें तो समझ में आता है। लेकिन आप यह विश्वविद्यालय से आदमी लाना चाहते हैं, मैं यह जानकारी लेना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय से कहां संस्कृत के आदमी उपलब्ध होंगे, तो यह बताया जाय कि कहां सरप्लस आदमी उपलब्ध हैं, कहां चार-चार प्रोफेसर उपलब्ध हैं, कहां पर रीडर उपलब्ध हैं, उनको वहां की सर्विसेज काम में नहीं ले रही है और हम संस्कृत विश्वविद्यालय में काम लेंगे।

मैं सबसे पहले निवदेन करना चाहता हूं कि यह एक्ट प्राइमाफेसिया चांसलर की पावर को करटेल करता है, यह एक्ट प्राइमाफेसिया विश्वविद्यालय की एक्ट के पावर को स्टेट गवर्नमेन्ट को इन्टरवेंशन करने का मौका देता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप हेस्ट में, आपकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं हो, तो समझ में आता है लेकिन इस वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के नाम पर यदि आप इसमें टीचर्स को रिक्रूट करेंगे, लेंगे माननीय

डा. सी.पी. जोशी

उपाध्यक्ष महोदय, तो मुझे बतायें, उनको परमानेन्ट आब्जर्व करेंगे या टेम्परेरी लेंगे, आपने यह भी नहीं लिखा है। एक टीचर यहां पर आ जायेगा, वह परमानेन्ट होगा या टेम्परेरी होगा ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवदेन करना चाहता हूं, आप भी उस टेम्प्टेशन को नहीं रोक पायेंगे, लोग यहां पर आ जायेंगे, बैकडोर की एंट्री होगी, इनकाम्पीटेन्ट आदमी प्रोफेसर बन जायेंगे, इनकाम्पीटेन्ट आदमी रीडर बन जायेंगे और संस्कृत विश्वविद्यालय की जो आपके मन में कल्पना है कि एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी बने, वह विश्वविद्यालय नहीं बन पायेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको संस्कृत विश्वविद्यालय को यदि एनरिच करना है, इस क्लाज के वनिस्पत आप नेशनल लेवल का एडवर्टाइजमेन्ट करके बड़े जो विद्यमान हैं संस्कृत के, उनको आप यहां लाकर उनका एम्पलाई करिये, उससे आपका संस्कृत का विभाग एनरिचमेन्ट होगा। टू बिगिन विद, चार-पांच साल तक आप टीचिंग का काम मत करिये, चार-पांच साल तक केवल रिसर्च का काम करिये, विद्वान आदमी को लाकर संस्कृत का रिसर्च का काम करवायें जिससे विश्वविद्यालय की गरिमा बने, विश्वविद्यालय का नाम बने और टीचिंग का काम हम बाद में कर सकें। अन्यथा आप टीचर को यदि इसमें एम्पलाई लेंगे तो आपके एकेडेमिक एक्सीलेन्स के साथ कम्प्रोमाइज होगा। आपके पास यदि स्टाफ नहीं है, आप एम्पलाई को ले सकते हैं, सरकारी अधिकारी को ले सकते हैं, एल.डी.सी., यू.डी.सी. को आप ट्रान्सफर करें, समझ में आता है, लेकिन टीचर को लेने का मतलब आप जो राजस्थान के सभी यूनिवर्सिटीज के एक्ट में जो प्रोवीजन है उसका टोटल वायलेशन है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राजस्थान यूनिवर्सिटीज का एक्ट जो 1974 है, जो आज भी एक्जिस्ट कर रहा है, इस 1974 के एक्ट के अन्तर्गत छह माह में ज्यादा अपाइण्टमेन्ट नहीं किया जा सकता है, क्या इसका वायलेशन इसमें नहीं होगा। यह भी आप कृपया स्पष्ट करें।

इसलिए फिर निवेदन करना चाहता हूं यह आपका जो बिल है वह एक पापुलिस्ट डिमाण्ड को पूरा करने के लिए हेस्ट में सरकारी नियमों के अन्तर्गत

(डा. सी.पी. जोशी)

लाया गया प्रयास है, इसमें विश्वविद्यालय की सारी आटोनामी पर इन्टफरेंस हैं, स्टेट गवर्नमेन्ट का डाइरेक्ट इसमें इंटरवेंशन बढ़ेगा और आने वाले समय में ऐसे लोग जो सिफारिश करके, यदि कोई आदमी बांसवाड़ा में लेक्चरर है गवर्नमेन्ट कालेज का, वह लेक्चरर बनकर संस्कृत कालेज में यहां पर आ जायेगा, एक आदमी झालावाड़ के लेक्चरर बनकर यहां पर आ जायेगा। फिर वही आदमी रीडर बनेगा, वहीं आदमी प्रोफेसर बनेगा, तो जो आदमी, आप संस्कृत यूनिवर्सिटी एनरिच करना चाहते हैं वह यूनिवर्सिटी आपकी बिलकुल कालेप्स हो जायेगी। एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने की आपके मन में मंशा है, इस यूनिवर्सिटी का लाभ लोगों को मिल सके इसलिए इस सरकारी तन्त्र के वनिस्पत आप इसको नये ढंग से सोचकर यह व्यवस्था करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा।

बाकी ये जो प्रोवीजन आप ला रहे हैं ट्रांसफर आफ मेन पावर, यह विश्वविद्यालय के किसी भी एक्ट में, मुझे खुशी होगी, हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, बीकानेर यूनिवर्सिटी बनाई, हमने कोटा यूनिवर्सिटी बनाई है, हमने अजमेर यूनिवर्सिटी बनाई है, हमने उदयपुर यूनिवर्सिटी बनाई है, हमने जितनी यूनिवर्सिटी बनाई है, किसी एक भी यूनिवर्सिटी के एक्ट में यह प्रोवीजन बता दीजिये कि मेन पांवर को ट्रांसफर करने का प्रोविजन हमने रखा है, तो समझ में आता है। हम केवल मात्र एक पोपुलिस्टिक बात को पूरा करने के लिए क्योंकि मंत्रीजी ने कह दिया है कि मैं जून में यह कर दूंगा, जुलाई में यह कर दूंगा, संस्कृत विश्वविद्यालय बना दूंगा, यही आपकी मंशा है और बाई-पास करना है तो निश्चित तौर पर आप सरकार हैं, आपका बहुमत है, आप कर सकते हैं, लेकिन यह सारे नियम और कानून के विपरीत है।

फिर मैं निवदेन करना चाहता हूं कि आप यूनिवर्सिटी बनाकर डेलीगेट कर सकते हैं पावर, यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी बन गई है उसके सारे क्लाज में यह चांसलर कौन होगा; वाइस चांसलर कौन होगा, सिंडीकेट क्या होगी, बोर्ड आफ मेनेजमेन्ट क्या होगा, फेकल्टी क्या होगी, एकेडेमिक कौंसिल क्या होगा, हर फंक्शन डिफाइन किया वहां पर, उस सब की पावर को आप एक क्लाज में रखकर अपने हाथ में लेना चाहते हैं, वह टोटल वायलेशन होगा सवोर्डिनेट जो हमने रूल्स और नियम-कानून बनाये हैं।

(डा. सी.पी. जोशी)

इसलिए फिर निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय की आप बहुमत के आधार पर इसको पास कराते हैं, तो यह टोटल विश्वविद्यालय की आटोनामी में इन्टरफरेंस है। यदि आप बहुमत के आधार पर इसको पास कराते हैं तो टोटल एकेडेमिक एक्सीलेंस के साथ कम्प्रोमाइज है। यदि आप इसी को पूरा पास कराते हैं उपाध्यक्ष महोदय, तो जो राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाकर एक अच्छा कदम बढ़ाने का काम किया है, उस कदम को पीछे हटाकर यह सरकार उस काम को पीछे हटायेगी, यह मेरा निवेदन है।

कम से कम माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी, शिक्षा मंत्री, संस्कृत के विद्वान, पता नहीं, हम तो आपसे और आशा करते हैं, आपकी विद्वता का लाभ यहां के लोगों को मिलना चाहिए, यहां के विश्वविद्यालय को मिलना चाहिए, आपकी विद्वता का लाभ एक ऐसे क़ानून बनाकर अपने हाथ में मत लीजिये, स्टेट गवर्नमेन्ट की रिकमंडेशन पर चांसलर का जो काम है, चांसलर अपाइंटिंग अथारिटी हो जायेगा तो विश्वविद्यालय में कोई भी चीज बढ़ेगी नहीं, इस चांसलर के पास अपील का अधिकार होता है, चांसलर यदि अपाइण्टमेन्ट अथारिटी हो गया, मुझे जवाब दीजिये माननीय मंत्रीजी, यदि खोटा अपाइण्टमेन्ट हो गया तो चांसलर के अपाइण्टमेन्ट का अधिकार किसके पास जायेगा, किसके पास अपील करने जायेगा।

आज यह प्रोवीजन है कि सिंडीकेट में यदि गलत अपाइण्टमेन्ट हो जाता है तो उसकी अपील करने का अधिकार वाइस चांसलर को, चांसलर के पास है। यदि यूनिवर्सिटी में कोई गड़बड हो रही है, इंसपेक्शन कराने का काम चांसलर के पास है, यह चांसलर से ही आप अपाइण्टमेन्ट करवा रहे हैं तो चांसलर यदि खोटा अपाइण्टमेन्ट कर देगा, गतल काम कर देगा तो चांसलर की अथारिटी को अपील करने का अधिकार किसके पास होगा ? यह भी प्रोवीजन मुझे बता दीजिये जिससे की ठीक ढंग से हम व्यवस्था कर सकें।

मैं समझता हूं कि हेस्ट में लाकर हम इस तरह की बात करेंगे जिससे विश्वविद्यालय के बनाने की जो आपकी कल्पना है वह साकार नहीं होगी और

(डा. सी.पी. जोशी)

यह पहला एक रॉंग प्रिसिंडेन्ट शुरू हो जायेगा, एक बार आपने संस्कृत विश्वविद्यालय में शुरू कर दिया, आने वाले समय में सभी विश्वविद्यालयों में आप इस तरह के कदम उठायेंगे तो विश्वविद्यालय बनाने का हमारा जो कंसेप्ट है वह कालेप्स हो जायेगा।

यह बात सही है कि विश्वविद्यायलों में टीचर्स की कमी है, विश्वविद्यालयों में रिक्रूटमेन्ट होना चाहिए, फेकल्टी अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च का काम अच्छा होना चाहिए, वह काम सरकार आगे बढ़ाकर कराये तो अच्छा होगा और यह ट्रान्सफर करने के नाम पर यदि विश्वविद्यालय हम चला रहे हैं तो इसको जितना जल्दी बाइन्ड-अप करें, उतना हायर एजुकेशन में आपका बहुत बड़ा कांट्रीब्यूशन होगा, बाकी यह सरकारी डिपार्टमेन्ट के आधार पर यदि संस्कृत विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय नहीं खुलेगा, एक डिपाटेमेन्ट खुल जायेगा और डिपार्टमेन्ट खुलने की मंशा विश्वविद्यालय की नहीं थी।

इसलिए मैं आपसे सानुरोध निवदेन करना चाहता हूं कि संस्कृत विश्वविद्यालय हो, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हो, और दूसरे विश्वविद्यालय हों, उनके एक्ट के प्रोवीजन के साथ कम्प्रोमाइज नहीं करें। हमने तो एक कदम आगे बढ़कर काम किया जो आपको करना चाहिए। हमने ला यूनिवर्सिटी बनाई जोधपुर के अन्दर, पहली बार सरकार ने यह पावर दी कि उसके चांसलर का अपाइण्टमेन्ट हाईकोर्ट का जज करेगा, चीफ जस्टिस करेगा। सरकार का कोई उसमें इंटरफरेंस नहीं रहेगा। आज जोधपुर ला यूनिवर्सिटी हिन्दुस्तान की बेस्ट ला यूनिवर्सिटी इसलिए बनी कि उसमें सरकार का कोई इन्टरफरेंस नहीं है। यह एक उदाहरण प्रस्तुत किया है पिछली सरकार ने, आप भी संस्कृत विश्वविद्यालय को एक्सीलेन्ट विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं तो आगे बढ़कर आप पूरे अधिकार दीजिये, स्टेट गवर्नमेन्ट का इंटरवेंशन नहीं होगा, चांसलर का इंटरवेंशन नहीं होगा, संस्कृत के विद्वान आदमी हैं वह खुद सलेक्शन करेंगे, आदमियों को लायेंगे और काम करायेंगे तो लोग कह सकेंगे कि संस्कृत यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनी तब तो एक नया काम होगा और एक सरकारी डिपार्टमेन्ट की तरह जो आदमी रोटन है, पन्द्रह साल, बीस साल पहले

(डा. सी.पी. जोशी)

कहीं एम.ए. करके बैठा हुआ है उनको लेकर यदि विश्वविद्यालय चलाना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय केवल मात्र कमरे बनाने से, विश्वविद्यालय केवल मात्र वहां बिल्डिंग बनाने से, विश्वविद्यालय केवल मात्र वहां ट्रान्सफर के आर्डर करने से, नौकरी लगाने से विश्वविद्यायल नहीं बनता है, इस विश्वविद्यालय को बनाने की आपकी महती जिम्मेदारी आई है, आपमें क्षमता है, इस क्षमता का उपयोग लें, नहीं तो आने वाली पोस्टेरिटी यह कहेगी कि संस्कृत विश्वविद्यालय को डुबोने का काम किसी ने किया तो विद्वान साथी घनश्यामजी तिवाड़ी ने किया, कम से कम इसके साथ अपने को नहीं जोड़ें, यह मैं आपसे सानुरोध प्रार्थना करना चाहता हूं।

इसको हेस्ट में नहीं लायें और आप इसको देख लें। यह चांसलर का अपाइण्टमेन्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेन्ट से कर रहे हैं, यह यूनिवर्सिटी बनाने का टोटल वायलेशन है। किसी भी विश्वविद्यालय में, हिन्दुस्तान को उठाकर देख लें, कहीं भी विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी एक्ट में इस तरह का प्रोवीजन नहीं किया है जो प्रोवीजन हम करना चाहते हैं।

मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, इसमें आप कोई अपना इगो न बनायें, लेकिन यह प्रोवीजन रेट्रोग्रेटिव प्रोवीजन है, यह प्रोवीजन यूनिवर्सिटी को एनरिच करने का प्रोवीजन नहीं है, इस बारे में आप निश्चित तौर पर बतायें कि राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी में प्रोवीजन है, कहां पर चांसलर को यह अधिकार दिया गया है। यदि हम चांसलर को ही एक सरकारी अधिकारी बना देंगे, हैड आफ डिपार्टमेन्ट बना देंगे तो मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा। मेहरबानी करके इस संस्कृत विश्वविद्यालय की गरिमा को बनाये रखने के लिए आपसे आशा करते हैं कि आप इस तरह के नियम और कानून बनाकर सदन में पास नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक इस पर चर्चा नहीं हो, आप पूरा इस पर विचार नहीं कर लें, तब तक इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करें जिससे इसके साथ न्याय हो सके

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, सही बात है, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने जो सुझाव दे दिये हैं उसके बाद में कोई सुझाव बचता नहीं है क्योंकि वह खुद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, रीडर रहे हुए हैं। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी यूनिवर्सिटी से आप टीचर्स यहां इस यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं फिर वहां जगह खाली हो जाऐगी। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों का स्थानान्तरण आप शहर में कर देते हैं वहां एक-एक अध्यापक की स्कूल हैं एक अध्यापक के भरोसे ही मिडिल स्कूल, सैकेण्डरी स्कूल चल रहा है तो इस यूनिवर्सिटी में आप उनको एडजस्ट कर लेंगे उनको व्यक्तिगत लाभ हो जाएगा और उनको तो ओब्लाइज आप कर देंगे लेकिन यूनिवर्सिटी में वो इसके लायक नहीं है संस्कृत जानते ही नहीं हैं। इस यूनिवर्सिटी का भी भला नहीं होगा और वहां भी आप व्यवस्था सारी बिगाड देंगे। ऐसा मत करो। किसी को ओब्लाइज करने के लिए शिक्षा की जो व्यवस्था है इसको बिगाड़ो मत और विद्वान आदमी के हाथ से ही ऐसा काम होगा तो फिर दूसरे लोग क्या कहेंगे आपको ? आप किसी वजह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यह तो आप ही जानते हैं इसके बारे में तो हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहते लेकिन आप इस पर पुनर्विचार करें इसमें कोई हठधर्मिता की बात नहीं है। कोई अगर मान लीजिये नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने, यूनिवर्सिटीज के बारे में इनका ज्यादा अनुभव है इसमें कोई राय नहीं है, इन्होंने सुझाव दिये उन सुझावों पर आप गौर करें तब तो सुझाव देना मतलब रखता है और सुझावों पर आप गौर करो नहीं, आपके पास तो बहुमत है इसलिए आप तो पास करके ही जाएंगे आज, तो फिर करके चले जाना, फिर बाद में आने वाले समय में भावी पीढ़ी आपको याद किस प्रकार से करेगी ? किस प्रकार से आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा ? यह आप भी सोच लेना।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम (धोद) (अनुपस्थित), श्री रामनारायण मीणा (अनुपस्थित), प्रभारी मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। माहिर आजाद साहब ने, जुबेर खान साहब ने, सी.पी. जोशी साहब ने, हेमारामजी ने सबने उदाहरण दिये हैं। यह बहुत ही सामान्य सा एक संशोधन बिल हैं जिसमें केवल टीचर्स के लिए नहीं है। कई बार परीक्षा कराने के लिए और अन्य काम कराने के लिए इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है जो विश्वविद्यालय के प्रशासन को ठीक से चला सकें इसलिए टीचर्स का भी प्रांवधान हैं। पहली बात तो मैं निवेदन करूंगा कि मैं विद्वान बिलकुल नहीं हूं विद्वान होता तो मेरे भी डा. घनश्याम तिवाड़ी लग जाता। विद्वानों में नाम आता है डा. कल्ला साहब का, डा. सी.पी. जोशी, हमारे नाथूसिंह जी, डा. एन.एस. गुर्जर साहब डाक्टर हैं तो जिनके पी.एच.डी. नहीं लगी वो तो विद्वान हो ही नहीं सकते इसलिए मैं विद्वान नहीं हूं लेकिन सामान्य रूप से कहना चाहता हूं माननीय जोशी जी ये सीमिलर प्रोविजन्स जो हैं न अपने एक यही 47 में अजमेर में, कोटा में, बीकानेर में सभी यूनिवर्सिटीज में हैं। मैं पढ़कर भी आपको सुना देता हूं

"Transfer of properties and manpower.-

Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Chancellor may, in order to give effect to the provisions of this Act, on the advice of the State Government, make such orders as are deemed necessary, for transfer of any officer, teacher, employee or servant....."

यह है यूनिवंर्सिटी आफ बीकानेर में। इसी प्रकार का यूनिवर्सिटी आफ कोटा वो ही सब, वो का वो जो कोटा में

"Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Chancellor may, in order to give effect to the provisions of this Act, on the advice of the State Government, make such orders as are deemed necessary, for transfer of....."

डा. सी.पी. जोशी : एक मिनट इन्टरफियर करूंगा मैं। ये जितने उदाहरण दे रहे हैं सब यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी से कारर्व आउट करके बनी हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत हमने अजमेर बनायी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब आप सुन लीजिये। आप सुन लीजिये पहले। मैंने सुना है आपको भी।

डा. सी.पी. जोशी : सिमीलरिटी नहीं है आज जो बात कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने कहा था एक भी हमने बनायी, कोटा, बीकानेर आप दिखा दो। अब मैंने बताया तो बिदक रहे हो।

डा. सी.पी. जोशी : मैं फिर कह रहा हूं, आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या रिपीट कर रहे हैं ?

डा. सी.पी. जोशी : एक भी यूनिवर्सिटी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से कार्ख आउट करके बनायी गयी है उसके अलावा बताइये। एक तो उदयपुर की बीकानेर बनायी गयी। राजस्थान यूनिवर्सिटी की कोटा बनायी, अजमेर बनायी है बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में बनायी हो तो बताइये मेरे को। मैं करेक्ट कर लूंगा अपने आपको। आप बता दीजिये मेरे को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप सुनें तो सही, उछल क्यों रहे हो ?

डा. सी.पी. जोशी : आपकी जो आदत है न कि किसी चीज को करके बाहर निकल जाओ, हमारी ऐसी आदत नहीं है। बिलकुल टू द पाइण्ट आइये। बताइये आप। Give me a single instance.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : टू द पाइण्ट रहा हूं आप सुनिये तो सही।

डा. सी.पी. जोशी : एक उदाहरण बताइये मेरे को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुनिये पहले। ऐसा है जो कहा उसको सुनना भी चाहिए उछलना नहीं चाहिए आप विद्वान हो इसलिए विद्वान को विनय भी चाहिए। "विद्या ददाति विनयम" यह भी सुनिये।

मैं आपसे एक निवेदन यह कर रहा था कि आपने पहले कहा हमने यह यूनिवर्सिटी बनायी बीकानेर प्रोसीडिंग में है, हमने कोटा बनायी इसका उसमें प्रोविजन नहीं किया। आपने बनायी उसमें यह प्राविजन है। आपने ही यह बनाया इसमें यह प्राविजन है इसलिए ये तीनों बातें एक-एक शब्द वैसे ही हैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और इसमें कहा गया है।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन यह कर रहा हूं कि इसमें किसी के अधिकारों का कर्टल नहीं किया गया है। कौन अफसर को लगा देगा ? अंग्रेजी पढ़ाने वाला, समाज शास्त्र पढ़ाने वाला, फिजिक्स पढ़ाने वाला संस्कृत यूनिवर्सिटी में कहा से लगेगा, नहीं लगेगा।

आपने जो दूसरी बात कही वो आपकी बात स्वीकार कर ली है। इस विश्वविद्यालय में हमने एक व्यवस्था की है। मैं धन्यवाद दूंगा दो आदमियों को एक माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री भैरोसिंहजी शेखावत को और एक भूतपूर्व संस्कृत शिक्षा मंत्री श्रीमती कमला जी को इन दोनों के प्रयत्नों से, पहले जब भैरोसिंहजी शेखावत यहां पर थे तो मुझे ध्यान है अच्छी तरह से उस विधान सभा में कमलाजी ने कहा कि कैसे न कैसे संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करिये। वे अप्रोप्रियेशन बिल पर भाषण दे रहे थे। मैं कह रहा हूं साहब वो बहुत बड़े आदमी हैं मैं तो बहुत छोटा सा आदमी था मैंने एक कागज पर लेकर उनको स्लिप दी कि साहब आप संस्कृत विश्वविद्यालय की घोषणा कर दीजिये। उन्होंने अप्रोप्रियेशन बिल के टाइम पर घोषणा कर दी और एक करोड़ का प्रावधान किया। उसके बाद इसकी 315 बीघा जमीन तत्कालीन गहलोत साहब की सरकार के समय में मदाऊ में दी। यह बिल बना, यह यूनिवर्सिटी [illegible]। इस यूनिवर्सिटी के आने के बाद जैसा जुबेर खान साहब ने कहा कि इसके लिए पैसों की जरूरत है पैसों की व्यवस्था करिये। इसके लिए पैसों की व्यवस्था की है। इस बार भी हमने 1 करोड़ 47 लाख रूपये तो यहां पर जो विश्वविद्यालय के प्रिमिसेज में ट्रान्सफर करेंगे उसके लिए प्रावधान किया है इस प्रकार से 5 करोड़ रूपये की सहायता इसके अनुसंधान के लिए भारत सरकार से स्वीकृत होकर किया गया है वो 5 करोड़ रूपये भी आ गये हैं और इस प्रकार से इसमें 315 बीघा जमीन का माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डंडा बन कर और इस विश्वविद्यालय में 12 बने हैं मैं आपको बताना चाहता हूं।

मैं धन्यवाद एक तीसरे आदमी को और देना चाहता हूं। ये [illegible] रामदासजी महाराज त्रिवेणी वाले हैं उन्होंने इसके लिए 15 करोड़ रूपये का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रावधान कर दिया इस पर कुल 56 करोड़ रूपये लगेंगे। 15 करोड़ के 12 खण्ड बने हैं मुझे खुशी है यह कहते हुए कि हिन्दुस्तान में पहली बार किसी आदमी ने स्पृश्य और अस्पृश्य और जातिगत भेद और साम्प्रदायिक भेद के खिलाफ आन्दोलन किया तो उसका नाम रामानंदाचार्य था औस इसलिए 12 जो वहां खण्ड बन रहे हैं उन 12 खण्डों के जो नाम रखे हैं आप देखिये अनंताचार्य, गालबनंदाचार्य, सुरसुदानंदाचार्य, श्री रेदासजी महाराज उनके नाम से, कबीरदास जी के नाम से, योगानंदाचार्य, पीपादास, धन्नादास जाट के नाम से सैनभक्त के नाम से मतलब सभी प्रकार के जो वर्गों के लोग हैं उन सभी वर्गों के नाम से एक-एक खण्ड वहां पर बन रहा है। इतनी बड़ी व्यवस्था वहां पर की जा रही है।

केवल राजस्थान का विश्वविद्यालय नहीं जिस प्रकार का इसमें हमने प्रावधान किया है उसके हिसाब से यह विश्व स्तर का विश्वविद्यालय बनेगा इसमें वेद-वेदांग, साहित्य, दर्शन साहित्य, संस्कृत दुर्ग संस्कृति विभाग, शारीरिक शिक्षा विभाग, कम्प्यूटर विज्ञान, योग तन्त्र, पाली, प्राकृत, फ्रेन्च इन भाषाओं का डिप्लोमा, योग में. ध्यान केन्द्र योग प्रभाग इसी प्रकार अन्य सभी प्रकार के सारे जो काम हैं उन कामों को इस विश्वविद्यालय में कर रहे हैं सबके लिए पैसे की व्यवस्था है, बजट की व्यवस्था है और इसके लिए जो विद्वान लोगों को लाना होगा मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि ये जो प्रावधान है वो किसी भी प्रकार से इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए नहीं है।

अभी भी जो चार लोग आये हैं। मैं बता दूं उनमें एक भी कोई प्रोफेसर या पढ़ाने वाला आदमी नहीं है एक तो परीक्षा नियन्त्रक है जो विशेषज्ञ की जरूरत थी। इस प्रकार दो कम्प्यूटर चलाने वाले लोग हैं और इसमें इतनी व्यवस्था की गयी है मात्रं कि इन विश्वविद्यालयों से जिनमें केवल ट्रांसलेटिव हो उसमें ऐसे लोगों की अगर आवश्यकता हो, पहले लगा दिये थे लेकिन प्रावधान नहीं था इसलिए परीक्षा की समस्या हो रही थी उनको वापस भेजना पड़ रहा था इसलिए इसको लाया गया है। किसी भी प्रकार से इस विश्वविद्यालय को किसी प्रकार की प्रतिष्ठा कम करने के लिए नहीं है इसको बढ़ाने के लिए है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हमने इस बार 55 नये पद जो इस बार सृजित कर रहे हैं उसके लिए अलग से व्यवस्था की गयी है। अनुसंधान के लिए, पदों के लिए, केन्द्र प्रवृति योजनाओं के लिए हमने सारी व्यवस्था करके करोड़ों रूपयों का इस बार प्रावधान किया है।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि वो परिसर बन कर तैयार है। ये केवल डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं होगी जैसा आपने कहा इसमें सारे जो कालेज हैं इस बार जिसमें 10 हजार विद्यार्थियों की परीक्षा करायी है राजस्थान भर के सारे कालेज उससे एफीलिएटेड होंगे। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। मेरे मन में बिलकुल यह भावना नहीं है कि इस विश्वविद्यालय को किसी प्रकार से किसी हिसाब का अखाड़ा बनाया जाए और कोई बहुत सामान्य सी बात है कि विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए जिन एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है परीक्षा को करने के लिए, कम्प्यूटर करने के लिए, एडमिशंस के लिए उन लोगों को लाने के लिए किया गया है और अन्य सब विश्वविद्यालयों में जो 3-4 मैंने नाम दिये हैं इनमें प्रावधान थे। नये-नये विश्वविद्यालय जब बनते हैं उस समय कुछ जगह से लेकर उनको किया जाता है और अपाइण्टमेन्ट परमानेन्ट नहीं है, यह एक दूसरे से मैन पावर का समायोजन करने का है इसलिए यह है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सब लोगों ने जैसे पहले भी हम सब ने मिल कर इस विश्वविद्यालय की नींव रखी है निर्माण किया है। इसमें इतना बड़ा काम हो रहा है। जो छोटी-छोटी यूनिवर्सिटीज बन रही हैं इस जमाने में 315 बीघा जमीन के अन्दर और 56 करोड़ की लागत से और विश्व स्तर का विश्वविद्यालय जयपुर में बने....।

जयपुर को वैसे भी पहले छोटी काशी के नाम से कहा जाता था। मैं पुनः एक बार आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि हम सबके सहयोग से पुनः छोटी काशी के रूप में यह विश्वविद्यालय बने और बाहर का कोई भी आदमी अगर संस्कृत के सम्बन्ध में श्रमण संस्कृत के वेद, वेदांत, साहित्य. आचार्य किसी भी प्रकार से स्वांग के योग, कर्म जो भी पढ़ने के लिये आये तो उसके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

केवल बनारस का नाम नहीं आयं और काइ नाम नहीं आयं उसका नाम आये कि रामानन्द आचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर में जाकर मैं पढ़ूं, इतना बड़ा अध्ययन का केन्द्र हम बनाना चाहते हैं। उसके लिये एक छोटा सा प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इनकी शंकाएं और भी होंगी तो मैं समाधान करूंगा वह इस संशोधन को वापस ले लें और इसको सर्वसम्मति से पारित करें।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जनमत जानने के लिये जो प्रस्ताव है इसको मैं वापस लेता हूं।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी जनमत को प्रेस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जो बात माननीय मंत्री महोदय ने कही हम तो खाली इस बात को मैं फिर मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी मंशा नोन टीचिंग स्टाफ को लेने की है, तो बात बिलकुल ठीक है। नम्बर दो, जो आपने उदाहरण दिये हैं कोटा, बीकानेर यह यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्लाज के पार्ट थे इसलिए वह क्लाज है। जो भी यूनिवर्सिटी नई बनी उसमें क्लाज नहीं होता है।

मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं टीचर को लेने का कम से कम इसमें होना चाहिये नम्बर 1, 1 नम्बर 2, आप जो विश्वविद्यायल बनाना चाहते हैं उसमें यह फ्रीडम लें। मैं तो कहना चाहता हूं दो कदम आगे कि विश्वविद्यालय एक्ट के अनुसार रिक्रूटमेन्ट नहीं करें। यदि विद्वान आदमी को लाना है तो आपके जो विद्वान आदमी हैं, जैसे जोन साहब ने जोधपुर यूनिवर्सिटी प्रारम्भ की तो जोन साहब को फ्रीडम दी गई थी कि वह अपने बेस्ट आदमी को लेकर आयें। अमरसिंहजी को लेकर आये, बड़े आदमी को लेकर आये तब जोधपुर यूनिवर्सिटी से अपनी जगह बनाई। इसमें भी आप क्लाज रखो कि हिन्दुस्तान का बेस्ट टेलेंटेड आदमी संस्कृत का विद्वान आपका जो वाइस चांसलर है वह लेकर आये। उसकी अपाइंटमेन्ट के लिये कोई टर्म्स एण्ड कंडीशन्स नही हो। उस आदमी की एक्सीलेंस के ऊपर हम रखे तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय को अच्छे ढंग से कर

(डा. सी.पी. जोशी)

सकेंगे यह प्रोविजन भी आप करें तो इसकी एक्सीलेंस बढ़ेगी क्योंकि एक व्यक्ति की एक्सीलेंस के इर्द गिर्द इंस्टीट्यूशन बनती है आज मित्रा साहब ने बैंगलोर में लो यूनिवर्सिटी बनाई मित्र के नाम से बैंगलोर यूनिवर्सिटी चल रही है आज हमारे जोधपुर में यूनिवर्सिटी चल रही है आप जिस विद्वान को वाइस चांसलर बनाना चाहते हैं उसको पूरी फ्रीडम दें कि वह किसी भी अच्छे विद्वान आदमी को लाकर इसको बना सके यह प्रोविजन आप करें तो हमें कोई तकलीफ नहीं लेकिन जो आप उदाहरण दे रहे हैं बीकानेर का, कोटा का, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं यह राजस्थान यूनिवर्सिटी के पार्ट थे उनमें काम करने वाले जो टीचिंग और नोन टीचिंग के आदमी थे उनके लिये प्रोविजन है। जो यूनिवर्सिटी नई बनती है उसमें यह प्रोविजन नहीं होता है दोनों के बीच में कोई कोरीलेशन नहीं है

जो मंशा आपने बताई है हम भी यह मानते हैं कि एक अच्छा विश्वविद्यालय बनना चाहिये और आपने जो मंशा प्रकट की है हमें पूरा विश्वास है कि आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे टीचर्स को कम से कम आप लें और नोट टीचिंग में जितने आदमियों की जरूरत है आप लेकर इस विश्वविद्यालय को जो अच्छा विश्वविद्यायल, आपकी इन भावनाओं को समझते हुए हम स्वयं जो हमने जनमत संग्रह का प्रस्ताव दिया है इसको विथड्रा करते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं स्पष्ट कर दूं, आपकी बात बिलकुल सही है इसमें अधिकांश नोन टीचिंग स्टाफ के होंगे और हमने अभी इस साल के लिये प्रोफेसर-., एसोसिएट प्रोफेसर-5, असिस्टेन्ट प्रोफेसर-7, एडिशनल डाइरेक्टर, फिजिकल एजुकेशन डाइरेक्टर के ऐसे 55 पदों के डाइरेक्टर रिक्रूटमेन्ट के लिये हमने निकाले हैं और वहां की जो एकेडमिक काउंसिल है वही इसका सारा निर्णय करेगी, इसमें किसी भी प्रकार से नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसको सब वापस लेना चाहते हैं

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, हमें हमारे प्रस्ताव को वापस लेने की इजाजत दें

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्यों ने जनमत जानने

(श्री उपाध्यक्ष)

हेतु जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश : विचार

खण्ड 2 व 3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाये।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में 84 के बाद जैसा मुझे जानकारी है 86 में अमेंडमेन्ट आया फिर 91-92 में आया एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. को रिजर्वेशन का। वहां एक-एक, दो-दो, पांच पांच शिक्षक लेते गये। आज स्थिति यह हो गई, गवर्नमेन्ट के सामने बहुत बड़ी प्रोब्लम क्रिएट हो गई वह शिक्षक कहते हैं हमको रेगुलराइज कीजिए और कानून के मुताबिक वह रेगुलराइज हो नहीं सकते उस एक्ट का वाइलेशन है। एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. को उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अभी जो आप रिक्रूटमेन्ट का बता रहे थे क्या उसमें इन एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के रिजर्वेशन का आपने कोई प्रोविजन रखा है ? यदि नहीं रखा है, तो कृपया कर लीजिए। यह मत कीजिए कि कभी तीन पोस्टें, कभी पांच पोस्टें करते-करते आप ले लें और लास्ट में आकर आपके सामने वही समस्या खड़ी हो जाये जो आज राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने समस्या खड़ी हो रही है इसलिए इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला जी।

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

(समय : 16.06 बजे)

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2004 के बारे में अभी जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव आया था। उसमें माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं आपके माध्यम से यह 37 ए पढ़कर सुनना चाहता हूं :-

"Transfer of manpower.- Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Chancellor may, in order to give effect to the provisions of this Act, on the advice of the State Government, make such orders as are deemed necessary, for transfer of any officer, teacher, employee or servant from any other University of which he is the Chancellor to the University constituted under this Act on such terms and conditions as may be specified in the order."

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सभापति महोदय, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में अपाइंटिंग अथोरिटी बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट या सिंडिकेट है इसलिए इसमें चांसलर की जगह यदि वाइस चांसलर आप कर लें तो मैं समझता हूं यह ज्यादा उपयुक्त होगा और यदि इसमें आप चांसलर को रखते हैं तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। यह किसी भी तरीके से ठीक नहीं रहेगा।

उसके अलावा अभी संस्कृत भाषा के बारे में बहुत सी बातें आई, मैं कहना चाहता हूं संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी है और इसकी प्रेसिज राइटिंग दुनिया में सबसे अच्छी है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे हमारे नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया 18 पुराणों को हजारों पृष्ठों में लिखा हुआ है। एक बार वेद व्यासजी से किसी वैश्य मित्र ने कहा कि कम्प्यूटर का युग आ रहा है इन पुराणों को कौन पढ़ेगा। उन्होंने कहा कि उनके लिये मैं दो लाइनें लिखकर जा रहा हूं -

"अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं
परोपकराय पुण्याय: पापाय पर पीडनम्"।

उन्होंने कहा कि मेरे हजारों पृष्ठों का सार दो लाइनों में इस प्रकार है कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है और दूसरों को पीड़ा और कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। यह प्रेसिज राइटिंग की जो शैली है संसार में किसी भी भाषा की इतनी अदभुत शैली नहीं है। हमारी संस्कृत भाषा ने-

"अदो राम तपो वनादि गमनं हत्वा मृगा कंचनम्।
वै दे हि हरणं जटायु मरणं सुग्रीव सम्भाषणं।
बालि निर्दलं समुद्र तरणं लंकापुरी दाहिनम्।
पश्चात् रावण कुंभकर्ण हनन् एतद श्री रामायणम्।"

रामायण को चार लाइनों में लिखकर बता दिया है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत को चार लाइनों में बता दिया। मैं समय खराब नहीं करना चाहता लेकिन सवाल इस बात का है कि प्रेसिज राइटिंग की जो शैली संस्कृत में है वह शैली....

श्री महावीर प्रसाद जैन : भागवत गीता की भी चार लाइन सुना दीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं बता दूंगा-

"आदो देवकी देव गर्भ जननम् गोपी गिरावर्द्धनम्।

मायापूत न जीव ताप हरणं गोवद्धनो धारणम्।

कंसान्छेदन कौरवादि हननं कुंती सुता पालनम्।

एतौ श्री मदभागवत् पुराण कथितं श्री कृष्ण लीलामृतम्।"

इन्होंने सोचा इन्होंने कोट कर दिया शायद आता नहीं होगा इसलिए मेरी परीक्षा ली थी। यह चार चार लाइनों में प्रेसिज राइटिंग पूरी श्रीमद् भागवत गीता की जो है ऐसी शैली कहीं पर भी नहीं है।

सभापति महोदय, मैं सन् 1984 में मास्को गया था। वहां मैंने मास्को यूनिवर्सिटी और लेटविया में लेटविया यूनिवर्सिटी देखी। वहां के एंडोलोजी डिपार्टमेन्ट में संस्कृत भाषा बंगाली और अन्य भाषाओं में रिसर्च होती है। और वहां के लोग इतनी बढिया संस्कृत बोलते हैं कि देखते ही मन बड़ा हर्षित हो जाता है तो मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि आपने प्रोविजन कर लिये ठीक हैं लेकिन यदि आपको यूनिवर्सिटी को बनाना है तो आप देखिये, वैसी ही पदों की रिक्तताएं हैं दूसरी यूनिवर्सिटी में, दूसरे संस्थानों में, आप वहां से लेकर आएंगे तो वहां के रिक्त पदों को कौन भरेगा ? आज हमारे राजस्थान में लाखों-लाखों लोगों की संख्या शिक्षित बेरोजगारों की है, इन शिक्षित बेरोजगारों को पोस्ट एडवर्टाइज, आपको क्लर्क रखना है तो क्लर्क, एल.डी.सी., आपके कम्प्यूटर ब्वाय चाहिए तो कम्प्यूटर का आदमी आपको मिलेगा। आप एक बार स्टाप-गेप अरेंजमेन्ट के लिये कोई काम कर लीजिए लेकिन परमानेन्ट वेकेंसीज भरिये तब जाकर के यूनिवर्सिटी की स्थापना अच्छी तरह से होगी नहीं तो यूनिवर्सिटी की आटोनामी में खिलवाड़ होगा, उसकी स्वायत्ता भंग होगी और यूनिवर्सिटी में आप कहीं भी ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, यह जोड़कर यदि आप यूनिवर्सिटी को बनाना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मेरे विद्वान साथी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की बात कर रहे थे। यह बात सही है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के नाम से यूनिवर्सिटी चलती है। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, डिपार्टमेन्ट भी नाम से चलते हैं। हमारे यहां मेहरोत्रा साहब केमेस्ट्री के हेड आफ द डिपार्टमेन्ट थे, उनका डिपार्टमेन्ट, जब भी वह, अभी मेरे ख्याल से 10-15 रोज पहले उनकी मृत्यु हुई है, वह प्रोफेसर एम्रटस वहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। हमारे श्रीवास्तवजी के नाम से ज्योलाजी का डिपार्टमेन्ट चला। इकोनोमिक्स का डिपार्टमेन्ट राज कृष्णा के नाम से चला। डिपार्टमेन्ट भी एक-एक प्रोफेसर के नाम से चले हैं और उनके नाम से हमारी यूनिवर्सिटीज आगे बढ़ी हैं इसलिये आप संस्कृत विश्वविद्यालय, एक तरफ तो हमारे जयपुर को दूसरी काशी, छोटी काशी के नाम से विख्यात करते हैं, अच्छी बात है लेकिन संस्कृत यूनिवर्सिटी को यदि आप वास्तविक रूप से डवलप करना चाहते हो तो इसके एक-एक पद का सलैक्शन आटोनोमस बोडी के नाम से कीजिए, तब जाकर यह यूनिवर्सिटी विकसित होगी। नहीं, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी या बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुर कहीं भी आप किसी लेक्चरर्स को ले आयें, इधर की पोस्ट के अगेंस्ट में, प्रोफसर के अगेंस्ट में किसी लेक्चरर को लगा दिया तो यूनिवर्सिटी डवलप नहीं होगी। इसलिये यूनिवर्सिटी को एक आटोनामस बोडी के रूप में डवलप करने के लिये यह जरूरी है कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज के जितने भी खाली पद हैं उनमें योग्यता के अनुसार नये लोगों का सलेक्शन करें। इससे एक तरफ लोगों को एम्पलायमेंन्ट मिलेगा। हमारी यूनिवर्सिटी के, दूसरे यूनिवर्सिटीज के जितने पद हैं वह रिक्त नहीं होंगे, सरकारी कालेजों में पद रिक्त नहीं होंगे और नये लोग अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार यूनिवर्सिटी में आ सकेंगे। इसलिये आपने कोई स्टोप गेप अरेंजमेन्ट के लिये प्रावधान किया है तो आप कर लीजिए लेकिन कुल मिलाकर के चांसलर को इसमें इन्वाल्व मत कीजिए। यह वाइस चांसलर और बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट जो अपोइंटिंग अथोरिटी है उनको यह अधिकार दीजिए। मैं चाहूंगा कि थर्ड स्टेज के ऊपर भी आप चांसलर की जगह यदि वाइस चांसलर का नाम लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह संशोधन आप कर

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

लीजिए और हर यूनिवर्सिटी में आप फेयर सलेक्शन आटोनामस बोडी के हिसाब से करवायें ताकि यूनिवर्सिटी की एक तरह से यह स्वायत्ता बनी रहे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो सुझाव दिये हैं उनका स्वागत करता हूं और नाथूसिंहजी गुर्जर डाक्टर साहब ने कहा उनको भी मैं निवेदन यह करना चाहूंगा। (व्यवधान) विराजिये आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग : एक मिनट, सिर्फ एक मिनट लूंगा।

सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा संस्कृत के लिये, जयपुर दूसरी काशी है, बिलकुल ठीक बात है। संस्कृत के लिये बहुत सेवा दी है जयपुर ने और संस्कृत भाषा को महत्त्व देने की दृष्टि से यह सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है यूनिवर्सिटी बनाने का। केवल एक वाक्य में मैं कहना चाहूंगा इस यूनिवर्सिटी में आप चाहे सीधी भर्ती करें, चाहे इधर-उधर से दूसरी यूनिवर्सिटी से आदमी लायें, उप कुलपति से लेकर चपरासी तक, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं घुस जाए जो संस्कृत विरोधी हो। संस्कृत-निष्ठ, संस्कृत-भक्त, संस्कृत के प्रति समर्पित, ऐसे लोगों को आप भर्ती करें तो जाकर अपने उद्देश्य से अपन सफल हो सकेंगे, यह सावधानी रखें। इतना सा मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : धन्यवाद मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातें माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि यह नियुक्ति के लिये संशोधन है ही नहीं। नियुक्तियां तो राजस्थान विश्वविद्यालय अधिकारी एवं शिक्षक, नियुक्ति हेतु चयन अधिनियम, 1974 के अन्दर होंगी और मैं एन.एस. गुर्जर साहब को कहूंगा कि रोस्टर के आधार पर ही हम उसका चयन करेंगे, 59 पद हमने इस बार निकाले हैं वह सारे रोस्टर के आधार पर, उसी आधार पर होंगे। यह तो थोड़ा समायोजित करने का है एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बिलकुल टेम्प्रेरी काम है और आवश्यकता पड़े तो उसके लिये है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूसरी बात जो आपने कही कि इसको संस्कृत भाषा में, मैं भी मानता हूं कि संस्कृत भाषा बहुत बड़ी भाषा के रूप में है उसके बारे में तो हमारे यहा मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, मैं ज्यादा भाषा नहीं जानता हूं। इस अंगुली का नाम अनामिका है। कालिदास का जब देहान्त हुआ तब लोगों ने बैठकर सबने किया कि इसका मध्यमा नाम है, इसका तर्जनी है, यह अंगुष्ठ है, यह कनिष्का है। इसका नाम क्यों नहीं है। तो लोगों ने खड़े होकर कहा कि कवि क्यों नहीं है। उनका काव्य सुमाद है......जब कवि कालिदास है तो एक नाम कालिदास आ गया, उसके बाद दूसरा नाम आया ही नहीं इसलिये इसका नाम अनामिका हो गया। तो एक कवि के कारण से, इतना बड़ा नाम, इस अंगुली का नाम ही नहीं पड़ा। इतने बड़े-बड़े कवि हुए हैं। तो यह संस्कृत भाषा का तो नहीं, लेकिन कल्ला साहब, जो व्यासजी महाराज ने किया वह 2 लाइनों में तुलसीदासजी ने भी कर लिया "परहित सरिस धर्म नहीं भाई...."

"अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं

परोपकाराय पुण्याय: पापाय परपीडनम्।"

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह संस्कृत में है, तुलसीदास जी ने हिन्दी में कर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो उन्होंने हिन्दी में कर दिया। इसलिये सब भाषाओं में, लेकिन इसकी मैं एक आश्चर्यजनक बात बताता हूं कि "अ" से निकलने वाले "अ" पर कितने शब्द हैं इसके लिये कम्प्यूटर पर एक विदेशी कम्पनी ने दक्षिण भारत में "अ" से निकलने वाले संस्कृत में कितने शब्द है, तो 63 लाख संस्कृत के शब्द "अ" से निकले। इसके बाद में कम्प्यूटर बन्द हो गया। एक किसी भी भाषा में करोड़ों शब्द एक साथ बनाने का सामर्थ्य है तो वह संस्कृत में है तो उसका महत्व सब जानते हैं और उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। मैं तो आप सब लोगों से दो बात, इस मुद्दे पर उठायीं थीं पारण पर कि एक रिजर्वेशन का ध्यान रखा जाए, वह भी ध्यान रखा जाएगा और नियुक्ति उसी आधार पर होगी इसलिये पुन: आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यायल (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004

माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, यह जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत यह जो संशोधन लेकर आये हैं, माननीय मंत्री महोदय, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के आधार पर यह एक्ट, 1994 में राजस्थान विधान सभा में आया था और यह एक्ट माननीय भैरोंसिंहजी के नेतृत्व में ऐसा बना था, कुछ क्लाज अच्छे, ऐसे रखे थे जैसे जनसंख्या के ऊपर नियन्त्रण का था पूरे देश में इसको सराहा गया था। और सबसे पहले, 73वां संशोधन जो पार्लियामेन्ट ने किया उसके बाद पहला राज्य राजस्थान था जिसने इस एक्ट को तुरन्त पास किया था।

मेरा निवेदन है कि जब उस एक्ट में संविधान संशोधन के एक्ट के अन्तर्गत 1994 में जो राजस्थान विधान सभा में एक्ट पास हुआ उसमें मंशा यही थी कि डि-सैण्ट्रलाइजेशन, विकेन्द्रीकरण हो सत्ता का। और विकेन्द्रीकरण

(श्री जुबेर खान)

सत्ता का, खाली जन-प्रतिनिधि चुनकर इससे नहीं, जब तक उनको अधिकार नहीं देंगे और अधिकार शिड्यूल में, उस एक्ट में, जो मूल एक्ट पास हुआ था सन् 1994 में, उसमें यह था कि कुछ भर्तियां, जो पंचायत एक्ट की सूची थी उनकी नियुक्तियां जिला लेवल पर एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटीज करेंगी। उसकी मंशा इसलिये थी कि जिले के लोगों को पटवारी मिलेगा, जिले के आधार पर होता है। आपने देखा होगा कि बाड़मेर, जैसलमेर में कई बार जो हमारे बेरोजगार वहां जिला परिषदों में फार्म भरने गये उनको खदेड़ा भी गया, लाठी-चार्ज भी हुआ। इसका यह है कि जो ग्राम सेवक लगायेंगे, स्कूल में टीचर लगायेंगे, अगर वह उस जिले के होंगे तो ज्यादा सार्थकता और एफिशियंसी से काम करेंगे। आप आर.पी.एस.सी. को यह पावर दे रहे हैं। आर.पी.एस.सी. पूरे राजस्थान से लेगी। फिर आपके लोग, जिस तरह से आपने कहा कि 52 हज़ार एप्लीकेशंस आपके पास आ गयी, फिर वही आएंगे कि हमारा पदस्थापन फलां जिले में किया जाए। जिले की उस पंचायत समिति में किया जाए तो माननीय मंत्री महोदय, जो ओरिजनल एक्ट था उसकी भावनाओं के अनुरूप यह नहीं है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमने इसीलिए कहा है कि इस एक्ट में और भी कमी है।

यह भी कमी है कि आपको अच्छी तरह से याद है कि 1994 में जब यह एक्ट बना था तो यह सामने आया कि आरक्षण कैसे रखा जाए ? एस.सी., एस.टी. की जनसंख्या की मतगणना जाति के हिसाब से होती थी, तब भी यह सवाल आया था और यह कहा था कि ओ.बी.सी. के नाम से जनगणना नहीं हुई है इसलिए इसको लाटरी से रखा जाए। आज 2001 की जो जनगणना हुई है वह ओ.बी.सी. के आधार पर हुई है इसलिए आप एक्ट में यह भी अमेंडमेंट लाते कि जनसंख्या के आधार पर ओ.बी.सी. की सीटों का निर्धारण होगा न कि पूर्व की भांति लाटरी सिस्टम से होगा। आपको यह भी इस एक्ट में लाना चाहिए था और जितनी संख्या, वह पहले 15 परसेंट ही आपने आरक्षण किया था, आज राज्य सरकार ने 21 परसेंट आरक्षण, तत्कालीन सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री श्री गहलोत साहब ने किया था। आप यह भी अमेंडमेंट लाते कि पंचायती-राज संस्थाओं में 21 परसेंट आरक्षण ओ.बी.सी. की जातियों को होगा

(श्री जुबेर खान)

विभिन्न पदों पर, यह भी आपको इस अमेंडमेंट में लाना चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए लम्बा समय नहीं लेते हुए कि यह जो संशोधन लेकर आयी है सरकार, यह जो 73वें संशोधन के अनुरूप भी नहीं है। उसकी भी जन भावनाओं के खिलाफ है, उसकी मंशा के खिलाफ है और 1994 में जो एक्ट पास हुआ था इसी विधान सभा में उसकी भी मंशा के खिलाफ है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो दो-तीन मुद्दे मैंने उठाये हैं क्योंकि अगर आप स्थानीय लोगों की भर्ती का मौका, आप चपरासी भी आर.पी.एस.सी. से करेंगे क्या ? आप तृतीय श्रेणी में आर.पी.एस.सी. से करेंगे क्या ? आप पंचायत का जो चौकीदार है, वह भी आर.पी.एस.सी. से करेंगे क्या ? स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और स्थानीय लोगों को अगर आप इसमें लगाएंगे तो वे ज्यादा सार्थकता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। नहीं तो जैसे मैंने कहा कि वे ट्रांसफरों के लिए डोलते रहेंगे और वही सिस्टम चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आरक्षण वाला मुद्दा ओ.बी.सी. का और यह इन सब चीजों को देखने के बाद करें। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें आपको कोई जल्दी नहीं है, समय लीजिए। इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करिये और लोगों के जो सुझाव आये उस आधार पर उनको इनकारपोरेट करके दुबारा से इस बिल को लाइये। मैं यही बात, निवेदन माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से करना चाहता हूं।

श्री सभापति : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक, 2004 आज यहां पर रखा है इसके उद्देश्य और कारणों का जो विवरण इस अमेंडमैन्ट में दिया है उसमें माननीय मंत्रीजी और सरकार की मंशा यह है कि हम तृतीय श्रेणी के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के जो अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं काफी लम्बे समय से और ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू रूप से अध्ययन का कार्य नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो कई

(मोहम्मद माहिर आजाद)

तरीकों से स्टे हो जाता है दूसरी रिकवरी आ जाती है और वह काम वही का वही रह जाता है इसलिए हम इसको सही करने के लिए थर्ड ग्रेड की टीचर्स की, ग्राम सेवकों की और इस-इसके जो पंचायती राज के ग्राम-सेविकाएं हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक और लिपिकीय वर्ग है इसका चयन हम राजस्थान लोक सेवा आयोग से कराना चाहते हैं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, हाथी के दांत खाने के और, और दिखाने के और होते हैं। सरकार की मंशा यह नहीं है। मंत्रीजी बड़े विद्वान हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय के मामले में आपने जो हमारे सुझाव थे उनको सही करार देते हुए और उनको अमल करने की बात कही तो हमने जिद नहीं की। अपने-अपने प्रस्ताव वापस ले लिये लेकिन यहां मंत्रीजी और सरकार की मंशा साफ नहीं है। इनकी मंशा हमको ऐसी लगती है कि आर.पी.एस.सी. जो दूसरे राजपत्रित पद हैं उनकी चयन प्रक्रिया के अन्दर भी वर्षों लग जाते हैं, रिक्विजीशन भेजा हुआ होता है सरकार की तरफ से, न डी.पी.सीज. होती है, न उनका चयन होता है और न और कुछ होता है। तो यह थर्ड ग्रेड के टीचर्स उनका चयन आर.पी.एस.सी. से आप इससे पहले करवा लेंगे जो प्रक्रिया आज है, यह आपका जो सुझाव है, यह जो दर्शन है, यह ठीक नहीं है।

हमको ऐसा लगता है कि आपने जो राजीव गांधी पाठशालाएं हैं, उनके जो पैराटीचर्स लगाये थे जब पैराटीचर्स वहां पर लगाये तो खूब जोर-जोर से हमारे साथ जो विपक्ष में साथी बैठते थे, जो आज सत्ता पक्ष में हैं, इन्होंने उस वक्त आरोप लगाया कि यह राजीव गांधी पाठशालाओं में कांग्रेस अपने सेवादल के और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भर दिया और बाद में फिर यह कहने लगे कि आप इनको स्थाई क्यों नहीं कर रहे हो ? अब इस पिछले चुनावों में अपने चुनाव घोषणा-पत्र में भी और चुनाव सभाओं में भी इन राजीव गांधी पाठशालाओं के जो शिक्षाकर्मी और जो अध्यापक लग रहे हैं, उनको यह भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आपको नियमित कर देंगे और हम आपको थर्ड ग्रेड का टीचर बना देंगे। जो एस.टी.सी. ट्रेंड या बी.एड. है, अब आपने इनको तो कह दिया और अब आपकी सरकार भी बन गयी। कैसे बनी ? आपको बहुमत मिल गया। अब आप अपने वादे पर खरे नहीं उतरना

(मोहम्मद माहिर आजाद)

चाहते हैं। आप यह नहीं चाहते हो कि जो पैराटीचर्स इन राजीव गांधी पाठशालाओं में लग रहे हैं, आप उनको थर्ड ग्रेड का टीचर बनाओ। इसलिए इस मामले को अटकाकर आप इसको आर.पी.एस.सी. के अन्दर भेज देना चाहते हैं कि भाई, हमारी सरकार के हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा, अब तो आर.पी.एस.सी. चयन करेगी। आर.पी.एस.सी. मैरिट पर करेगी। अपनी मैरिट, डी-मैरिट पर जिस तरीके से होगा या योग्यता के आधार पर, उसके आधार पर करेगी और आप अपने आपको बचाने के लिए यह विधेयक लाना चाहते हो।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से यह सुझाव है कि एक तरफ तो आप पंचायतों को अधिक सशक्त बनाने के लिए पंचायतों को और अधिकार देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिला परिषदों के अन्दर शिक्षा से सम्बन्धित समितियां बनी हुई हैं, जो चयन करती हैं, उनसे यह पावर छीनकर आप आर.पी.एस.सी. को देना चाहते हैं। यह दोनों काम एक साथ कैसे चल सकते हैं ? आप एक्सीलेटर और ब्रेक.दोनों एक साथ दबाने की जो कोशिश कर रहे है, यह व्यावहारिक नहीं है इसलिए सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि एक तरह से आपने पंचायती राज मंत्रीजी के अधिकारों का भी अतिक्रमण कर लिया क्योंकि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के टीचर्स का काम तो पंचायती राज मंत्रीजी को करना चाहिए लेकिन, आपने वह पावर भी आपके पास ले रखी है कि नहीं, उच्च शिक्षा भी मेरे पास और यह विश्वविद्यालय शिक्षा भी मेरे पास, माध्यमिक शिक्षा भी मेरे पास और पंचायती राज की शिक्षा भी मेरे पास, खैर वह तो आपका इण्टरनल मामला है कि आप क्या करें लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको इसमें इतनी जल्दी करने की कोशिश क्यों है ? क्या आप यह समझते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से आप जल्दी इन शिक्षकों की नियुक्ति करवाकर खाली पद भर लेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। आर.पी.एस.सी. की जरा स्थिति उठा कर देख लीजिए कि वहां क्या है ?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

दूसरा, जब आपने यह कमिटमेंट किया है कि राजीव गांधी पाठशालाओं के शिक्षाकर्मी जो लगे हुए हैं, जो आपके टीचर्स लगे हुए हैं और वे थर्ड ग्रेड टीचर्स की योग्यता रखते हैं तो उनको तो आप एक कलम से ही थर्ड ग्रेड का टीचर बना सकते हैं। उनको आप इस लिटिगेशन में, इस लम्बे मामले में फंसाने के लिए आर.पी.एस.सी. की तरफ जा रहे हैं और अपने कर्त्तव्य का निर्वहन से बच रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करके केवल आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि यह पैराटीचर्स को आपने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन को आप पूरा करें और आर.पी.एस.सी. से आप जो कन्टेंट्स, आपने हमको बतलाये हैं कि साहब, इससे जल्दी हो जाएगा, पद भर जाएगा और हाईकोर्ट के स्टे से बच जाएंगे, यह सब कहने की चीजें हैं। आपके जिस तरीके से आज तक पचास साल तक जो प्रक्रिया चयन होता रहा है। आप जिला परिषदों और पंचायती राज संस्थाओं को स्ट्रन्थन बनाये रखिये। उनके पावर्स में कमी मत कीजिए और इन पैराटीचर्स को कराइये इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपने जो राजस्थान पंचातयी राज संशोधन विधेयक, 2004 यहां आज प्रस्तुत किया है इसको आप वापस लेकर और जनमत जानने के लिए परिचालित करने का काम करें और जब पैराटीचर्स की, आम जनता की, जिला परिषद, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की, सबकी राय आपके पास आ जाए तो उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से लाइये, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज के संशोधन पर मैं अपने विचार रख रहा हूं। जब से 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ है और उसके बाद जिन 29 विभागों को पंचायती राज को स्थानान्तरण करते हुए उनके अधिकार पंचायती राज को देने में सिद्धान्त रूप से सहमति अभिव्यक्त की है, उसके बाद जब पूर्ववर्ती सरकार ने 16 विभाग पंचायती राज को दिये तो वर्तमान सरकार ने यह कहकर कि उसके

(श्री हरिमोहन शर्मा)

फण्ड और फंक्शनरीज हम साथ देंगे, उनमें से कुछ विभागों को वापस अपने पास ले लिया। एक और तो पंचायती राज को सशक्त करने की कल्पना अपने अभिभाषण में वर्तमान सरकार कहती है और दूसरी ओर जो अधिकार पूर्व की सरकारों ने पंचायती राज को दिये थे, उन अधिकारों में कटौती कर उन अधिकारों को समाप्त करके 73वें और 74वें संविधान संशोधन की भावनाओं के विपरीत अपना कार्य कर रही है और यह उसी की परिणति है शिक्षकों के चयन के मामले में जो संशोधन पेश किया गया है। यह उसी की परिणति है कि वर्तमान सरकार का सोच पंचायती राज को अधिक सशक्त बनाने के बजाय उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करके इन अधिकारों को अपने पास ले।

जहां तक सहायक अध्यापकों वाली बात है, आप कोई भी यूनिवर्सल फार्मूला बना सकते थे और कोई भी एक तरीका आप निकाल सकते थे। कोई भी एक पर्टीकुलर डे इंटरव्यू और टेस्ट का आप रख सकते थे। पूरे राजस्थान में एक ही स्थान पर इसकी परीक्षा आयोजित करके नियम बनाकर हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिये, उन डायरेक्शंस की अनुपालना करते हुए जिला स्तर पर जहां जितने पद रिक्त थे, वह नियुक्तियां करने का अधिकार जो पूर्व में जिला परिषदों को था, उस अधिकार को आपने काटकर लोक सेवा आयोग को स्थानान्तरित किया है। मैं यह चाहता हूं कि जो अधिकार पंचायती राज के हैं, उनके पास वह यथावत बने रहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप तो पढ़े-लिखे हो।.....(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : जब ही तो यही कह रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, तब ही कह रहे हो तो ठीक है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह उन लोगों पर जिन पर आपको शक है कि जो बेईमान लोग हैं या जो इंटरव्यू में गड़बड़ करते हैं या पक्षपात करते हैं या अन्य तरीकों से पैसा खाते हैं, आप उसमें संशोधन कीजिये न। आप जन प्रतिनिधियों को ईमानादार मानकर, जैसे हम अपने मामले में सबके ख्यालात यही अभिव्यक्त करते हैं कि हम सब जनप्रतिनिधि ईमानदार हैं तो इन

(श्री हरिमोहन शर्मा)

प्रतिनिधियों की ईमानदारी पर शक करने का आपको और हमको कोई अधिकार नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी अधिकार पंचायती राज को दिये हुए हैं उन अधिकारों को यथावत उनके पास रखते हुए और उनको सशक्त बनाने की बात करें। यह सही है कि जो पैराटीचर्स को आपने आश्वासन दिया था। माहिर आजाद साहब अभी आपसे कह रहे थे कि आपने आश्वासन दिया था सड़क पर लड़ाई लड़ी थी, आन्दोलन किया था, कि पर्टीकुलर ईयर में इनके सर्विस रूल बना देंगे। इनको वापस स्थाई कर देंगे। आप उस आश्वासन से क्यों मुकर रहे हैं ? और माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपने विधान सभा में पहले तो कह दिया इस बजट सत्र के पहले मैं सब स्थानों की पूर्ति कर दूंगा और आज का जो आपका स्टेटमेन्ट था वह यह था कि अगले बजट सत्र के पहले मैं इन शिक्षकों की सबकी भर्ती कर दूंगा। साल भर तो आपने ही सरका दिया। विधान सभा में आप हमसे कह गये इस सत्र में कर दूंगा और कल आप कहीं भाषण ठोक आये जिसमें कह दिया कि मैं अगले सत्र तक सब काम कर दूंगा। इस प्रकार आप जो अभिव्यक्त करते हैं, आप जिम्मेदार आदमी हैं। यहां जो कुछ कहा.....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने बहुत जल्दी पहचान लिया मुझे।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपसे मेरा अनुरोध है कि लगातार जगह-जगह पैराटीचर्स आन्दोलन कर रहे हैं। आप लोगों के पुतले जलाये जा रहे हैं तो कम से कम इतनी सी मेहरबानी आप करो कि जिन पैराटीचर्स की जो योग्यता का मापदण्ड है, आप अपने चुनाव घोषणा पत्र में किये अपने वायदे के अनुसार जो पैराटीचर्स राजीव गांधी पाठशालाओं में निर्धारित योग्यता के हिसाब से लगाये हुए हैं उनको तो कम से कम उस परीक्षा से अलग हटाकर नियमित कर दो। अपने वादे को निभाओ, पंचायती राज को मजबूत करो और उसको अधिक सशक्त बनाने के अधिकार दो। इसी के साथ मैं आपका जो पंचायती राज संशोधन है इसको जनमत जानने के लिये परिचालित करने का अनुरोध करता हूं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : जनमत के लिये क्यों दे रहे हो ? सुझाव मान लेंगे आपके। फिर जनमत के लिये क्यों दे रहे हो ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने पैराटीचर्स को नियमित कर दिया तो सर्वसम्मति से पास कर लें। (व्यवधान) लेकिन मोहन लालजी, आपकी बात मानने वाले नहीं, ये नहीं मानेंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, सरकार ने पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2004 प्रस्तुत किया है। अभी दो साल पहले की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष और तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री माननीय वैंकया नायडूजी ने नई दिल्ली में पंचायत राज प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया था। देश के सम्माननीय प्रधान मंत्रीजी अटल बिहारी वाजपेयी और और प्रतिपक्ष की नेता, श्रीमती सोनिया गांधी जी को बुलाया था। उस सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं को कैसे मजबूत किया जाये इस पर राष्ट्र भर के प्रतिनिधियों ने विचार किया। एक आम सहमति उस सम्मेलन में ही उभर कर आई कि फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरीज, यह तमाम पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित की जाये और, माननीय सभापति महोदय, उस सारी सोच की अनुपालना में हमारी इस राजस्थान विधान सभा में पिछले वर्ष दो दिन का विशेष सत्र हुआ जिस पर सारे माननीय सदस्यों ने अपने बहुत गहन विचार रखे कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया जाये, पर बहुत खेद का विषय है कि मौजूदा सरकार इन आठ महीनों के दौरान लगातार उन पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन पर हमला करने की कोशिश कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा कि यही हमारे प्रतिपक्ष के साथी, जो आज मंत्री बनकर विराजमान हैं, जालौर में एक शिक्षा सहयोगी ने आत्महत्या कर ली थी। इसी सदन में उनके विचार थे कांग्रेस की सरकार बन्धुओं मजदूरों की तरह उन शिक्षा सहयोगियों से काम ले रही है। न्यूनतम मजदूरी, जितनी एक मजदूर को मिलती है, उतनी मजदूरी नहीं दी जा रही है। दूसरे जिले का शिक्षक जाकर वहां पर काम कर रहा है,

(श्री संयम लोढ़ा)

किराये पर मकान लेता है, वह अपने परिवार का पालन नहीं कर पाता और उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने एक नियमित प्रक्रिया के तहत ग्राम सभा के माध्यम से शिक्षा सहयोगियों का चयन किया था क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा को सर्वोच्च माना गया और उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस पूरी प्रक्रिया में निर्देश प्रदान किये तब 22 हजार में से हजार या 1200-1300 शिक्षक आठवीं पास लगे थे। प्रशिक्षित शिक्षकों को उस व्यवस्था के जरिये लगाया और तत्कालीन सरकार ने यह प्रावधान किया जब वेकेंसी निकाली कि इनमें से इतने को नियमित कर दिया जायेगा। अब राजस्थान की सरकार यह जो पंचायती राज संशोधन विधेयक लेकर आई है उन हजारों शिक्षकों की, जिन्होंने पिछले चार-पांच वर्ष अपने स्वयं का योगदान किया, अपने जवानी के महत्वपूर्ण सालों का योगदान किया, जो राजस्थान निरक्षरता का अभिशाप झेल रहा था, उस राजस्थान को साक्षरता के क्षेत्र में आगे ले जाने का काम जिन शिक्षा सहयोगियों ने किया, आज राजस्थान की सरकार उनके सामने अंधियारा फैलाने के लिये यह अध्यादेश लेकर आई है।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह डिस्क्रिमिनेटरी व्यवस्था होगी। शहरी क्षेत्र के शिक्षकों के लिये तो 71 की धारा 6 के तहत उनकी पदोन्नति वगैरह सबका फैसला किया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्र के लिये अलग व्यवस्था होगी। जो पूरी तरह गलत है। मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि यह सारा संविधान के 73 और 74वें अनुच्छेद संशोधन के खिलाफ है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह अध्यादेश तो आप पहले ले आये अब इसको विधेयक के रूप में लाये हैं, यह असंवैधानिक है। राजस्थान उच्च न्यायालय में इसको पहले ही चुनौती दी जा चुकी है। पहले ही राजस्थान उच्च न्यायालय में यह लम्बित है। मैं संविधान के अनुच्छेद 243 जी को आपके सामने रखना चाहता हूं -

"Powers, authority and responsibilities of Panchayat - Subject

(श्री संयम लोढ़ा)

to the provisions of the constitution, the Legislature of a State may, by law to endow the Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon Panchayats at the appropriate level, subject to such conditions as may be specified there in, with respect to -

(a) the preparation of plans for economic development and social justice;

(b) the implementation of schemes for economic development and social justice as may be entrusted to them including those in relation to the matters listed in the Eleventh Schedule."

माननीय सभापति महोदय, जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्थापना समिति के माध्यम से की जाती रही है और अब राजस्थान सरकार उस संस्था के माध्यम से आर.पी.एस.सी., जो एक कांस्टीट्यूशनल बाडी है।

एक कांस्टिट्यूशनल बाडी से असैंवधानिक कृत्य करवाने का काम राजस्थान की यह सरकार कर रही है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आज राज्य सरकार ने इसको पारित कर दिया तो यह राजस्थान के लिए काला दिन होगा इसलिए यह जो विधेयक सरकार लेकर आयी है इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय रामनारायण मीणा। (अनुपस्थित) डा. एन.एस. गुर्जर।

डा. एन.एस. गुर्जर : सभापति महोदय, यह जो सैक्शन 89 लाया गया है, इसमें सैक्शन 89 और 90 में अमेंडमेन्ट लाया गया है राजस्थान पंचायती राज एक्ट, 1994 में। इसमें आपने जो कहा है "Section 89 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 provided that selection for appointment on the posts of primary and upper primary teachers....."

(डा. एन.एस. गुर्जर)

पहली प्राइमरी टीचर्स का ही जिला स्थापना समिति से होता था, आपने इसमें ऊपर प्राइमरी भी जोड़ा है

"......primary and upper primary teachers shall be made at district level by the District Establishment Committees. These Committees adopted different procedures/yardsticks for selection by interpreting rules and departmental instructions in different ways. This resulted in heavy litigation. Situation had arisen in which it had become practically impossible to hold selections for appointment of teachers in primary schools. To avoid uncalled for litigation and discrepancy in selection process, it was considered necessary to make selection through a single agency and single procedure. As a result it was decided that the task of selection for appointment on the posts of primary teachers should be entrusted to the Rajasthan Public Service Commission. Therefore it was necessary to amend sections 89 and 90 of the aforesaid Act suitably."

इसलिए आप लाये हैं और इसके लिए आपने इस 89 में 6ए यह जोड़ करके यह पावर्स ले ली और उसमें आगे कहा गया है जो एक इम्पोटेन्ट बात है

"(6-A) appointment by direct recruitment on the posts specified in clause (iii)...."

क्लाज थ्री का मतलब यह है कि इसमें कई कैटेगरीज हैं और इस थ्री में केवल टीचर्स को आपने लिया है बाकी ग्राम सेवक हैं, उनको छोड़ दिया, लिपिक वर्ग है उसको छोड़ दिया, बाकी को छोड़ दिया यह अच्छी बात है-

"...of sub-section (2) shall be made by a Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, in accordance with the rules made in this behalf by the State Government....."

इसमें लिख दिया कि जो रूल्स स्टेट गवर्नमेन्ट बनायेगी उसकी अकोर्डिंग्स में-

(डा. एन.एस. गुर्जर)

"....from out of the person selected for the posts by the Rajasthan Public Service Commission in accordance with the rules made by the State Government in this behalf."

गवर्नमेन्ट जो रूल्स बनायेगी उस आधार पर आर.पी.एस.सी. लेगी।

मैं इस बात का तो स्वागत करता हूं, यह सही बात है कि कई जिला परिषदों के अन्दर गवर्नमेन्ट के बार-बार रिपिटेशन के बावजूद वहां से कई सर्कुलर्स भेजे जाते थे तो उसमें अब तक मैरिट के आधार पर जिला परिषदें लेती थी। मैरिट के आधार पर लेने पर, सभापति महोदय, क्या होता था कि यू.पी. और बिहार से हाई परसेंटेज लेकर, पैसा देकर वहां बहुत सारी फर्जी यूनिवर्सिटीज थीं, हमने उनकी सूची भी जारी की है कि इन-इन यूनिवर्सिटीज की डिग्रियों को नहीं माना जायेगा लेकिन फर्जी डिग्रियां लेकर यहां पर जिला परिषदों में आकर भर्ती हो जाते थे और जिला परिषदों को सूचियां देने के बाद भी उनका ध्यान नहीं रखती थी। उस समय जब मैं पंचायत मंत्री था, मैंने जांच करवायी इस मामले की और, सभापति महोदय, बहुत सारे लोगों को हमने सर्विसेज से वापस निकाला जो फर्जी डिग्री के आधार पर सर्विसेज में आ गये। हाई परसेंटेज ले आते हैं पैसे देकर और हमारे राजस्थान के लड़के प्रभावित होते हैं। वह लोग आ जाते हैं और आकर बाड़मेर में भर्ती होते हैं। दूसरे दिन ही अर्जी लगाते हैं कि हम को धौलपुर लगाओ, हम को भरतपुर में लगाओ और हमारे लिए प्राब्लम खड़ी हो जाती है। फिर सिफारिश लाते हैं। सभापति महोदय, मैं इसलिए इसका तो स्वागत करता हूं, आपने जो किया है यह व्यवस्था ठीक है और मुझे मालूम है कि जिस समय हमने ग्राम सेवकों की भर्ती की थी, ग्राम सेवकों की भर्ती के समय भी हमने जहां स्टेट लेवल पर आर.पी.एस.सी. के थ्रू पेपर सलैक्ट करवाया और फिर कापियों को, कलक्टर को पावर दिये हमने एग्जामिनेशन कंडेक्ट करने का और कलक्टर ने जब एग्जामिनेशन कंडेक्ट किये तो बाड़मेर की कापी भरतपुर, भरतपुर की कापी बाड़मेर जांच करने के लिए भिजवायी। वहां पर हाथ की हाथ ही टेबल लगा कर दस-दस कापी देकर जांच करवायी। उसक रिजल्ट यह आया, सभापति महोदय, मैं क्यों कहना चाहता हूं कि हमारे इतना बढिया कैडर उस समय ग्राम

(डा. एन.एस. गुर्जर)

सेवकों का आया और सारे कलक्टर ने एप्रिशिएट किया, जनता ने एप्रिशिएट किया और सारे कर्मचारियों ने एप्रिशिएट किया उस कदम को लेकिन हमको मोहर लगवानी पड़ी कानून के तहत जिला परिषदों से। इसलिए आप जो अमेंडमेन्ट लाये हो वह बिलकुल ठीक है लेकिन इसमें एक चीज की सावधानी बरतनी पड़ेगी, जैसे उस समय जिला परिषदों के समय पर हमने एक व्यवस्था की थी कि जिले के इतने नम्बर, ग्रामीण क्षेत्र के इतने नम्बर, वह इसलिए व्यवस्था की थी यू.पी. और बिहार के लड़कों को रोकने के लिए और राजस्थान के लड़कों का हित प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे पता नहीं, मेरे समय बहुत लोग कोर्ट गये, हमने उसको निरस्त नहीं होने दिया, हमने अच्छी तरह से वकालत की। गवर्नमेन्ट बदली और उसके बाद पता नहीं कैसे यह कोर्ट में डिसीजन इस तरह का हो गया कि नहीं, यह जो नम्बर दिये जा रहे हैं वह गलत हैं और उस आधार पर हमारे राजस्थान के लड़कों का अहित होने लग गया।

मंत्री महोदय, आप यह जो लाये हो इसका तो मैं स्वागत करता हूं परन्तु मैं व्यक्तिगत रूप से, सी.पी. जोशीजी मंत्री रहे हैं पंचायती राज के, इन्होंने भी इस कठिन समस्या का सामना किया होगा लेकिन इसमें आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। इसमें लिखा है कि rules made by State Government.

जब स्टेट गवर्नमेन्ट रूल्स बनाये इस सम्बन्ध में, इसके सम्बन्ध में जैसे पहले प्रक्रिया थी कि मैरिट के आधार पर इनका सलैक्ट कर लें, अगर आर.पी.एस.सी. को आपने दे दिया कि मैरिट के आधार पर सलैक्ट कर लीजिए तो यू.पी. और बिहार के लड़के फर्जी डिग्री लेकर उसी आधार पर भर्ती हो जायेंगे इसलिए मैं चाहता हूं कि आर.पी.एस.सी. को आप भर्ती का अधिकार दे रहे हो लेकिन आर.पी.एस.सी. के जो रूल बनाओ वह इस तरह से बनाएं कि आर.पी.एस.सी. बाकायदा पेपर सलैक्ट करे, इनके एग्जामिनेशन कंडेक्ट करे और एग्जामिनेशन कंडेक्ट करके फिर मैरिट बनाए। इसमें आप इन्टरव्यू मत रखिये और इन्टरव्यू रखें तो राजस्थान के जिलों के मामले में रखें, वहीं प्रश्न रखें इन्टरव्यू में, जो एग्जामिनेशन कंडेक्ट करें उसमें भी राजस्थान से सम्बन्धित प्रश्न ज्यादा आने चाहिए और इस तरह से आर.पी.एस.सी. से पेपर

(डा. एन.एस. गुर्जर)

बनवा कर एग्जाम कंडेक्ट करवा कर मैरिट के आधार पर इनकी भर्ती करेंगे तो राजस्थान के लड़कों का हित होगा और जो लिटिगेशन हैं वह कम होंगे। जिला परिषदों में गड़बड़ होगी, यह भी मैं आपको निवदेन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, जिस समय हम ग्राम सेवकों की भर्ती कर रहे थे तो एक जिला परिषद के, जैसे आप बता रहे थे अधिकार हैं, कह रहे थे कि 73 अमेंडमेन्ट इससे प्रभावित हो गया, उस समय भी एक जिला परिषद की प्रमुख हाई कोर्ट में गयी और हाई कोर्ट में जाकर कहने लगी कि यह तो सारा अधिकार है, राज्य सरकार कैसे भर्ती कर रही है ग्राम सेवकों की ? और मुझे खुशी है उस समय तत्कालीन माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इसमें यह जो प्रोसीजर है, इसमें आपको क्या कमी नजर आ रही है ? इतना पारदर्शी प्रोसीजर पहली बार सरकार एडोप्ट कर रही है। उन्होंने एप्रिशिएशन दिया हमारी सरकार को, उस समय हमारे डिपार्टमेन्ट को एप्रिशिएट किया हाई कोर्ट ने कि पहली बार पारदर्शिता दिखायी जा रही है और अच्छे ढंग से पहली बार भर्ती की जा रही है। एप्रिशिएट किया और उनकी रेट को खारिज ही नहीं किया लताड़ और लगायी। इसलिए यह कोई प्रोविजन कानून के खिलाफ है, या और कुछ है ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कहीं भी इलेवन्थ शिड्यूल में यह नहीं दिखाया गया है कि रिक्रूटमेन्ट टीचर्स का होगा वह पंचायत के जिला परिषदें करेंगी। इस तरह का 73 और 74 अमेंडमेन्ट में कहीं भी इस तरह का इलेवन शिड्यूल में नहीं है। उसमें पावर्स हैं अलग-अलग डिपार्टमेन्ट के एक्शन करने के लेकिन टीचर्स की रिक्रूटमेन्ट के बारे में अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य पढ़ कर बता रहे थे, मुझे तो पूरा ध्यान है, वह एक्ट भी ध्यान है, 73 और 74 अमेंडमेन्ट भी टिप्स पर ध्यान है, कहीं ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेन्ट में इस पर रोक हो। इसलिए आप यह लाये हो, इसके लिए तो मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं लेकिन यह सावधानी जो मैंने बतायी वह आप बरतें।

दूसरा, इसमें एक आपके सामने और दिक्कत आयेगी कि जितनी भी सेवाएं हैं, यह अब तक पंचायत की सेवाएं मानी जाती थीं। जिला परिषदों के अधीन सेवाएं मानी जाती थीं, पंचायत सेवाएं मानी जाती थीं, ज्यों ही आर.पी.एस.सी. से सलैक्शन करवाओगे तो मांग करेंगे कि हमको स्टेट

गवर्नमेन्ट की सरकारी सेवा मानिये, जो कि मांग चली आ रही है। पंचायती राज कर्मचारी जितने भी हैं वह मांग कर रहे हैं बहुत अर्से से कि हमारी सेवाओं को सरकारी सेवा मानिये। यह आपके सामने कठिनाई आयेगी, इसका आप रास्ता किस तरह से निकालेंगे ? यह हमें आप बताइये कि किस तरह से इसका रास्ता निकालेंगे।

अब मैं आपको यह निवेदन करना चाहता था....

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए जनमत के लिए.....(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, वह तो मैं वापस ले लूंगा। इसलिए इसको आप एग्जामिन करवाएं कि किस तरह से आप गवर्नमेन्ट सर्विसेज को बाउण्ड करेंगे, उसको कैसे रोक पाएंगे और यदि उनको दिया तो जो दूसरे कैडर हैं, 89 में ही चार पांच कैडर और हैं, वह भी उसको स्टेट सर्विस कहने के लिए मांग करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे।

उसी तरह से फिर ग्राम सेवकों की भर्ती का मामला आपके सामने आया। वह ग्राम सेवक भर्ती का आधार आप क्या बनाएंगे ? इसी तरह से एल.डी.सी. का मामला आएगा, उनके लिए आप क्या प्रोसीजर अडाप्ट करेंगे ? अच्छा होता इन सबके बारे में ही एक साथ यह अमेंडमेन्ट लाया जाता और इसको क्लेरीफाई किया जाता। यह आपके सामने कठिनाई आएगी क्योंकि टीचर्स आपके विभाग में आ गए इसलिए आपने तो रास्ता निकाल लिया लेकिन पंचायत मंत्री की क्या दशा होगी इसके बाद जब रिक्रूटमेन्ट उनका होगा ग्राम सेवकों का और बाक़ी का ? इसलिए यह आप सावधानी रखिए इसके बारे में।

तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए और इसका स्वागत करते हुए लेकिन जो मैंने आपको प्वाइंट्स बताए हैं, मुझे विश्वास है आप उनका उत्तर देंगे, उनको क्लेरीफाई करेंगे ताकि हमको उसकी जानकारी मिले सके। धन्यवाद। (व्यवधान) नहीं, वह तो बाद में जब आप देंगे, प्रस्ताव लेऊंगा ना वापिस।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, आज की कार्य सूची में उल्लेखित पंचायत राज विधेयक और भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 2004 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य सचेतक जी ने जो प्रस्ताव रखा कि आज की कार्य सूची में पंचायत राज (संशोधन) विधेयक और भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित हो तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

आज की कार्य सूची समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

माननीय श्री चन्द्रशेखर बैद (अनुपस्थित), माननीय डा. सी.पी. जोशी।

(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : विद्वानों का काम नहीं है। अपने माइन्स का ध्यान रखो। यह बिलों को हमें करने दो (व्यवधान) इसमें डिस्कस होने दो बिल।

श्री विष्णु मोदी : कितने माननीयों को और झेलना पड़ेगा ? यह बताओ आप पहले नाथूसिंहजी को सुना फिर दूसरे डाक्टर साहब को सुनेंगे और बाद में घनश्यामजी को सुनेंगे। आखिर यह जरा सा तो बिल है, चार लाइनें हैं उसमें (व्यवधान) ना, मैं तो नहीं बोलूंगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : इसका प्रोवीजन बहुत व्यापक है।

श्री विष्णु मोदी : व्यापक आप नहीं कहोगे तो यहां आधा घण्टे भाषण कैसे करोगे लेकिन बात तो आपको भी मालूम है, बात डाक्टर साहब को भी मालूम है, सबको मालूम है (व्यवधान) चार लाइन का बिल है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय विधायक महोदय, आप तो स्कूल चलाने

(श्री संयम लोढ़ा)

वाले हो और यह स्कूल में काम करने वालों से सम्बन्धित है। आपका क्या लेना देना इससे ? (व्यवधान) आपका कोई लेना देना नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : जब स्कूल चलाता हूं तो स्कूल चलाने वालों का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं मोदी जी स्कूल ही नहीं चलाते हैं (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : 1993 से 1998 के बीच में जितने भी बिल आए थे, अमेंडमैन्ट आए थे, सदन में ऐसा था क्या जो आपको नहीं सुना हो, हर बिल पर आप बोलते थे।

श्री सभापति : माननीय सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि रिपीटेशन न करें। जो बात आ गयी है वह ठीक है। नया कुछ हो तो वह बात बताएं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज अमेंडमेन्ट के लिए बिल 2004 जो माननीय मंत्री महोदय लाए हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं भारत के संविधान के 73 अमेंडमैन्ट की तरफ, 73वें अमेंडमैन्ट में जैसा सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आर्टिकल 243-जी

"243-G. Powers, authority and responsibilities of Panchayat. Subject to the provisions of the Constitution, the Legislative of a State may, by law to endow the Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon Panchayats at the appropriate level subject to such conditions as may be specified therein, with respect to-

(a) the preparation of plans for economic development ar social justice:

(b) the implementation of schemes for economic develop-

(डा. सी.पी. जोशी)

ment and social justice as may be entrusted to them including those in relation to the matters listed in the Eleventh Schedule."

माननीय सभापति महोदय, शिड्यूल-11 जो कांस्टीट्यूशन का है उस 11 शिड्यूल में 17 नम्बर पर एजूकेशन इनक्लूडिंग प्राइमरी एण्ड सैकेण्डरी स्कूल लिखा हुआ है, 243-जी के अनुसार जो संविधान का संशोधन पार्लियामेन्ट ने किया उस पार्लियामेन्ट संशोधन में यह कहा गया कि स्टेट गवर्नमेन्ट भी उसमें नियम बनाएगी लेकिन 11 शिड्यूल में 17 नम्बर पर जो सब्जैक्ट हैं जिसमें एजूकेशन के सम्बन्ध में प्राइमरी और सैकण्डरी एजूकेशन तक की व्यवस्था शिड्यूल में पंचायत को करने का प्रोवीजन किया था। तत्कालीन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1994 के एक्ट का अमेंडमैन्ट किया, 94 के एक्ट में अमेंडमैन्ट करने के बाद पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के शिड्यूल बना दिए, इनको क्या पावर देंगे, क्या पावर नहीं देंगे और निश्चित तौर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी घोषणा की। आपकी सरकार फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरीज के आधार पर पंचायत को ताकत देना चाहती है तत्कालीन जैसे रूरल डवलपमैन्ट मिनिस्टर वैकेय्या नायडूजी ने सम्मेलन किया, तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्रीजी अटल बिहारी वाजपेयी, लीडर आफ अपोजिशन, सारे हिन्दुस्तान के जन प्रतिनिधि आए। ग्राम सभा से लगाकर लोकसभा तक एक प्रोग्राम बनाया गया और उसमें घोषणा की गयी कि हम यह काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि संविधान का जो संशोधन है, जिस संशोधन को पार्लियामैन्ट ने पास किया, जिसके अन्तर्गत विधान सभा में कानून बनाया, उस कानून को बनाने के बाद आज हम पावर जो देना चाहते हैं आर.पी.एस.सी. को, इससे पंचायती राज ताकतवर होगा या कमजोर होगा ? मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं मंत्री महोदय कि हमारे जो कानून में पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी पावर क्या है वह भी जानने की मैं समझता हूं कि-

"Functions of Public Service Commission.- It shall be the duty

of the Union and the State Public Service Commission to conduct examination for appointment to the services of the Union and the services of the State respectively."

यू.पी.एस.सी. और आर.पी.एस.सी. का जो मेन फंक्शन है, यू.पी.एस.सी. का है केन्द्र सरकार, आर.पी.एस.सी. का है स्टेट गवर्नमेन्ट की सर्विसेज के सलैक्शन का काम करना। पंचायती राज की सर्विसेज स्टेट सर्विसेज में नहीं आती। स्टेट सर्विसेज के अन्दर हमारी जो आर.ए.एस. की सर्विसेज हैं, आर.पी.एस. की सर्विसेज हैं और दूसरी सर्विसेज हैं, वह सारी आती हैं। स्टेट सर्विसेज के सम्बन्ध में संविधान के अन्तर्गत यू.पी.एस.सी. और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का काम किया गया तो स्टेट के फंक्शन को डिफाइन कर दिया गया कि स्टेट का फंक्शन यह है सर्विसेज यह हैं और शिड्यूल एक्ट के अन्दर आपने कर दिया कि पंचायत की सर्विसेज ये हैं। जब पंचायत की सर्विसेज हमने डिफाइन कर दीं तो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मोटा फंक्शन है उस मोटे फंक्शन में यह सर्विसेज नहीं आती है। अब मुझे मालूम है आप कहेंगे इसमें एक क्लाज और लिखा हुआ है। उस क्लाज पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह क्लाज लिखा है-

Power to extend function of Public Service Commission.

इसलिए पावर आफ फंक्शन में लिखा हुआ है-

An Act made by Parliament or as the case may be, the Legislature of a State may provide for the success of additional function by Union Public Service Commission or the State Public Service Commission in respect to the services of the Union or the State, and also in respect to the & services.....", the services, not service, once again I want to draw your attention,...."and also in respect to the service of any local authority or other body incorporated/constituted by law, any other public institution."

आप इनमें जो लोकल बाडी की सर्विसेज हैं इसमें ग्राम सेवक को डिफाइन कर देते हैं, बी.डी.ओ. को डिफाइन कर देते हैं, आप ए.ई.एन. को

(डा. सी.पी. जोश..)

डिफाइन कर देते हैं, पंचायत राज में काम करने वाले दूसरे आदमियों को डिफाइन कर देते हैं और डिफाइन करने के बाद यह कहते हैं कि हमारी पंच यत राज की व्यवस्था में जो हमने कानून में संशोधन किया 89 सैक्शन और 90 के अन्दर जहां एस्टेब्लिशमैन्ट कमेटी होगी, पंचायत समिति की हो , जिला परि .द् की हो.ी, यह दोनों ही एक्ट में हमने प्रोवीजन किए वह हम रे काम करने के लिए ठीक नहीं हैं। उसमें लिटिगेशन हो रहा है। यह प्राब्लम हो रही है।

इसलिए हम इस सारे पावर का विथड्रा करके पब्लिक सर्विस कमीशन को यह अधिकार देना चाहते हैं तब तो आपका यह जो अमेंडमैन्ट है बिलकुल वैलिड अमेंडमैन्ट है। आप सारी पावर को पहले जो आपने पास किया, राजस्थान असेम्बली में आपकी सरकार ने पंचायती राज का एक्ट, 1994 पास किय.. जिसकी धार 89-90 में एस्टेब्लिशमैन्ट कमेटी बना रखी है। पंचायत समिति और जिला परि .द, उन पंचायत समिति और जिला परिषद् के फंक्शन में टीचर्स क अपाइन्टमैन्ट नहीं है। उनमें और जो सर्विसेज हैं उनके आ इन्टमैन्ट का अधिकार भी दे रखा है उस एस्टेब्लिशमैन्ट कमेटी को आपने भं. नहीं किया है। आपने केवल टीचर्स को रिक्रूट करने का अधिकार लिया है-

Which is tota. violation of the power given to the public Service Commission.

आप स री पंचायती राज की पावर की सर्विसेज को बताते कि हम पंच.यत की इन-इन सर्विसेज को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से करते और कानून लाकर प्रस्ताव पास करते तो आपका बिलकुल कानून का काम था, बिलकुल वैध था। आपने यह काम नहीं किया, आपने तो केवल मात्र सैक्शन 89-90 के अन्त.त, 89-90 की जो दो धारा हैं उस धारा के अन्दर आपने अमेंडमैन्ट किए और उस धारा में केवल अमेंडमैन्ट क्या किया, आपने उसमें सर्विसेज की चार कैटेगरीज लिखी हैं। उस कैटेगरी में आपने केवल मात्र आपके 89 में सर्विसेज लिखा है -

"The service may be divided into different categories, each

(डा. सी.पी. जोशी)

category being divided into different garades, and shall consist of -

(i) Village level workers;

(ii) Gramsevikas;

(iii) Primary and Upper Primary school teachers; and

(iv) ministerial establishment....."

आप मुझे बताएं यह आपके एक्ट में प्राइमरी स्कूल टीचर लिखे हुए हैं। माननीय मंत्रीजी, आप स्वयं जानते हैं कि थर्ड ग्रेड का अध्यापक जो बनता है, थर्ड ग्रेड का अध्यापक पंचायत समिति का बनता है उसकी सर्विस कंडीशन अलग है। थर्ड ग्रेड का अध्यापक जो शिक्षा विभाग का बनता है उसकी सर्विस कंडीशन अलग है। थर्ड ग्रेड अध्यापक बनते हैं उसकी सीनियरिटी अलग है। उसकी सीनियरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। आप मुझे बताएं कि आप एक आर.पी.एस.सी. के आधार पर थर्ड ग्रेड टीचर का रिक्रूटमेन्ट करेंगे, थर्ड ग्रेड टीचर में जो शिड्यूल्ड एरिया है, ट्राइबल इलाका है वहां पर शिड्ल्ड एरिया की जो पोस्टे हैं उनके अन्दर आदमी कैसे जायेगा ? आप सारे राजस्थान का सलैक्शन कर रहे हैं शिड्यूल्ड एरिये में काम करने वाले जो परमानेन्ट शिड्यूल्ड ट्राइब के भाई हैं उनका परसेंटेज फिक्स है इतने आदमी की भर्ती करेंगे उनके सम्बन्ध में आपने कोई प्रोवीजन नहीं किया।

आपने बैक लाग के सम्बन्ध में कोई प्रोवीजन नहीं किया। माननीय मंत्री महोदय, मुझे कहते हुए तकलीफ है, आपने अभी जो वेकेंसीज निकाली हैं इसमें बैक लाग के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। आपने प्रजेंट वेकेंसीज को आधार मानकर वेकेंसी निकाली। आपने बैक लाग की वेकेंसी के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की है। आज पंचायत राज के जितने अध्यापक हैं उनके बैक लाग का यदि हम ठीक ढंग से आंकड़ा देखें तो करीब बीस से पच्चीस हजार आदमी एस.सी., ट्राइब का, यह आधार भी माननीय मंत्री महोदय स्ट्रेट नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट के थर्ड ग्रेड का रिक्रूटमेन्ट थर्ड ग्रेड के आधार पर होता है इसलिये थर्ड ग्रेड में अलग-अलग जगह पर अलग-अलग आधार में एस.सी. ट्राइब का रिक्रूटमेन्ट है।

(डा. सी.पी. जोशी)

मैं जब सरकार में था। पंचायत राज में जब इसलिये स्टे आ गया कि एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के आदमी पूरी सीटें भरी हुई थीं। जनरल आदमी भर नहीं सकते हैं। सरकार का यह नियम है, जी.ए.डी. का वह भी देख लें आप। इसमें लिखा हुआ है कि फिफ्टी परसेन्ट रिक्रूटमेन्ट डिजायरेबल है। इट इज नाट असेंशियल। पर कांस्टीट्यूशन अमेंडमैन्ट में यह हो गया था कि बैक लाग को हम पूरा भरेंगे। इसलिये सारे जो लिटिगेशन, दो चीजें हैं।

नम्बर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीनियरिटी बनती है थर्ड ग्रेड टीचर की। जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थर्ड ग्रेड टीचर की सीनियरिटी बनती है तो थर्ड ग्रेड का रिजर्वेशन भी उस आधार पर होगा। उस डिस्ट्रिक्ट में एस.सी. की पोस्ट कितनी हैं, एस.टी. की पोस्ट कितनी हैं, ओ.बी.सी. की पोस्ट कितनी हैं। शिड्यूल्ड एरिये में हमने यह कर दिया कि 126 स्केल के अन्दर सारी पोस्टें रिजर्व शिड्यूल्ड ट्राइव के अन्दर रिजर्व है उनका रिजर्वेशन अलग होता है। आपने जो सारी वेकेंसीज निकाली उसमें न शिड्यूलड एरिया के सम्बन्ध में मेंशन किया, न आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के सम्बन्ध में मेंशन किया कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना होगा। आर.पी.एस.सी. पूरे स्टेट की लिस्ट बनाकर आप भेज देंगे तो धौलपुर का आदमी बांसवाड़ा चला जायेगा। बांसवाड़ा का आदमी जालौर चला जायेगा, जालौर का आदमी जयपुर चला जायेगा और फिर उसकी सीनियरिटी को फोर गो किये बिना आप ट्रान्सफर नहीं कर सकते। कटारिया साहब बैठे हुए हैं, मंत्री रहे हुये हैं। हम थर्ड ग्रेड के टीचर को इन्टर डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सफर करते हैं तो उसको लिखकर देना पड़ता है कि मैं अपनी सीनियरिटी को फोर गो करूंगा। वह सीनियरिटी को फोर गो नहीं करेगा उसका ट्रान्सफर नहीं हो सकेगा। हम सारी चीजों को इतनी हेस्ट में कर रहे हैं कि उनके कोरसपोंडिंग जो चेन्ज है, जो तकलीफ आयेगी उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं।

पंचायती राज के अन्दर जो काम करने वाले अध्यापक थे उनकी 75 परसेन्ट वेकेंसीज जब एजुकेशन में निकलती थी थर्ड ग्रेड टीचर की तब 75 परसेन्ट पंचायत राज का अध्यापक शिक्षा विभाग में जाता था। अब आपने यह व्यवस्था भी भंग कर दी। केवल मात्र राजीव गांधी पाठशाला, शिक्षाकर्मी, लोक

(डा. सी.पी. जोशी)

जुम्बिश की समस्या है, मैं इनको मना नहीं करता हूं। इस समस्या के सम्बन्ध में कोई चर्चा करके व्यवस्था करनी चाहिये। एक व्यवस्था आप कर रहे हो, एक व्यवस्था का तरीका हो सकता है, मैं इसको मना भी नहीं करता लेकिन इससे बढिया तरीका भी क्या हो सकता है उसके सम्बन्ध में भी विचार किया जाना चाहिये कि क्यों हमें पंचायत राज में इस तरह की व्यवस्था नहीं करनी चाहिये कि पंचायती राज में आपका चुना हुआ सरपंच, आज आपके राज में चुनाव होंगे आपकी पार्टी का आदमी प्रधान होगा, आपकी पार्टी का आदमी प्रमुख बनेगा, आपकी पार्टी का आदमी सरपंच बनेगा, आप उसको एस्टब्लिशमेन्ट पावर नहीं देना चाहते हैं। सारी पावर आप विथड्रा करना चाहते हैं। सारी पावर्स आर.पी.एस.सी. की विथड्रा कर लेंगे तो चुना हुआ पंचायत का सरपंच, प्रधान और प्रमुख 73 अमेंडमैन्ट में तो अब क्या काम करेगा। खाली एक समस्या का निदान करने के लिये हम एस्टब्लिशमेन्ट कमेटी को डिफेम कर दें, माननीय मंत्री महोदय मुझे बतायें कि पंचायत राज में आपने 89 और 90 की एस्टब्लिशमेन्ट कमेटी को भंग किया है क्या ? एस्टब्लिशमेन्टी कमेटी आज भी एग्जिस्ट करेगी। एस्टब्लिशमेन्ट को एग्जिस्ट करेगी। वह एक्ट को जो पार्लियामेन्ट में अमेंडमेन्ट हुआ, जो स्टेट असेम्बली ने एक्ट को अमेंड किया उस आधार पर एस्टब्लिशमेन्ट काम कर रही है और यह जो लिस्ट भेजोंगे वह एस्टब्लिशमेन्ट कमेटी के हम टीचर को लगाते हैं तो फिर क्या वह कोर्ट में जायेगा आदमी, या तो आप एस्टब्लिशमेन्ट कमेटी भंग करते और यह कहते कि एस्टब्लिशमेन्ट सारी भंग है और जो हम लिस्ट भेजेंगे उस लिस्ट को हम कर लेंगे। आप वह लिस्ट नहीं भेजना चाहते हैं, सरकार नियम भी बनायेगी, एस्टब्लिशमेन्ट कमेटी को हम भंग भी नहीं करेंगे, एक्ट के अन्दर एस्टब्लिशमेन्टी कमेटी भी रहेगी तो यह द्वंद बढ़ता रहेगा और उसके लिटिगेशन का भी कोई अन्त नहीं होगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कोई भी हो, जमाना आ गया पंचायतीराज को पावर करना पड़ेगा, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा।

थर्ड ग्रेड अध्यापक आप प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल जितने हम खोल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्

(डा. सी.पी. जोशी)

का इन्टरवेंशन रहेगा और वहीं इफैक्टिव उसकी मानीटरिंग हो सकती है, यह हमें मानना पड़ेगा। हमारे डी.ई.ओ., बी.डी.ओ. सब पंचायत समिति, जिला परिषद की स्कूलों को नहीं कर सकते हैं, हमें पब्लिक पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, जन सहयोग लेना पड़ेगा। लोगों को, जन प्रतिनिधि को हमें एम्पावरमेन्ट करना पड़ेगा। आज एक मंत्री के रूप में, शिक्षा मंत्री पूरे राजस्थान के इतने अध्यापकों की शिक्षा का मानीटरिंग कर सके और एक पंचायत का सरपंच नहीं कर सके, प्रधान नहीं कर सके, हम कैसे जन प्रतिनिधि हैं। हम अपनी पावर तो लेना चाहते हैं लेकिन पंचायत के चुने हुए सरपंच, प्रधान और प्रमुख, उसने गलतियां कर दी एस्टब्लिशमेन्ट में लिटिगेशन हो जायेगा इसलिये हम पावर विदड्रा करना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारी खुद की मानसिकता यह है कि हम पावर में हों, हम कलम से आर्डर निकालें वह तो सही है लेकिन पंचायत का सरपंच, प्रधान और प्रमुख गलती करेगा इसको करने के लिये हमने आर.पी.एस.सी. का एग्जामिनेशन करवाया। यदि गलतियां हुई हैं, एस्टब्लिशमेन्ट में रिक्रूटमेन्ट में गलती हुई है तो सरकार को पूरा अधिकार है लोगों को पनिश करे, सजा दे, नियम बनाये, कानून बनाये और कानून को ठीक ढंग से लागू करने के लिये कमी खामी है उसको ठीक करे। उस बीमारी का इलाज यह नहीं कि सारी पावर्स को हम विदड्रा करें, हम आर.पी.एस.सी. को दे दें उससे तो पंचायती राज एम्पावरमेन्ट नहीं होगा। मैं आपकी इस भावना को मना नहीं करता लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि यदि आर.पी.एस.सी. के माध्यम से थर्ड ग्रेड टीचर रिक्रूट कर रहे हैं तो इसकी कांसीक्वेंसेज में जितना चेंजेज है वह भी आपको साफ करना पड़ेगा कि हंडरेड परसेन्ट अब पंचायत समिति के माध्यम से ही रिक्रूटमेन्ट होगा। थर्ड ग्रेड के अध्यापकों की भर्ती हम नहीं करेंगे। हम डिंस्ट्रिक्ट की जो सीनियरिटी है उसको ठीक ढंग से नहीं करेंगे शिड्यूल्ड एरिये के अन्दर जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनके सम्बन्ध में हम क्या करेंगे, जिन डिस्ट्रिक्टस में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का कोटा बहुत ज्यादा है वहां जनरल कैटेगिरी का आदमी क्या काम करेगा, इतनी ज्यादा स्थिति पैदा हो जायेगी जिसके सम्बन्ध में भी चर्चा करने की आवश्यकता है।

(डा. सी.पी. जोशी)

मैं यह नहीं कहता, आपकी इंटेशन पर मैं चेलेंज नहीं करता। पर किसी समस्या के निदान के लिये कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ता है। आपको आर.पी.एस.सी. ठीक लगी एक तरीका है, एक रास्ता है वह भी समस्या का एक निदान हो सकता है लेकिन इसके कांसीक्वेंसेज में क्या होगा वह भी समझने की आवश्यकता है। यदि आज राजीव गांधी पाठशाला के तेईस हजार अध्यापकों में से दस हजार अध्यापक थर्ड ग्रेड टीचर में सलेक्ट हो गये तो दस हजार राजीव गांधी पाठशाला तो खाली हो गयी, उनको भरने के लिये क्या व्यवस्था है ? आपने सोचा ही नहीं, आपने कोई व्यवस्था ही नहीं की कि राजीव गांधी पाठशाला को भरने के लिये हम क्या व्यवस्था करेंगे। यह जो अध्यापक वहां जायेगा उनकी जगह राजीव गांधी पाठशाला में पढ़ाने वाला आदमी कहां से आयेगा ? पंचायत राज के माध्यम से आयेगा, जिला परिषद के माध्यम से आयेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेन्ट के आधार पर आयेगा, उसके सम्बन्ध में हमने कोई चर्चा नहीं की है इसलिये मैं चाहता हूं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम कर रहे हैं उसकी जो नेचुरल कोरोलरी में बाकी चीजें है, शिक्षाकर्मी योजना 98 के जो टीचर हैं उनकी समस्या है, लोक जुम्बिश की समस्या है, उसके सम्बन्ध में आप पूरा मानस बनाकर एक पूरा फैंसला कर लें कि यह हमें व्यवस्था करनी है और व्यवस्था करनी पड़ेगी माननीय मंत्री महोदय।

जब पंचायती राज के सम्बन्ध में तो आप आर.पी.एस.सी. को अधिकार दे रहे हैं तो यूनिवर्सिटी और कालेज में जो एडहाक लैक्चरर बने हुए भर्ती हुए हैं उनके सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं। बढिया है हायर एजुकेशन में भर्ती हो जाएं, उनके सम्बन्ध में नियम और कानून नहीं बनेंगे लेकिन छोटी जगह पर नियम और कानून बनाने की हम व्यवस्था कर लें, मैं समझता हूं यह भी व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज को आप.....

श्री शांतिलाल चपलोत : आप क्या कहना चाहते हैं...

डा. सी.पी. जोशी : मंत्रीजी कह देंगे तो क्या मतलब है। इनसे मतलब है ही नहीं। यह तो मेरे मित्र हैं.....

श्री विष्णु मोदी : बहुत सुन लिया लेकिन आप यह तो बताओ कि आप चाहते क्या हो। कैस तरह से करें यह तो बताओ आप। आप मेरे को तो (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : वह भी बता रहा हूं.....(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : समस्या के समाधान के लिये ही तो कह रहे हैं आपको.....(व्यवधान) वह इनकी खिलाफत कर रहे हैं.....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : डाक्टर साहब, मैं आपको बहुत गहनता से सुन रहा था। अब उधर तो बी.एन. शर्मा साहब कानून बनाने वाले, इधर आप काटने वाले। आपका सारा भाषण सुन लिया उसमें यह पता लगा नहीं कि..... (व्यवधान) बात भी तो समझा करो कभी.....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मुझे पता नहीं है.....(व्यवधान) सरकार में मंत्री बन जाओगे......

श्री संयम लोढ़ा : पहले अपनी जगह से बोलो, इधर से नहीं बोल सकते आप......

श्री विष्णु मोदी : आप यह भी तो बताओ कि आखिर चाहते क्या हो, कैस तरह से करें....

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये, यह पंचायती राज मंत्री रहे हुए हैं। आप अपने निजी रिश्तों को कि फ्लां वह कानून बनाने वाले हैं, अब यह बड़ी अनुचित बात है इस केस्म की बात को यहां कहना। मैं इसका I take strong objection to all this.

श्री विष्णु मोदी : I am sorry. I have taken the objection noted.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मोदीजी वह जिसको समझा रहे हैं, वह समझ रहा है। मैं समझ रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : मैं शिक्षा मंत्री के जो प्रयास हैं उनको मना नहीं कर रहा हूं लेकिन इस समस्या का स्थायी निदान हम लोगों को मिलकर निकालना पड़ेगा। कोई समस्या हम तो कियेट कर दें. प्राब्लम बता दें, यह

बात नहीं होगी। शिक्षा के समाधान में क्या-क्या इशुज हो सकते हैं, मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया। मैंने यह कहा कि आपका एक प्रयास, एक तरीका हो सकता है समस्या के निदान का, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसके कोरसपोंडिंग जो चेंजेज करने हैं वह चेंजेज हमने नहीं किये हैं जिसमें एस्टब्लिशमेंट कमेटी के समबन्ध में क्या करना है, पंचायती राज के एक्ट के सम्बन्ध में जो शिड्यूल 11 है उसके समबन्ध में हमें क्या करना है, वह कोरसपोंडिंग चेंज शिक्षा विभाग के सीनियरिटी के समबन्ध में क्या करना है, शिड्यूल्ड एरिये के रिक्रूटमेन्ट के सम्बन्ध में क्या करना है।

मैं एक ही उदाहरण देता हूं। माननीय मंत्री महोदय, यह स्थिति बन जायेगी, आपको यह एनविशेज करना पड़ेगा कि यदि 32 डिस्ट्रिक्टस में 10 डिस्ट्रिक्टस में जनरल पोस्टें खाली नहीं थर्ड ग्रेड की तो थर्ड ग्रेड के दो डिस्ट्रिक्ट के आदमी कभी भी आल आवर डिस्ट्रिक्टस में नहीं जा सकेंगे। हमें कुछ न कुछ इन चीजों के सम्बन्ध में चर्चा कर लेनी चाहिये इसलिये मैं चाहता हूं कि यह जो अमेंडमेन्ट आप लायें हैं वह तात्कालिक समस्या का एक निदान हो सकता है लेकिन टोटल इसका निदान नहीं है और इस निदान के साथ पंचायती राज कमजोर हो रहा है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि at the cost of the speed-up, जब भारत सरकार, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्रीजी, आपकी सरकार फंडस, फंक्शन और फंक्शनरीज ट्रान्सफर करना चाहती है 73 अमेंडमेन्ट, 74 अमेंडमेन्ट पार्लियामेन्ट से पास हो चुका है। 94 पंचायती एक्ट आप पास कर चुके हैं। 96 एक्सटेंडेड लागू है, उस सबके बाद समस्या का हम यह निदान कर रहे है यह बीमारी का स्थायी निदान नहीं है, इसकी कोस्ट पर पंचायती राज कमजोर होगा और यदि पंचायती राज कमजोर करने की हमने कर दी। आज पंचायती राज में माननीय मंत्रीजी है क्या ? भारत सरकार का पैसा है, काम करवा लो रूरल डवलपमेन्ट का, अध्यापक का रिक्रूटमेन्ट करवा लो। अध्यापक के ऊपर जाकर काम कर लो कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कोई मोटा पंचायती राज में

फंक्शन नहीं है इसलिये यदि पंचायती राज को हमें एम्पावरमेन्ट करना है तो हमें नियम और कानून इस तरह के बनाने चाहिये ब्लेक एण्ड व्हाइट में जिससे जिला परिषद की स्थायी समिति मनमानी नहीं कर सके। उनको रोकने का काम किया जाना चाहिये लेकिन एस्टिब्लिशमेन्ट कमेटी मजबूत हो, वहां शिक्षा विभाग का अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी, जिला प्रमुख हो, प्रधान हो, वह न्याय कर सकें और रिक्रूटमेन्ट ठीक ढंग से हो सके तब तो स्कूलें आपकी ठीक ढंग से काम करेंगी बाकी अध्यापक भी जायेंगे पालिटिकल प्रेशर आपको रखना होगा, नाथूसिंह जी पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने एक फैसला किया था कि हम पांच साल तक ट्रान्सफर नहीं करेंगे' बांड लिखकर के आप भेज दें। वह व्यवस्था भी भंग हो गयी और अलटीमेटली हमें विदड्रा करना पड़ा इसलिए सब चीजों को समझना पड़ेगा। आज कुछ जगह पर तो हमारे टीचर्स की बहुत कमी है वहां टीचर्स जाते ही नहीं हैं कोटड़ा में जाते नहीं हैं, कहीं से व्यवस्था कर दें आप, डूंगरपुर में आप चले जाएं, जालौर के अन्दर चले जाएं। ऐसी बहुत सी पंचायतें हैं जहां टीचर्स आज भी नहीं आते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीमारी का अस्थायी निदान करने की कोस्ट पर पंचायती राज को कमजोर नहीं किया जाये। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि जैसा माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है कि हम फण्ड, फंक्शन के ट्रान्सफर करेंगे। केबिनेट की सब कमेटी बन रही है इनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम यह समझते हैं कि यह जो अमेंडमेन्ट आपने मूव किया है वह पंचायती राज को कमजोर करने का मूव है इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा, टीचर्स की समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। राजीव गांधी पाठशालाओं में अन्याय हुआ है तो उनको बाहर निकाल दें लेकिन अलटीमेटली आपको पंचायत में प्राइमरी एजुकेशन में पब्लिक पार्टिसिपेन्ट करना पड़ेगा। बच्चों की भर्ती करनी पड़ेगी, रिटेन्शन करना पड़ेगा

अब तो एन.जी.ओ.एस.एस.ए. ने पांचवीं तक बच्चों को कैरी आउट कर दिया, हमारी ड्राप आउट की रेट कितनी है ड्राप आउट की रेट सरकारी आर्डर से नहीं निकलेगी उसमें पंचायत के सरपंच को इन्वाल्व करना पड़ेगा। जनता को

(डा. सी.पी. जोशी)

इनवाल्व करना पड़ेगा। इन सब चीजों के सम्बन्ध में आप यदि मानस बनाते हैं कि कोई समस्या का समाधान है तो मुझे कुछ नहीं कहना है और यह समस्या आगे आने वाले समय में है। मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि इसको हैस्ट नहीं करें। इसको वापिस दुबारा देखने के बाद ठीक समझें तो इन सब चीजों को अमेंडमेन्ट करने के बाद इसको लेकर आये। इसलिये मैंने आपको कहा कि यदि आप इन बातों को उचित समझें तो जनमत जानने के लिए परिचालित करें नहीं तो जैसा आप जवाब देंगे उस आधार पर हम अपनी बात कहेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री हेमाराम जी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : सभापति महोदय, यह जो बिल पेश किया गया है और इसमें जो कारण बताये गये उसमें कारण बताया डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटी के प्रोसीजर डिफरेन्ट-डिफरेन्ट रहे। इसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटी ठीक से काम नहीं कर रही थी। आप अमेंडमेन्ट तो लाये लेकिन इस कमेटी के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि वह गवर्नमेन्ट के इंस्ट्रक्शंस को ठीक ढंग से फालोअप नहीं कर रही थी। अलग-अलग अर्थ निकाल रही थी। इसका मतलब इन कमेटियों को गवर्नमेन्ट के आदेश, डायरेक्शंस समझ में नहीं आ रहे थे जो अलग-अलग फैसले ले रही थी। सही ढंग से सलेक्शन नहीं हो रहे थे। इस तरह के जो आपने कारण बताये हैं, एक्ट लाने के लिए, बिल लाने के, उनमें आपने स्पष्ट लिखा है। मेहरबानी करके डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटी को आरोपित तो नहीं करते। कानून तो आप बनाना चाहेंगे तो आप बनायेंगे। लेकिन उनको तो आप इस तरह से बदनाम नहीं करते। यह पंचायती राज संस्थाओं को आपने बदनाम करने का काम किया है। यहां पढ़ लें आपने स्पष्ट लिखा है। इसका आप जवाब दे दें कि यह आपने क्यों लिखा है,

These committees adopted different procedure, yardsticks for selection by interpreting rules and departmental instructions in different way.

(श्री हेमाराम चौधरी)

यह उन्हीं पर आरोप लगाया कि वह ठीक ढंग से काम नहीं कर रही थी इसलिए हमें मजबूरन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को यह अधिकार देने के लिए यह कानून इस पवित्र सदन में पास करवाना पड़ा। यह पंचायती राज के ऊपर सीधा-सीधा आरोप है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : यह लिखा है आपने इसलिए कह रहा हूं।

दूसरा, पंचायती राज में यह जो राजीव गांधी पाठशालाएं हैं इसमें शिक्षा सहयोगी और मिडिल स्कूलों में पैराटीचर्स लगाये हैं, महिला पैराटीचर्स लगाये हैं, लोक जुम्बिश में शिक्षा कर्मी भी हैं। यह भी पंचायती राज संस्थाओं ने पंचायतों में इनको नियुक्ति दी, ग्राम सभाओं ने नियुक्ति दी और ग्राम सभा में सरपंच ने कोई अकेले में नियुक्ति नहीं दी है, आम सभा जो पंचायतों में होती है उसमें इनकी नियुक्ति हुई है। चार-पांच साल से यह काम कर रहे हैं। उन पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। उन्होंने नियुक्तियां की हैं वह ठीक नहीं की है अब हम नियुक्तियां आर.पी.एस.सी. से करवायेंगे। अब उनको नियुक्तियां दे दीं, वह काम कर रहे हैं। उनका भविष्य बहुत अंधकारमय है। आपका यह कानून है, आप कहेंगे कि वह आर.पी.एस.सी. से सलेक्ट हो जायेंगे, एग्जाम में अपियर हों, उनको हम रोक नहीं रहे हैं, आर.पी.एस.सी. में कितने-कितने आवेदन आये हैं यह तो आपको मालूम है। जो पहले से लगे हुए हैं उनकी ही आप समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपने और इनवाइट कर दिया, जो पहले से भोजन पर बैठे हैं, उनको ही भोजन पूरा नहीं हो रहा है, उनका ही हल नहीं हो रहा है। आप सारे लोगों को न्यौता दे रहे हैं कि आइये हमारे यहां पर हम आपके ही टीचर्स लगायेंगे। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि आप इनके लिये दूसरी तरह से भी रास्ता निकाल सकते हैं। आप कहते हैं कि हाईकोर्ट चले गये, हाई कोर्ट से स्टे हो गया। नाथूसिंहजी गुर्जर ठीक कह रहे थे हाईकोर्ट से स्टे हो गया तो यह मिली-भगत का मामला है। पैरवी नहीं करेंगे तो होगा ही, एक तरफा सरकार चाहती ही नहीं है कि कोई फैसला हो। हाईकोर्ट में ही लटका रहे जिससे कि अपाइन्टमेन्ट देने की फिर आवश्यकता ही

(श्री हेमाराम चौधरी)

नहीं पड़े। यह कहने को हो जाये कि हम क्या करें। हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है। मामला कोर्ट में है। आज सब यह कह रहे हैं कि सारे मामले कोर्ट में चले गये इसलिए मैटर सबजडिस हो गया। यह अच्छी बात है तो फिर स्टे है या नहीं है। कोर्ट में तो कोई भी चला जाये। किसी को भी आप स्वयं भेज दो। कोर्ट में रिट लगा दो। फिर उसके बाद में हम कह देंगे कि मामला सबजुडिस हो गया और यह पड़े रहेंगे 20 साल तक, पता नहीं जिन्दगी भर चलता रहता है, कई लोगों की तो जिन्दगी में ही फैसला नहीं होता। कोर्ट के द्वारा तो कोई काम होता नहीं है। इसलिए आपकी मंशा किसी समस्या का समाधान करने की नहीं है। किसी को नियुक्ति देने की नहीं है तो फिर कोर्टस का ही बहाना आपके लिए काफी था, नहीं तो मेरा यह निवेदन है कि इसके लिए पहले आप समाधान करते। उनके लिये समाधान यह भी हो सकता है, आप एक्सपीरियंस के मार्क्स रख देते। आपके ग्रामीण के, डिस्ट्रिक्ट के मार्क्स थे वह हाई कोर्ट के निर्णय आने के बाद, आपने पैरवी नहीं की, वह किस प्रकार से फैसले हुए वह नाथूसिंहजी गुर्जर ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं और वह तो हो गया, वापस आ गया। अपील ही नहीं की होगी। क्या किया, क्या नहीं किया वह तो आप जानें लेकिन इसका समाधान भी हो सकता है। आप एक्सपीरियंस के मार्क्स कर देते या अनुभव इतने साल का जिसका शैक्षणिक भी अनुभव होगा उनको वरीयता मिलेगी। या वही एलिजिबल होगा। अगर यह आप कर देते। चार साल का जिनका शैक्षणिक अनुभव होगा वही एलिजिबल होगा आर.पी.एस.सी. में थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए तो जो पहले लगे हुए हैं वहीं एलिजिबल होते, वहीं एप्लाई करते और वह आर.पी.एस.सी. में सलेक्ट हो जाते। उनकी समस्या का समाधान भी हो जाता और आपको भी कुछ राहत मिलती। नहीं तो आज इतने सारे आ गये, उनका एक का भी सलेक्शन नहीं होना है। बहुत कम हैं, कोई एक-दो परसेन्ट तक मैं नहीं कह सकता हूं। जो भी राजीव गांधी पाठशाला में शिक्षा सहयोगी, पैराटीचर्स और शिक्षा कर्मी लगे हुए हैं, क्यों नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे कि वह तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां गांव में पड़े हैं, गांव में उनको आगे पढ़ने का अवसर तो है नहीं, वह तो बच्चों को पढ़ायें, स्वयं तो क्या पढ़ें। उनको तो जो कुछ था पहले

(श्री हेमाराम चौधरी)

वह भूल गये होंगे इतने दिनों में और शहरों के अन्दर यहां जो कम्पिटेशन की तैयारी कर रहे हैं। जो आर.ए.एस., आई.ए.एस., आई.पी.एस. में ना जाने किस-किसमें सलेक्ट नहीं हुए, उनकी ति री इसमें काम आ जायेगी। जो एस.टी.सी., बी.एड. भी किये हुए हैं और वह . . व . से तैयारी कर रहे हैं, उधर नहीं हुआ वह सब लोग इधर टीचर्स के सलेक्शन में आयेंगे। एक-दो परसेन्ट तक मैं नहीं कह सकता हूं, बाकी सलेक्शन नहीं हो . ।

श्री घनश्याम ति ड़ी : बी.एड. ही आयेंगे......(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : ऐसे करो उनको भगा दें। उनको कह दो, यही मैं कहना चाहता हूं, मुझे भी ऐसे लग रहा था कि आपकी मंशा यह है कि किस प्रकार से यह कांग्रेस के शासन में जो राजीव गांधी पाठशालाओं में शिक्षा सहयोगी लगे, जो पैराटीचर्स लगे, शिक्षा कर्मी लगे, किस प्रकार से उनको वंचित किया जाये क्योंकि इनके ऊपर कांग्रेस का ठप्पा लगा हुआ है।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं . . इनको इन्टरप्ट नहीं कर रहा हूं। इनके सामने दिक्कत वही आ रही है जो आप . . . च सालों में परेशानियां खड़ी कर गये। अगर आप पहले की तरह रिक्रूटमेन्ट ठीक करते रहते तो यह दिक्कतें नहीं आतीं। वहां एक बार बदली फेर दो महीने बाद दूसरी तरफ बदल दी, तीन महीने बाद तीसरी तरफ बदल दी।

श्री हम्मद . . लेर . . द : . . आ . . . पी. जोशी साहब आयेंगे तब कहना, यह आप हेमारामजी को मत कहो।

डा. एन.एस. गुर्जर : बुलाइये ना, वह . .पी. जोशीजी को बुलायें मैं उनके सामने ही कह रहा हूं।

श्री हम्मद . हेर . . द : यं, . . आ रहे हैं। आपको जब जवाब मिलेगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं . ल रहा हूं। परिपत्र कितने-कितने चेन्ज करके भेजे हैं आपने उनके रिक्रूटमेन्ट में। यह मेरे . स हैं . . . क्या बात कर रहे हैं। इसलिए इनके सामने दिक्कत हुई है।

. . . ति : हेमारामजी . . त आ गयी है। मंत्रीजी का जवाब आ जाये फिर आप बोलना। . . रित हो . ये।

श्री हेमाराम चौधरी : आप कह रहे हैं कि हमने ही उलझाने का काम किया है। आपको मालूम होगा जिस वर्ष विधान सभा के चुनाव थे उस समय वह हमारे खिलाफ किस तरह से एजीटेशन कर रहे थे। उस समय आपके प्रतिनिधि उन एजीटेशन समारोह में जाकर भाषण देते थे कि यह कांग्रेस वाले आपका कुछ नहीं करने वाले। इसका तो एक ही हल है कि आप इनको सत्ता से हटा दो और हमको सत्ता में ले आओ। हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। मुझे याद है बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, बाड़मेर में भी धरने पर बैठे हैं। शिक्षाकर्मी, शिक्षा सहयोगी, पैराटीचर्स वगैरह धरने पर बैठे थे तो हम गये उनसे मिलने और यह भी मिलने गए। हम गए तो हमसे उन्होंने कोई बात ही नहीं की ठीक ढंग से और ये गए तो इन्होंने उनको आश्वासन दिया, खूब तालियां गड़गड़ा उठीं। मैंने कहा हो गया आपका तो काम, बस तालियां बज गई, इनका काम हो गया, तालियां बज गई, काम हुआ कि नहीं हुआ।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री गृह) : माननीय हेमारामजी, आप 1989 और 1990 के सैक्शन में जो अमेंडमेन्ट है उस पर बोलो, बाकी यह तो मुझे अनुभव हुआ।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं उसी पर बोल रहा हूं। 1989 में जो आप लेकर आए हैं, आर.पी.एस.सी. से सलेक्शन का जो अधिकार आप ले रहे हैं, यह उनके साथ अन्याय करने के लिए ले रहे हैं। उनके साथ न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा, यह मैं कहना चाहता हूं। मेहरबानी करके आप उनके साथ न्याय करें जो पहले से लगे हुए हैं। पहले सरकार किसकी भी थी, हमारी थी, कांग्रेस की थी, जिस किसी की भी थी, उनको सरकार ने लगाया, उनको किसी व्यक्ति ने नहीं लगाया। अब सरकार ने जो काम कर दिया उसको वापस आप उलटने का करो। कल आपकी सरकार चली जाएगी फिर हम दूसरा काम करे, आप कोई लगाओगे उनको हटाने का काम करें। क्या यही क्रम चलता रहेगा ? इसलिए अब जिम्मेदारी आपकी है और इस विधान सभा के चुनाव में आपको याद है सब माननीय मंत्री अमरारामजी, कि उन्होंने किसका साथ दिया। आपका साथ दिया, सोच लो आप। इस बार आपका दिया, स्थायी नहीं किया तो फिर कांग्रेस का साथ देंगे आने वाले टाइम में, फिर वापस कांग्रेस की तरफ

(श्री हेमाराम चौधरी)

चले जाएंगे, यह अ.पकी शंका है।

इसलिए मैं मं महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसका समाधान करें उनके लिए आप एक्सपीरियंस के मार्क्स कर दें तो उनका समाधान हो सकता है। लेकिन उनका समाधान निकले इस बात की परवाह की नहीं, आपने नहीं सोचा, हमने भी नहीं सोचा, तभी तो लटके हुए हैं। हम सोच लेते और उनका समाधान कर देते तो हमें भी यह दिन नहीं देखने पड़ते। आप भी अ .र नहीं देखेंगे, सोचेंगे तो फिर हमने जो आज का दिन देखा है, वह दिन आपको भी देखना पड़ सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अभी बाड़मेर से आने वाले कह रहे थे कि मैंने कितने ही मास्टरों, अध्यापकों को लगा दिया पंचायत समिति में जब मैं प्रधान था। लगाओ, लगाओ न, जब लगाया कांग्रेस का राज था राजस्थान में। अब लगाओ। अब तो आप क्या लगाओगे, प्रमुखजी बैठे देखते रहेंगे, प्रमुखजी के हाथ में ही कुछ नहीं धरा। टीचर्स का जो था वह तो हटा ही दिया इसमें, बाकी आपको जो अधिकार मिल रहा है, ठीक है। मैं तो यह समझ रहा था कि पंचायती राज को आप और अधिकार देंगे, वह देने की बात तो दूर रही उनको जो मिला हुआ है वह भी आप वापस ले रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं पर आपको अविश्वास नहीं करना चाहिए। आप जो अधिकार पब्लिक सर्विस कमीशन को देने जो रहे हैं उसका मैं घोर विरोध करता हूं।

सभापति : माननीय श्री गोपाल बाहेती। (व्यवधान) माननीय श्री अमरारामजी धोद। माननीय श्री सुभाष चन्द्र जी शर्मा। माननीय श्री महीपालसिंहजी यादव। (व्यवधान) माननीय श्री गंगारामजी चौधरी। ठीक है आप बोलें अमरारामजी धोद।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004 में टीचर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने के जो कारण गिनाए गए हैं, लिटिगेशन हो रहे हैं। लेकिन जिला स्तर पर जो चयन समिति थी वह अपने नियम नहीं बनाती थी, चाहे सरकार आपकी हो या किसी की। किस तरह से रिक्रूटमेन्ट करना है,

(श्री अमराराम)

इसके नियम तो राजस्थान सरकार हमेशा अपने स्तर पर तय करती है और उसी के अनुसार स्थायी समिति नियुक्ति करती थी। अब गलती तो राजस्थान सरकार करे और उसको भुगते राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था, मैं नहीं समझता कि यह उनके साथ न्याय है।

इस संशोधन के माध्यम से आप उनके साथ जो सबसे बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं, ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में पंचायती राज के जो कर्मचारी थे उनको राजस्थान सरकार के कर्मचारी नहीं माना जाता था। उसका नतीजा यह था कि राजस्थान सरकार का कर्मचारी जो पंचायत समिति और जिला परिषद् में डेपुटेशन पर काम करता है, उसको तो एक तारीख को तनख्वाह मिलती है और पंचायती राज के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के स्टाफ को दो-दो महीने से, तीन-तीन महीने से एक साथ तनख्वाह मिलती है।

इसलिए माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि आर.पी.एस.सी. से सलैक्शन होने के बाद ये कर्मचारी क्या राजस्थान सरकार के होंगे ? होंगे तो जो पहले हैं उनका क्या होगा ? राजीव गांधी पाठशालाएं अब आइन्दा से तो खोली नहीं जाएगी लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें भी तय रूप से उनका सलेक्शन ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से करने का प्रोविजन था, शायद अब न हो। पंचायती राज व्यवस्था में कोई शिक्षा सहयोगी या शिक्षा कर्मी या पैरा टीचर पढ़ाने का काम नहीं करता है तो जिला परिषद् और पंचायत समिति आज की तारीख में उसके साथ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं कर सकती। शिक्षा का काम करने वाला पैराटीचर यदि एक दिन भी स्कूल नहीं जाए तो कोई पंचायत समिति और जिला परिषद् उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह जरूर बताएं। गुनाह राजस्थान सरकार ने किया और इस अमेंडमेन्ट के बाद उनका क्या होगा ? इससे हो सकता है कि लिटिगेशन कम हो लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के जो पिछड़े हुए जिले हैं और जिले में भी कुछ इलाके जो ज्यादा पिछड़े हैं, जहां शिक्षा कर्मी, पैराटीचर्स, आदि भी वहां नहीं रहना चाहते, इसके माध्यम से

(श्री अमराराम)

भी इस समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि इससे लिटिगेशन कम हो जाए लेकिन इससे पावर कम होंगे इसलिए इसको जनमत जानने हेतु भेजने का कष्ट करें।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004 पर माननीय श्री जुबेर खानजी, हरिमोहनजी शर्मा, संयम लोढ़ाजी, डाक्टर एन.एस. गुर्जर साहब, डाक्टर सी.पी. जोशीजी, हेमारामजी चौधरी, अमरारामजी, माहिर आजाद साहब, आप सब लोगों ने जो बातें कही हैं, उन बातों में मैं रास्ता निकालने वाली बात समझ रहा हूं। मैं नहीं समझ रहा हूं कि उन्होंने इस विधेयक की आलोचना करने के लिए ये बातें कही हैं। इस सारे मन्थन से निश्चित रूप से समस्या का समाधान निकलेगा।

मैं कहना चाहूंगा कि यह समस्या निश्चित रूप से उलझी हुई है। राजस्थान में अध्यापकों के इतने पद रिक्त हैं, तो पद रिक्त हैं, उनको भरना है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। वह विवाद में फंसा हुआ था, यह भी एक समस्या थी, जब हम बात करते हैं तो मुझे बड़ा दुःख होता है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि राजीव गांधी पाठशालाओं में अध्यापक जो लगे हुए हैं, आज यहां खड़ा होकर मैं यह कहूं कि वे कांग्रेस के हैं या शिक्षा कर्मी जो लगे हैं वे बी.जे.पी. के हैं, इससे छोटी कोई बात नहीं है। मैं आज शिक्षा मंत्री के नाते कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी पाठशालाओं में जो टीचर्स लगे हैं, चाहे शिक्षा कर्मी लगे हैं, वे राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं, मैं इसको पार्टी के आधार पर नहीं देखकर राजस्थान की शिक्षा में काम करने वाले कर्मचारी के आधार पर देखना चाहता हूं। इसलिए इसमें किसी प्रकार की गुंजाइश की बात नहीं है कि किस प्रकार से देखें।

जो समस्या उलझी हुई है, उसके ऊपर भी हमको ध्यान करना पड़ेगा। हम यह क्यों लाए हैं, क्यों आवश्यकता थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। पहली बात तो मैं फर्क करना चाहता हूं। पहला पाइण्ट तो यह आया कि अपन ने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

संवधिान में संशाधन किया उसके बाद में पंचायती राज का मजबूत करने का जो काम किया, इस संशोधन के बाद पंचायती राज कमजोर होगा। सबने पहला पाइण्ट यह उठाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : शिक्षा मंत्रीजी, आप अपने भाषण में एक चीज बोल गए कि वे सरकारी कर्मचारी हैं। राजीव गांधी पाठशालाओं में पढ़ाने वाले सरकारी कर्मचारी नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कर्मचारी दूसरे रूप में।

डा. एन.एस. गुर्जर : इसलिए करेक्शन कर लो क्योंकि यह चीज आप विधान सभा में बोल रहे हैं, आगे आपको कठिनाई में डाल सकती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकारी कर्मचारी दूसरे रूप में। आपने कृपा की है, आपने यह बात याद दिला दी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : आप बचाने का काम क्यों करते हो ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकारी कर्मचारी से मेरा तात्पर्य हमारी राजीव गांधी पाठशालाओं में पढ़ाने वाले जो लोग हैं....

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपने बिलकुल ठीक फरमाया कि सरकारी कर्मचारी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चलिए, ठीक है।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपको शायद पता ही नहीं है कि पंचायती राज में काम करने वाले सारे लोग मांग कर रहे हैं कि हमको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। सी.पी. जोशी साहब से आप पूछ लो। आपको मालूम ही नहीं है अगर यहां बोल गये और वे कोर्ट में चले गये तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या समस्या हो जाएगी ? सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी रहने चाहिए और ये हैं। (व्यवधान) अपाइंटिंग एजेन्सी सरकार है।

श्री सभापति : माननीय चौधरी साहब, प्लीज। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चलिए, आपने संशोधन किया इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, ऐसे करते रहो टाइम-टाइम पर भगवान से प्रार्थना है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप इसी रूप में चाहते हो उधर बैठे रहें और आपको बताते रहें।

श्री सभापति : वो खुद ही यह चाहते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, इसमें यह कहा गया....

डा. एन.एस. गुर्जर : हमारी सरकार है, हमारा कर्तव्य है कि अगर कहीं गलती करे तो मैं सावचेत करूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा इस अमेण्डमेन्ट पर मैं डींग नहीं मार सकता कि पंचायती राज मजबूत होगा। मैं साफ कहना चाहता हूं न तो इससे मजबूत होगा, न इससे कमजोर होगा, आज जो स्थिति है वो स्थिति रहेगी। इसमें उनकी नियुक्ति का अधिकार आर.पी.एस.सी. को नहीं है, आप जरा इसको पढ़ लें, यह केवल चयन का ही अधिकार है। हमने जो विज्ञापन निकाला है वो विज्ञापन हमारी पंचायत समिति के हिसाब से और जिला परिषद के हिसाब से है। उसमें यह भी किया है कि जो चयनित लोग होंगे इनसे 32 जिलों की प्रिफरेंस भी मांगी है। मैरिट के आधार पर ये लोग पंचायत समिति और जिला परिषद को ट्रान्सफर होंगे। इनकी सर्विसेज जिला परिषद और पंचायत समिति की सर्विसेज ही रहेंगी। इनकी नियुक्ति वो ही देंगे। यह केवल चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन है और यह केवल हम ही नहीं कर रहे हैं जिन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत कर रखा है उन्होंने भी, आन्ध प्रदेश ने, कर्नाटक ने, दिल्ली ने और स्टेट हैं जिन्होंने सबोर्डिनेट चयन कमेटी बना रखी है, आयोग बना रखा है, उस आयोग के माध्यम से चयन करके जिला परिषद् और पंचायत समिति को भेजते हैं और वो इस प्रकार की नियुक्ति करते हैं। अभी माननीय डा. एन.एस.

गुर्जर ने बताया था कि हमने चार कैटेगरी ट ऱखा हैं उनको चयन करने के लिए। उन चार कैटेगरी को हमने हटाया नहीं। वा चार कैटेगरी ग्राम सेवक, ग्राम सेविकाएं, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक, लिपिक वर्गीय स्थापन, राज्य सरकार सेवा के काडर में पंचायत, ये लोग हैं इन लोंगो में से केवल तृतीय श्रेणी अध्यापक को चयन करने का अधिकार, चयन किस प्रक्रिया से होंगे वो करके वापस जिला परिषद् और पचायत समिति उनकी नियुक्ति करेंगी। इसलिए मैंने कहा कि इससे ने तो वो कमजोर होंगे, न वो मजबूत होंगे बल्कि चयन का अधिकार वहां पर चला जाएगा। फिर कहा कि इस प्रकार से करने से संविधान का उल्लंघन होगा। मैं आपको कहना चाहूंगा आर्टिकल 321 में-

"321. Power to extend functions of Public Service Commissions.- An Act made by Parliament or, as the case may be the Legislature of a State may provide for the exercise of additional functions by the Union Public Service Commission or the State Public Service Commission as respects the services of the Union or the State and also as respects the services of any local authority or other body corporate constituted by law or of any public institution."

मैं आपको यह स्मरण भी कराऊं इससे पहले हम एल.डी.सी. का भी चयन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से करा चुके जो इससे भी नीचे की कैटेगरी में है। इसके साथ ही हमने एक बार जैसा अभी नाथूसिंहजी ने बताया था पटवारी और ग्राम सेवक की जो परीक्षाएं करायी थीं उसका पेपर सैट हमने आर.पी.एस.सी. के द्वारा कराया था। तो इसमें भी आर.पी.एस.सी. पेपर ही सैट कर रही है और चयन कर रही है। यह कोई पंचायत समिति, जिला परिषद् का अधिकार नहीं ले रही, यह केवल पेपर सैट कर रही है, वो भी इसलिए कर रही है सभापति महोदय, वो एक समस्या में उलझ गया। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, आज भी नहीं दे रहा हूं, मैं दोष दे रहा हूं उन बच्चों को, गांव के लोगों के भाग्य को जो बिना अध्यापक के आज पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल भी खोलना चाहते हैं, उसका कोई ने कोई रास्ता हमको निकालना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पड़ेगा। राजीव गांधी पैराटीचर्स को अगर मैं नौकरी लगा सकता, उनकी सीधी भर्ती कर देते तो आज हमें चयन प्रक्रिया में नहीं गुजरना पड़ता, लेकिन आज वो नहीं लगा सकते। 1998 के चयनित के बारे में आज कर रहे हैं, उसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं हो सकता।

दो बात मेरे सामने खड़ी हैं। आप सब जानते हैं कौन है इस देश के अन्दर इस समय, कौन सरकार या कौन मंत्री है जो यह कानून बना देगा जो संविधान के खिलाफ है। बैकलाग का मामला चल रहा है जब तक एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के बैकलाग को नहीं भरा जाएगा, कानून सम्मत कोई भी निर्णय नहीं करेंगे। आज पैराटीचर्स को लेने में सबसे बड़ी बाधा, हाईकोर्ट ने दो बात साफ-साफ कही कि 266 में आपने अपाइन्टमेन्ट किया, सरकार ने किया, बी.डी. कल्लाजी मंत्री थे या घनश्याम तिवाड़ी मंत्री थे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार ने किया कि 75 परसेन्ट रिजर्वेशन होना चाहिए। रूघाराम कोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। सरकार सात हजार की भर्ती करना चाहती थी, 75 परसेन्ट उनमें लेना चाहती थी अगर हो जाता तो हो जाता। वो रूक गया। उन्होंने दो बात कही, दो प्रश्न पूछे कि आप विड्रा कर रहे हो या हम निर्णय करें। इसमें बैकलाग की क्या व्यवस्था है ?

आज बैकलाग की व्यवस्था के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में प्रश्न उठा था, मैं कहना चाहता हूं राजस्थान विश्वविद्यालय में एडहाक या अन्य विश्वविद्यालयों में एडहाक टीचर्स हैं उनको परमानेन्ट करने में सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि जब तक आप 150 लोगों का बैकलाग नहीं भरेंगे तब तक आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते। आपको बैकलाग भरना ही पड़ेगा। तो इसमें भी बैकलाग की समस्या है। इसलिए हमने जो व्यवस्था की है इस व्यवस्था में हिन्दुस्तान में मैं कहना चाहूंगा शिक्षा विभाग में राजस्थान पहला राज्य होगा जिसमें पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद् तक पूरा सर्वे कराकर जितना बैकलाग है वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया और राजस्थान में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. का अध्यापकों में कोई बैकलाग नहीं होगा, पूरा का पूरा भर देंगे यह हमने इसमें व्यवस्था की है। यह व्यवस्था करने में कोई गलती नहीं की।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसी प्रकार नाथूसिंहजी कहा कि वो तो ठीक है लेकिन मैरिट से आ जाएंगे या नहीं आएंगे, यह समस्या हमारे सामने आएगी। समस्या सबसे बड़ी यह आई थी जो हमने मार्क्स दिये थे 10 नम्बर इसके, 10 नम्बर इसके और 5 नम्बर इसके, इसको हाईकोर्ट ने, अन्त में सुप्रीम कोर्ट ने खतम कर दिया कि आप मार्क्स नहीं दे सकते। नहीं दे सकते तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है बाहर के लोग फर्जी डिग्री से नम्बर लेकर, 90 परसेन्ट, 80 परसेन्ट नम्बर लेकर आये वो भी जिला परिषद् में फार्म भरें तो आप उनको रोक नहीं सकते। मार्क्स के आधार पर हमारे लोग चयनित होते थे। जब मार्क्स खत्म हो गये और उससे लेकर आते तो बाहर के लोगों के आने का बहुत बड़ा खतरा था, कोई नहीं रोक सकता था। तो उस खतरे से भी संरक्षण करने की जरूरत थी।

इसके अलावा एक बात और थी। 32 की 32 जिला परिषद् में हमारे लोग जाकर फार्म भरते थे, आपस में भाग दौड मचती थी, उसके पेपर फाड़ देते थे, लड़ाई होती थी, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती थी और होने के बाद भी क्या होता था 12 महीने तक, दो वर्ष तक उनकी सीनियरटी तय नहीं होती थी। उसके बाद क्या होता था सलेक्शन के बाद में ट्रान्सफर कराकर आ जाते थे और जो शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का था, कौन सलेक्ट हो गया और कौन हमारे हर जिले के शिड्यूल्ड कास्ट का, शिड्यूल्ड ट्राइब का और ओ.बी.सी. का पूरा पता नहीं लगता था ये सारी बातें उलझी हुई थीं। मैं नहीं कह रहा हूं किसने उलझायीं, ये अपने आप इसमें उलझ गई और उलझने की वजह से इसका रास्ता निकालने की आवश्यकता थी। इसमें रास्ता निकालने की हमने बात की है उस रास्ता निकालने से यह रास्ता निकला कि जल्दी से जल्दी भरें।

आपको मैं एक स्टेटिक्स दूंगा तो उससे आपको यह बात बिलकुल साफ हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से मैंने जो जानकारी करके आज स्थिति ली है उसके हिसाब से एक लाख 50 हजार से अधिक फार्म भरे गये हैं। (व्यवधान) 2-6-2004 को विज्ञप्ति जारी की थी। अन्तिम तिथि 15-7-2004 थी। कुल आवदेन प्राप्त 1,53,417

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और उसमें परीक्षा तिथि है 12-9-2004 को। कुल परीक्षा केन्द्र हैं 435 । एक केन्द्र पर लगभग 500 परीक्षार्थी होंगे और सितम्बर के महीने में ही, वो कहते हैं कि स्क्रीनिंग की एक मशीन आती है वो लगाकर हम इसका रिजल्ट निकाल देंगे। इसमें जो एक बहुत बड़ा अपना वहम था वो मिट गया। हमने कहा कि यह बताओ कि राजस्थान के बाहर के कितने लोग आये ? अब तक सारे में से कोई पौने तीन हजार फार्म हैं जो राजस्थान के बाहर के हैं और उनमें से आधों की डिग्री राजस्थान की है। इसलिए सारे में राजस्थान के विद्यार्थी बैठेंगे। 30 हजार, 28 हजार आदमी भर्ती करेंगे और एक लाख 50 हजार मान लो परीक्षा में बैठेंगे तो यह एवरेज भी जितना भर्ती वाला एवरेज है उतना ही एवरेज आएगा 1:5 का, इतना का एवरेज एवरेज है जो हमेशा ही आता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि इसमें हमारे राजस्थान के लोगों को किस प्रकार से महत्व मिलेगा तो मैं आपको, सभापति महोदय, यह भी इस सदन के सामने कहना उचित समझूंगा कि सिलेबस सैट करने का जो काम है, सिलेबस भेजने का वह राज्य सरकार का होता है, राज्य सरकार ने आर.पी.एस.सी. को सिलेबस भेजा उसके अन्तर्गत

Papers shall include the following subjects;- 1. General Knowledge and Current Affairs with special reference of Rajasthan - 50 number. 2. Geographical, Historical and Cultural Knowledge of Rajasthan - 50 number.

इसी प्रकार से, एजुकेशनल मेथोडोलोजी 10 नम्बर है, इसमें स्कूल सब्जेक्ट, हिन्दी, इंगलिश, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज 10-10 नम्बर के Standard of contents of school subjects shall be of the secondary standard.

दूसरा यह सौ नम्बर का पेपर हो गया, फिर सौ नम्बर का एजुकेशनल मेथोडोलोजी हिन्दी 8 नम्बर, अंग्रेजी 8 नम्बर, मैथेमेटिक्स 8 नम्बर, जनरल साइंस 8 नम्बर, सोशल स्टडीज 8 नम्बर टोटल 200 नम्बर, वह हमने इसलिए रखा है कि हम 200 में से 100 नम्बर का केवल स्पेशल रेफरेन्स विद राजस्थान जनरल नालेज है तो राजस्थान के बच्चों को पढ़ाने वाला आदमी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राजस्थान के बारे में तो जाने। राजस्थान में पढ़ाने वाला आदमी राजस्थान की भाषा को जाने, राजस्थान के रीति रिवाजों को जाने। गोगाजी कहां हुए, तेजाजी कहां हुए, रामदेवजी कहां हुए, मीरा बाई कहां हुई, यह बात तो जानें। अब हमारे पूर्व में पंचायती राज मंत्री कौन-कौन रहे तो नाथूसिंहजी और सी.पी. जोशीजी का नाम उसमें इतना तो आए, इन लोगों को न जानने वाला और राजस्थान के पंचायती राज में अध्यापक बन जाए यह घनश्याम तिवाड़ी के रहते हुए नहीं हो सकता। इसलिए मैंने क्या है कि इनके नाम को जानने वाला आदमी स्पेशल रेफरेंस लेकर राजस्थान का आये और इसलिए इसमें यह व्यवस्था की।

डा. एन.एस. गुर्जर : इस बार आपका नाम भी जुड जाएगा।

श्री विष्णु मोदी : पेपर लीक कर दिया आपने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सदन सर्वोच्च है, इस पर कोई केस नहीं कर सकता तो माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें दूसरी बात भी नहीं है।

दूसरा इसमें जो संशोधन किया है उस संशोधन में चार बातें आएंगी। पहली बात तो आएगी कि इसमें अध्यापक की भर्ती राज्य स्तर पर होगी। मतलब चयन प्रक्रिया राज्य स्तर पर होगी, केवल एक तो यह संशोधन है।

दूसरा संशोधन यह है कि इसके अलावा बाकी जितने भी ग्राम सेवक हैं उनकी सारी वर्णित प्रक्रिया पहले की तरह पंचायत समिति, जिला परिषद् के माध्यम से की जाएगी, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।

दूसरा 89(6) एवं (7) के मध्य 6ए लाया जाकर यह प्रावधान किया गया है कि अध्यापक का चयन राज्य द्वारा बनाये गये नियमों के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पंचायत समिति, जिला परिषद् द्वारा की जाएगी तो इसमें कोई फर्क नहीं आया और रूल क्या बनाया है ? रूल बना दिया, यह सिलेबस होगा, यह काम होगा, इस प्रकार से परीक्षा ली जाएगी, यह वहां चला

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जाएगा तो राज्य सरकार का इसमें हस्तक्षेप भी नहीं है, उसमें किसी प्रकार उनकी कटौती नहीं है।

तीसरा होगा कि अध्यापक की नियुक्ति अस्थाई तौर पर नहीं की जाएगी, अब वह टेम्परेरी नहीं होगा, वह सिलेक्टेड और उसके बाद में उसके द्वारा नियुक्त वह परमानेन्ट इनका कर्मचारी होगा।

चौथा इसमें जो फर्क पड़ेगा वह पड़ेगा कि संशोधन कर चयन का अधिकार जिला स्थापना समिति से हटा लिया गया है तो केवल जिला स्थापना समिति से उन चार में से एक नहीं है, तृतीय श्रेणी के अध्यापक का चयन हटाया गया है, उसकी नियुक्ति का, हां, हां बताया मैंने टेम्परेरी है।

डा. सी.पी. जोशी : जिला परिषद में जब टेम्परेरी वेकेंसी होगी तो जिला परिषद् थोड़े ही लगा सकती है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कहा न। मैं, यह मैं बता रहा हूं न। आ रहा हूं वह व्यवस्था करेंगे। इससे क्या होगा कि राज्य स्तर पर एकरूपता, पारदर्शिता बनाये रखने एवं भर्तियों में विभाग का समय, श्रम, धन बचेगा।

अब दूसरा हमने यह किया है कि केवल यह 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फार्म में ही भरा लिया है कि 32 जिलों में से आप कौन से जिले में जाना चाहेंगे तो उसकी तो मेरिट आएगी वह मेरिट के आधार पर कम्प्यूटर के द्वारा ही उसको उस जिले का प्रदान कर दिया जाएगा।

दूसरी यह व्यवस्था है कि जो पेपर आएगा उस पेपर के तीन दिन के बाद में उसके सही उत्तर भी अखबार में प्रकाशित कर दिये जाएंगे तो जो पेपर देने वाला है वह स्वयं अपनी मेरिट भी खुद देख लेगा। यह होगा तो जब इतना काम होगा तो इसके बाद में ट्रान्सपरेन्ट यह हो जाएगा और वह वहां पर चला जाएगा।

अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इसमें हमने साफ-साफ कह दिया है. इसके बाद में पांच साल तक किसी भी प्रकार से नियुक्ति के बाद में जहां पर वेकेंसीज हैं वहां पर हुई है उसके बाद में स्थानान्तरण नहीं होगा। उन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अभ्यर्थियों को चुनना पड़ेगा कि उनको ट्रान्सफर कराना है या नौकरी में रहना है। अब यह नहीं हो सकता कि उन जिलों की जगह खाली पड़ी रहे और लोग ट्रान्सफ़र कराकर आ जाएं। यह भी इसमें किया है। नई नियुक्तियां होंगी तो उन जिलों में जो परमानेन्ट जगह बता रहे थे ख़ाली जगह रहेंगी उसको भी ठीक किया जाएगा।

इसी प्रकार, एक दूसरा प्रश्न उठाया गया है कि जारी विज्ञप्ति में ट्राइबल क्षेत्र बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के लिए निर्धारित आरक्षण की व्यवस्था उसी प्रकार रहेगी उतने परसेन्ट तक उन्हीं लोगों के लिए उसी प्रकार से भरे जाएंगे जिस प्रकार पहले थे इसलिए उसके अधिकार का भी किसी प्रकार हनन इसमें नहीं किया जाएगा।

फिर, माननीय सभापति महोदय, दो तीन बातें और कही गई कि पैरा टीचर राजीव गांधी पाठशाला के शिक्षाकर्मी बहुत दिनों से काम कर रहे हैं इनका क्या समाधान है, मेरे सामने भी है यह समस्या, किसके सामने समस्या नहीं, कौन समाधान नहीं चाहता, चाहते हैं समाधान और समाधान का रास्ता भी निकाला है इसलिए मैंने ओनेस्टली एक जनवरी, 1999 को जो लोग जिस उम्र के थे उनको आज उस उम्र में मान लिया यानि एक तरह से 6 साल में ओवरएज नहीं हो यह बात कर दी और उसमें पैरा टीचर्स 1998 में चयनित शिक्षाकर्मी जो लोग हैं वह भी बैठ सकेंगे। अब इसके अन्दर परीक्षा के बाद में हम देखेंगे कि उनमें से कितने लोग सलेक्ट हो गये और कितने बच गये। मैं सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं।

इसके बाद माननीय हरिमोहनजी ने एक प्रश्न उठाया है, मैं उनको जानता हूं पूरा, उनकी बाईपास सर्जरी हुई है और उनको डाक्टर ने कहा है कि जितना जोर से बोलोगे उतनी जोर से धमनियां आपकी साफ होती रहेंगी तो वह इसलिए बोलते हैं इसलिए मैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूं। उन्होंने कहा कि साहब, पहले तो आपने कहा कि इसी बजट में भर देंगे और कल भाषण ठोक दिया जाकर एक जगह कि मार्च तक भरेंगे फिर साथ में चुनाव घोषणा पत्र की बात कहीं, पंडित जी, सुनिए, मैंने उसमें, अन्दर पढ़ा करो, जैसे

श्री घनश्याम तिवाड़ी,

जोशीजी जाते हैं नीचे तक गहराई में जाया करें, आप ऊपर से ऊपर रहते हो। मैंने कहा है कि हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि 31 मार्च को जो समाप्त होता है उसमें भी जितनी भी वेकेंसीज करीब-करीब थी उन सब को भरेंगे राज्य सरकार में और शिक्षा विभाग में पर्टिकूलर। तो मैंने यह कहा था कि तब तक इतनी वेकेंसी क्रिएट होगी और अभी तो यह 28 हजार भरने हैं। इसके बाद अब जो नई स्कूल खुल रही हैं उनकी वेकेंसी निकलेंगी उनको भी 31 मार्च तक भरेंगे इसलिए इसमें जितने पैराटीचर, शिक्षाकर्मी और लोक जुम्बिश के लोग आ जाएंगे चयन होकर वह तो आ ही जाएंगे जो बच जाएंगे, सदन की मंशा है और आप लोगों की तो मैं फिर कोशिश करूंगा कि अगली बार इसमें उनको चांस दिया जाए, ओवरएज हो गये तो भी कि फिर वह परीक्षा में बैठें और फिर एक चांस और ले लें और फिर आ जाएं। इसके बाद अगर बच जाएंगे तो सरकार बाहर नहीं कर रही है, सरकार उनको बाहर नहीं कर रही है, सरकार उनको रखेगी, जिस दिन से इनका पैसा बढ़ाते जा रहे हैं, मैंने सदन में तब भी कहा था कि धीरे-धीरे करके उनको तृतीय श्रेणी के ऊपर तो ले जा नहीं सकते लेकिन वहां पर उनको जो बचे हुए लोग होंगे सीनियोरिटी के आधार पर जो जो राजीव गांधी पाठशालाओं को, प्राथमिक राजीव गांधी पाठशालाओं में बदला जाएगा तब तक उन लोगों के साथ किसी प्रकार संख्या में उनको बढ़ाकर उन्हें वेतन देते रहेंगे तो वह करते रहेंगे, उनके साथ ज्यादती नहीं होगी।

फिर जो कह रहे हैं तो उनमें से 10 हजार सलेक्ट हो गये, राजीव गांधी पाठशालाओं में जगह खाली हो गई तो उनके पढ़ाने की क्या व्यवस्था होगी वह व्यवस्था भी करेंगे। उस व्यवस्था में हमने तय किया है कि जितनी-जितनी राजीव गांधी पाठशालाएं क्रमोन्नत होंगी उनमें दो नये टीचर आएंगे तो नये टीचर आएंगे, दो जो उनमें बचेंगे वह उधर चले जाएंगे इसलिए उस कमी की भी पूर्ति नहीं होने देंगे तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बिल है, यह बिल 89 और 90 में केवल इस बात का संशोधन है कि हमारी जो भर्ती की सारी प्रक्रिया उलझी हुई थी उस सारी भर्ती की प्रक्रिया को सुलझा कर बिना किसी झंझट के, बिना किसी विवाद के, बिना किसी समस्या के इसका रास्ता निकाल लें और फिर इसको भी चेलेंज किया गया। इसको चेलेंज जोधपुर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हाईकोर्ट में किया गया, एक बार इसमें चार दिन के लिए स्टे मिला फिर माननीय उच्च न्यायालय ने इसको वेकेट किया और उन्होंने कहा गोन, आप भर्ती की प्रक्रिया चालू करिए इसलिए प्रक्रिया चालू है।

मैं सारे सदन को आग्रह करता हूं कि इसमें न कोई राजनीति है, न किसी का अधिकार छीनने की बात है, न किसी की बात है और यह यह प्रश्न तो आज यक्ष प्रश्न के रूप में खड़ा है, आपके सामने भी खड़ा है, हमारे सामने भी खड़ा है। हम भाषण देते हैं पंचायतों को मजबूत किया जाए, हम चाहते हैं पंचायतों को मजबूत किया जाए, इस सदन को मिलकर इसका रास्ता निकालना चाहिए कि पंचायतों की मजबूती क्या केवल इसी से होगी कि हमने उनको कोई चीज ट्रान्सफर कर दी, अधिकार कुछ देते नहीं हैं और उसका बजट भी दूसरे हैड में से ट्रान्सफर करते रहते हैं। दो-दो महीने तक, तीन-तीन महीने तक वेतन नहीं मिलता। मैं कोशिश करूंगा इस बात की पूरी कि वेतन उनको नियमित रूप से मिले, इस बात की व्यवस्था करें और यह जो व्यवस्था है, बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा यह मेरी करी हुई नहीं है। मुझे कहा गया कि आपने कालूराम जी के अधिकार छीन लिए, मैंने कोई नहीं छीना है। यह जो आप करके गये थे, एलीमेन्ट्री एजुकेशन का डायरेक्ट्रेट अलग से उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, मैं तो उसका संचालन कर रहा हूं। अब मुझे आपके पदचिन्हों पर चलने पर भी गाली पड़ती है और न चलूं तो भी गाली पड़ती है, ऐसा अन्याय तो मत करो आप मेरे साथ कम से कम। इसलिए मैं पुनः आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि इतनी बात, मैंने बिलकुल एक-एक बात को क्लियर कर दिया है इसलिए में आपसे चाहूंगा कि आप जनमत जानने का किया, वह करेंगे अपन तो बहुत विलम्ब होगा, फिर भर्ती की प्रक्रिया में और देरी होगी। अब मेरी जिद्द नहीं हैं अमेंडमेन्ट की, अगर नहीं करेंगे तो भर्ती की प्रक्रिया में विलम्ब होगा और हमने जो रास्ता निकालने का काम किया है उसमें विलम्ब होगा। इतने लोगों ने फार्म भर दिये हैं, काम हो गया है इसलिए मैं विनम्र रूप से आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरे स्पष्टीकरण को देखते हुए इसको एक बार विदड्रा करें और माननीय सभापति महोदय, इसको पारित करें।

डा. एन.एस. गुर्जर : सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से अपने जनमत जानने के प्रस्ताव को विदड्रा करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बात तो सारी समझा दी मैंने। करो। कर लो विदड्रा, इसमें क्या है। आपने जो किया वो ही कर रहा हूं मैं तो। चलो हां-ना करा लो।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी इस कार्यवाही से पैराटीचर्स जो लगे हुए हैं वो कोई भी घर नहीं बैठेगा, सब लगे रहेंगे, यह आप कह रहे हैं न ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिलकुल। निश्चित लगे रहेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : अच्छा है, बहुत अच्छा है।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक बात जानना चाहता हूं कि आपने शिक्षाकर्मियों के लिए न्यूनतम मानदेय 2000 किया है। शिक्षा सहयोगी, पैराटीचर्स का भी आपने दो हजार किया है। लेकिन शिक्षा सहयोगियों के आपने 200 रूपये प्रतिवर्ष उनका मानदेय बढ़ाने का किया है। शिक्षाकर्मियों के भी 200 रूपये मानदेय प्रतिवर्ष बढ़ाने का तो किया है पर इसमें कुछ जुलाई का हवाला दिया है। ये 6-7-8 साल पहले से काम कर रहे हैं तो 2 हजार रूपये आप कब से मानेंगे ? दो हजार रूपये के ऊपर 200 रूपये अब से बढ़ेंगे या पहले से ? उनका तो उस समय से बढ़ा है। राजीव गांधी पाठशालाओं में जो चार साल पहले लग गये थे उसमें दो हजार प्लस 200 रूपये प्रतिवर्ष बढ़कर के जैसे चार साल हो गये तो 800 रूपये हो गये हैं 2000+800=2800 मिल रहे हैं और इनके दो हजार रूपये ही मिलेंगे। मतलब 2800 नहीं मिलेंगे। पांच साल हो गये तो तीन हजार मिलने चाहिए और चार साल हो गये तो 2800 मिलने चाहिए तो इसलिए थोड़ी विसंगति है इसको आप देख लें, उनका बराबर कर दें तो ठीक रहेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हेमारामजी, बिलकुल विसंगति है। वह जब चार लोगों को पैराटीचर की श्रेणी में रखा था उसमें शिक्षाकर्मी को नहीं रखा था इस कारण से वो उसमें नहीं आ सके। अब मैं उसको उतनी पीछे से जाकर, इसके बजाय इसमें एक संशोधन हो गया है कि वो साढ़े आठ हजार हैं उनमें से जो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वरिष्ठ शिक्षाकर्मी कराने का फैसला किया है तो उसमें से साढ़े तीन-चार हजार लोग शिक्षाकर्मी में आ जाएंगे। 8 वर्ष के होंगे तो उनको 3500-3600 रूपये मिलने लग जाएंगे तो बहुत कम लोग बचेंगे। फिर भी यह विसंगति है, हमने नियम यह बनाया कि सबमें एक सा मिले तो उनको भी उसमें समाहित करने के बारे में विचार कर लेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : मंत्रीजी, आप एक बात बता दें कि सरकार एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटी को डायरेक्शन कैसे देगी ? आज भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेन्ट के नियम बने हुए हैं, भारत सरकार स्टेट गवर्नमेन्ट को बाध्य नहीं कर सकती। कानून और नियम के अन्तर्गत वो बात कहेगी, स्टेट गवर्नमेन्ट रिजैक्ट करें, एक्सैप्ट करे यह स्टेट गवर्नमेन्ट के अपने कानून की व्यवस्था का पार्ट है। एक बार 73, 74 अमेंडमेन्ट, 94 अमेंडमेन्ट जो पंचायती राज का राजस्थान ने कर दिया उस एक्ट में जो प्रोविजन कर रखा है, एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटी का आपने कहा कि हम तो खाली एग्जामिनेशन का ही काम कर रहे हैं, सलेक्शन तो एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटी ही करेगी तो एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटी को किस कानून से, जिला परिषद् को किस कानून से आप डायरेक्शन देंगे यह कानून बतायें, मंत्रीजी जब आपने एक बार कानून डेलिगेट कर दिया।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह ग्राम सेवक के सम्बन्ध में किया है, दिया हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आलरेडी हो चुका है।

डा. सी.पी. जोशी : नाथूसिंहजी आपने कहा, मुझे कोट करिये, आपने तो किया हुआ है, मुझे जानकारी नहीं है, आप 94 का एक्ट के बाद में कोट कर रहे हो।

डा. एन.एस. गुर्जर : बाद में, 1994 के बाद में ही किया है हमने।

डा. सी.पी. जोशी : हां. मुझे पता है एग्जामिनेशन ही कर रहे हैं, पर आपने एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटी से पास कराया है। आज भारत सरकार रोड सैक्टर में प्राइम मिनिस्टर रोजगार रोड बन रही है वह सारी रोड्स को जिला

(डा. सी.पी. जोशी)

परिषद को एण्डोर्स कराना पड़ता है तब उसमें पास होती है। तो मैं तो खाली जानकारी चाहता हूं, आपकी सारी व्यवस्था ठीक है, किस कानून से आप जिला परिषद् को बाउंड करेंगे कि आपकी रिकमंडेशन को माने वो बता दें आप। आपने एम्पावरमेन्ट तो उनको कर रखा है, आप क्यों लिख रहे हैं, फिर लिटिगेशन होगा, जिला परिषद् मानेंगी नहीं, वह कोर्ट में जाएगी।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य डा. एन.एस. गुर्जर को जनमत जानने का संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004 को जनमत करने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 4

खण्ड 2 से 4, कोई संशोधन नहीं।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड - 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाए। हो गया। अब क्या बहस इसमें रह गई ?

श्री महीपाल मदेरणा : पारित हो रहा है, बोलेंगे हम। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जोशीले तर्क से यह बात की कोशिश की है कि पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार नहीं छीने जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटी को एक्ट का प्रोविजन 73 एक्ट के बाद उस समय के तत्कालीन मंत्री महोदय ही लेकर आये। डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटी के पावर्स रिव्यू करने के डायरेक्शन के कोई अधिकार सरकार के पास नहीं है। अभी जो यह संशोधन लेकर आये हैं उन संस्थाओं में तीन बड़ी मुख्य बातें होंगी। ये संशोधन डिस्क्रिमिनेट्री हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में तृतीय श्रेणी का अध्यापक है उसी के सन्दर्भ में किया गया है। आप यह देखिये, उसके इक्वेलेंट अगर तृतीय श्रेणी का अध्यापक सिटी के अन्दर है, उसकी नियुक्ति का अधिकार डिप्टी डायरेक्टर का है, उस डिप्टी डायरेक्टर को सीनियर सलेक्शन

(श्री महीपाल मदेरणा)

स्केल के जो लोग हैं उनको करने का भी अधिकार उसी के पास है। जहां तक रूरल एरियाज में लेने की बात है, यह सारा का सारा जो भी हुआ है, उन्होंने कहा मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है, मुकदमों की समस्या है, इस समस्या का समाधान एक ही तरीके से हो सकता है कि जितनी भी स्कीम्स फ्लोट हुई हैं वो राज्य सरकार के निर्देश पर हुई हैं। किसी भी जिला परिषद् ने अपने स्वयं की स्कीम्स फ्लोट नहीं की है। 1985-85 से ले लीजिये, आपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से आया, उसके बाद सर्व शिक्षा के नाम से आया, फिर लोक जुम्बिश के नाम से आया। लोक जुम्बिश के बाद में आपने शिक्षा के सार्वजनीकरण की बात की और उसके अन्दर आपने उनको अपाइंटमेन्ट देने के निर्देश दिये। उस समय राज्य सराकर को निर्देश देने के पावर नहीं थे। उनको सिर्फ 296 के अन्दर एक्सपीरियंस, एज को रिलेक्सेशन करने के पावर्स थे। उसके अलावा भी आपके जहां से निर्देश आ जाते थे तो यह देखा जाता था कि इतने सारे लोगों की शिक्षा की जो व्यवस्था है, पिछड़े क्षेत्र में, रिमोट एरिया डूंगरपुर और बांसवाड़ा में और बाड़मेर के क्षेत्र में वहां पर तो अध्यापक ही नहीं मिलता था, यही बात नहीं है इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटी का भी बता दीजिये कि उन्होंने जो हुए हैं उनको ठीक ढंग से चयनित नहीं किया है या नियुक्ति नहीं दी है। जिस तरीके का क्राइटेरिया इन्होंने ले-डाउन किया, डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटी ने किया। यह 73वें संविधान संशोधन के बाद जब ये अधिकार हमको दे दिये गये कि प्राइमरी टीचर्स का, सीनियर सैकण्डरी टीचर्स का यह सारा चयन प्रक्रिया का उन लोगों का सहयोग लें, उनको सिखाओ, जितनी सहभागीदारी चाहिए, विकेन्द्रीकरण की चाहिए, आप और हम तो सीखे हुए हैं, आप तो इतने जोशीले तर्क के साथ आ गये बल्कि यह बात आपने सारे सदन को हिप्नोटाइज की है और यह जो आप चयन प्रक्रिया करा रहे हो उससे मैं नहीं मानता हूं कि आप समस्या का समाधान कर सकोगे। यह जैसा पहले सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा it is contrary to the Constitution Article 243(g), 243(a), 243(b) जब ग्राम सभाओं ने इनका सलेक्शन किया, एक तरफ आप कहते हो ग्राम सभाएं यह कर सकेंगी, दूसरी तरफ कहते हो डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटी चयन

(श्री महीपाल मदेरणा)

प्रक्रिया नहीं कर सकती है तो पब्लिक सर्विस कमीशन को जो आप

(समय : 17.59 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पावर्स दे रहे हो, यह भी मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। और एक चयन की प्रक्रिया पूरी दे रहे हैं उनको, क्या आप यह समझते हो कि आपकी जिला परिषदें हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति करने में सक्षम नहीं हैं, कोम्पीटेन्ट नहीं है ? 1998 तक आप करवाते रहे हो, 1998 मे जो लास्ट सलेक्शन हुआ है, वह आपके राज में हुआ है और उसके अन्दर सारे के सारे सलेक्श्न आपके निर्देशों की अनुपालना में हुए हैं, नियुक्तियां दी गई हैं और उसके बाद सरकार की वितीय स्थिति के कारण या यह समझ लीजिये किसी और कारण से, थर्ड श्रेणी के अध्यापक नहीं लगाकर इन फ्लोटेड स्कीम के अन्दर टीचर्स को लेना चाहिए और ज्यादा मात्रा में रिमोट एरियाज में स्कूल खोलना, उनका अपना कोई दृष्टिकोण होगा, बल्कि यह आपका दृष्टिकोण कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन को देने से इन समस्याओं का समाधान करेंगे, यह निश्चित है कि आपके अधिकारी ही यह बात करते हैं। शिक्षा विभाग जो आपके पास है, इसके अधिकारी आपको भ्रमित करने में माहिर हैं। अगर आप इतना समझ सकते हैं जब इस संस्था के पहले तृतीय श्रेणी से Only primary Teachers, this first amendment was brought, और वह 1994-95 में ही आ गया था। इसके अन्दर दो प्रोविजन आ गये थे कि अपर प्राइमरी स्कूल हैं, वह भी पंचायती राज संस्थाओं को दी जाएगी और इनके चयन की प्रक्रिया भी दी जाएगी।

आपने कहा है, कमीशंस होते थे। मैं आपको बता दूं कि 1984 से पहले इनका एक सर्विस सलेक्शन कमीशन होता था और सर्विस सलेक्शन कमीशन को जैसी रिक्वीजिशन भेजते थे। एक रिक्वीजिशन में 3-3, 4-4, 5-5 साल लगते थे तो यह बात सोची गई सरकार के स्तर पर और फिर यह निर्णय लिया गया कि पंचायती राज एक्ट के अन्दर कोई अमेंडमेन्ट लाये। वह अमेंडमेन्ट था 1959 के एक्ट के अन्दर बल्कि आपने जब 1994 में एक्ट लाये

(श्री महीपाल मदेरणा)

और सैक्शन (90) के अन्दर आपने डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटी के पावर को इनकोरपोरेट कर लिया। उसके बाद 1989 के अन्दर ये सारी चीज लेकर आये और सारी चीजों के बाद आप एक हाथ से दे रहे हैं और आप एक हाथ से ले रहे हैं, यह तो मैं समझ रहा हूं कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए बहुत ही दु:खद है, उनके अधिकारों का हनन है। मैं यह समझता हूं कि यह जैसा, आप और हम सोचते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, सशक्तीकरण होना चाहिए, आपकी मुख्य मंत्री स्वयं यह कह चुकी हैं. Power to the public, power to the grass root people and we are going to give all the three powers.

सब-कमेटी बना दी और यह सब-कमेटी बनाने के बाद भी अगर आप यह कह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह जो आपका बिल है, जो आप लेकर आ रहे हैं, यह पंचायती राज संस्थाओं के हिसाब से बहुत ही घातक है। मैं समझता हूं, इस सरकार को वापस सोचना चाहिए और इसके अन्दर अपना वापस इसमें, जैसा आप समझें, करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय,.....आप भी बोलेंगे ? आपको छोटी-छोटी बातों पर नहीं बोलना चाहिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्राय: प्राय: सारे विचार आ गये हैं लेकिन मैं एक अहम प्रश्न उठाना चाहता हूं कि पंचायती राज का बिल तो सम्बन्धित है पंचायती राज से और ला रहे हैं शिक्षा मंत्रीजी, यह विधि विरूद्ध तो नहीं है परन्तु परम्पराओं के विरूद्ध है। पंचायती राज मंत्री इस सदन में है......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उसके बाद भी इस बिल को शिक्षा मंत्रीजी ला रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। मैं समझता हूं, शिक्षा मंत्रीजी बतायेंगे।

उसके बाद दूसरा बिन्दु है, एक तरफ तो यह सरकार आज यह कहती है, हम पंचायती राज को सशक्त बनायेंगे, दूसरी तरफ पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकार दिये थे, वह छीन लिये। पी.एच.ई.डी. के अधिकार छीन लिये और

अब तीसरा काम यह शिक्षा विभाग का अधिकार छीनने का कर रहे है। जो हमारी जिला स्थापना कमेटी वषो स चाहे कांग्रेस का राज रहा हो चाहे बीजेपी का राज रहा हो, हमेशा मेरिट के आधार पर जिले की एक मेरिट लिस्ट बनती थी। मेरिट के आधार पर अध्यापकों को चयन होता था और गांव के लोगों का चयन होता था। आर.पी.एस.सी. के चयन के माध्यम से आपने स्वयं ने अभी बताया कि 2750 लोग राजस्थान के बाहर के हैं। यह तो एक मोटा सर्वे है आपका। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहां आकर पढ़ने लग गये और राजस्थान में जितनी पोल है उपाध्यक्ष महोदय, उतनी पोल और दूसरी जगहों पर नहीं है। यहां पर आकर लोग बोनाफाइड रेजीडेंट का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। हजारों लोग यहां पर यहां से पास करके फार्म भर देते हैं और सलेक्शन हो जाता है। हमारे गांव के जो लोग हैं जो वर्षों से मेहनत करते हैं, वे पिछड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो मेरिट के आधार पर सलेक्शन होता था, चुने हुए जन प्रतिनिधियों के माध्यम से, वह सारे के सारे एक तरीके से खतम हो जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब, वह ट्रेंड टीचर्स में हुआ करता था, उसमें अनट्रेंड शामिल नहीं हुआ करते थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह तो ट्रेंड टीचर्स की बात हो रही है।

डा. सी.पी. जोशी : 80 प्रतिशत से ज्यादा ट्रेंड हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं हैं पर अभी जो बीच में शुरू-शुरू में जो दिक्कत आई है, वह तो अनट्रेंड टीचर्स से, नोन-मैट्रिक से, उसके कारण, उस वजह से यह दिक्कत आई है, यह सारी समस्या खड़ी हुई है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्थापना कमेटी को जो अधिकार था, वह आर.पी.एस.सी. को दिया गया है। फिर पंचायती राज का तो मतत्व ही खतम हो गया। इसका सबसे बड़ा अधिकार शिक्षा का दे रखा है। पंचायतों में वह पंचायत अपने स्तर पर और जिला परिषद हैं, जिला स्थापना समिति के माध्यम से जिला परिषदें अध्यापकों का चयन करती थीं और चयन करके उनकी नियुक्ति पंचायत समितिवार करती थी। इस अधिकार को छीनने

के बाद पंचायती राज का पास में क्या रहेगा ? यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि पंचायतों के पास कोई बड़ा अधिकार रहने वाला नहीं है। पंचायतों के आ रहे हैं चुनाव, आप देखना, यह जो कार्यवाही कर रहे हैं, पंचायती राज चुनाव के समय में इसके नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से यह कहना चाहूंगा, इसमें जो पैराटीचर्स की समस्या आई है, लोक जुम्बिश से सम्बन्धित टीचर्स की समस्या आई.....

डा. एन.एस. गुर्जर : कल्ला साहब, आप अलाउ करें तो मैं एक मिनट बोल लूं ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : पहले एक मिनट मैं बोल लूं, उसके बाद में आप बोल लेना।

लोक जुम्बिश और शिक्षाकर्मी, इनका आप क्या करेंगे ? आप शिक्षा विभाग के माध्यम से जो चयन करते हैं, उनका क्या आधार रहेगा ? क्या आप उनका भी आर.पी.एस.सी. के माध्यम से चयन करायेंगे ? या आज पहले से शिक्षा विभाग के द्वारा जो चयन चल रहा है, उसी पद्धति के आधार पर आप चयन करायेंगे ? इसके बारे में कोई समाधान इस एक्ट में नहीं है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, शिक्षा मंत्रीजी सुनें, यह चर्चा कभी आई नहीं है। विधवाओं को, विकलांगों को, परित्यक्ताओं को, इसके लिए 10 प्रतिशत की छूट आपने एक तरीके से दे रखी है। उनका सलेक्शन कैसे करेंगे ? इसके बारे में इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ? उनका सलेक्शन किस प्रकार से होगा ? इसके बारे में आपका यह एक्ट मौन है। आप अपना रिप्लाई दें तो आप बतायें कि उन 10 प्रतिशत पदों को छोड़ा है, उनका चयन कैसे होगा ? क्या जिला स्थापना समिति करेगी ? क्या आर.पी.एस.सी. करेगी ? और उसकी क्या प्रक्रिया होगी ? इसको आप स्पष्ट करें।

इसके अलावा मैं आपसे खास तौर से यह कहना चाहूंगा कि पैराटीचर्स का सलेक्शन भी जिला स्थापना समिति के द्वारा किया गया था और उसी प्रकार से किया गया था, जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापकों का करते थे। उन

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

पैराटीचर्स को पंचायत में अध्यापक मानकर इसके नियमितीकरण की कार्यवाही हमने शुरू की थी। हालांकि उसमें निश्चित रूप से लिटिगेशन हो गये थे और उस लिटिगेशन करने के कारण से उसका एक तरीके से हम जो परिणाम लाना चाहते थे, वह परिणाम नहीं आ पाया और इस बीच में आर.पी.एस.सी. में इन सबको देने का फैसला कर लिया। इनके शिक्षाकर्मी जो आपके जमाने से काम कर रहे थे और पैराटीचर्स जो लम्बे समय से काम कर रहे हैं, उनके भविष्य के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। लोक जुम्बिश में भी जो काम कर रहे थे, उन टीचर्स के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। इसको आप किस प्रकार से नियमित करेंगे, उनको किस प्रकार से आप रोजगार देंगे ? इसके बारे में भी आप अपना रिप्लाई दें तब इसके बारे में आप बतायें।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा, आर.पी.एस.सी. को देकर आपने राजस्थान की पंचायतों के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसका हम विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप पारण के पहले, इसको पारित करने के पहले इस पर पुनर्विचार करें। संविदा के आधार पर जो अध्यापक हाईकोर्ट के आदेश से लगाये गये थे, वे तीन साल की ट्रेनिंग करने की शर्त के आधार पर नियुक्ति दी गई, उनकी सरकार कब ट्रेनिंग करवा रही है ? ये जो प्रश्न हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, इन प्रश्नों के बारे में आप अपना रिप्लाई करें, और मैं चाहता हूं, आप जल्दबाजी में इसको पारित नहीं करायें और जो बिन्दु उठाये हैं, उनके बारे में पुनर्विचार करें। धन्यवाद।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल्ला साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, जब आपके समय में आपने अधिकार दिये थे पंचायतों को, क्या आप बतायेंगे कि पी.डब्ल्यू.डी. और पी.एच.ई.डी., इनको तो आपने स्टाफ और फण्ड्स इन पंचायती राज संस्थाओं को उस समय दिये ही नहीं थे और..... (व्यवधान) ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों ही नहीं दिये थे। मैं उनसे पूछ रहा हूं, यह आपके समझ की बात नहीं है, कल्लाजी समझ रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : यह आप सरकार से पूछें तो ठीक रहेगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : वह तो आपने दिये ही नहीं थे और दिये ही नहीं, इतना ही नहीं हुआ, महिला बाल विकास में कुछ अधिकार दिये और बाद में उन्होंने भी विदड्रा कर लिये और इतना ही नहीं हुआ, जो आपकी मंत्रियों की कमेटी बनी थी, उसमें मुझे आज भी याद है, फोरेस्ट मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर, दोनों मिनिस्टर्स तो उठकर बाहर चले गये कि हम कोई कुछ नहीं देंगे, कोई अधिकार नहीं देंगे.....यह उस समय हुआ कि नहीं मुझे आज भी याद है कि फोरेस्ट मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर, दो मिनिस्टर तो उठकर के बाहर चले गये कि हम कोई-कुछ नहीं देंगे, कोई अधिकार नहीं देंगे। यह उस समय हुआ कि नहीं, आपने दिया क्या ? गलती चाहे सरकार आपकी हो, चाहे हमारी हो, प्रेक्टिकल कठिनाइयां हैं कुछ देने में, इसलिए उन प्रेक्टिकल कठिनाइयों को देखते हुए ही दिया जाना चाहिए। कोई यह पंचायत चुनाव आ रहे हैं इसलिए आप पोपुलरिटी लेने के लिए यहां पर वकालत करो और जोर-जोर से बोलो कि आप तो पंचायतों के बहुत पक्ष में हैं अधिकार देने में और हम कोई उनके खिलाफ़ हैं, यह इम्प्रेशन यहां हाउस में मत दीजिये, हम आपसे ज्यादा हिमायती हैं पंचायतों के, उनको ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं लेकिन व्यावहारिक तौर पर देना चाहते हैं, केवल राजनीतिक करने के लिए नहीं।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं.......(व्यवधान) एक मिनट तगारामजी।

श्री उपाध्यक्ष : तगारामजी, बैठिये। बुला देंगे, हां, इनके बाद में। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, 1993 से 1998 (व्यवधान) मुझे अलाउ किया है, आप मेरे बाद में बोल लेना।

श्री तगाराम चौधरी : आप मेरे को बोलने दीजिये अभी।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अलाउ किया है।

श्री तगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को आपने इजाजत दी..

श्री उपाध्यक्ष : बाद में बुला लेंगे आपको। तगारामजी, इनके बाद में बुला लेंगे आपको। तगारामजी, बुला लेंगे इनके बाद में। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अलाउ किया है और मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं। अब यह कोई तरीका नहीं हुआ कि यह मनमर्जी से खड़े होते हैं, फिर क्या मतलब है आसन की व्यवस्था का।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार सदस्य अपनी बात कह ले, बाद में तगारामजी कह लें। यह नई परम्परा क्यों डाल रहे हैं जब आपने उनको अलाउ कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तगारामजी, आप बिराजो, आप बैठिये। इनके बाद में मौका देंगे आपको, विराजिये थोड़ा सा।

श्री संयम लोढ़ा : अब बिराजें आप प्लीज, मुझे अलाउ किया है, आप बिराजें, मेरे बाद में बोल लेना।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद दूंगा।

श्री तगाराम चौधरी : पहले मैं बोलूं ?

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद।

श्री तगाराम चौधरी : चयन प्रक्रिया के बारे में जो संशोधन की बात आ रही है इसमें मैं निवेदन करूं कि जब से अभी मंत्रिमण्डल बना, शिक्षा विभाग का एकीकरण किया और एक विभाग बनाकर के मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत ही सूझ-बूझ का निर्णय लिया है, यह बहुत ही सराहनीय है। जो बातें पंचायती राज को मजबूत करने के लिए आ रही है उसका मैं आपके सामने वर्णन करूं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रत्यक्ष गवाह हैं आप।

श्री तगाराम चौधरी : कि शिक्षाकर्मी तो पहले की बात है और वह पंचायत समितियों के तहत ही चल रहा था और यह पैराटीचर कह दें या पहले शिक्षा सहयोगी के नाम से राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं तत्कालीन सरकार ने, उसका एक विकास अधिकारी लिखता था कि इतने, दो फलां पंचायत, तीन फलां पंचायत और उसका एक पन्ना फाड़ते थे, यों फाड़कर देते थे ग्रामसेवक को, उसमें सिर्फ यह संख्या लिखी हुई होती थी कि इतने राजीव गांधी विद्यालय

(श्री तगाराम चौधरी)

इन पंचायत में, यह आदेश था तत्कालीन सरकार का, जो पोपाबाई की बात कहते हैं, वह बिलकुल लागू होता था, तो वह आदेश था इस तरह का जिस पर किसी के दस्तखत नहीं, कोई आदेश नहीं, जिनको नियुक्ति दी जाती थी और उस समय न तो कोई नियम बनाये गये, न कोई परिपत्र जारी किया गया और पंचायतों को अधिकार दे दिये और पंचायतों में ग्राम सेवकों को पकड़ा दी लीरी और उस राज में एक बात ऐसी थी कि इस तरह का एक खौफ पैदा किया हुआ था कि स्थानीय विधायक जो इनके दल का था वह विधायक कहे वैसे करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको यहां नहीं रहने देंगे, सब को बदल देंगे। तो बदली वाले डर से सारे डरते थे और आदेश कुछ नहीं, उसका परिणाम क्या हुआ, उन शिक्षा सहयोगियों ने तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय बाड़मेर पधारे, मैं बाड़मेर का निवेदन करूं आपसे, बाड़मेर पधारे और उनके प्रतिनिधि सर्किट हाउस, बाड़मेर में उनसे मिलने गये थे, मिलने गये तो उन्होंने कहा कि किसने दिया तुमको, हमने नहीं दिया, चले जाओ यहां से और पुलिस को बुलाकर भगा दिया। फिर उन्होंने आन्दोलन किया और फिर जाकर के तत्कालीन सरकार ने एक कोई आदेश निकाला कि इसके तहत लिये जाते हैं, पंचायत के पास न तो कोई आदेश थे, न उनको कोई अधिकार थे, मजबूत पता नहीं किस तरह से करते थे। ग्राम सभाओं के बारे में भी न तो कोई निर्णय लिया और न कोई आदेश दिया, सारा जबानी आदेश पर राज चलता था, पोपाबाई नहीं था तो क्या था, जबानी आदेश पर राज चलता था, राज चलता है आदेशों से, राज चलता है नियमों से।

अभी नियम की बात आ रही है, नियम में संशोधन हो रहा है। यह बात तो समझ में आती है, अधिनियमन का संशोधन हो रहा है। इस तरह का कोई किया होगा क्या, और फिर पंचायती राज मजबूत हुआ, वह मैं बताऊं आपको। यह जो प्राथमिक विद्यालय पंचायत समितियों से लेकर के ब्लाक शिक्षा अधिकारी को दिये गये थे, कौन से राज में दिये गये, पंचायत राज मजबूत हो गया, जीपें वगैरह साधन तो विकास अधिकारी के पास में और ब्लाक शिक्षा अधिकारी मोटर साइकिल को लिए हुए फिरे और उसकी देखरेख करें, नियन्त्रण करें, पढ़ाना किसको था, अध्यापक थोड़े-बहुत थे और कोई

(श्री तगाराम चौधरी)

लिखता नहीं था, थोड़े-बहुत थे, उनको बना दिया नोडल अधिकारी फेमिन का और किसी आंकड़ों का, कई तरह का, रापट-रोल हो गया। न तो वह पढ़ा पा रहे हैं, न राजीव गांधी में लड़के थे, एक के पास में दूसरी खोल दी और नाम भी ऐसे उलट-पुलट लिखा हुआ था, इस तरह आप काम चला रहे थे। वह कहावत चरितार्थ हुई पोपाबाई कैसी थी, क्या थी। एक बंजारे ने मूंग खरीदे थे (व्यवधान) मैं थोड़ा पोपाबाई का जवाब देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, ठीक है।

श्री तगाराम चौधरी : बंजारे ने मूंग खरीदे थे और बंजारा गया पोपाबाई के राज में खेड़ में, वह गया कि मेरे मूंग वाला नट गया है कि मैं इस भाव नहीं दूंगा। बुलाया उस बेचने वाले किसान को.....(व्यवधान) आप सुनिये न। बुलाकर के पोपाबाई ने पूछा कि किस हिसाब से मूंग खरीदे तो खरीददार ने कहा कि मैंने तो खरीदे थे उलटी पायली के ऊपर मूंग जितने भी रहे, उसके इस भाव से खरीदे थे और वह बंजारा कहता है कि मैंने सुलटी पायली से लिये थे। उनका फैसला कैसे किया। फैसला किया कि आडी पायली के ठरका देकर के भर लो और ले लो। उसके ऊपर तो दाना ही नहीं रहता था। तो इस तरह का इनका आदेश था। तो क्या हुआ, मुख्य मंत्रीजी आये और कहा, किसने दिया तुमको और मैं यह कहूं कि बाद में पंचायतों से उन पैराटीचर्स को वेतन देना और वह फिर सारा बदला, वह कौन से आदेश से बदला, कब बदला और कौन दे रहा है, क्या वर्तमान बीजेपी सरकार ने किया ऐसा ? नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजो तगारामजी, अब बिराजें, बिराजें।

श्री तगाराम चौधरी : क्यों बैठ जाऊं, अभी तो शुरू ही किया है। पंचायती राज को मजबूत किया, वह बताऊं आपको। एक अधिकार दिया पंचायतों को, एक कमेटी बनाई कि किसी भी कर्मचारी की शिकायत कर दो और वह कर दो सम्भागीय आयुक्त को और सम्भागीय आयुक्त सुनवाई करेगा और करके बदली करेगा। यह अधिकार दे दिया और उस अधिकार का हुआ क्या। उसका भी वहीं हुआ। कहीं पर मैंने नहीं देखा कि उसके तहत कोई

(श्री तगाराम चौधरी)

शिकायत की है और कोई सम्भागीय आयुक्त ने स्थानान्तरण किसी का किया हो शिकायत करने के तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं, किसी साधारण व्यक्ति को भी शिकायत करने में कोई मनाही नहीं है, कोई उसको रोकता नहीं है, यह तो स्वतः ही है कि कोई गलत काम होता है तो कोई शिकायत करने पर ही कोई अधिकार मिलता है क्या, वह तो सारा है, कोई भी कर सकता है, शिकायत की फ्लां ने चोरी की है इसको पकड़ने या फ्लां ने गलती की है इसको हटाओ। इसमें कोई कौन रोकता है, अधिकार दिया है इन्होंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब ठोस सुझाव दे दो, तगारामजी।

श्री तगाराम चौधरी : मेरा निवेदन यही है, ठोस सुझाव मेरा यही है कि संशोधन का मैं समर्थन करता हूं और साथ में एक ही निवेदन है कि शिक्षा मंत्री महोदय से पूरी आशा है और उनके मन में यह है कि आप उन सबको......

श्री महावीर प्रसाद जैन : निकाल देंगे।

श्री तगाराम चौधरी : नहीं निकालेंगे नहीं। आप उनको किसी न किसी रूप में समायोजित करने के विचार में हो। अपनी सरकार राजस्थान की वसुन्धराजी की जो हर तबके का हरेक का भला करना चाहती है, बजट में सारी बात का उल्लेख है उनके तहत उधर के जो माननीय सदस्य विपक्ष के हैं इनको यह वहम है कि उन सबका भला कर दिया जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा 5 साल की बात क्यों कहते हैं, 5 साल में यदि पूरा हमारी सरकार उनको ठीक तरह से समायोजन करें पढ़ा-पढ़ा करके वे आपने तो लिये हैं वो तो कितनी पास हैं, 5वीं पास है कि 8वीं पास है इस तरह कि पढ़ाना भी नहीं आता वो पढ़ायेंगे लिखायेंगे। यह सारा होगा और उनका जो मानदेय बीच में तो दिया ही नहीं था, हड़ताल करवायी हम लोगों ने और किया, सारा अभी उल्लेख कर रहे थे गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य कि इन्होंने हड़ताल करवायी। हमने क्या हड़ताल करवायी वे हमारे पास आये और कहा कि हमको वेतन नहीं मिल रहा है

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये अब विराजिये अब सब आ गयी बात।

श्री तगाराम चौधरी : तो मेरा मोटे तौर पर यही अनुरोध है माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपकी और मुख्य मंत्री महोदय की जैसी भावना है उसके अनुरूप सबकी सुध लेने के साथ में यह आज आपने जो संशोधन किये हैं उनका मैं समर्थन करता हूं पुरजोर और कोई किसी का अधिकार नहीं छीना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत अच्छा। बहुत अच्छा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1993 से 1998 के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने जिला स्थापना समितियों को ये अधिकार दिये थे और तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी के भक्त जो टोडारायसिंह से आते हैं उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विचार का विषय यह है कि अभी मंत्रिमण्डल का विस्तार हुआ और उसमें उद्योग मंत्रीजी को श्रम मंत्रालय का विस्तार हुआ और उसमें उद्योग मंत्रीजी को श्रम मंत्रालय दिया गया उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया और तत्कालीन मुख्यमंत्रीजी ने जो अधिकार दिये, राजस्थान की वर्तमान मुख्यमंत्री जिला स्थापना समितियों के उन अधिकारों को वापस ले रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की आन्तरिक लड़ाई कुछ भी हो, उसके कारण कुछ भी हों पर मेरा इतना सा निवेदन है कि उसका खामियाजा राजस्थान की जनता को नहीं भुगतवाना चाहिए आपको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये और माननीय मदेरणा साहब ने, मैं उनकी बात को समझ सकता हूं वो पंचायत समिति, जिला परिषद् जोधपुर से बहुत वर्षों तक सम्बद्ध रहे हैं और पंचायतों की उनकी बहुत अच्छी जानकारी भी है। कल्ला साहब ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं आप तो सारे इसके कर्ता-धर्ता ही हैं। सारा निर्माण का ताना-बाना बुना हुआ ही आपका है इसलिए आपके सुझाव तो महत्वपूर्ण हैं ही।

श्री रामसिंह विश्नोई : ये सर्वगुण सम्पन्न हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सो तो हमेशा ही कहता हूं साहब। आपने जो दिया और तगारामजी के जो सुझाव हैं वो सर्वोपरि हैं इसलिए मैं, मेरी तरफ से एक तरह से इन्होंने आपको जवाब दिया है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा एक तो हमारे विद्वान माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने एक बात कही है कि ये पंचायतीराज का है और आपने कैसे पेश कर दिया। ये बहुत विद्वान आदमी हैं मैं आशा नहीं करता हूं कि इस प्रकार का मुद्दा उठायेंगे क्योंकि इस पर प्रभारी मंत्री के नाते भी मेरा नाम लिखा हुआ है और वैसे भी बहुत बार ये व्यवस्थाएं देखी होगी आसन की बहुत लम्बी-लम्बी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और आखिरी जो व्यवस्था हुई थी वो 3-7-1970 में हुई थी, उसमें इसी प्रकार माननीय मदेरणा साहब ने और पूनमचन्दजी विश्नोई साहब ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और उसके जवाब में अध्यक्ष महोदय ने दो बात कोट करते हुए कहा था जो भी कहा था,

"But a motion standing in the name of a minister may be moved by any other minister in accordance with the constitutional practice which permits ministers to act for each other."

इसी प्रकार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है वो उत्तरदायित्व संयुक्त था अविभाज्य है परन्तु उच्च संसदीय परम्पराओं के अनुसार मंत्रियों ने स्वयं अपनी ओर से अपने विभागों को दो पूर्ण नीति या त्रुटियों के लिए संवैधानिक उत्तरदायित्व स्वीकार किया और उनके कारण पदत्याग किया है तो मूल रूप से बात इसमें यह आती है कि कोई भी मंत्री जो सूचित कर दें उनको अध्यक्ष अनुमति दे दे वह सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में बिल प्रस्तुत कर सकता है। यह हमारे यहां पर उसी प्रकार से किया है।

दो बातें आपने कहीं। एक आपने कहा कि ये जो समितियां हैं इनके अधिकार कम हो रहे हैं और इनके अधिकार आप ले नहीं सकते। जिस एक्ट ने उनको अधिकार दिया है उसी एक्ट के अमेंडमेंट के द्वारा यह कार्यवाही हो रही है। इसकी विधि के द्वारा पूर्ण व्याख्या करा दी गयी है इसमें कोई त्रुटि नही हैं। दूसरा इनके अधिकार कोई कम नहीं हो रहे हैं ये केवल एक चयन प्रक्रिया कम हुई है नियुक्ति का अधिकार, उनके अधिकारों में कोई कमी नहीं हैं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एक 10% वाली बात कही है उसमें बहुत साफ बात है बी.एड. और बी.एस.टी.सी. के ट्रेंड लोग उसमें जाएंगे। यह विधवाएं हैं जो ट्रेंड नहीं हैं, एक वेलफेयर स्टेट के नाते हम चाहते हैं कि इनमें से ये पद बाकी जो पद हैं 25 हजार में जो विधवा कोटे के और जो ट्रेंड हैं वो तो उधर से भरे ही जाएंगे यह उनके अलावा 2800 लोग हैं और एक वेलफेयर स्टेट के नाते एक 4-5 बच्चे वाली औरत उसके हस्बैंड की कहीं डेथ हो गयी और वो आकर रोते हुए कह दे कि मुझे नौकरी दे दो और अपन कहें कि तुम ट्रेंड नहीं हो नहीं दे सकते तो उसके लिए एक प्रक्रिया तय करेंगे और उस प्रक्रिया के माध्यम से वो 2800 उनके लिए रखा गया है इसमें कोई राजनीति भी नहीं है। इसमें वैलफेयर स्टेट की कल्पना है और उनको उस हिसाब से दिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः एक बार विनम्र प्रार्थना यह करूंगा कि इसमें किसी प्रकार नहीं है सारे सदन से मैं आग्रह करना चाहूंगा मैं बिलकुल जैसा हमारे मदेरणा साहब ने कहा था हिप्नोटाइज, कोई हिप्नोटाइज करने की बात नहीं है। विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि मैं एक ओनेस्ट प्रयत्न कर रहा हूं कि एक बार हमारे जो पंचायतों में स्थान रिक्त हैं वो भर जाएं फिर आगे अपन विचार कर सकते हैं। जैसे सब-आर्डिनेट चयन समिति आयोग अलग से बन सकता है।

एक बात और कहना चाहूंगा अभी हाईकोर्ट में एक स्टे हुआ है। उन्होंने भी कहा है संस्कृत की हम डाइरेक्ट्रेट के द्वारा भर्ती करना चाहें तो जब एक प्रक्रिया आपने हाईकोर्ट से कर ली, अब आर.पी.एस.सी. से कर ली तो फिर डाइरेक्ट्रेट के थ्रू क्यों कर रहे हैं, तो कोई भेदभाव नहीं है ग्रामीण क्षेत्र के शहरीं क्षेत्र के जो भी अब लगेंगे उनको हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से लगायेंगे। इसलिए उसमें कोई भेदभाव नहीं है। मैं आपसे पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि इसको पारित किया जाए।

एक बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह कर समाप्त करूंगा वो इससे अलग है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था और अभी तगारामजी ने प्रश्न उठाया था तो उसका मैं विश्लेषण करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय ने मुझे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कहा था कि पोपाबाई की कहानी क्या है इसका पता करो इसकी ऐतिहासिकता पता करो। तो मैंने शैल साहब की पुस्तक निकाल ली और राज बांके बिहारीजी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, वो अध्यक्षजी की हाजिरी में ही बताना। उनकी हाजिरी में ही बताना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनके सामने ही बताऊं ? चलिये बाद में बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : वो उनका ही प्रकरण है बीच में अपन ट्रेस पास नहीं कर सकते। वो उन्होंने ही उठाया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चलो तो मैं नहीं बता रहा हूं पर मेरे पास उसकी ओथेंटिसिटी है जब भी आप चाहेंगे पोपाबाई के बारे में ऐतिहासिक तथ्य बता दूंगा मैं।

श्री संयम लोढ़ा : इस पर आप आधा घण्टे की चर्चा रखवा दो। मेरे पास भी ऐतिहासिक जानकारी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां रखवा देते हैं.....(व्यवधान)......चर्चा कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कई तरह के विरोधाभास हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : आप दोनों आपस में ही कर लेना सदन का समय व्यर्थ मत करें। आपस में ही कर लेना चर्चा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करता हूं कि इसको पारित किया जाय।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है यह एक्ट जनविरोधी है पंचायतों को कमजोर करने का है गांव के लोगों को इससे नौकरी नहीं मिलेगी इसलिए मैं और मेरा दल इस पाइण्ट के ऊपर बहिर्गमन करता है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा हूं कि राजस्थान के इतिहास में जब हम गरीब लोगों को बेरोजगार लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, पांच साल तक इन लोगों ने एक आदमी को रोजगार नहीं दिया.....(व्यवधान).....

श्री मोहन लाल गुप्ता : गरीबों के + + + हैं.....(व्यवधान)...... इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग बेरोजगारों को..... (व्यवधान)......बिलकुल सही बात है ये सही कह रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पांच साल तक इन लोगों ने एक भी आदमी को रोजगार नहीं दिया। 40 हजार पद खाली रहे हैं शिक्षा में अराजकता का वातावरण पैदा कर दिया वो पार्टी आज जब 30 हजार लोग नौकरी लगने वाले हैं, यह कह कर वाक आउट कर रही है कि इससे पंचायतों का अधिकार खत्म होगा। पंचायतों का अधिकार छीना है, इन्होंने छीना है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास के अन्तर्गत यह मंत्रालय था किसने बनाया, प्राथमिक शिक्षा का अलग विभाग किया है, उनके ट्रान्सफर का अधिकार छीना जिन्होंने। जिन्होंने सारा काम किया आज वो लोग इस बात पर अगर आते हैं, मैं उपाध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा में अराजकता फैलाने का काम पिछले पांच साल में कांग्रेस ने किया, बी.डी. कल्ला साहब ने पर्टीकुलरली किया और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री गुलाब चन्दजी कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाय

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोगेश्वर गर्ग। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हमारी सरकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 में संशोधन के लिये यह 2004 का बिल लाई है उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह जो रिमाण्ड प्रिजनर्स जो ज्युडिशरी कस्टडी में हैं उनके लिये वीडियो लिंकेज के सिस्टम का कई अन्य राज्यों में प्रावधान किया गया है और बहुत से राज्यों ने इसका प्रावधान नहीं भी किया है उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि यह बहुत जल्दबाजी में लाया गया विधेयक है उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस नये प्रावधान के लिये राजस्थान की जनता और राजस्थान का शासन तैयार है क्या यह प्रावधान लाने से पहले राजस्थान की हमारी सरकार ने इसके लिये आधारभूत ढांचा तैयार किया है। हमारा जो तमाम सिस्टम है, पुलिस का सिस्टम है, जेल का सिस्टम है, ज्युडिशरी का सिस्टम है क्या हमने उसका कम्प्यूटराइजेशन किया है ? क्या हमने यह वीडियो का सिस्टम वहां पर एस्टब्लिश किया है ? और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधिकारी इस प्रक्रिया में इनवाल्व रहेंगे क्या उन मजिस्ट्रेट के इस तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था हमने की है ? क्या हमने उनका प्रशिक्षण किया है और पुलिस के जो अधिकारी इस नई व्यवस्था में इनवाल्व रहेंगे क्या हमने उनका प्रशिक्षण किया है उपाध्यक्ष महोदय, किसी तरह की बुनियादी तैयारी राजस्थान सरकार ने

(श्री संयम लोढ़ा)

नहीं की है और बुनियादी तैयारी नहीं होने के बावजूद वीडियो लिंकेज का यह प्रोविजन लेकर सरकार आई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा दो छोटे से संशय मेरे मन में है वह भी मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी के सामने रखना चाहता हूं कि जो ज्युडिशरी कस्टडी में हैं रिमांड प्रिजनर्स उसके साथ कोई भी घटना हो गई, पुलिस वाले नहीं करें जेल के कर्मियों ने कर दी, मारपीट हो गई, उसको शारीरिक क्षति पहुंचाई गई इस वीडियो लिंकेज के सिस्टम के माध्यम से वह अपनी पीड़ा को कैसे दिखा सकेगा।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अगर यह समझती है कि बहुत बेहतरीन है तो सिर्फ उन 5000 रिमांड प्रिजनर्स के लिये हर आप इसको क्यों लागू करना चाहते हैं ? आप इसका दायरा बढ़ाइए और जो लोग ट्रायल पर है उनके लिये भी इसको लागू कीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि चूंकि हमने इसका आधारभूत ढांचा खड़ा नहीं किया है, आधारभूत सुविधाएं हमने प्रदान नहीं की है, आधार भूत तंत्र हमने इसके लिये तैयार नहीं किया है। मजिस्ट्रेट और जो पुलिस आफिसर हैं उनको मानसिक और कार्यशील रूप से दोनों ही तौर पर इसके लिये तैयार नहीं किया है इसलिए अभी यह बहुत जल्दबाजी है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसके लिये आधारभूत ढांचा तैयार करें, हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों का पूरा प्रशिक्षण करें और राजस्थान की जनता को मानसिक तौर पर और राजस्थान के शासन तंत्र को मानसिक तौर पर इसके लिये पूरी तरह तैयार करे उसके बाद इस विधेयक को लेकर आये तब तक के लिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लियं परिचालित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा। डा. एन.एस. गुर्जर।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम बोला था, तुरन्त ही दूसरा नाम बोल दिया। खड़े होने का अवसर ही नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : अभी दे देंगे, पहले बोल दिया था।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेन्ट बिल सरकार लाई है यह बहुत ही प्रगतिशील कदम है और सरकार को सजेस्ट किया गया तब लाई है। उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी रेमाण्ड पर जो प्रिजनर्स हैं उनको लाने ले जाने में पुलिस का कितना समय व्यर्थ होता था, पुलिस की गाडियां उसमें बिजी होती थीं, कई बार वह छुड़ाकर भाग जाते थे और इसलिए इनको करीब 5000 के आस पास जो हैं, ओनरेबल जस्टिस श्री शिवकुमार शर्मा, जज, राजस्थान हाईकोर्ट और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आफ द राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथोरिटी उन्होंने गवर्नमेन्ट का ध्यान इस ओर खींचा कि यह सब दिक्कतें होती हैं इसलिए आप इनको वीडियो लिंकेज के माध्यम से रिमांड प्रिजनर्स को प्रोड्यूस कीजिए। इसलिए यह सरकार को सजेस्ट किया गया और क्योंकि आधुनिक युग है, कम्प्यूटराइजेशन बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, आजकल डाक्टर आपरेशन वहां से देखकर दूसरे कंट्री में कर देते हैं तो यह प्रगतिशील कदम लाने में मैं समझता हूं इसमें क्या परेशानी हो रही है। मैं इसका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्रीजी को कि आप लाये और आप कहते हैं कि आपने इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया इसलिए क्यों ले आये। जब कानून बनेगा उसके बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा होगा, उसके बाद उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था भी होगी, उसके बाद इसमें और कमियां होगी वह भी दूर होगी। इसलिए सरकार का यह बहुत ही प्रगतिशील कदम है, यह बहुत पहले आना चाहिये और जैसा आपने कहा कि बाकी प्रिजनर्स के लिये भी कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं कर सकते हैं यह आगे की बात है, यह सरकार का पहला कदम है। इसलिए यह स्वागत योग्य है, इसका स्वागत करना चाहिये। इसलिए मैंने भी जनमत जानने के लिये जो प्रस्ताव किया था उसको मैं आपकी अनुमति से विथड्रा करता हूं और सरकार को इसके लिये बधाई देता हूं कि यह बहुत अच्छा कदम है और इस तरह के कदम आगे और बढ़ाये जाये और चीजे जोड़कर लाइए; धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द शर्मा, डा. सी.पी. जोशी, श्री हेमाराम चौधरी, डा. चन्द्रशेखर बैद, श्री अमराराम धोद, श्री जुबेर खान, मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय माननीय चन्द्रशेखरजी बैद खड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रशेखर बैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल 2004 कोर्ट आफ क्रिमिनल प्रोसिजर (अमेंडमेन्ट) बिल 2004 है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा इसमें जिक्र किया गया है आनरेबल जस्टिस श्री शिवकुमार शर्मा, जज, राजस्थान हाईकोर्ट एण्ड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आफ राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथोरिटी। मैं आपसे यह निवदेन करना चाहूंगा कि अभी तक सेंटर गवर्नमेन्ट ने जो सबसे इम्पोर्टेन्ट और सबसे बड़ी बाडी बनाई है क्रिमिनल कोर्ट को अमेंडमेन्ट करने की वह बाडी बनाई है मेलीमत कमेटी और उस मेलीमत कमेटी ने जो सिफारिश यूनियन गवर्नमेन्ट को दी है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। पैरा नम्बर 28 सैक्शन 167(2)....

"The Code may be amended to increase the maximum period of police custody to 30 days in respect of offences punishable with sentence of more than 7 years."

इसी के आगे पैरा नम्बर 29 में वह यह कहते हैं यह वह इम्पोर्टेन्ट कमेटी है जिसके रूल्स एण्ड रेगुलेशन आगे आने वाले समय में और मैं आपकी इन्फोरमेशन के लिये निवेदन करूं कि यह बी.जे.पी. की सरकार के टाइम में ही बनाई गई थी, जब केन्द्र में बी.जे.पी. की सरकार थी और जेटली साहब ने यह रिकमण्ड किया था कि इसकी सारी व्यवस्थाओं को आगे आने वाले समय में केन्द्र सरकार और दूसरी सरकारों द्वारा मान्य किया जायेगा। इसी के पैरा नम्बर 29 पर वह मेंशन करते हैं 167 के बारे में......

"Section 167 of Code which fixes 90 days for filing charge-sheet failing which the accused is entitled to be released on bail, be amended empowering the Court to extend the same by a further period of 90 days. If the court is satisfied that there was no sufficient cause....."

यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सबसे बड़ी कमेटी जिसने यूनियन गवर्नमेन्ट को अपनी रिपोर्ट दी उसमें वीडियो लिकेंज का कोई प्रोविजन उसने नहीं रखा। जबकि इतनी एग्जास्टिव और डिटेल रिपोर्ट आज

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

तक यूनियन गवर्नमेन्ट को किसी के द्वारा नहीं दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो वीडियो लिकेंज का जिक्र इन्होंने किया है इसमें यह मेंशन किया है.....

"Section 167 of Criminal Procedure Code, 1973 should be amended as to provide the production of remand prisoner through the medium of video linkage."

अब यह वीडियो लिंकेज अगर आप नेशनल स्प्रेक्टरम पर देखें तो यह तीन चार राज्यों में अभी तक चालू हुआ है और उन राज्यों की जो रिपोर्ट है वह भी मैं आपको बताऊंगा। यह शुरू हुआ है आन्ध्र प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में और यह शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ के अन्दर। अब इन राज्यों में क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि इनमें जो क्रिमिनल्स हैं वह इस लेवल के क्रिमिनल्स हैं जिनको बार-बार कोर्ट में पेश करने से उनको दिक्कत पेश आती है। अब आप देखें कि यह जो आन्ध्र प्रदेश की वीडियो लिंकेज शुरू हुई है उसके अन्दर उन्होंने लिखा है, वहां के होम मिनिस्टर जो हैं, वह कहते हैं।

"The electronic video Linkage will enable interaction between the prisoner and the concerned Magistrate through an Integrated Service Divital Network (ISDN). The under-trial can stand before the camera installed in the prisoner complex and answer question from the Magistrate and get his remand extended without having to personally go to the court."

और उसके आगे मैं अण्डर-लाइन करके लाया हूं, इन्होंने क्लीयरली लिखा है "This has provisionally stated on experimental basis." आन्ध्र प्रदेश ने, जिसको कम्प्यूटर के अन्दर नम्बर वन माना जाता है अपनी कण्ट्री में, उन्होंने भी इसको प्रोविजनील स्टार्ट किया है। उन्होंने परमानेन्ट बेसिस पर इसको स्टार्ट नहीं किया है। यह दूसरा, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, अहमदाबाद की रिपोर्ट है उसके अन्दर भी इन्होंने क्लीयरली मेन्शन किया है कि इसको एक्सपरीमेंटली बेसिस पर स्टार्ट किया जाए। अब आप देखें, दिल्ली का, अपनी राजधानी दिल्ली के अन्दर जो उन्होंने चालू किया है, "The pro-

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

posal has been accepted....."

उन्होंने भी इस प्रपोजल को असेप्ट किया है आपने ने कापी तो कर लिया है उसको लेकिन साथ में जो उसका दूसरा प्रोविजन है उसको नजरअन्दाज कर दिया।

"The proposal has been accepted by the Delhi High Court which was consulted in the matter and has concurred for bringing about an amendment in section 167(2) of Cr.P.C., 1973 so that prisoners lodged in Delhi prisons could be produced before the Magistrate through the medium of Video linkage conferencing on experimental basis."

They have started this on experimental basis only.

और यह खाली उन्हीं क्रिमिनल्स के लिये शुरू किया जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सफर करने में दिक्कत होती है, उनके भागने की आशंका रहती है, या उनके किसी और तरह की हानि होने की आंशका रहती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह का सिस्टम अपनी स्टेट के अन्दर शुरू करना टोटली अनकांस्टीट्यूशनल है।

It is totally unconstitutional. Why is it unconstitutional ? क्योंकि एक आप देखें, यह कैमरा, आप किसी व्यक्ति की अगर वीडियो लिकेज से गवाही लेंगे तो उसकी जो सराउंडिंग होगी, उस सराउंडिंग के अन्दर वह निष्पक्ष रूप से अपनी राय व्यक्त नहीं कर पायेगा। क्योंकि एक आप यह देखिये कोर्ट के अन्दर जब वह, मेरी बात तो सुनिये साहब, मेरी बात सुनने के पहले ही, आपने गर्दन हिला दी, मैं यह निवेदन कर रहा हूं एक आदमी जो कोर्ट के अन्दर जाएगा जब उसको देख सकता है कि वह चलने की स्थिति में है या नहीं है। उसके कोई चोट के निशान तो नहीं हैं। वह खुलकर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता है जबकि ज़ेल के अन्दर जब थानेदार उसके कोने के अन्दर खड़ा होगा जो कि वीडियो कैमरा जिसको केच नहीं कर रहा है, वह उसको बी.सी.एम.सी. करके.....

श्री विष्णु मोर्दी : जेल के अन्दर थानेदार नहीं होता।

डा. चन्द्रशेखर बैद : एस.एच.ओ., नहीं मैं थाने की बात कर रहा हूं, जेल में जो जेल का अधिकारी है, अब जो जेलर है....

श्री मोहन लाल गुप्ता : फिर वकील क्या करेगा, माननीय सदस्य वह वकील उसका क्या करेगा उसका वकील भी तो कुछ बोलता है ना।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप एक इमेजिन करके देखें कि जेल के अन्दर जो पुलिसकर्मी है वह पुलिस कर्मी उस अभियुक्त को वीडियो लिंकेज कांफ्रेंसिंग करने के पहले, उसको बी.सी.एम.ए. करता है और बी.सी.एम.ए. करने के बाद उसको डण्डा दिखाकर कहता है कि....

श्री विष्णु मोर्दी : यह बी.सी.एम.ए. क्या होगा है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये कुछ बोले हैं, रिपीट प्लीज, यह <u>बी.सी.एम.ए.</u> क्या होता है ?

श्री हरिमोहन शर्मा : यह कोर्ट की लेंग्वेज है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : अब <u>बी.सी.एम.ए.</u> देखिये, थानेदार की कोर्ट लेंग्वेज है मैं उन शब्दों को यहां बोल नहीं सकता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन यह आम बात है सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा सदन भी जानता है यह आम बात है सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा सदन भी जानता है यह आम बात है उसको धमका कर, अगर उससे गलत बयानी करवाता है तो आपका वीडियो कैमरा, आपका वीडियो कैमरा तो उसको कैच ही नहीं करेगा आप यह देखिये, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण पेश करता हूं। बिन लादेन की जो वीडियोग्राफी हुई थी उसको अमेरिका जैसा एडवांस कण्ट्री भी 7 दिन लगाता था यह रिक्गनाइज करने में कि यह वीडियो कांफ्रेस पहले हुई है या बाद में हुई है यह सही है या गलत है तो इसके अन्दर इस तरह की खामियां होने की बहुत तगड़ी गुंजाइश है अब आप देखिये कैमरे के अन्दर, दूसरे स्टेट्स ने यह कहा है कि हम ऐसा कैमरा लगाएंगे जो 360 डिग्री पर घूम सकता हो क्या आपके पास ऐसा प्रावधान है कि उसमें 360 डिग्री पर कैमरा घूम सकता है जिसमें आसपास के सारे सीन्स को लिया जा सकता हो।

(डा. चन्द्रशेखर बेट

इसके साथ आप यह देख कि [illegible] [illegible] [illegible] गांतजन [illegible] कि दूसरे स्टेट्स के अन्दर है [illegible] is meant only for special circumstances पंजाब का या कश्मीर का बहुत तगडा टेररिस्ट आपने पकड लिया, जिसका एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपको तकलीफ हो रही है या आपका यह दिक्कत है कि बीच में इसको कोई मार देगा या यह भाग जाएगा, ऐसी सिचुऐशन के अन्दर video linkage conferencing is all right लेकिन आम तौर पर video linkage conferencing is unsuitable. अब आप देखें, अपने ला के अन्दर आलरेडी ऐसे एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं जितने बी.आई.पी. जो पकड़ जाते हैं तो जज, मजिस्ट्रेट उसका हास्पिटल के अन्दर जाकर बयान लेता है कि नहीं लेता है ? या वह जेल में जाकर बयान लेता है कि नहीं लेता है ? वैसे ही आम आदमी का भी ले सकता है। इसमें आपने यह रीजन दिया है कि amendment will reduce expenditure. अब एक्सपेंडीचर, एक तरफ अपन बात करते हैं एक्सपेंडीचर कम करने की तो आप इस पर जरा गौर फरमा कर देखें, अपने स्टेट के अन्दर 39 आफिसर्स हैं जो आई.जी. और उसके ऊपर के लेवल के हैं और आपको कितने चाहिए। कांस्टेबल की भर्ती आप और कर लें, आप हैड कांस्टेबल और बढ़ा लें। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पुलिस की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, दिक्कत कहां आ गयी। 29 आफिसर्स जो खाली एयर कंडीशंड कमरे में बैठकर पुलिस का प्रशासन चलाते हैं उनको तो आप तनख्वाह दे रहे हैं 35 हजार रूपये से ऊपर प्रति माह और एक कांस्टेबल भर्ती करके 2-2 कांस्टेबल, 4-4 कांस्टेबल एक-एक डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा देंगे तो उनको ले जाने में और लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यह सिस्टम पुलिस का आज की तारीख में बना हुआ है जो आलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो स्टेबल सिस्टम होता है। What is known as 'pyramid system', उस सिस्टम को तोड़कर बल्ब टाइम का सिस्टम बना दिया, जो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब आप देखें कि इस तरह के सिस्टम से आगे आने वाले टाइम में पुलिस के डिपार्टमेन्ट को बहुत तगड़ी दिक्कत होने वाली है। इसलिये इस होने वाली दिक्कत यह सस्टेनेबल नहीं है, नम्बर-एक।

और नम्बर-दो, इस तरह के सिस्टम से आप किसी नार्मल आदमी

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

को, जो खुलकर अपना स्टेटमेन्ट देना चाहता है, वह कभी खुलकर अपना स्टेटमेन्ट नहीं दे पायेगा। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक चीज, मैं आपसे और निवेदन करूं कि आपको अगर वीडियो लिंकेज कांफ्रेंसिंग करनी है तो इसको आप एक्सपरीमेन्टल बेसिस पर शुरू कर सकते हैं। मेरा सब्मिशन बस इतना ही है कि इसको अभी पूरी तौर पर शुरू नहीं करके खाली एक्सपेरीमेन्टल बेसिस पर शुरू किया जाए। इसके लाभ और हानि क्या होती है, उसके बाद में इसको परमानेन्ट बेसिस पर किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बी.सी.एम.सी. शब्द बोला है वह एक्सपंज कराने की आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं। उसको एक्सपंज करवा दिया जाए। वह अनपार्लियामेन्ट्री है। (व्यवधान) नहीं, नहीं, आप सदन को क्यों मजाक बना रहे हो। (व्यवधान) जो जिस भावना से कही गयी है जो बात है वह अनपार्लियामेन्ट्री है तो प्लीज इसको एक्सपंज करा दें। (व्यवधान) आप देखें और उसको एक्सपंज करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : इसको दिखवा लेते हैं। इसको दिखवा कर कर लेंगे। श्री हेमराज चौधरी। श्री अमराराम जी। श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही निवेदन है कि जेल में ज्युडिशल कस्टडी में जो कैदी हैं उनको आप वीडियो लिंकेज से पेश करेंगे, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि अलवर जेल के बारे में, माननीय मंत्री महोदय भी परिचित होंगे, अनेकों बार ऐसे मुद्दे आये हैं कि जिस तरह से जेल के अन्दर उनको प्रदर्शित किया जाता है, कैदियों को परेशान किया जाता है वह जब न्यायालय में आते हैं तो वह अपनी बात वकीलों के सामने, प्रेस के सामने, अपने परिजनों के सामने कहना चाहते हैं। अब वीडियो लिंकेज से एकदम वह कट हो जाएंगे। यह निर्भर करेगा खाली जेल अधीक्षक या जेलर के ऊपर कि इतवार को और बुधवार को जो मिलते हैं उस दिन मिलने दें या नहीं मिलने दें। यह ऐसा मौका होता है, यह बात सही है, जैसे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हार्ड-कोर क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, कोई

(श्री जुबेर खान)

देशद्रोही हैं या कोई आर्गनाइज्ड गेंग है, जैसे नक्सलाइट हैं या कोई और तरह के गेंग हैं उनके लिये यह बात तो सही है। लेकिन साधारण जो गांव में झगड़े छोटे-मोटे हो जाते हैं, खेत पर हो गया, मेड़ पर हो गया, कोई बच्चों की कहासुनी में हो गया जिनके खिलाफ छोटे-मोटे मुकदमे भी होते हैं।

उनको जेलों में और परेशानी बढ़ेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप आज अलवर जेल का उदाहरण देख लीजिए। कई मर्डर हो गये, कई बार कैदी भाग गये, हड़तालें हो गयीं और यहां तक कि लोगों को पता कब चलता है जब वह अदालत में आते हैं, जब प्रेस वालों से अपनी बात कहते हैं, परिजनों से कहते हैं, वकीलों से कहते हैं। आप लिंकेज करेंगे तो वकीलों के अलावा वहां पर कौन अलाऊ होगा ? कैमरा पीछे तो नहीं घूम सकता। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि चाहे कितना ही उनको प्रताड़ना वहां दी जाए और पीछे से जेल का जेलर या उनके जो परमानेन्ट कैदी होते हैं सजा याफ्ता, जिस तरह की उनकी गेंग जेलों में बन जाती है, जिस तरह गुण्डागर्दी करते हैं, जिस तरह से अण्डर ट्रायल को परेशान करते हैं, यह आपसे किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। इससे इसको और बढ़ावा मिलेगा। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि आप वीडियो कान्फ्रेसिंग करिये, ठीक है लेकिन आप यह भी व्यवस्था करिये कि इसके लागू करने से कहीं जेल में जो जबरन कैदी हैं, जो हल्के क्राइम के अन्दर वहां जुडिशियल कस्टडी में है, उनके ऊपर कहीं प्रताड़ना ज्यादा नहीं बढ़े। आप एक तरफ तो कह रहे हैं पर फायदा पहुंचने की जगह कहीं किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हो जाए क्योंकि मैं आपको उदाहरण दूंगा कि ज्यादातर जेलों में 107, 151, 323, 326 इस तरह के हैं या एट्रोसिटीज के एक्ट के मामले में मुकदमे लग गये या कोई दहेज का मुकदमा लग गया या कोई बलात्कार का मुकदमा लग गया। इस तरह के लोग भी हैं। इन हार्ड कोर क्रिमिनल से आप हर आदमी को मत जोडिये और इसलिए आप इसको सलेक्टिव करिये कि जो पर्टिकूलर क्राइम करने पर जो अन्डर ट्रायल है, जिन्होंने सीवियर क्राइम किये हैं उनको इसमें, इस परिधि में डालिये और जो आर्डिनरी कैदी हैं उनको इससे निकालिए क्योंकि उनके खिलाफ

(श्री जुबेर खान)

यह शंका है कि जेल में ज्यादतियां हो सकती हैं और वे अपनी बात निष्पक्षता से, निर्भीकता से वहां केमरे के सामने नहीं कह पाएंगे जो वह मजिस्ट्रेट के सामने कह सकते हैं। यह मेरा आपसे निवेदन है और इसलिए हमने निवेदन किया है कि इसके ऊपर आप एक बार पुनर्विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं हूं साहब पहले तो, नाम कैसे रह गया ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप बोलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कोड आप क्रिमिनल प्रोसीजर राजस्थान अमेंडमेन्ट बिल, 2004 जो माननीय गृह मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है और सी.आर.पी.सी. की 1973 सेण्ट्रल एक्ट के 167, "Procedure when investigation cannot be completed in 24 hours." इन्होंने जो स्टेटमैन्ट आफ आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये हैं, इसमें यह कहा है कि राजस्थान के अन्दर आज पांच हजार के लगभग कैदी ट्रायल में हैं और जो संसाधन हैं, उसको बार-बार न्यायालयों में ले जाने के लिए वाहन या पुलिसकर्मी हैं उसकी उपलब्धता पर बहुत ज्यादा पैसा व्यय होता है इसलिए इस खर्चे को कम करने के लिए और रास्ते में दूसरी तरीके की घटनाएं नहीं हो उसको रोकने के लिए यह इसमें वीडियो लिंकेज का प्रोविजन ला रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तस्वीर के दो रूख होते हैं। एक तरफ छपा हुआ है तो दूसरी तरफ खाली है। एक पक्ष आपने अपना रख दिया और आपने माननीय न्यायाधिपति श्री शिवकुमारजी शर्मा ने भी अपनी जो सिफारिश इस सम्बन्ध में दी, उसका भी आपने उल्लेख कर दिया लेकिन दूसरी तरफ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के यह जो पांच हजार कैदी हैं, यह आप डैथ सैटेंस वाले या इम्प्रीजनमैन्ट फार लाइफ और मोर देन टेन ईयर्स के सजा वाले लोगों के ऊपर इस तरीके की वीडियो लिंकेज का प्रोविजन

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आप लागू करेंगे। आज हमारी जो जेले हैं उनमें कितनों के अन्दर आप इस तरीके का सिस्टम लागू कर देंगे ? यह इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिए इन जेलों को स्ट्रेन्थन करने के लिए कितना पैसा आपका लगेगा ? क्या वह आपकी तैयारी है ? और जैसा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं राजस्थान के लर्नेड एडवोकेट हैं, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यह जो सी.आर.पी.सी. में प्रोविजन है कि 161 के बयान पुलिस के सामने होते हैं और 164 में बयान मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, यह प्रोविजन क्यों रखा है ? यह प्रोविजन इसीलिए रखा है कि पुलिस के सामने जोर-जबरदस्ती से, डण्डे के डर से, भय से जो बयान कोई भी व्यक्ति दे देता है, मजिस्ट्रेट के सामने निर्भीक होकर वह अपनी बात कह सकता है। कई बार, ऐसा नहीं है, मैंने भी दस साल प्रैक्टिस की है, आपने भी की है और भी हमारे कई साथी वकील हैं, कई बार ऐसा होता है व्यावहारिक तौर पर कि पुलिस के सामने जो बयान दिये हुए होते हैं वह मजिस्ट्रेट के सामने आकर डिनाई कर देता है कि साहब, मैंने तो लाठी के जोर में यह बात कह दी है और यह सही नहीं है। मैंने अपराध नहीं किया है। किन्तु यह प्रोविजन हमारे इस कांस्टीट्यूशन में, इसीलिए क्रिमिनल प्रोसीजर में और कांस्टीट्यूशन में रखा है कि आदमी निष्पक्ष रूप से, निर्भीक रूप से अपनी बात कह सकें। जो मुलजिम है, अपराधी है, उसको सजा मिले लेकिन जो अपराधी नहीं है....(व्यवधान).....

श्री उपाध्यक्ष : माहिर साहब, 164 सी.आर.पी.सी. के बयान देने वाले भी कई बार कोर्ट में आकर इंकार हो जाते हैं। वह भी होता है काफी बार। 161 वाले भी बदलते हैं तो यह हर आदमी पर, गवाह पर दारोमदार है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि यह रखा इसीलिए कि बजाए पुलिस के वहां आदमी निर्भीक रूप से अपनी बात कह सकता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रोविजन आने दो, उसका क्या यूज होगा, क्या मिसयूज होगा, उसके बाद है यह बात तो....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : तो तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य

(मोहम्मद माहिर आजाद)

ने वह बात कहीं तो मुझको भी तो उसमें एड करने में, अपने सजेशन देने के लिए, जब हमने अपना प्रस्ताव दिया है अमेंडमेन्ट के लिए तो अपनी बात कहने का हक है तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसा अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि इस देश के चार राज्यों में, उनमें ज्यादातर वे राज्य हैं जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली जहां पर है वहां के सिस्टम में और दूसरी जगह के सिस्टम के अन्दर फर्क है, इस बात को आप देख लीजिए। दिल्ली के अन्दर पुलिस कमिश्नर प्रणाली है। वहां आज कोई ओफेंस होगा तो वह दो महीने तक उसकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करते हैं, पहले प्राइमाफेसी वे इन्वेस्टीगेशन करते रहते हैं और जब इस नतीजे पर पहुंच जाए कि वाकई में यह अपराध कमिट हुआ है तब फिर एफ.आई.आर. दर्ज होकर उसके बाद कार्यवाही हो जाती है लेकिन हमारे यहां पर तो पहले एफ.आई.आर. लाज हो और उसके बाद यह कार्यवाही शुरू की जाती है तो यह जो आन्ध्रप्रदेश है, पंजाब है या दिल्ली है जहां यह वीडियो लिंकेज सिस्टम उन्होंने लागू किया है, मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यही निवेदन है कि ऐसे तीन हजार अपराध बढ़ गये आपके सत्ता में आने के बाद, एकाधा जगह पर हथियार लुट गये या एकाध जगह कहीं मुलजिमों को ले जाते समय कहीं फरार हो गये तो इससे आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। अभी राजस्थान में वे हालात नहीं बने जैसे और दूसरी जगह हो सकते हैं और अगर इसको आप लाग करना चाहते हैं तो राजद्रोह जैसे मामले हैं या सीमा पर देश की सुरक्षा की चीजें सप्लाई करने का है या और दूसरे जो हैविचुअल आफेण्डर्स हैं या जो एक्स्ट्रा ओर्डिनरी क्राइम है उनके ऊपर आप इसको एप्लाई करके एज ए एक्सपेरिमैन्टल केसेज आप इसको देख सकते हैं। उसका प्रोविजन आप कर सकते हैं लेकिन आप एकदम इस पूरे सिस्टम में यह चेंज कर देंगे तो आज तो जो वीडियो लिंकेज सिस्टम है, कैमरे की स्थिति है, कहां क्या दिखाएंगे, कैसे होगा ? दबाव रहेगा इसलिए आप.....(व्यवधान)....

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं आपको क्लियर कर दूं कि थानों में, पुलिस स्टेशनों में एक लाख इक्यावन हजार मामले दर्ज हुए थे, आप कह रहे हो

(डा. एन.एस. गुर्जर)

अपराध बढ़ रहे हैं, आप तुलना करें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बढ़े है तीन हजार। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप तुलना कर लेना एक लाख इक्यावन हजार, मुझे याद नहीं है सन्, उसके आंकड़े थे, मैं कल आपको बता दूंगा। अब आप कह रहे हैं कि आपके राज में बढ़ रहे हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी मुद्दा यह नहीं है। अभी मुद्दा यह है कि वीडियो लिंकेज अमेंडमेन्ट इन सी.आर.पी.सी. वाला है तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि न हमारे पास अभी किसी तरीके की वीडियो लिंकेज सिस्टम हमने डवलप किया है। बिल पास होते ही आपका यह सिस्टम लागू हो जाएगा इसलिए वहां इतनी निष्पक्षता नहीं रहेगी। आदमी जिसको सजा हो जाए वह तो अपनी सजा भुगते लेकिन ट्रायल के अन्दर इस तरह की मनमानी करने की छूट मिल जाएगी। आदमी अपना बर्शन जाकर जुडिशियल आफिसर के सामने रख नहीं पाएगा इसलिए इसकी कई पेचीदगियां साबित होंगी इसलिए मेरा यह निवेदन है कि बजाए इसके कि बिल पास करने के आप इसको सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें और प्रवर समिति में सारे दलों के लोग होते हैं, वे इस पर गम्भीरता से, गहनता से विचार करें। दूसरे स्टेट्स में जहां यह सिस्टम लागू किया गया है, वहां की भी क्या मैरिट्स और डी-मैरिट्स, क्या रिजल्ट्स रहे हैं, उनका भी आंकलन कर लें और उसके बाद वह अपनी रिपोर्ट पेश कर दें। तब अगले सत्र के अन्दर आप इस पर विचार कर लेना इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं और इसको सदन की एक प्रवर समिति को सौपने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय उपापध्यक्ष महोदय, देखने में यह संशोधन बहुत साधारण सा दिखता है लेकिन इसका जो इम्पेक्ट है मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान उस इम्पैक्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। इस

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आदमी को कांस्टीट्यूशन में लिबर्टी दी गयी है, विद इन फार कानर्स आफ द ला, कानून के अन्तर्गत उसकी लिबर्टी सुरक्षित रहे, इस बात का ध्यान आपको इस संशोधन के माध्यम से जो परिणाम आने वाले हैं उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। आपने जो आधार बनाया है, इस अमेंडमैन्ट का -

"This will reduce expenditure on vehicles, escort, etc. and minimise the e scape of prisoners during transit. Therefore, section 167 is proposed to be amended accordingly."

यह दो आधार बनाये हैं आपने एक तो मुल्जिम भाग जाएगा और दूसरा आपका खर्चा बच जायेगा। दो आधार आपने बनाये हैं। इस मुकाबले में इस साधारण से अमेंडमेन्ट के मार्फत किसी व्यक्ति की कितनी लिबर्टी पर कितना असर पड़ेगा, इस पर आपने विचार नहीं किया।

मैं दो-तीन बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं 167 सी.आर.पी.सी. के तहत जो आप रिमाण्ड लेना चाहते हैं वह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से करना चाहते हैं। पहले इसमें जो प्रोविजन था, वह प्रोविजन यह था कि उसकी फिजिकली प्रजेंस मजिस्ट्रेट के सामने जरूरी थी। अब वह फिजिकली प्रजेंस मजिस्ट्रेट के सामने जरूरी क्यों थी, उन रीजन्स को आप देखें। आपने कहा कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमाण्ड की जो बात है पुलिस कस्टडी का हुआ तो पुलिस स्टेशन से, जुडिशल कस्टडी का हुआ तो जेल से, दो जगह आपको इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आप पुलिस कस्टडी में करना चाहेंगे तो आपको थाने में करना पड़ेगा और अगर आप जुडिशल कस्टडी में करना चाहेंगे तो आपको जेल में करना पड़ेगा। दो जगह आपको वीडियो कान्फ्रेंसिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उस वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जो सबसे पहले प्रश्न पैदा होता है कि सैक्शन 54 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, 54 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इस बात के लिये है वह मुल्जिम अदालत में जाकर यह कह सके मजिस्ट्रेट से, कि मेरे साथ पुलिस ने मारपीट की है, मुझे डरा-धमकाया है, मुझे परेशान किया गया है। मेरे साथ ज्यादती की गयी है। मेरे साथ टोर्चर किया गया है। और मेरे बदन पर यह यह चोटें हैं इसलिए मैं

(श्री हरिमोहन शर्मा)

मेडिकल करवाना चाहता हूं। यह कैसे सम्भव हो पायेगा ? यह सम्भव नहीं हो पायेगा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कि मुल्जिम पुलिस कस्टडी में, जहां तक जुडिशल कस्टडी का सवाल है, दो पार्ट हैं......(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता : माननीय सदस्य, यह जो बिल लाया गया है यह जुडिशल कस्टडी के लिये लाया गया है, पुलिस कस्टडी की बात नहीं है इसमें। आप कहां लगा रहे हो ?

श्री हरिमोहन शर्मा : क्या कह रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गुप्ता : यह जुडिशल कस्टडी के लिये है, पुलिस कस्टडी के लिये नहीं है। इसके आब्जेक्टस पढिये आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : मोहनलाल जी, गृह मंत्रीजी, जो जुडिशल आफिसर यहां बैठे हैं वह जब स्लिव भेजेंगे, जब आपको जवाब दे देंगे। मेरा कहना ठीक नहीं रहेगा। मेरा देना ठीक नहीं रहेगा। नहीं तो मुझे कुछ इधर उधर की बात कहनी पड़ेगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। मेरा जो सब्मिशन है आपसे, उन चोटों को वह दिखा नहीं पायेगा पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस कस्टडी में और जुडिशल कस्टडी में तो जो भी जेल के अधिकारी हैं, जिन्होंने उनके साथ, यह दो पार्ट हैं पुलिस कस्टडी का अलग पार्ट है, और जुडिशल कस्टडी का पार्ट अलग है। जुडिशल कस्टडी में वह जेल में रहेगा, पुलिस कस्टिड में वह पुलिस थाने में रहेगा। 167 जो सैक्शन है जिसके लिये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूद जो प्रजेन्ट में सैक्शन है 167, उसके लिये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1957 सुप्रीम कोर्ट पेज 389 में कहा है, धारा 167 सी.आर.पी.सी. के प्रोविजन के लिये-

"To prevent possible abuse of their powers in trying to make discoveries of crimes by means of duress, terror and wrongful confinement....."

सुप्रीम कोर्ट का यह है कि 167 में जो प्रोविजन है उनसे उन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाये, यह 167 के मामले में सुप्रीम कोर्ट की अपनी ओपिनियन है। सुप्रीम कोर्ट ने जगह-जगह डायरेक्शंस दिये हैं कि एक पुलिस ने किसी

(श्री हरिमोहन शर्मा)

व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो आप उसकी लिबर्टी का ख्याल रखकर उसके परिजनों को 24 घण्टे के अन्दर सूचित करेंगे। आप सैक्शन 54 का जो प्रोविजन है जिसमें वह मेडिकल के लिये रिक्वेस्ट कर सकता है और वह दरख्वास्त कर सकता है, वहां दरख्वास्त कैसे देगा वह कि मेरा मेडिकल करवाओ। राइटिंग में उसको दरख्वास्त देनी पड़ेगी। जहां तक उसके प्लीडर का सवाल है, कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन है तो वह अपने वकील के माध्यम से अपनी बात को कहेगा। वकील के माध्यम से वह जब जुडिशल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी में कोर्ट में आता है तो वकील अपने क्लाइंट से अलग ले जाकर उससे पूछताछ कर सकता है। यह उसको राइट है। आप यह बताइये यह एडवोकेट का जो एक्यूज की जो लिबर्टी है और यह जो राइट है कि वह अपने वकील से प्राइवेटली बात सारी बता देगा, उसका वीडियो कान्फ्रेंसिंग में क्या होगा, कैसे वह अपनी प्राइवेट बात उसको बतायेगा और वकील कहां रहेगा, वीडियो कान्फ्रेंसिंग हो रही है वहां रहेगा या कोर्ट में जहां मजिस्ट्रेट उसको देख रहा है वहां होगा तो उसका जो राइट है, यह राइट इसमें कर्टेल हो जायेगा।

तीसरा, जो मेरा आपसे सब्मिशन है वह यह है कि जो भी रिकवरीज होती है एक लीगल प्रोसेस अगर टैरर किया गया है, उसको टोर्चर किया गया है, उसको पीटा गया है, उसको मारा गया है और उसकी पिटाई के बाद अगर उससे कुछ चीज उगलवाई गयी है तो वह बेसिकली रांग है और जब वह इन सब बातों को कोर्ट में नहीं कह सकेगा, अपनी बात को नहीं कह सकेगा तो जो रिकवरीज धारा 27 एवीडेंस एक्ट के तहत जो उससे करवाई गई है वह इललीगल रिकवरीज होते हुए भी वह लीगल रिकवरीज की तारीख में आयेगा और उसकी जो लिबर्टी का मामला है वह इससे अलग हट जायेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। इसलिए राजस्थान सरकार से निवेदन था उसकी लिबर्टी खतम, कोर्ट में जाने का उसका अधिकार खतम, अपनी चोटें दिखवाने का अधिकार खतम, लीगल राय लेने का अधिकार खतम और फिर भी आपने जो आधार दिया है, जिन लोगों का चालान पेश हो गया, कोर्ट में उनको डे-टू-डे हियरिंग के लिये आपकी रोज व्हीकल जाती है, रोज गाड़ी जाती

(श्री हरिमोहन शर्मा)

है, हर रोज जेल से और हर जेल में से जाती है और रोज के रोज सिपाही जाते हैं, रोज के रोज मुल्जिमान जाते हैं। ऐसा कौनसा दिन है कि जिस दिन जेल से गाड़ी नहीं जाती हो। जहां तक जुडिशल का सवाल है, जहां पुलिस कस्टडी का सवाल है, इनके पास जीप है, पांच मिनट लगेंगे, आकर वापस आ जाते हैं और जहां तक जुडिशल कस्टडी का सवाल है जो आधार आपने बताया है, ऐसा कौनसा दिन है जिस दिन उनको पुलिस या जो भी जेल अथोरिटी है, या पुलिस डिपार्टमेन्ट है, रोज गाड़ी आती है, रोज मुल्जिमान को पेशी पर लेकर जाती है, आप रोक सकते हैं उनको ? कानून में उनको अधिकार है हर पेशी पर मुल्जिमान वहां पर ले जाया जायेगा। उसके सामने ही एवीडेंस होगी, उसके सामने ही सारी प्रोसिडिंग्स चलेगी और अगर वह प्रोसिडिंग नहीं चलेगी तो उसको आपको हर सूरत में जेल से अदालत में.....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप अच्छे वकील रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, मैं आप जैसा विलक्षण नहीं बन पा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आप जैसा विलक्षण बन जाऊं। यह जो सारे मुद्दे हैं, यह इतने आसान नहीं है। आप इसको बहुमत के आधार पर अपने हिसाब से पास करेंगे। मैं इंकार नहीं करता लेकिन माननीय कटारिया साहब, जिस संवेदनशीलता के साथ आप सिविल राइट लिबर्टी की बात करते हैं तो कानून के माध्यम से जो अधिकार उसको प्रदत्त हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कन्फर्म किया है, 167 की धारा में जो लिमिटेड अधिकार हैं, उनको जो भी पुलिस कस्टडी में जाएगा, 24 घण्टे के अन्दर उसको अदालत में पेश करना पड़ेगा क्योंकि इसलिए कि अगर काबिल जमानत है तो पुलिस छोड़े नहीं तो अदालत को यह कारण बताये 24 घण्टे में कौन-कौनसे जुर्म में, किस-किस अपराध में जिस प्रकार से आपको गिरफ्तार किया गया, यह उसकी लिब्र्टी है, यह उसका राइट है। 24 घण्टे के बाद पुलिस उसको रोक नहीं सकती और इसलिए कानून में यह अधिकार है कि धारा 57 के तहत वह उसको 24 घण्टे के अन्दर पुलिस कस्टडी वाले को अदालत में पेश करना पड़ेगा। यह इसलिए बनाया है कि कहीं 24 घण्टे में पुलिस ने उसके साथ क्या किया, कानूनी रूप से क्या इसको बिठाया है, गैर कानूनी रूप से बिठाया है, कौन-कौन से आफेंस और

(श्री हरिमोहन शर्मा)

फिर जहां रिमाण्ड का सवाल है पुलिस कस्टडी में मैक्सिमम रिमाण्ड आप 15 दिन का दे सकते हैं और 15 दिन का भी एक साथ नहीं देगी हिनियत ओर्फेस हो, उसमें चार दिन का, पांच दिन का दे दे, दो टर्म में बढ़ाकर 15 दिन का दे दे लेकिन दूसरी जो रिमाण्ड्स हैं, उन रिमाण्ड्स में कभी एक दिन का मिलता है, कभी दो दिन का मिलता है, कभी तीन दिन का मिलता है और ऐसी स्थिति होती है चूंकि सिविल राइट और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिये, कभी जुडिशल आफिसर उस ओफेंसेज की ग्रेविटी को देखकर रिमाण्ड देता है। एक साथ तो 15 दिन का देने वाला नहीं है। इसलिए यह सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पेशे से वकील रहे हैं, नामी-गिरामी वकील रहे हैं, यह आदमी के राइट का सवाल है। यह अधिकार का सवाल है, आप उन अधिकारों को कर्टेल करना चाहते हैं। जब जुडिशल कस्टडी में वह है आपको रोज साधन लगाने पड़ेंगे, रोज ले जाना पड़ेगा, आप उसकी कोर्ट की प्रोसिडिंग को नहीं रोक सकते। जो एविडेंस होगी वह सब उनके सामने होगी तो आप जो कन्टिन्यूइंग प्रोसेज है जेल से मुल्जिम को ले जाने का वह प्रतिदिन का नियमित है और उसके लिए आपकी व्यवस्था है। उस एक मुल्जिम के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी क्या आपको ? जुडिशियल में जायेगा तो उसमें बैठ कर जायेगा, पुलिस में जायेगा, रोज उनको 24 आवर्स पेश करना पड़ेगा, उसमें जायेगा तो जो आधार दिया है वह आधार कतई मजबूत नहीं है। उस आधार के मुकाबले में आदमी की जो सिविल राइट्स हैं, जो लिबर्टी है उसको इन्डाइरेक्टली करटेल करना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यह सारी जो मैंने आपके सामने अभिव्यक्ति की यह आदमी के राइट के हिसाब से इस प्रकार की स्थितियों में इसको अभी पुनः सलैक्ट कमेटी को सुपुर्द करने के लिए अनुरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेन्ट के बारे में कुछ भ्रांति है और उस भ्रांति को पहले ठीक कर दें तो मैं सोचता हूं इस पर बहस का सवाल ही पैदा नहीं होगा।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी था।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में कह देना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर इस भ्रांति को ठीक कर लें तो मैं सोचता हूं यह प्रगतिशील कदम है। पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति के ऊपर यह अमेंडमेन्ट लागू है ही नहीं। उसको 24 घण्टे में कोर्ट में पेश करना है, न्यायाधीश के सामने पेश करना है वह पेश करना ही है। जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद विचाराधीन कैदी है और उसकी जो रिमाण्ड की अवधि बार-बार बढ़ती है, एविडेंस के लिए तो उसे लाना ही पड़ेगा कोर्ट में। एविडेंस के लिए यह वीडियो लिंकेज नहीं है, यह केवल अभी इतनी ही सीमा तक है कि जिसको केवल प्रजेंस के लिए ले जाना और वहां से वापस लाकर जुडिशियल कस्टडी में बन्द करना है, इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं है। इस छोटे से काम के लिए मात्र यह सोच करके कि हमारी इतनी फोर्स लगती है, लाना ले जाना है....

श्री रामसिंह विश्नोई : यह कैसे मालूम पड़ेगा कि इसको कोर्ट में ले जाकर वापस लाना पड़ेगा ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, इसमें यह प्रावधान है न, उसकी जो प्रजेंस शो करनी है अपने को इस वीडियो कान्फ्रेंसिंग में या लिंकेज में। अभी केवल हम प्रजेंस को शो कर रहे हैं ताकि केवल फिजिकल प्रजेंस वहां दे, दो जगह इसमें अमेंडमेन्ट है, एक तो उसकी फिजिकल प्रजेंस और दूसरा उसकी प्रजेंस के बाद उसकी एविडेंस के रूप में जो दस्तखत कराते हैं वह दस्तखत वह नहीं कर के जिस मजिस्ट्रेट के सामने वीडियो कान्फ्रेंसिंग दिखेगा, वह मजिस्ट्रेट उसको तस्दीक करेगा कि इनको मैंने देखा है, यह प्रजेंट हैं। यह दो ही जगह पर अभी है।

यह भी हम केवल एक प्रारम्भिक रूप से केवल जयपुर और जोधपुर, दो स्थानों पर इसको लागू करने का सोच रहे हैं और हमारा सोचना है कि दोनों में मिलाकर हमारा लगभग 28 लाख रूपया इस पर केवल मात्र खर्च होगा और एक बार खर्च होने के बाद साल का मुश्किल से दोनों स्थानों पर 50 हजार से अधिक खर्चा नहीं आयेगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कैदियों को, जो विचाराधीन कैदी हैं जिनको केवल पेश करना और अवधि बढ़ा कर लेकर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आना है, क्योंकि एविडेंस के लिए जायेगा जब तो उसको फिलिकल प्रजेंस कोर्ट में देना ही पड़ेगा तो यह जितने सवाल खड़े किये कि उनके साथ कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। मंशा केवल इतनी है कि यह जो एक बर्डन है, जिसमें हमको इतनी पुलिस फोर्स ले जाना, साधन लगाना फिर उनमें से कई बार वह भाग जाता है क्योंकि प्रारम्भिक एविडेंस में होता है, वह फायदा उठा कर, कई बार तो जेल को छोड़ो, कोर्ट के अन्दर आपस में गोलियां चलती है और अंडर ट्रायल होता है उसको वहीं लोग मार देते हैं, ऐसे कई अवसर आये हैं जिसके कारण देख कर इस तरह है।

जयपुर के हमारे पास जो विचाराधीन बन्दी हैं वह 886 हैं। इसमें से जिनको रोजाना ले जाना पड़ता है, एवरेज 100 कैदियों को हमको रोजाना ले जाना पड़ता है, 100 में से जिनकी अवधि बढ़ाने के लिए ले जाना है यह मात्र 50-60 होते हैं। यह जो वीडियो कान्फ्रेंसिंग है यह केवल उन 50-60 कैदियों के बारे में ही है जिनकी केवल फिजिकल प्रजेंस बता देनी है कि यह यहां प्रजेंट हैं और उसके बाद उनकी जो भी अवधि बढ़ानी है, कोर्ट उसकी अवधि बढ़ा देगा, चालान पेश हो जायेगा। प्रक्रिया में जब आ जायेगा तब तो वह कोर्ट की प्रक्रिया में ही चलेगा, उसमें किसी प्रकार का संदेह होने का कोई सवाल नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में इसको 2000 से लागू कर रखा है और उनका काफी अच्छा अनुभव है इसके बारे में। मैं सोचता हूं कि अगर हम इस खर्चे को कैलकुलेट करें तो हमारे साधारणतः जो विचाराधीन कैदियों को हम डेट बढ़ाने के लिए ले जाते हैं, लाते हैं केवल इन दो कोर्ट में जोधपुर और जयपुर में लगभग 12 लाख से 13 लाख रूपये अनुमानित खर्चा इनको लाने, ले जाने में लगता है। इसको केवल एक बार स्थापित कर देने के बाद, एक बार स्थापित करने का 14 लाख खर्चा अनुमानित करते हैं तो यह मात्र 50 हजार के खर्चे में प्रारम्भिक काम है जो हो जायेगा और मैं सोचता हूं कि यह प्रयोगात्मक हम प्रारम्भ कर रहे हैं। अगर हमको लगेगा कि इसको ठीक ढंग से किया जा सकता है तो अगले वर्ष हम राजस्थान के बाकी जो जिले हैं, विशेषकर के जो डिवीजन हैडक्वार्टर हैं उन सब में इसको लागू कर के हम अपनी इस मैन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पावर को भी बचायेंगे, सुरक्षा को भी बचायेंगे और उस आधार पर हम ठीक प्रकार से अपनी व्यवस्था को करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ना तो किसी में कोई असफल हो गया, कुछ नहीं हुआ। मैं सोचता हूं यह प्रगतिशील कदम है, इसमें बहस करने की गुंजाइश ही नहीं है। मन में शंका इसलिए पैदा हुई कि शायद हम उनको जेल में रख कर कोई मारपीट करेंगे और दिखायेंगे नहीं, या बात नहीं करेंगे, वह स्थिति नहीं है। केवल विचाराधीन कैदी और वह भी जब उसकी अवधि बढ़ाने का समय है उसके लिए ही वीडियो कान्फ्रेंसिंग हम कर रहे हैं और दो स्थान पर कर रहे हैं।

मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऐसे प्रगतिशील कदम में जहां हम अपनी सरकार का रेवेन्यू भी बताएं और हम अपने मैन पावर का भी ठीक उपयोग कर सकें, मात्र इसके लिए केवल दो संशोधन छोटे से हैं, एक तो उसकी फिजिकल प्रजेंस उस वीडियो पर दिख जायेगी और दूसरा उसको दस्तखत करने की जगह वहां जो मजिस्ट्रेट है वही दस्तखत कर देगा कि यह फिजिकली प्रजेंट थे। यह दो ही इसमें छोटे से संशोधन हैं। इसके अतिरिक्त इसमें और कुछ भी नहीं है। किसी प्रकार का कोई संदेह करने का कारण ही नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : गृह मंत्रीजी, यह आप पहले ही बता देते कि जयपुर और जोधपुर में ही कर रहे हैं एक्सपैरीमेंटल, हमने तो खुद ने ही यह कहा। हमने सोचा आप पूरी जेलों में ऐसा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पूरी में ही हो जायेगा तो क्या दिक्कत है ? (व्यवधान).....माननीय शर्माजी, यह अभी कोई मेंडेटरी नहीं है, यह वैकल्पिक है। चाहे तो करेंगे, चाहे तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत बिलकुल बन्द हो जायेगा इससे।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक सैकण्ड मेरी बात सुन लें। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : सुन लें, हमारी बात मानना जरूरी थोड़ी ही है। हमें तो बोलना ही बोलना है।

श्री चन्द्रशेखर बैद : एक वर्ड इसमें आप लिख देते यह एक्सपैरीमेंटल बेसिस में कर रहे हैं, झगड़ा ही खतम हो जाता। इसमें एक्सपैरीमेंटल बेसिस नहीं लिखा हुआ है कहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक सैकण्ड। आप जो अमेंडमेन्ट कर रहे हैं 167 सी.आर.पी.सी. में, इसमें रिमाण्ड है, पुलिस कस्टडी का भी है और जब तक आप चालान पेश नहीं करें जब तक इसमें जुडिशियल का भी लिया जा सकता है। आप अमेंडमेंट कर रहे है इसमें इसमें बी में। बी में पहले पुरानी जो सैक्शन थी उसमें है

(b) no Magistrate shall authorise detention in any custody.

इन एनी कस्टडी है, आप कहीं एनी कस्टडी की जगह जुडिशियल कस्टडी कर रहे हैं ? आप जुडिशियल कस्टडी कर रहे हैं क्या ? एनी कस्टडी का मतलब पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी जब तक चालान पेश नहीं हो यह है। इसको आप साफ कर दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने केवल दो शब्दों का इसमें परिवर्तन किया, कुछ भी नहीं किया....

श्री उपाध्यक्ष : एनी कस्टडी तो पहले से ही है।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, एनी कस्टडी है। एनी कस्टडी मीन्स पुलिस कस्टडी, 167 किसके लिए लागू होता है, 167 पुलिस कस्टडी के लिए भी है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय सदस्य, आप इसको आगे पढ़े बिफोर दी फंक्शन वर्ड लिखा है इसमें आगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह केवल जो जुडिशियल कस्टडी में हैं उन्हीं के हिसाब से है। केवल इसमें एक शब्द का अन्तर किया है, यह आपका जो बी है

after the word "before him" and before the punctuation mark "," the word "either in person or through the medium of electronic video linkage"

श्री उपाध्यक्ष : और लगाया है। दोनों विकल्प खुले रहेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दोनों, फिजिकल प्रजेंस भी है उसकी। आइदर फिजिकल प्रजेंस भी हो सकता है....

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने एनी कस्टडी तो नहीं हटाया। एनी कस्टडी मीन्स पुलिस कस्टडी एण्ड जुडिशियल कस्टडी।

श्री अमराराम (धोद) : एनी कस्टडी तो दो ही है, एक तो पुलिस कस्टडी और एक जुडिशियल कस्टडी है। एनी का मतलब दोनों हो गया।

श्री हरिमोहन शर्मा : एनी कस्टडी का मतलब है कि जुडिशियल कस्टडी एण्ड पुलिस कस्टडी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने आपको कहा केवल जुडिशियल कस्टडी के लिए ही है और......(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : लीगल बात है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह है (b) no Magistrate shall authorise detention in any custody under this section unless the accused is produced before him;

इसके आगे हमने थोड़ा जोड़ा है केवल, पहले से ही है इसमें हमने कोई वह नहीं किया... केवल इसमें जुडिशियल कस्टडी का ही है और केवल इसके आगे हमने "आइदर इन पर्सन" इतना सा इसमें शब्द जोड़ा है।

श्री हरिमोहन शर्मा : सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि एनी कस्टडी इंन्क्लूड पुलिस कस्टडी एण्ड जुडिशियल कस्टडी। अब आप यह कहते हो कि नहीं हम तो जुडिशियल कस्टडी वालों के लिए ही करेंगे। इसमें तो आप यह तो कर नहीं रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह केवल जुडिशियल कस्टडी की दृष्टि से ही लाए हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : दृष्टि नहीं है ला का सवाल है दृष्टि का नहीं है। आपकी नीयत यह हो सकती है लेकिन लीगल चैंज में तो यह चीज आ रही है और आपकी दृष्टि ठीक हो सकती है लेकिन ला फुल तरीके से तो पुलिस इस बात का भी लाभ उठा लेगी इसका क्या ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : (व्यवधान) यह केवल जेल परपज की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दृष्टि से नियमित रूप से जिनको हमें कोर्ट में उपस्थित करना पड़ता है उनकी फिजिकल प्रर्जेस बताने की दृष्टि से (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : बात नहीं है आदमी की, लिबर्टी का सवाल है।

श्री अमराराम (धोद) : यह पुलिस कस्टडी इसमें आ जाएगी तो इसका दुरूपयोग होगा। (व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन : पुलिस कस्टडी नहीं है इसमें, इसमें केवल जेल ही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने इसको देखा हो तो इसमें बिलकुल स्पष्ट लिखा है आब्जैक्ट

In the State of Rajasthan there are more than five thousand

श्री हरिमोहन शर्मा : आब्जैक्ट चीज अलग है और ला चीज अलग है, सैक्शन चीज अलग है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल इसमें जुडिशियल कस्टडी के लिए ही है।

In the State of Rajasthan there are more than five thousand remand prisoners who are in Judicial Custory.

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय गृह मंत्रीजी, आब्जैक्ट में आपने लिखा होगा (व्यवधान) लेकिन जो सैक्शन बनेगी आपके अमेंडमेन्ट के बाद उसमें एनी कस्टडी जा रहा है तो आप यह नहीं कह सकते कि आब्जैक्ट में लिखा था और कानून ही है तो अब हम क्या करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय सदस्य, इसका ए पढ़ें आप, 167 का ए पढ़ें इसमें लिखा है (a) the Magistrate may authorise the detention of the accused person otherwise than in the custory of the police beyond the......

श्री हरिमोहन शर्मा : आप गृह मंत्रीजी से ज्यादा अक्ल रखते हैं क्या ?

श्री मोहन लाल गुप्ता : ए पढ़िए आप। इसमें लिखा है. the Magistrate may authorise the detention of the accused person otherwise than in the custory of the police

श्री संयम लोढ़ा : गृहमंत्रीजी सक्षम नहीं हैं क्या जवाब देने में (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य, जिसको अमेंडमेन्ट किया जा रहा है (व्यवधान) उसमें एनी कस्टडी आ रहा है इतना-सा क्लियरिफिकेशन कर दें (व्यवधान) 167 को क्लेरीफाई कर दें।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपकी नीयत यह हो सकती है (व्यवधान) क्लेरीफिकेशन हो ही नहीं सकता। आप ज्यादा बढ़िया यह है कि......

श्री महावीरप्रसाद जैन : आब्जैक्ट और रीजन्स से बाहर नहीं जा सकता ला। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : अभी कोआपरेटिव एक्ट में आब्जैक्ट आपने दूसरे लिखे थे और संशोधन दूसरे करवाए थे और सी.पी. जोशी साहब कह रहे थे जब तो आपने कहा कि ऐसा भी हो सकता है और आज अब आप यह कह रहे हो कि नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे। सवाल लॉ का है सवाल मर्जी का नहीं है। यह आपकी जो चीज है यह पुलिस कस्टडी को भी अधिकार देती है।

श्री अमराराम (धोद) : यह गलत है।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपकी नीयत भले ही यह न हो लेकिन यूनानी रूप से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस कस्टडी का रिमाण्ड लेने का भी इसमें...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आपको एनी कस्टडी के कारण से यह प्राब्लम है कि पुलिस कस्टडी भी इसके साथ जुड़ी हुई है इस वीडियो कान्फ्रेंसिंग में बिलकुल और कोई सुधार की आवश्यकता होगी. शब्द में अगर कहीं है तो जो केवल जुडिशियल कस्टडी में है और उनका भी केवल फिजिकल प्रजन्स तक ही जिनकी सीमित है। फिजिकल प्रजेन्स के अलावा कोई एविडेंस के समय या उसको फिजिकली प्रजेंट होना ही पड़ेगा, केवल समय और शक्ति

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

को बचाने के लिए उसकी फिजिकल प्रजेन्स हम जेल से ही सीधा कोर्ट में दिखाकर उसकी जो रिमाण्ड की अवधि बढ़ानी है, समय बढ़ाना है उसको लेने के परपज से यह दो छोटी-छोटी बातें हैं (व्यवधान) फिजिकली प्रजेन्स उसका वीडियो कान्फ्रेंसिंग हो जाएगा और दस्तखत की जगह केवल मजिस्ट्रेट उस पर दस्तखत कर देगा कि इनको हमने देखा। इतने ही दो अमेंडमेन्ट इसमें हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : इतना बड़ा सैक्रेटेरियट होने के बाद भी चूक हो जाए यह आश्चर्य की बात है। जबरदस्त चूक है।

श्री उपाध्यक्ष : .....either in person or through the medium of electro video linkage...... बाकी प्रोवीजन तो वो का वो ही रहेगा।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समस्या इसलिए है कि यह बहुत पूअरली ड्राफ्ट है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पूअरली ड्राफ्ट है। इसमें एनी शब्द हटाना पड़ेगा तो इसलिए आप उसको देख लें और आप ठीक समझें, जैसी राजी हो, अगर एनी शब्द पर एतराज है, एनी शब्द पर कोई कंफ्यूजन है तो आप खाली सदन को इतना आश्वासन दे दें कि....

श्री हरिमोहन शर्मा : एनी कस्टडी की जगह जुडिशियल कस्टडी लिख दें।

श्री विष्णु मोदी : अगर लैंग्वेज में कोई फर्क है, लैंग्वेज से कोई कन्फ्यूजन हो सकता है भविष्य में क्योंकि एक बात तो साफ है कि कानून बनने के बाद आपका आब्जैक्ट क्या था यह अहम मुद्दा नहीं रहता है।

That is not a law.

आब्जैक्टिव आप कहते हैं कानून कुछ बना हुआ है तो आब्जैक्टिव नहीं पढ़े जाएंगे, कोर्ट में कानून ही पढ़ा जाएगा। तो इतना सा खाली आप देख लें कि कोई बात है इसमें, कोई शंका की गुंजाइश है तो आप उसको देख लेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर उसमें होगा तो एनी कस्टडी की जगह जूडिशियल कस्टडी कर दिया जाएगा।

श्री अमराराम (धोद) : हां, जुडिशियल कस्टडी कर दो बस।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अमेंडमेन्ट लाओ।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : एक हमारा डेपुटेशन पर गया हुआ आदमी आज भी हमारा साथ दे रहा है वहां बैठा-बैठा।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका ठेका है क्या जो ये मेरे को डेपुटेशन पर भेजेंगे। मैं अपनी मन मर्जी का मालिक हूं, अपने मन का मालिक हूं मैं। (व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन : अभी सुबह तो इन्होंने कहा था एजेंट हैं यह।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे निवेदन है कि हमने यह प्रवर समिति को सौंपने का जो प्रस्ताव किया था, हमको उसको विथड्रा करने की आप इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष : बिलकुल ठीक।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि यह एनी सब्जैक्ट को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है और यह कहीं न कहीं ड्राफ्टिंग में कुछ गड़बड़ है।

श्री उपाध्यक्ष : ड्राफ्टिंग में कोई गड़बड़ नहीं है....either in person or......(interruption)

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि अगर एनी शब्द को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं इसको दूर करूंगा। अब दूर दो ही तरीके से हो सकता है या तो अभी अमेंडमेन्ट लाएं या बाद में आर्डिनेन्स लाएं। दो ही तरीके से हो सकता है वर्ना केवल आश्वासन से थोड़े ही दूर होगा या तो अमेंडमेन्ट लाएं क्योंकि लॉ है या बाद में आर्डिनेन्स लाएं (व्यवधान) कैसे करेंगे, यह अब ऐसे करने से कैसे होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि अमेंडमेन्ट की इसमें जरूरत नहीं होगी। अगर आपको कहीं एनी कस्टडी के कारण से यह भ्रम अगर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है कि पुलिस कस्टडी (व्यवधान) एक वैसे इसमें आन्ध्र प्रदेश का भी है, हमारा भी है। यहां का इसमें सेम वो का वो ही है केवल.....

श्री हरिमोहन शर्मा : इसका मतलब पुलिस कस्टडी भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से होगी। यह एनी कस्टडी की जगह आपको जुडिशियल कस्टडी करना पड़ेगा।

श्री अमराराम (धोद) : एनी का मतलब तो पुलिस कस्टडी है कि जुडिशियल कस्टडी है। एनी का मतलब दोनों हो सकते हैं। जुडिशियल कस्टडी का मतलब केवल जुडिशियल ही होगा। एनी का मतलब कोई भी हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन की आवश्यकता नहीं है अभी।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक्सप्लेनेशन-2 है (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अब माननीय मंत्री महोदय, अगर आन्ध्र प्रदेश ने गलत बना दिया तो हम भी गलत बनाएं।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मूव करता हूं इसमें अमेंडमेंनट, इसमें एनी की जगह जुडिशियल कस्टडी कर दिया जाए I move the amendment.

डा. सी.पी. जोशी : कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। यह ला बना रहे हैं (व्यवधान) बात खतम हो गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा है कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आएगी तो बाद में इसको एनी कस्टडी को क्लियर कर देंगे। वैसे नहीं आएगी और आएगी तो इसको चेन्ज कर देंगे। जुडिशियल कस्टडी कर देंगे। अभी इस आधार पर कुछ नहीं आएगा तो उसमें चेन्ज कर देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, हमको हमारा जो संशोधन था उसको वापस लेने की इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष : चलने दें इसमे आ जाएगा।

डा. सी.पी. जोशी : विथड्रा कर लें आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो वह इजाजत दें ना समझ ही नहीं रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : माननीय कांग्रेस के सदस्य, आपस में मत लड़ो।

श्री हेमाराम चौधरी : लड़ने की बात नहीं है माननीय दिलावरजी आप बैठो, आपको ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप थर्ड रीडिंग पर बोल लेना।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी सुझाव देना चाह रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : थर्ड रीडिंग पर बोल लेना आप (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : एक मिनट, आप सुन तो लो।

श्री उपाध्यक्ष : अभी मौका मिलेगा आपको दुबारा फाइनल में बोल लेना थर्ड रीडिंग में।

श्री हेमाराम चौधरी : इसी पर बोल दूं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाह रहा हूं (व्यवधान) यह इन एनी कस्टडी की जो बात कह रहे हैं यह इन एनी कस्टडी.....

श्री मदन दिलावर : हो गया।

श्री हेमाराम चौधरी : बात तो करने दो क्या कह रहा हूं मैं (व्यवधान) हो कैसे गया। एक मिनट कहने तो दो ना (व्यवधान) क्या बात है आज कहने नहीं दोंगे क्या ? यह एनी कस्टडी यह पुराना लॉ है, 167वीं है उसमें (व्यवधान) एक मिनट, बोलने दें ना, आपने ठेका ले रखा है क्या, यह क्या मतलब हुआ (व्यवधान), नहीं तो मैं बोल नहीं सकता क्या, यह क्या हुआ (व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन : पास करवाएं।

श्री हेमाराम चौधरी : आप मुझे बोलने तो दो ना। मुझे पहले नहीं बोलने दिया (व्यवधान) अब आपको क्या पता हो गया। सबका अपना-अपना सोच होता है। मैं जो सोच रहा हूं वही आप सोच रहे हो, यह आपको कैसे पता लगा।

श्री महावीरप्रसाद जैन : अब दिक्कत आएगी तो देख लेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : आप तो सब देख लोगें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। सी.आर.पी.सी. के सैक्शन 167, इसका सब सैक्शन ए और बी। बी में है-

No magistrate shall authorise detention in any custody.

यह कह रहे हैं इन एनी कस्टडी, यह तो पहले वाला है। अभी अमेंडमेन्ट हो रहा है उसमें तो इन एनी कस्टडी का है नहीं। यह तो पहले से ही जो ला एग्जिस्ट कर रहा है उसमें है इन एनी कस्टडी....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें भी यही है इन एनी कस्टडी। इसमें भी यही है।

श्री हेमाराम चौधरी : अभी वाले में नहीं आया। अभी वाले में तो यह आया है

If any question arise whether an accused person was produced before the magistrate as required under paragraph (b). यह पैराग्राफ बी में लिख दिया इसलिये यह डाउट पैदा हो रहा है। इन एनी कस्टडी लिखा हुआ है पैराग्राफ बी में। आप इस जगह अण्डर पैराग्राफ बी की जगह अगर यह लिख दें। before the magistrate from judicial custody. यह आप कर दें तो फिर इन एनी कस्टडी इस पर प्रभाव पड़ेगा ही नहीं.....

श्री उपाध्यक्ष : पहले से है, कोई दिक्कत होगी तो करेंगे...

श्री हेमाराम चौधरी : वह तो पहले से है। इन एनी कस्टडी जो है वह तो इसमें यह सब कन्फ्यूजिंग का कोई अमेंडमेन्ट नहीं हो रहा है बी में, कोई

(श्री हेमाराम चौधरी)

अमेंडमेन्ट नहीं हो रहा है बी में अमेंडमेन्ट। एक्सप्लेनेशन जो है यह.... (व्यवधान)

श्री शांति लाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, सब कंफ्यूजिंग कर रहे हैं

any custody includes judicial custody. Judicial as well as police custody. इसलिये एनी शब्द को आपको डिलीट तो करना ही पड़ेगा....

श्री उपाध्यक्ष : पहले से है....

श्री शांतिलाल चपलोत : Whether by amendment or otherwise.

यदि आज की तारीख में एनी शब्द चला गया तो किसी मजिस्ट्रेट के सामने तो वह कहेगा एनी का मतलब पुलिस कस्टडी मानता हूं मैं तो। than what is the reply ? इसलिये you have to move

डा. सी.पी. जोशी : सरकार उसको भेजेगी ही नहीं तो मतलब क्या है। भेजने का काम तो सरकार का है....(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : कानून पास होने के बाद तो एनी आयेगा ही आयेगा मजिस्ट्रेट के सामने.....(व्यवधान) कैसे नहीं भेजें You have to delete it.

डा. एन.एस. गुर्जर : एनी कस्टडी का मतलब पुलिस कस्टडी का नहीं....(व्यवधान) जुडिशियल कस्टडी भेजेंगे। क्यों नहीं, कैसे नहीं भेजेंगे। यह जब कानून बन जायेगा तो सरकार को भेजना पड़ेगा....

श्री उपाध्यक्ष : अब कानून में कोई दिक्कत आयेगी तो बदला जायेगा.....

डा. एन.एस. गुर्जर : हां तो आर्डिनेन्स लायेंगे वह बोलिये। उसका आर्डिनेन्स आयेगा, आर्डिनेन्स आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं उन सदस्यों को संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेते हैं। पास करें आप।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्ड-2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 3 अगस्त, 2004 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.35 बजे दिनांक 3-8-2004 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

बाली के लम्बित विद्युत कनेक्शन

424. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में वर्ष 2001 से अब तक कौन-कौनसी योजनाओं के तहत कितने-कितने घरेलू/औद्योगिक/कृषि कनेक्शनों के आवेदन प्राप्त हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी आवेदकों को कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौन आवेदक आज तक कनेक्शन से वंचित हैं एवं क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि वोल्टेज रेगुलेशन का बहाना बनाकर अधिकांश कनेक्शन जारी नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार वोल्टेज रेगुलेशन की समस्या का स्थायी समाधान कर आवेदकों को शीघ्र कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में अप्रैल, 2001 से 30-6-2004 तक सामान्य घरेलू के 3673, कुटीर ज्योति के 129, औद्योगिक के 36 एवं सामान्य कृषि श्रेणी के 50, स्पेशल कृषि श्रेणी के 66, फार्म हाउस श्रेणी के 20 एवं अनुसूचित जाति के कृषि श्रेणी के 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनका विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु निर्धारित कट आफ डेट के अनुसार पंचायत समिति बाली में वर्ष 2003-04 के लिए मार्च, 1989 तक के प्राप्त आवेदनों को कनेक्शन देने हेतु मांग पत्र जारी करने का प्रावधान था। अतः वर्ष 2001 से अब तक के आवेदित सामान्य कृषि कनेक्शन कट आफ डेट में नहीं आने के कारण उन्हें कनेक्शन देने की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

(ऊर्जा मंत्री)

बाकी श्रेणियों के जिन तकनीकी साध्यता वाले आवेदकों ने मांग पत्र की राशि जमा करवा कर सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर दी, उन सभी को कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं। जिन आवेदकों ने हाल ही में आवेदन किया है या जिन आवेदकों ने मांग पत्र जमा नहीं करवाया है या एल फार्म प्रस्तुत नहीं किया है या विद्युत फिटिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया है अथवा जो आवेदक अपने कुएं के कनेक्शन हेतु विद्युत लाइन का सामान नहीं ले गये हैं, उन आवेदकों के कनेक्शन लम्बित हैं। लम्बित आवेदकों की सूची प्रपत्र-"ब" पर संलग्न है।

(3) तकनीकी साध्यता के अभाव में कतिपय तुरन्त योजना के कृषि कनेक्शन एवं औद्योगिक कनेक्शन लम्बित रहे क्योंकि 11 के.वी. फीडरों का वी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक होने पर स्पेशल एवं फार्म हाउस कृषि श्रेणी एवं औद्योगिक श्रेणियों में कनेक्शन देने पर नियमानुसार रोक थी।

(4) वर्ष 2004-05 की कृषि नीति के अनुसार 11 के.वी. फीडरों के वोल्टेज रेगूलेशन 8 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक होने के बावजूद सभी कृषि श्रेणी के आवेदकों को मांग-पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। औद्योगिक श्रेणियों के आवेदकों को शीघ्र कनेक्शन देने के लिए ऐसे फीडरों का सुधार कार्यक्रम क्रमशः जारी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

शिवगंज एवं पिंडवाड़ा (सिरोही) में उपखण्ड कार्यालय

429. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने उपखण्ड अधिकारी कार्यालय स्वीकृत हैं और कितने खोले जाने शेष हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने वर्ष 2003 में शिवगंज समेत अन्य स्थानों पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोलने का निर्णय किया था और चुनाव आयोग को स्वीकृति के लिए उक्त प्रस्ताव भेजा गया था ?

(3) अब सरकार शिवगंज व पिंडवाड़ा में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय कब से शुरू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) सरकार कैलाश नगर (सिरोही) में उप तहसील कार्यालय कब तक शुरू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में कुल 188 उप-खण्ड अधिकारी कार्यालय स्वीकृत हैं जो सभी खोले जा चुके हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) वर्तमान में राज्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन/पुनर्गठन पर अगस्त, 2002 से लागू प्रतिबन्ध को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध में फिलहाल कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

(4) प्रश्न के बिन्दु संख्या 3 में अंकित कारण से फिलहाल इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

उपखण्ड कार्यालय की सूची

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	नाम जिला	नाम उपखण्ड उपखण्ड का.
1	अजमेर	1 अजमेर, 2 नसीराबाद, 3 ब्यावर, 4 मसूदा, 5 केकड़ी, 6 किशनगढ (कुल 6)
2	अलवर	7 अलवर, 8 रामगढ़, 9 थानागाजी, 10 बहरोड़, 11 बानसूर, 12 किशनगढ़वास, 13 कोटकासिम, 14 तिजारा, 15 मुण्डावर, 16 राजगढ़, 17 लक्ष्मणगढ़, 18 कठूबर (कुल-12)
3	बासंवाड़ा	19 बांसवाड़ा, 20 घाटोल, 21 कुशलगढ़ (कुल-3)
4	बारां	22 बारां, 23 मांगरोल, 24 शाहबाद, 25 किशनगंज, 26 छबड़ा, 27 अटरू (कुल-6)
5	बाड़मेर	28 बाड़मेर, 29 शिव, 30 गुढामालानी, 31 बालोतरा (कुल-4)
6	भरतपुर	32 भरतपुर, 33 कुम्हेर, 34 नदबई, 35 डीग, 36 नगर, 37 बयाना, 38 वैर, 39 रूपवास, 40 कामां (कुल-9)
7	भीलवाड़ा	41 भीलवाड़ा, 42 मांडल, 43 बनेडा, 44 गुलाबपुरा, 45 गंगापुर, 46 माण्डलगढ, 47 शाहपुरा, 48 जहाजपुर (कुल-8)
8	बीकानेर	49 बीकानेर, 50 लूणकरणसर, 51 श्रीडूंगरगढ़, 52 नोखा, 53 खाजूवाला (कुल-5)
9	बूंदी	54. बूंदी, 55 के.पाटन, 56 इन्द्रगढ़ मु. लाखेरी, 57 नैनवा, 58 हिण्डोली (कुल-5)
10	चित्तौड़गढ़	59 चित्तौड़गढ़, 60 गंगरार, 61 बैगू, 62 रावतभाटा, 63 कपासन, 64 प्रतापगढ़, 65 निम्बाहेड़ा, 66 बडी सादडी (कुल-8)
11	चूरू	67 चुरू, 68 सरदारशहर, 69 रतनगढ़, 70 सुजानगढ़, 71, राजगढ (कुल-5)
12	दौसा	72 दोसा, 73 लालसोट, 74 बांदीकुई, 75 महुवा, 76 सिकराय (कुल-5)
13	धौलपुर	77 धौलपुर, 78 राजाखेड़ा, 79 बाडी, 80 बसेडी (कुल-4)
14	डूंगरपुर	81 डूंगरपुर, 82 सिमलवाडा, 83 सांगवाडा (कुल-3)

1	2	3
15	श्री गंगानगर	84 गंगानगर, 85 श्रीकरणपुर, 86 रायसिंहनगर, 87 अनूपगढ, 88 सूरतगढ, 89 घड़साना (कुल-6)
16	हनुमानगढ़	90 हनुमानगढ़, 91 पीलीबंगा, 92 संगरिया, 93 टीबी, 94 भादरा, 95 नोहर, 96 रावतसर (कुल-7)
17	जयपुर	97 जयपुर, 98 बस्सी, 99 जयपुर-II, 100 चाकसू, 101 आमेर, 102 चौमूं, 103 जमवारामगढ, 104 सांभर, 105 दूदू, 106 फागी, 107 कोटपूतली, 108 शाहपुरा, 109 विराटनगर (कुल-13)
18	जैसलमेर	110 जैसलमेर, 111 फतेहगढ़, 112 पोकरण (कुल-3)
19	जालोर	113 जालोर, 114 आहोर, 115 भीनमाल, 116 सांचोर, 117 रानीवाड़ा (कुल-5)
20	झालावाड़	118 झालावाड़, 119 पिडावा, 120 अकलेरा, 121 खानपुर, 122 भवानीमण्डी (कुल-5)
21	झुंझुंनू	123 झुंझुंनू, 124 चिड़ावा, 125 खेतडी, 126 नवलगढ़, 127 उदयपुरवाटी (कुल-5)
22	जोधपुर	128 जोधपुर, 129 शेरगढ़, 130 पीपाडशहर, 131 फलौदी, 132 ओसिया (कुल-5)
23	करोली	133 करोली, 134 मण्डरायल, 135 सपोटरा, 136 हिण्डोनसिटी, 137 टोडाभीम (कुल-5)
24	कोटा	138 कोटा, 139 दिगोद, 140 इटावा, 141 रामगंजमण्डी, 142 सांगोद (कुल-5)
25	नागौर	143 नागौर, 144 जायल, 145 मेडतासिटी, 146 डेगाना, 147 परबतसर, 148 मकराना, 149 नावां, 150 डीडवाना, 151 लाडनूं (कुल-9)

1	2	3
26	पाली	152 पाली, 153 बाली, 154 सुमेरपुर, 155 देसूरी, 156 सोजत, 157 जैतारण (कुल-6)
27	राजसमन्द	158 राजसमन्द, 159 कुम्बलगढ़, 160 नाथद्वारा, 161 भीम (कुल-4)
28	सवाईमाधोपुर	162 सवाई माधोपुर, 163 बोली, 164 गंगापुरसिटी, 165 बामनवास (कुल-4)
29	सीकर	166 सीकर, 167 दांतारामगढ़, 168 नीम का थाना, 169 श्रीमाधोपुर, 170 फतेहपुर, 171 लक्ष्मणगढ़ (कुल-6)
30	सिरोही	172 सिरोही, 173 रेवदर, 174 माउण्ट आबू (कुल-3)
31	टोंक	175 टोंक, 176 निवाई, 177 पीपलू, 178 उनियारा, 179 देवली, 180 टोडारायसिंह, 181 मालपुरा (कुल-7)
32	उदयपुर	182 उदयपुर, 183 बल्लभनगर, 184 मावली, 185 धारियावाद, 186 सलूम्बर, 187 झाडोल, 188 कोटडा (कुल-7)
कुल उपखण्ड		188

नोखा में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

430. श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र नोखा के गांव काकड़ा में 132 के.वी.ए. जी.एस.एस. की स्थापना की स्वीकृति जारी कर दी

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

गई है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब तक पूर्ण कर बिजली सप्लाई शुरू कर दी जायेगी ?

(2) उक्त क्षेत्र के गांव बिदासरिया, लालमदेसर छोटा, झाड़ेली, बेरासर व गजरूपदेसर में 33 के.वी.ए. जी.एस.एस. की मांग काफी लम्बे समय से चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त जी.एस.एस. की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक स्वीकृति जारी करके निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) लालमदेसर छोटा व विदासरिया में 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ग्राम झाडेली से लगभग 3 कि.मी. दूरी पर उडसर कैम्प से 33/11 के.वी. सब स्टेशन वर्ष 2002-2003 से स्थापित है अतः वर्तमान में ग्राम झाडेली में 33/11 के.वी. सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ग्राम गजरूपदेसर में स्थापित 3.15 एम.वी.ए. ट्रांसफार्मर पर क्षमता का 80 प्रतिशत लोड है। अतः वर्तमान में 33/11 के.वी. सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाना विचाराधीन नहीं है।

जी हां। विचाराधीन प्रस्तावों के तकनीकी रूप से साध्य एवं वित्तीय रूप से व्यवहार्य पाये जाने पर इनका निर्माण कार्य उपलब्ध संसाधनानुसार प्रारम्भ किया जा सकेगा।

जयपुर शहर में चिकित्यालयों में वितरित औषधियां

431. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित चिकित्सालयों में निःशुल्क औषधियां वितरित की जाती हैं ? यदि हां, तो किन-किन चिकित्सालयों में कब कब तथा कितनी-कितनी मात्रा एवं कीमत की औषधियां वितरित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(2) क्या यह सही है कि उक्त नि:शुल्क वितरित की जाने वाली दवाइयों को खरीदने में काफी विलम्ब होता है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा इससे मरीजों में होने वाली परेशानियों के प्रति सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विलम्ब से खरीदारी की जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा क्या इसमें कोई दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उसके विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन जयपुर स्थित चिकित्सालयों में वित्तीय वर्ष 2003-04 में वितरित की गई नि:शुल्क औषधियों के नाम, उनकी मात्रा एवं कीमतों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सवाईमाधोपुर में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर

432. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, सवाईमाधोपुर द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुडे लोगों के लिये ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो इस पर राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा अब तक व्यय की गई राशि का विवरण मय आडिट रिपोर्ट के सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपालिका, सवाईमाधोपुर की ट्रांसपोर्ट नगर योजना की प्रगति का विवरण एवं उक्त योजना में अब तक विक्रय किये गये प्लाटों को क्रेताओं की सूची मय चुकाई गई राशि के सदन की मेज पर रखें।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(3) क्या यह सही है कि उक्त ट्रांसपोर्ट नगर का कार्य पूर्ण हो गया हैं ? यदि नहीं, तो कार्य अपूर्ण रहने के लिये कौन-कौन दोषी हैं ? इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कार्य हेतु लिये गये ऋण पर अधिक ब्याज अदा किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 34.50 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा 16.50 लाख रूपये कुल रूपये 51.00 लाख प्राप्त हुये तथा भूखण्डों के आवंटन/विक्रय से 66,32,017/- रूपये प्राप्त हुए। उक्त प्राप्त राशि में से निर्माण कार्यों में 73,30,157/- रूपये अब तक व्यय किये गये हैं। व्यय की गई राशि व आडिट रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) ट्रांसपोर्ट नगर योजना में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क, नाला, पानी की टंकी, पाइप, लाइन, ट्यूबवैल का कार्य कराया जा चुका है। कुछ भाग में विद्युत लाईन डाली जा चुकी है। अब तक विक्रय किये गये प्लाटों की सूची मय क्रेताओं तथा चुकाई गई राशि का विवरण भी संलग्न है।

(3) उक्त ट्रांसपोर्ट नगर योजना में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क, नाला निर्माण, पानी की टंकी, पाइप लाइन व ट्यूबवैल खुदवाने सम्बन्धी कार्य करवाये जा चुके हैं एवं 1/2 किलोमीटर क्षेत्र में विद्युत लाइन डाली जा चुकी है। सड़क के डामरीकरण के कार्य का ठेका दिया जा चुका है। अधिकांश भू-खण्डों का आबंटन किया जा चुका है। शेष भूखण्डों का आवंण्टन एवं अन्य विकास कार्य प्रगति पर है। उक्त योजना के लिए भूमि पर नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत करमोदा की भूमि में ओवरलेपिंग होने के कारण भूमि का कब्जा विलम्ब से मिलने की वजह एवं किस्त की अन्तिम राशि भी वर्ष 1996 में मिलने से योजना की क्रियान्विति में विलम्ब हुआ है। अतः कोई दोषी नहीं है।

(4) उक्त कार्य हेतु लिये गये ऋण पर राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत ब्याज अदा किया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

करजू ग्राम तहसील छोटी सादड़ी का अपूर्ण छात्रावास

433. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील छोटी सादड़ी के गांव करजू में जनजाति विभाग द्वारा छात्रावास का निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब पूर्ण हुआ तथा इसके निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ ?

(2) क्या सरकार इन छात्रावास को शुरू कर नियमित संचालन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि तहसील छोटी सादड़ी के ग्राम करजू में जनजाति विकास विभाग द्वारा छात्रावासा का निर्माण कराया गया है। इसका निर्माण माह अक्टूबर, 2003 में पूर्ण हो गया है। इसके निर्माण पर राशि रू. 23.60 लाख का व्यय हुआ है।

(2) जी हां। सरकार इस छात्रावास को शुरू कर नियमित संचालन का विचार रखती है। छात्रावास का संचालन माह सितम्बर, 2004 से शुरू करने की सम्भावना है।

टहरी-मानपुर (धौलपुर) के मध्य मिसिंग लिंक सड़क का डामरीकरण

434. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार सम्पर्क सड़क टहरी से मानपुर (धौलपुर) के बीच में पड़े 100 से 150 मीटर लम्बाई के अधूरे कार्य पर डामरीकरण कराने का विचार रखती हे ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी नहीं।

आम/कटानी रास्तों की समस्या के समाधान हेतु काश्तकारी अधिनियम में संशोधन

435. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में विद्युतीकृत कुओं की संख्या अधिक हो जाने से किसान अधिकतर अपने रहवासी मकान भी खेतों में बनाने लगे हैं ? यदि हां, तो क्या आम एवं कटानी रास्ते के भीतर वाले खेतों में जाने के रास्तों की समस्यायें उपस्थित हुई ?

(2) क्या यह सही है कि अन्दररूनी खेतों में जाने के रास्तों के लिये अक्सर दंगा फसाद होते रहते हैं तथा कई मौतें भी हो चुकी हैं ? यदि हां, तो उक्त रास्तों के समाधान के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में उक्त रास्तों के समाधान हेतु कोई प्रावधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या धारा 251 तुरन्त रास्ता खुलवाने में सक्षम है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसमें संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वर्तमान में विद्युतीकृत कुओं की संख्या अधिक होने से अधिकतर किसान अपने रहवासी मकान भी खेतों में बनाने लगे हैं जिससे आम एवं कटानी रास्तों के भीतर वाले खेतों में जाने से कुछ जिलों में समस्याऐं उत्पन्न हुई हैं।

(2) रास्तों के विवाद अक्सर होते रहते हैं परन्तु मौतों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 में सदामत से चल रहे रास्तों के सम्बन्ध में प्रावधान किए हुए हैं। नवीन रास्तों की समस्याओं को निपटाने हेतु नियमों में संशोधन की कार्यवाही भी की जा रही है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में सदामत से चल रहे रास्तों के सम्बन्ध में अधिकार प्रदान किये हुए हैं जिसकी शक्तियां ग्राम पंचायत को प्रदत्त की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिन में कार्यवाही नहीं करने पर तहसीलदार द्वारा 30 दिन में कार्यवाही अमल में लाई जाती है। ऐसे रास्तों की समस्याओं को तुरन्त समाधान हेतु विभाग स्तर से परिपत्र भी जारी किए हुए है। नवीन रास्तों के सम्बन्ध में नियमों में संशोधन की कार्यवाही भी की जा रही है।

राजगढ़ (चूरू) के असाध्य रोगियों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से स्वीकृत राशि

436. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या मुख्य मंत्री सचिवालय यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य में मुख्य मंत्री सहायता कोष की स्थापना की हुई है ? यदि हां, तो उक्त सहायता कोष से राजगढ (चूरू) तहसील के किस-किस असाध्य रोगी को गत पांच वर्षों में कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

हां। राज्य में मुख्य मंत्री सहायता कोष स्थापित है तथा राजस्थान राज्य के गरीब व्यक्तियों को विभिन्न मदों से सहायता राशि स्वीकृत की जा रही है।

मुख्य मंत्री सहायता कोष से गत पांच वर्षों में राजगढ़ (चूरू) तहसील के 60 गम्भीर रोगियों को कुल 1319400/- रूपये की सहायता स्वीकृत की गई है। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

विराटनगर (जयपुर) के नेत्र चिकित्सालय में रिक्त पद

437. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बैराठ के विराटनगर कस्बे में विश्व बैंक की सहायता से 30 बैड के आंखों का चिकित्सालय स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो इसके प्रस्ताव कब आए, प्रस्ताव क्या थे व चिकित्सालय भवन कब निर्मित होकर तैयार हो गया था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त चिकित्सालय के भवन के निर्माण के पश्चात् सम्बन्धित उपकरण व मशीनें लगाई जा चुकी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ को पदस्थापित किया जा चुका है ? यदि हां, तो किन-किन चिकित्सकों और कर्मचारियों को पदस्थापित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक चिकित्सकों व अन्य स्टाफ को पदस्थापित नहीं करने के क्या कारण रहे ?

(4) अब सरकार कब तक उक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ को पदस्थापित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, विधान सभा क्षेत्र बैराठ के विराटनगर कस्बे में पूर्व से स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में विश्व बैंक की सहायता से एक आपरेशन थियेटर एवं 20 शैय्याओं युक्त नेत्र वार्ड का निर्माण कार्य करवाया गया। उक्त नेत्र वार्ड एवं आपरेशन थियेटर का निर्माण कार्य की स्वीकृति दिनांक 11-2-1999 को जारी की गई, और निर्माण कार्य 22-3-2001 को पूर्ण हुआ तथा दिनांक 2-5-2001 को विभाग ने इसे अधिग्रहण कर लिया।

(2) नेत्र आपरेशन से सम्बन्धित उपकरण एवं मशीनें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विराटनगर को प्राप्त हो गये हैं परन्तु स्थापित नहीं किये गये हैं।

(3) उक्त नेत्र चिकित्सालय अलग से स्थापित नहीं हैं तथापि इस नेत्र इकाई का समुचित उपयोग करने की दृष्टि से नेत्र चिकित्सक पदस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) आगामी वित्तीय वर्षों में राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विराटनगर में नेत्र विशेषज्ञ का पद स्वीकृत कराये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

पाली जिले के बाढ़ पीड़ितों को आबंटित भू-खण्डों के पट्टे

438. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में वर्ष 1979 के बाढ़ पीडितों को कितने भू-खण्ड आबंटित किये गये ? आबंटित भू-खण्डधारियों में से कितने लोगों को पट्टों का वितरण किया गया तथा शेष कितने हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष भू-खण्डधारियों को भी पट्टे जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त बकाया पट्टे इतने समय तक जारी नहीं करने के लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला पाली में वर्ष 1979 के बाढ़ पीडितों को नगर परिषद् पाली एवं जिले की अन्य पालिकाओं तथा पंचायत समितियों के द्वारा किये गये भूखण्ड आबंटन एवं पट्टा वितरण का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. नगर परिषद्, पाली द्वारा कुल 416 भूखण्ड आबंटित किये गए जिनमें से 214 को पट्टे जारी किए गए हैं। शेष 202 द्वारा आवण्टित भूखण्ड की राशि जमा नहीं कराने के कारण पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त नगर पालिका-बाली, सादडी, तख्तगढ़, रानी, सोजत, जैतारण व सुमेरपुर में न तो कोई भूखण्ड आबंटित किया गया है और न ही कोई पट्टे दिये गये।

2. पंचायत समिति पाली द्वारा 89 व पंचायत समिति रोइट द्वारा 615 भूखण्ड आबंटन कर, सभी को पट्टे जारी कर दिये गये हैं। जबकि

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

पंचायत समिति रानी, सोजत, मा. जंक्शन, जैतारण, देसूरी, बाली, रायपुर व सुमेरपुर द्वारा न तो कोई भूखण्ड आवण्टित किया गया है और न ही पट्टे जारी किये गए हैं।

(2) नगर परिषद, पाली में शेष रहे 202 आबंटियों को उनके द्वारा राशि जमा कराये जाने पर पट्टे शीघ्र जारी कर दिये जावेंगे।

(3) बकाया पट्टे जारी नहीं करने के लिये कोई दोषी नहीं है। क्योंकि उक्त पट्टे आबंटियों द्वारा राशि जमा नहीं कराने के कारण ही जारी नहीं हो सके।

ज्याक व जोगलसर ग्राम (चूरू) हेतु सड़क निर्माण

439. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के 1000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम ज्याक व जोगलसर तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू के गांवों की आबादी 1000 से अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 1000 से अधिक (वर्ष 2001 की अनुमानित जनसंख्या) आबादी वाले 84 गांव हैं इनमें से 82 गांव डामर सड़क से एवं 2 गांव डब्ल्यू.बी.एम. सड़क से जुड़े हुये हैं।

(2) जी हां। ग्राम ज्याक व जोगलसर की आबादी 1000 से अधिक है। ग्राम ज्याक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क से जुड़ा हुआ है व ग्राम जोगलसर डामर सड़क से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 500 व अधिक आबादी वाले गांवों को वर्ष 2007 तक डामर सड़क से जोड़े जाने का लक्ष्य है तथा इसके पश्चात ही डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का उन्नयन कार्य करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

बायतू तहसील में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय की पुनर्स्थापना

440. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की तहसील बायतु के मुख्यालय पर गत वर्षों में उपखण्ड कार्यालय एवं न्यायालय रह चुका है ?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील बायतु मुख्यालय पर कार्यरत उपखण्ड अधिकारी का पद समाप्त किया जाकर उक्त कार्यालय व न्यायालय बन्द कर दिया गया है ?

(3) क्या सरकार तहसील बायतु के मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पुन:स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु जिला बाड़मेर की तहसील मुख्याल बायतु पर प्रभारी अधिकारी, अकाल राहत (राजस्व प्रभारी) पद विशेष प्रयोजनार्थ अर्थात् अकाल राहत कार्य सम्पादन हेतु अस्थाई रूप से सृजित किया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। वर्तमान में राज्य में नई प्रशासनिक इकाईयों के गठन/पुर्नगठन पर परिसीमन आयोग द्वारा माह अगस्त, 2002 से लागू प्रतिबन्ध को दृष्टिगत रखते हुए बायतु में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोले जाने के समबन्ध में फिलहाल कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

बिक्री कर की दरें

441. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री कर दरें अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पड़ौसी राज्यों की दरें कम होने से राज्य के व्यक्ति पड़ौसी राज्यों से वाहन आदि खरीद लाते हैं तथा सरकार को बिक्री कर

(श्री रामसिंह विश्नोई)

की हानि होती हैं ?

(3) क्या सरकार अन्य राज्यों से तुलना कर इसे तर्कसंगत बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य में नगण्य वस्तुओं पर ही बिक्री कर की दरें अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। राष्ट्रीय सहमति के अनुसार विभिन्न राज्यों द्वारा केन्द्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम समान बिक्री कर दरों की पालना की जाती है। राजस्थान में अधिकतम वस्तुओं पर ये दरें लागू की जा चुकी हैं। राज्य में पड़ौसी राज्यों की तुलना में अधिक दरें न्यूनतम समान दरें राज्य सरकार द्वारा लागू किये जाने की नीति के कारण हैं।

(2) वर्तमान में समान कर दर लागू है और पडौसी राज्यों में वाहनों पर बिक्री कर दर राजस्थान के समान है। फिर भी यदि किसी अन्य राज्य में कम बिक्री कर की दर पर वाहनों की बिक्री की जाती है तो राजस्थान से ऐसे मोटर वाहनों के ऊपर राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर वाहन के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत प्रवेश कर लगा रखा है। यह कर करदरों की अन्तर राशि के बराबर है। इस प्रकार से कर का बराबर भार पड़ने से प्रदेश के बाहर से वाहन क्रय करने से क्रेता को कोई लाभ नहीं मिलेगा।

(3) न्यूनतम समान दरें (यू.एफ.आर.) के अन्तर्गत राज्य के सभी पडौसी राज्यों में समान कर दर है। अतः दरों में परिवर्तन करना व्यवहारिक नहीं होगा।

भवनविहीन पोस्टमार्टम केन्द्र

442. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने चीरफाड़ घर (पोस्टमार्टम सेन्टर) हैं एवं कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री संयम लोढ़ा)

(2) उक्त में से कितने स्थानों पर पोस्टमार्टम सेन्टर के भवन बने हुए हैं एवं कितने स्थान पर खुले आसमान के नीचे पोस्टमार्टम होता है ? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राज्य में स्वीकृत सभी "पोस्टमार्टम सेन्टर" के भवन बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 1824 चीरफाड़ घर (पोस्टमार्टम सेन्टर हैं) सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) 247 स्थानों पर पोस्टमार्टम भवन बने हुये हैं। शेष 1577 स्थान पर भवन बने हुये नहीं है। सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही पोस्ट मार्टम सेन्टर भवन बनाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर में निर्मित बहुमंजिला इमारतें

443. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर), **श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में जयपुर शहर में बहुमंजिला भवनों के निर्माण हेतु क्या नियम प्रचलन में हैं ?

(2) विगत 5 वर्षों में जयपुर शहर में कुल कितने बहुमंजिला भवनों का निर्माण हुआ ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भवनों को कितनी मंजिलें तथा अधिकतम कितनी ऊंचाई की अनुमति किन नियमों के तहत प्रदान की गई ?

उत्तर

(1) वर्तमान में जयपुर शहर में बहुमंजिला निर्माण हेतु चारदिवारी क्षेत्र में नगर परिषद, जयपुर (भवन) उपविधिया, 1970 तथा चारदिवारी के बाहर के

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

क्षेत्र के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजनस) भवन विनियम, 2000 प्रचलित है।

(2) विगत 5 वर्षों में जयपुर नगर निगम द्वारा 42 बहुमंजिला भवनों की स्वीकृति दी गई है। जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 42 बहुमंजिलों की स्वीकृति दी गई है। जिसकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त भवनों की मंजिलों की संख्या एवं अधिकतम ऊंचाई बाबत सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" व "ब" में दर्शित है। यह अनुमतियां नगर परिषद, जयपुर (भवन) उपविधिया, 1970 एवं जयपुर विकास प्राधिकारण (जयपुर रीजन) भवन विनियम, 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

पुनसीसर-टिडियासर एवं बाय-अलायला सड़क निर्माण

444. डा. चन्द्र शेखर बैद (तारानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार चूरू तथा हनुमानगढ़ जिले की निम्नांकित सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र करवाने का विचार रखती है, जिससे राज्य की जनता को बहुआयामी लाभ प्राप्त हो सके :-

(i) पुनसीसर से टिडियासर (9 कि.मी.) जिसके निर्माण से सरदार शहर तहसील से भादरा (जिला हनुमानगढ़) की सड़क दूरी अनुमानत: 45 कि.मी. कम हो जायेगी ?

(ii) बाय से अलायला (8 कि.मी.) जिससे तारानगर तहसील से भादरा (जिला हनुमानगढ़) की सड़क दूरी अनुमानत: 30 कि.मी. कम हो जायेगी ?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार के वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के तहत अन्य कार्य प्रस्तावित किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा।

जी नहीं। राज्य सरकार के वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के तहत उक्त कार्य प्रस्तावित किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा।

पाली जिला कलक्टर द्वारा पटवारियों का स्थानान्तरण

445. श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर पाली ने 28 फरवरी, 2004 एवं 15 जून, 2004 को कुछ पटवारियों के स्थानान्तरण आदेश किए हैं ? यदि हां, तो इन स्थानान्तरणों के क्या मानदण्ड रहे ? तबादलों की जारी सूची एवं इनके कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपखण्ड अधिकारी जैतारण ने दिनांक 22 जून, 2004, 24 जून, 2004 व 5 जुलाई, 2004 एवं 1 जून, 2004 के बाद पटवारियों के तबादले किए हैं ? यदि हां, तो स्थानान्तरण आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें और इन स्थानान्तरणों के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नियमों के अनुसार जिला कलक्टर को 2 वर्ष से पूर्व किसी पटवारी का स्थानान्तरण करने पर राजस्व मण्डल की अनुमति लेनी पड़ती है या सम्भागीय आयुक्त से अनुमति लेनी पड़ती है ? यदि हां, तो जिला कलक्टर पाली एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा किन किन पटवारियों के स्थानान्तरण 2 वर्ष ठहराव अवधि से पूर्व किए गए ? क्या इनकी अनुमति राजस्व मण्डल से ली गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर, पाली द्वारा दिनांक 28-2-2004 को 49 पटवारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये हैं। दिनांक 15-6-2004 को कोई स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किए हैं। उक्त स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किए गये हैं। सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि उपखण्ड अधिकारी जैतारण ने दिनांक 1-6-2004, 22-6-2004, 24-6-2004 एवं 5-7-2004 को पटवारियों के तबादलें

(राजस्व मंत्री)

किये हैं, लेकिन दिनांक 5-7-2004 के बाद कोई तबादलें नहीं किये हैं। स्थानान्तरण आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। सभी स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किये गये हैं।

(3) जिला कलक्टर, पाली ने 8 व उपखण्ड अधिकारी, जैतारण ने 13 पटवारियों के पदस्थापन स्थान से दो वर्ष की अवधि से कम ठहराव के स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किये हैं (परि. "स") इन दो वर्ष की कम अवधि के ठहराव वाले पटवारियों के स्थानान्तरण हेतु सम्भागीय आयुक्त से पूर्वानुमति ले ली गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

पर्यटन उद्योग के विकास हेतु केन्द्र सरकार को प्रेषित प्रस्ताव

446. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास हेतु धनराशि मुहैया करवाने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि का ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वित्तीय वर्ष 2004-05 में पर्यटन उद्योग के विकास हेतु निम्न प्रस्ताव केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये है :-

क्र. सं.	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू.)
1.	जयपुर में इन्टरनेशनल कन्वेशन सेन्टर की स्थापना के लिए परामर्शी सेवाऐं प्राप्त करने हेतु	1.80
2.	जयपुर में अर्न्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स के विकास हेतु	10.00
3.	जयपुर में पर्यटन काम्पलेक्स का निर्माण	5.00
4.	झालावाड़ जिले का समग्र विकास	10.00

(पर्यटन मंत्री)

क्र. सं.	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू.)
5.	हाडौती क्षेत्र का समग्र विकास	50.00
6.	ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु मोलेला गांव (जिला राजसमन्द) के लिए वित्तीय सहायता	0.50
7.	पैलेस आन व्हील्स का क्रमोन्नयन	5.00
8.	हाथी गांव, आमेर का विकास	7.00

निवाई में ट्रोमा अस्पताल स्थापना की स्वीकृति

447. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रोमा अस्पताल खोले जाने के क्या मानदण्ड हैं ? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में राज्य में ट्रोमा अस्पताल कहां-कहां संचालित हैं व आगामी वर्षों में कहां-कहां खोले जाने प्रस्तावित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार निवाई में ट्रोमा अस्पताल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रोमा अस्पताल खोले जाने के मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

(2) राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन वर्तमान में अलग से ट्रोमा संचालित नहीं हैं, परन्तु राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दुर्घटना इकाई संचालित है जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :-

1. महुआ (दौसा)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री:

2. फतेहपुर (सीकर)

3. रिषभदेवजी (उदयपुर)

4. देवली (टोंक)

5. बहरोड़ (अलवर)

6. दूदू (जयपुर)

इस वित्तीय वर्ष में ट्रोमा अस्पताल अलग से खोला जाना प्रस्तावित नहीं है परन्तु राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित 6 अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ट्रोमा यूनिट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :-

1. शाहपुरा (जयपुर)
2. भीम (राजसमन्द)
3. किशनगढ़ (अजमेर)
4. सोजत सिटी (पाली)
5. महुआ (दौसा)
6. देवली (टोंक)

(3) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2004-05 में राज्य योजनान्तर्गत ट्रोमा अस्पताल खोले जाने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण इस वित्तीय वर्ष में निवाई में ट्रोमा अस्पताल खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

अजमेर नगर सुधार न्यास द्वारा नगरीय कर की वसूली

448. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ नियमन हेतु नगरीय कर की राशि नियमन राशि पर ही वसूल किये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ?

(2) क्या यह सही है कि यदि कोई व्यक्ति नगरीय कर की राशि एक

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

मुश्त जमा नहीं करवाता है तो यह राशि उक्त क्षेत्र की आरक्षित दर पर सरकार के आदेश दिनांक 15 नवम्बर, 2000 के तहत वसूल की जा रही है ? उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त आदेश सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम, 1974 में दिनांक 27 मार्च, 2000 को जोड़े गये नये नियम 15-ए के विरूद्ध नहीं है ? यदि हां, तो नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा उक्त आदेश दिनांक 15 नवम्बर, 2000 के अधीन नगरीय कर की राशि क्यों वसूली की जा रही है ?

(4) क्या सरकार नया नियम 15-ए, जोड़े जाने के उपरान्त कृषि भूमि नियमन के प्रकरणों के सम्बन्ध में नगरीय कर की वसूली बाबत् कोई नया स्पष्टीकरण जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.5(2)नविवि/3/99 दिनांक 15-11-1999 के अन्तर्गत कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ नियमन हेतु नगरीय कर की राशि नियमन राशि प ही उसी दशा में वसूल किया जाने का प्रावधान है, जबकि आवेदक द्वारा एक मुश्त नगरीय कर जमा कराया जावेगा। यदि पृथक-पृथक वर्ष में प्रतिवर्ष के आधार पर नगरीय कर जमा करवाया जावेगा, जो उससे सम्बन्धित क्षेत्र की प्रचलित आरक्षित दर के आधार पर ही नगरीय कर की राशि वसूली की जावेगी।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण

449. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भरत सिंह)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सड़कों का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अलावा कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से भी करवाया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का निर्माण व मरम्मत कार्य करवाया जाता है इसकी जानकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग को नहीं होती है ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में व्यापक असंतुलन है व जहां लाडपुरा तहसील का लगभग हर गांव डामर सड़क से जुड़ गया है वहीं अन्य तहसीलें बहुत पिछड़ गई हैं ? यदि हां, तो इस असन्तुलन को कम करने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। जो परियोजनाऐं सार्वजनिक निर्माण विभाग व कृषि विपणन बोर्ड द्वारा समन्वय कर एक साथ शुरू की गई हैं उन सड़कों में से जो सड़कें कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से निर्माण व मरम्मत की जा रही हैं उसकी जानकारी मासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रंत्येक माह विभाग को प्रेषित की जाती हैं। अन्य कार्यों की जानकारी विभाग को नहीं होती।

(3) जी हां। यह सही है कि कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से व्यापक असंतुलन है। इस असन्तुलन को कम करने हेतु सरकार जनसंख्या के आधार पर गांवों को सड़कों से जोड़ रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 से अधिक आबादी वाले ऐसे गांव जो बिना किसी प्रकार की सड़क से जुडे हुए है उनको वर्ष 2007 तक डामरीकृत सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है।

मन्दिर माफी भूमि पर काबिज काश्तकार

450. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में पीढ़ी दर पीढ़ी कृषि काश्त करते आ रहे किसानों की भूमि को मंदिर माफी के नाम पर जोड़कर किसानों की रोटी-रोजी छीने जाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) वर्ष, 1999 से अब तक जयपुर जिले के कौन-कौन से किसानों को मंदिर माफी से मुक्त किया गया ?

(3) क्या सरकार किसानों को मंदिर माफी से मुक्त कर इनकी पुश्तैनी भूमि का खातेदारी हक/अधिकार दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) जिला जयपुर में कुल कितने किसानों की कितनी भूमि मंदिर माफी में आती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भू-अभिलेखों में जो भूमियां पूर्व में देव मूर्तियों (माफी मंदिर) के नाम से भूमि बन्दोबस्त एकीकरण खतौनी में अंकित थी तथा बाद में उन भूमियों को व्यक्ति विशेष की खातेदारी में दर्ज कर दी गई थी, उन भूमियों को न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार माफी मंदिर के नाम से पुनः दर्ज किया जा रहा है।

(2) वर्ष 1999 से अब तक जयपुर जिले में किसी भी किसान की मंदिर माफी से मुक्त करने का कोई प्रकरण नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जयपुर जिले में कुल 3585 किसान/खातेजात की कुल 28180 बीघा 09 बिस्वा भूमि माफी मंदिर में आती है।

किशनगंज के विभिन्न विभागों में रिक्त पद

451. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हेमराज मीणा)

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में किस-किस विभाग में कितने कितने पद किस-किस वर्ग के कब-कब से रिक्त हैं ? वर्गवार व विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि काफी लम्बे समय से रिक्त पद होने के कारण राजकार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज स्थित विभिन्न विभागों में चल रहे रिक्त पदों का संवर्गवार, विभागवार एवं कब से रिक्त है, सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

(2) यह सही है कि काफी समय से रिक्त पद होने के कारण राजकार्य प्रभावित होता है। राज्य सरकार का प्रयत्न रहता है कि रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जावे। बिन्दु संख्या एक में दर्शाये गये रिक्त पद सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत नियमानुसार भरे जा सकेंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

कालेज आफ नर्सिंग का मान्यता प्रकरण

452. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा कालेज आफ नर्सिंग जयपुर की मान्यता 1994 से 2003 तक समाप्त कर दी गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा व्याख्याताओं के पदों के रिक्त होने के कारण मान्यता समाप्त की गई ?

(3) क्या यह सही है कि 26 स्वीकृत पदों में से 12 पदों पर योग्य व अनुभवी शिक्षकों द्वारा पद विरूद्ध लम्बे समय से प्रशिक्षण कार्य सम्पादित

(श्री महादेव सिंह)

करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार स्थाई तौर से रिक्त पद कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। भारतीय नर्सिंग परिषद् ने कालेज आफ नर्सिंग, जयपुर की मान्यता समाप्त की थी। इसका कारण मानदण्डों के अनुसार शिक्षकों क तथा भौतिक सुविधाओं का उपलब्ध न होना था।

(2) जी हां।

(3) जी हां। स्वीकृत 26 पदों में से केवल 3 पदों पर नियमित शिक्षक नियुक्त हैं। 11 पदों पर प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न करवाने हेतु नर्सिंग ट्यूटर, जन स्वास्थ्य नर्स एवं नर्स श्रेणी द्वितीय को शिक्षकों के पद के विरूद्ध लगाया हुआ है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

तारांकित प्रश्न संख्या-453

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

श्री पन्ना लाल चितलांगिया इम्दादी उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीकर के सेवानिवृत्त अध्यापक का वेतन स्थिरीकरण

651. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री पन्नालाल चितलांगिया इम्दादी उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर को राज्याधीन लेने के फलस्वरूप प्राथमिक एवं माध्यमिक निदेशालय राजस्थान व वित्त विभाग राजस्थान सरकार की स्वीकृति के पश्चात् कई अध्यापकों को सेवानिवृत्ति के बाद विभाग द्वारा की गई पदोन्नति के आधार पर वेतन स्थिरीकरण कर संशोधित पेंशन का आर्थिक लाभ नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पी.पी.ओ. संख्या 125208 (आर) के पेन्शनर की अब तक की पेंशन संशोधित नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त पेंशनर ने संशोधित पी.पी.ओ. जारी करने से पूर्व कई ज्ञापन निदेशक कोष को भिजवाये हैं ? यदि हां, तो कब-कब और उक्त पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण के निस्तारण में देरी करने वाले कर्मियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त पेंशनर का संशोधित पी.पी.ओ. शीघ्र जारी कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो संशोधित पी.पी.ओ. कब तक जारी कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) पूर्व वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी को पदोन्नति दी जाती है तो उसे सेवानिवृत्ति लाभ नोशनल

(वित्त मंत्री)

वेतन के आधार पर देय हैं।

(2) जी हां। नियुक्ति अधिकारी ने सेवानिवृत्त कर्मचारी की पदोन्नति के आदेश भी कार्यभार संभालने की शर्त के अधीन जारी कर दिये जिसमें अभी संशोधन अपेक्षित है, संशोधित आदेश के जारी होने पर पेंशन संशोधित कर दी जायेगी।

(3) संशोधित पीपीओ जारी करने के सम्बन्ध में उक्त पेंशनर के ज्ञापन निदेशक, कोष को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(4) इस प्रकरण में पेंशन अधिकृतियां दिनांक 24-2-1996 को ही जारी की जा चुकी हैं। पेंशन विभाग के किसी कार्मिक के स्तर पर प्रकरण के निस्तारण में देरी नहीं हुई है।

(5) नियुक्ति अधिकारी द्वारा पदोन्नति के आदेश में वांछित संशोधन जारी करने एवं पदोन्नती पद पर नोशनल वेतन निर्धारण करने के बाद संशोधित पीपीओ जारी कर दिया जायेगा।

पैतृक सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर मुद्रांक दर

652. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार माता-पिता, सगे भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री के आपस में विक्रय पत्र द्वारा हस्तान्तरण पर मुद्रांक कर प्रचलित दर से कम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। सरकार द्वारा विक्रय-पत्र पर प्रचलित मुद्रांक कर की दर को 11 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत की दर दिनांक 12-7-2004 से सभी के लिए लागू कर दी है। माता-पिता, सगे भाई-बहिन, पुत्र, पुत्री के आपस में विक्रय-पत्र हस्तान्तरण पत्र पर मुद्रांक कर 8 प्रतिशत की दर से कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि मुद्रांक कर की दर को और कम करने पर राजस्व आय में गिरावट आती है जो राज्य हित में नहीं है।

पेंशनर्स मेडिकल डायरी के शुल्क में कमी

653. श्री अमराराम (धोद) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमानुसार क्या-क्या नि:शुल्क/शुल्क सहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ? किन-किन प्रकार की मेडिकल जांच व परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों (विशेष कर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर) में की जाती है ? आदिनांक संशोधित नियम तथा जांच/परीक्षण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले 3 वर्षों में कितने पेन्शनरों ने मेडिकल डायरी ली ? कितनी डायरी नई थी तथा कितनी का नवीनीकरण किया गया ? सम्भागवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान राज्य पेन्शनर चिकित्सा योजना के अनुसार जिला मुख्यालयों से दूरस्थ ग्रामों में रहने वाले तथा राज्य से बाहर रहने वाले कितने पेश्नरों को रूपये 100/- प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है ? सम्भागवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 15 फरवरी, 2002 से पेन्शनर मेडिकल डायरी का वार्षिक एवं आजीवन शुल्क में अत्यधिक वृद्धि करने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा असाध्य रोग से ग्रस्त पेन्शनरों पर भार बढ़ गया है ?

(5) क्या सरकार उक्त वृद्धि को वापस लेकर दिनांक 15 फरवरी, 2002 से पूर्व की मेडिकल डायरी का वार्षिक शुल्क एवं आजीवन शुल्क करने का या इससे कम करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राजकीय चिकित्सालय में उपचार पर राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना में उल्लेखित उपबन्धों के अनुरूप समस्त चिकित्सा सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में की जाने वाली मेडीकल जांच व परीक्षण के सम्बन्ध में राजस्थान

(वित्त मंत्री)

मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के आदेश दिनांक 8-4-2003 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

उपरोक्त आधार पर एवं नियमों के शिथिलन में गत तीन वर्षों में पेंशनरों को जांच/परीक्षण की राशि का निम्न प्रकार पुनर्भरण किया गया :-

वर्ष	पेंशनरों की संख्या	राशि (रूपये में)
2001-2002	74	204207
2002-2003	171	446092
2003-2004	169	484488

राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) पिछले तीन वर्षों में 52 हजार 495 पेंशनरों ने प्रथम बार नई मेडीकल डायरियां ली व 2 लाख 86 हजार 778 मेडीकल डायरियों का नवीनीकरण हुआ। सम्भागवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना के अनुसार जिला मुख्यालयों से दूरस्थ ग्रामों में रहने वाले तथा राज्य से बाहर रहने वाले क्रमश: 4327 व 502 पेंशनरों को 100/- रूपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है। सम्भागवार सूचना निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	सम्भाग	जिला मुख्यालयों से दूरस्थ ग्रामों में रहने वाले पेंशनरों की संख्या जिन्हें 100 रूपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है।	राज्य से बाहर रहने वाले पेंशनरों की संख्या जिन्हें 100 रूपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है।
1.	जयपुर	2598	239
2.	अजमेर	899	42
3.	कोटा	503	51

(वित्त मंत्री)

क्र. सं.	सम्भाग	जिला मुख्यालयों से दूरस्थ ग्रामों में रहने वाले पेंशनरों की संख्या जिन्हें 100 रूपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है।	राज्य से बाहर रहने वाले पेंशनरों की संख्या जिन्हें 100 रूपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है।
4.	बीकानेर	7	77
5.	जोधपुर	266	56
6.	उदयपुर	54	37
	योग	4327	502

(4) दिनांक 15-2-2002 से मेडीकल डायरी के वार्षिक व आजीवन शुल्क में वृद्धि राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा निधि की विषम स्थिति एवं बढ़ती हुई देनदारियों को दृष्टिगत रखते हुए की गयी है। यह वृद्धि केन्द्र सरकार के सेवानिवृत कर्मचारियों से सी.जी.एच.एस. योजना के अन्तर्गत लिये जा रहे वार्षिक एवं आजीवन अशंदान को ध्यान में रखते हुए की गयी है जो क्रमशः 1800/- रूपये प्रतिवर्ष एवं 18000/- रूपये आजीवन तक लिया जाता है। पेंशनर्स को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह वृद्धि अधिक नहीं है।

(5) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

गत तीन वर्षों में स्वैच्छिक अनिवार्य सेवानिवृत्त राज्यकर्मी

654. **श्री अमराराम (धोद)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में वर्षवार पुराने/नये पेन्शनर एवं पारिवारिक पेन्शनरों की संख्या कितनी-कितनी रही ? सम्भागवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमराराम)

(2) उक्त अवधि में पेन्शनरों/पारिवारिक पेन्शनरों को पेन्शन/उपदान (ग्रेच्युटी) तथा रूपान्तरण राशि पर कितनी राशि दी गई ? वर्षवार तथा सम्भागवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में कितने सेवारत कर्मचारियों ने स्वैच्छा से सेवा निवृत्ति ली तथा कितनों को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में पुराने/नये सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों की संख्या निम्नानुसार रही :-

वर्ष	सिविल पेंशनर्स			पारिवारिक पेंशनर्स			कुल योग
	पुराने	नये	योग	पुराने	नये	योग	
2001-02	159968	19053	179021	66436	3588	70024	249045
2002-03	176288	14260	190548	69757	3258	73015	263563
2003-04	188209	13403	201612	72801	2883	75684	277296

पुराने/नये सिविल पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनर्स की गत तीन वर्षों की सम्भागवार सूचना अनुसूची एक व अनुसूची दो पर संलग्न है।

(2) पेंशन, उपादान (ग्रेच्युटी) तथा रूपान्तरण पर वर्षवार भुगतान की गई राशि निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	पेंशन	उपादान	रूपांतरण	पारि. पेंशन	कुल व्यय
2001-02	902.94	322.53	275.13	158.28	1658.88
2002-03	943.73	234.33	176.16	192.93	1547.15
2003-04	1046.75	251.19	180.24	208.43	1686.61

(वित्त मंत्री)

पेंशन परिलाभों का भुगतान केवल राजस्थान में नहीं किया जाता है अपितु अखिल भारतीय (देशभर) स्तर पर किया जाता है। इस कारण व्यय आंकड़ों का संकलन सम्भागवार नहीं किया जाकर समग्र रूप से तैयार किया जाता है।

(3) निदेशालय पेंशन एवं सम्भागीय कार्यालयों द्वारा जारी पेंशन अधिकृतियों की संख्या के अनुसार गत तीन वर्षों में स्वेच्छा से सेवानिवृति लेने वाले एवं अनिवार्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	स्वेच्छा से सेवानिवृति लेने वाले कर्मचारियों की संख्या	अनिवार्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या
2001-02	8071	314
2002-03	4495	89
2003-04	3131	72

अनुसूची-एक

गत तीन वर्षों में वर्षवार पुराने/नये सिविल पेंशनरों की संख्या

क्र. सं.	जोन का नाम	2001-2002			2002-2003			2003-2004		
		पुराने	नये	योग	पुराने	नये	योग	पुराने	नये	योग
1	जयपुर	52451	5815	58266	56955	4489	61444	59733	4572	64305
2	अजमेर	24216	3104	27320	27205	2344	29549	29937	2144	32081
3	बीकानेर	14695	2530	17225	17225	1707	18932	18932	1265	20197
4	जोधपुर	19149	2357	21506	21310	1809	23119	22542	1855	24397
5	उदयपुर	24398	2931	27329	26218	2234	28452	28013	1863	29876
6	कोटा	25059	2316	27375	27375	1677	29052	29052	1704	30756
योग		**159968**	**19053**	**179021**	**176288**	**14260**	**190548**	**188209**	**13403**	**201612**

अनुसूची-दो

गत तीन वर्षों में वर्षवार पुराने/नये पारिवारिक पैंशनरों की संख्या

क्र. सं.	जोन का नाम	2001-2002			2002-2003			2003-2004		
		पुराने	नये	योग	पुराने	नये	योग	पुराने	नये	योग
1	जयपुर	24213	865	25078	24736	823	25559	25430	857	26287
2	अजमेर	8782	583	9365	9365	435	9800	9581	406	9987
3	बीकानेर	7478	455	7933	7933	607	8540	8540	483	9023
4	जोधपुर	9870	346	10216	10479	397	10876	11100	324	11424
5	उदयपुर	8452	927	9379	9191	645	9836	9746	434	10180
6	कोटा	7641	412	8053	8053	351	8404	8404	379	8783
योग		**66436**	**3588**	**70024**	**69757**	**3258**	**73015**	**72801**	**2883**	**75684**

दयालपुरा ग्राम (बस्सी) का वृद्धावस्था पेंशन प्रकरण

655. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नियमों के तहत ग्राम दयालपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के कतिपय व्यक्तियों को भी वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जा रहा था ? यदि हां, तो किस-किस को कितनी राशि का ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कई महीनों से उक्त भुगतान को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि वृद्धावस्था पेंशन भुगतान आदेश सं. 25097 (पी) के पेंशनर को गत कई महीनों से पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) सरकार अब उक्त पेंशनर को वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान कब तक करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान वार्धक्य एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के तहत भुगतान किया जा रहा है। (प्रति संलग्न है)

(2) जी हां। केवल श्री मूलचन्द पुत्र श्री दूलीचन्द कौली एवं श्रीमती भौंरी पत्नी श्री मूलचन्द को संयुक्त वृद्धावस्था पेंशन का 300 रूपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न के भाग 4 के जवाब के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही ट्रस्ट द्वारा देय छात्रवृत्ति

656. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही ट्रस्ट का मठन कब हुआ और इसकी क्या गतिविधियां हैं ? इसकी कार्यकारिणी क्या है और इसका गठन किसके द्वारा एवं कब किया गया ? कार्यकारिणी का विवरण सदन की मेज़ पर रखें। किन लोगों को एवं किस आधार पर उक्त ट्रस्ट की कार्यकारिणी में लिया गया ?

(2) ट्रस्ट के अन्तर्गत क्या-क्या सम्पत्ति हैं और उसकी वार्षिक आय-व्यय क्या है ? इसका अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है ?

(3) ट्रस्ट द्वारा अपने गठन के बाद कब-कब छात्रवृत्ति दी गई एवं अभी छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में संस्था की क्या गतिविधियां हैं ?

उत्तर

(1) सिरोही ट्रस्ट का गठन सामान्य प्रशासन विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना संख्या 23(2)पौल/54 दिनांक 7-8-1954 को हुआ।

(I) ट्रस्ट की गतिविधियां अभी तक जिले में केवल शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु योग्य एवं छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने तक ही सीमित रही है।

(II) उक्त अधिसूचना दिनांक 7-8-1954 के अनुसार ट्रस्ट का प्रबन्धन पांच सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सचिव महामहिम राज्यपाल की अधिसूचना दिनांक 2-7-2001 के अनुसार निम्नानुसार प्रबन्धन समिति गठन की गई है।

1. महाराव श्री रघुनाथसिंह — अध्यक्ष
2. श्री दीलिपसिंह
   सामाजिक कार्यकर्ता — सदस्य
3. श्री गजेन्द्र सिंह
   अधिवक्ता — सदस्य

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

4. श्री मूलसिंह घटाना
   सामाजिक कार्यकर्ता — सदस्य
5. जिला कलक्टर, सिरोही — सदस्य सचिव

(2) जिला प्रशासान सिरोही के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार सिरोही ट्रस्ट के तीन भवन करौल बाग, दिल्ली में व एक भवन कुतुव रोड, नई दिल्ली में स्थित है जिस पर भिन्न-भिन्न लोगों का कब्जा है।

(II) इन सम्पत्तियों से वर्तमान में कोई आय प्राप्त नहीं हो रही है पूर्व प्राप्त आय को जिला कलक्टर सिरोही के यहां से निवासीय आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा भिजवाया गया है चूंकि वर्तमान में कोई आय प्राप्त नहीं हो रही है। इस कारण से लेखा सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(III) उपलब्ध सूचना के अनुसार अंकेक्षण हेतु किसी को अधिकृत नहीं किया गया है।

(3) ट्रस्ट द्वारा अपने गठन के पश्चात् वर्ष 1968-69 से वर्ष 1981-82 तक छात्रवृत्ति दी गई है। वर्तमान में संस्था की ओर से कोई गतिविधियां नहीं है।

सहयोग अपार्टमेन्ट, विद्याधर नगर, जयपुर के राजकीय आवासों में आवश्यक व्यवस्था

657. **श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर), श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :** क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहयोग अपार्टमेन्ट, विद्याधर नगर के राजकीय आवासों में पीने के पानी की आपूर्ति काफी लम्बे समय से ठीक नहीं है ? यदि हां, तो क्या इसकी आपूर्ति जलदाय विभाग से कराने की प्रक्रिया प्रस्तावित है ?

(2) क्या यह सही है कि सहयोग अपार्टमेन्ट, विद्याधर नगर के राजकीय आवासों के परिसर में रोड लाइट एवं सुरक्षाकर्मी (चौकीदार) की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है ? क्या इस कारण इन राजकीय आवासों में चोरी की वारदात बढ़ रही हैं ?

(श्री नाथूराम अहारी)

(3) क्या यह सही है कि सहयोग अपार्टमेन्ट विद्याधर नगर के राजकीय आवासों में रह रहे सरकारी कर्मचारियों को उक्त आवासों के बेचान की कार्यवाही सरकार के स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसमें क्या कठिनाइयां आ रही हैं ? जबकि इसमें रह रहे कर्मचारी इन्हें खरीदने के इच्छुक हैं ?

(4) इन राजकीय आवासों में सफाई हेतु कौन-कौन सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं ? क्या इनकी नियमित सफाई की जा रही है ?

(5) इन राजकीय आवासों के रख-रखाव की सरकार की ओर से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ द्वारा चार-चार घण्टे सुबह-शाम पानी की आपूर्ति की जा रही है। संघ द्वारा जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को भी लिखा गया है।

(2) रोड़ लाइट खराब हो जाने पर समय-समय पर राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ द्वारा मरम्मत करवा दी जाती है। चौकीदार की व्यवस्था संघ द्वारा नहीं की जा रही है।

(3) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) सहयोग अपार्टमेन्ट, विद्याधर नगर में सफाई व्यवस्था हेतु तीन कर्मचारी क्रमशः महेश, छुट्टन एवं अमरचन्द हैं। सफाई की व्यवस्था नियमित की जा रही है।

(5) राजकीय आवासों का रख-रखाव आवासन मण्डल से कराया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-658

(स्थगित)

झारखण्ड महादेव मन्दिर (जयपुर) के समीप स्थित मदिरा बिक्री केन्द्र

659. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर शहर में झारखण्ड महादेव मन्दिर मार्ग के सामने वैशाली मार्ग मुख्य सड़क पर कोई शराब का ठेका अवस्थित है ? यदि हां, तो उक्त ठेका किस व्यक्ति अथवा फर्म के नाम से है तथा इसका लाइसेंस कब तक वैध है ?

(2) क्या उक्त शराब के ठेके को अन्यत्र स्थानान्तरित करने बाबत् नेमीसागर डवलपमेन्ट एण्ड वेलफेयर सोसायटी, जयपुर (रजि.) की ओर से कोई ज्ञापन दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मंदिर, विद्यालय, महाविद्यालय आदि के पास शराब का ठेका नहीं चलाये जाने सम्बन्धी सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किए हुए हैं ? यदि हां, तो सम्बन्धित समस्त परिपत्रों/आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त शराब का ठेका अन्यत्र स्थानान्तरित करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर में झारखण्ड महादेव मंदिर के सामने वैशाली मार्ग मुख्य सड़क पर 'वैशाली-II' नाम से भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर दुकान अवस्थित है, जिसके अनुज्ञाधारी अशोक कुमार, देवेन्द्र मील एण्ड पार्टी है। इनका लाइसेंस 31-3-2005 तक वैध है।

(2) जी हां। प्रकरण की जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि नेमी सागर कालोनी में उक्त दुकान गत 5 वर्षों से नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत की जाकर संचालित होने के कारण वर्तमान में अन्यत्र स्थानान्तरित करना सम्भव नहीं है।

(आबकारी मंत्री)

(3) शराब की दुकानों की अवस्थिति के सम्बन्ध में प्रावधान राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के रूप में है, जिसकी प्रति संलग्न है।

(4) मदिरा की दुकान राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के प्रावधानानुसार है, इस कारण इस मदिरा दुकान को स्थानान्तरित करवाया जाना अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट-"6"

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 की प्रति

75. दुकानों की अवस्थित्ति :-

(1) देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा या हैम्प औषधियों के खुदरा विक्रय का लाइसेन्सधारी अपनी दुकान केवल सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही रखेगा।

(2) देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा विक्रय की दुकान महाविद्यालयों, सीनियर माध्यमिक विद्यालय सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, अस्पताल, पूजा स्थल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, कारखाना या श्रमिक अथवा हरिजन कालोनी से 200 मीटर की दूरी के अन्दर अवस्थित नहीं होगी।

(3) खुदरा विक्रय के लिये दुकान जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली नहीं जायेगी।

(4) जिला आबकारी अधिकारी पर्याप्त कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् किसी दुकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल सकेगा और दुकान बदलने के लिये लाइसेन्सधारी को कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

(5) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, हैम्प औषधियों के खुदरा विक्रय के लिये दुकान नेशनल हाइवे या

(आबकारी मंत्री)

स्टेट हाइवे के मध्य के दोनों ओर 150 मीटर की दूरी के अन्दर अवस्थित नहीं होगी लेकिन यह शर्त नगर निगम, नगर परिषद् या नगर पालिका की सीमा में आने वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।

परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त द्वारा पर्याप्त कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में उपरोक्त शर्तों में छूट प्रदान की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण

(1) नियम 75 के उपनियम (2) के उद्धेश्य के लिये पूजा के स्थान से दुकान की दूरी के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में केवल उन्हीं स्थानों के लिये लागू होंगे जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली सूची में वर्णित होंगे।

(2) हरिजन कालोनी से तात्पर्य नगर पालिका के ऐसे वार्ड से है जिसमें अन्तिम जनगणना के अनुसार वार्ड की समस्त जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जाति के हों।

(3) महाविद्यालय या सीनियर सैकेन्डरी स्कूल स्तर के विद्यालयों से भिन्न शैक्षणिक संस्थान के समीप स्थित कोई दुकान संस्थान के बन्द होने के कम से कम एक घण्टे पश्चात् खोली जावेगी।

(4) नियम 75 के उप नियम (2) के उद्धेश्य के लिये मनोरंजन स्थान से तात्पर्य केवल थियेटर अथवा सिनेमा हाल से है।

रूपवास में संचालित अवैध मदिरा विक्रय केन्द्र

660. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस वर्ष शराब का ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को ? नाम पते सहित विवरण

(श्री निर्भय लाल)

सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत दुकानों के अलावा अनुसूचित जाति के मोहल्लों में बिना लाइसेन्सधारियों को ठेके दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो क्या सरकार अवैध दुकानों को बन्द कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में कितनी अवैध दुकानें चल रही है ? क्या सरकार अवैध दुकानों को बन्द कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 2004-05 में राज्य के विभिन्न समूहों के ठेके जिन व्यक्तियों के नाम स्वीकृत किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है कि स्वीकृत दुकानों के अलावा अनुसूचित जाति के मोहल्लों में बिना लाइसेन्सधारियों को ठेके दिये गये हैं। यदि किसी मदिरा दुकान का अवैध रूप से संचालन होता पाया जायेगा तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) जिला आबकारी अधिकारी, भरतपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार विधानसभा क्षेत्र रूपवास में कोई भी अवैध दुकान नहीं चल रही है।

परिशिष्ट-7

वर्ष 2004- 05 में राज्य के विभिन्न समूहों के लिये स्वीकृति ठेके के अनुज्ञाधारियों के नाम व पते

क्र. सं.	नाम समूह	अनुज्ञाधारियों का नाम	पता
1.	अजमेर	श्री विजयकुमार पुत्र स्व. रामनाथ जायसवाल	3/16- ए छोटालालपुर, पाण्डेयपुर, वाराणसी (उ. प्र.)
2.	अलवर	श्री कृष्णलाल मील पुत्र श्री चन्दूराम मील	डी-विला स्टेशन रोड, जयपुर
3.	भरतपुर	श्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी पुत्र जे. सी. भण्डारी	3त-54 जवाहरनगर, जयपुर
		श्री किशनचन्द शर्मा पुत्र स्व. शंकरलाल शर्मा	10-साकेत कालोनी, आगरा
		श्री महेन्द्र तिवारी पुत्र अंगदाराम	बिडियारी, बयाना
4.	धोलपुर	श्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी पुत्र जे. सी.भण्डारी	3त-54जवाहरनगर ,जयपुर
		श्री किशनचन्द शर्मा पुत्र स्व. शंकरलाल शर्मा	10-साकेत कालोनी, आगरा
		श्री महेन्द्र तिवारी पुत्र अंगदाराम	बिडियारी, बयाना

1	2	3	4
5.	सवाई माधोपुर करौली	श्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी पुत्र जे. सी. भण्डारी	3त-54 जवाहरनगर, जयपुर
		श्री किशनचन्द शर्मा पुत्र स्व. शंकरलाल शर्मा	10-साकेत कालोनी, आगरा
		श्री महेन्द्र तिवारी पूत्र अंगदाराम	बिडियारी, बयाना
6.	बाडमेर-जैसलमेर नागौर	श्री जितेन्द्र शर्मा पुत्र श्रीजुगलकिशोर शर्मा	13 प्रतापनगर, चितौडगढ
7.	नागौर	श्री अनुजराव पुत्र श्री खेमचन्द राव	म. 1031 रामनगर, शास्त्रीनगर, जयपुर
8.	सिरोही-जालौर	श्री ललित नारायण पुत्र श्री रामप्रताप टांक	नि. चितौडगढ रोड, फतेहनगर, उदयपुर
9.	बारां	श्री कल्याण गुजर पुत्र गोपाल लाल	ग्राम अकतासा, पो. तालेडा, जिला बून्दी
		श्री हरिशंकर पाटीदार पुत्र कल्याण प्रसाद	पूरानी आबादी, असनावर झालावाड
		श्री पारस कुमार जैन पुत्र बागमल जैन	रामद्धारा चौराहा, अकलेरा, झालावाड
		श्री मोहम्मद सलीम पुत्र बुन्दु खां	श्रीपुरा ,बवोलिया महाराज का चौक, कोटा

1	2	3	4
10.	बांसवाडा डूंगरपुर	श्री ओमप्रकाश पुत्र सुन्दरदास	80/54 प्रतापनगर जयपुर
		श्री रामअवतार शर्मा पुत्र मूलचन्द शर्मा	सी-54 सिवाड ऐरिया, बापू नगर, जयपुर
11.	चित्तौडगढ़	श्री रमेश जोशी पुत्र नन्दलाल जोशी	जोशी मोहल्ला तहसील मनासा, नीमच (म. प्र.)
12.	झालावाड़	श्री ओमप्रकाश चौरसिया पुत्र जगन्नाथ	पुरानी धानमण्डी तहसील मनोहरथाना, झालावाड
		श्री राजेश कुमार पुत्र अमरलाल कलाल	बृन्दावन कालोनी, अकलेरा, झालावाड
13.	उदयपुर-राजसमन्द	श्री हनुमानसिंह पुत्र नाथू सिंह राजपूत	हायर सेकेण्डरी स्कूल के पास स्वरूपगंज जिला सिरोही
		श्री हितेन्द्र टांक पुत्र फूलचन्द	3085 पलसानिया रोड नसीराबाद जिला अजमेर
		श्री रितेष सुहालका पुत्र सोहनलाल सुहालका	3 पटेल सर्किल, उदयपुर
14.	टोंक	श्री रामस्वरूप जायसवाल पुत्र स्व. रामकिशोर	नि. जयसवाल भवन सैंथल रोड, दौसा
		श्री वंश प्रदीपसिंह पुत्र गुणनिधान सिंह	नि. ठिकानागढ तलाबा गांव तहसील लालसोट जिला दौसा

1	2	3	4
		श्री नरेन्द्र कुमार सचदेवा पुत्र स्व. मंगतराम	10- सी-8 परिजात कालोनी महावीर नगर - III, कोटा
15	सीकर	श्री बीरबल राम पुनिया पुत्र सुरजाराम	पुरानी आबादी,. श्री गंगानगर
		श्री राजेन्द्र पुनिया पुत्र मादर राम पुनिया	डिम्पी धर्मकांटे के पास हनुमानगढ रोड श्रीगंगानगर
16.	चुरू	श्री अभिनन्दन पुत्र गणेश सिंह	5/470 लक्ष्मीनगर बुलन्दशहर (उ.प्र.)
		श्री शिवशंकर पुत्र राधेश्याम	4/2 ऐक्सटेन्शन मालवीय नगर नई दिल्ली
17.	कोटा-बून्दी	श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र मूलसिंह	नि. ग्राम प्रतापगढ पो. डगरिया तहसील इन्द्रगढ, बून्दी
18.	जयपुर दौसा	श्री अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल	पुराना बस स्टेण्ड, रोहट, जिला पाली
		श्री देवेन्द्र मील पुत्र हजारी राम	4-डी विला स्टेशन रोड, जयपुर
19.	झुन्झुनूं	श्री राकेश पुत्र करतार	4/32 राजनगर, गाजियाबाद (उ. प्र.)

1	2	3	4
20.	बीकानेर	श्री रामपाल पुत्र सेवासिंह	ग्राम दादपुर (करनाल) हरियाणा
		श्री राजकिशन पुत्र रामजी लाल	गांव बादसा, तहसील इन्द्री, जिला करनाल, हरियाणा
21.	जोधपुर	श्री कश्मीरसिंह पुत्र मेवासिंह	2 न्यु कालोनी, खातीपुरा, जयपुर
		श्री अभिमन्यु शारदा पुत्र नारायणदास	लक्ष्मीपुरा, बाडमेर
22.	पाली	श्री सुमित टांक पुत्र सीताराम टांक	निवासी 4/85, साकेत नगर, हाउसिंग बोर्ड. ब्यावर
23.	भीलवाड़ा	श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र मिल्खी राम	बी- 27 टी.आई.टी. कालोनी नीमच (म. प.)
		श्री रामस्वरूप पुत्र मोजीलाल मेवाडा	निवास देवलियाकलां, विजयनगर, अजमेर
		श्री आजाद पुत्र मन्नालाल शर्मा	97 इन्द्रानगर, नीमच (म. प्र.)
24.	श्रीगंगानगर	श्री आनन्दप्रकाश पुत्र पुरूषोत्तम	वार्ड नं.-7 म. नं. 36, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
		श्री बनवारी लाल पुत्र मनीराम	36 पब्लिक पार्क, श्री गंगानगर
25.	हनुमानगढ़	श्री कृष्ण कडवासरा पुत्र चुन्नीराम	ग्राम रामपुरा, तहसील टिबी, जिला हनुमानगढ

राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार

661. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य में सैनिक कल्याण बोर्ड स्थापित है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ? यदि हां, तो क्या-क्या व किस नियम के तहत ? सूची एवं नियम सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणकारी कार्यों को सम्पादित करने हेतु मुख्यालय स्तर पर सैनिक कल्याण विभाग एवं जिला स्तर पर 17 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित हैं। सूची परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(2) जी हां। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 बनाये गये हैं जिनके अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाये गये पदों पर तृतीय एवं अधीनस्थ सेवा वर्ग में साढ़े 12 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा वर्ग में 15 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित है। इन नियमों के अन्तर्गत 1-4-1996 से सम्बन्धित विभागों के नियुक्ति प्राधिकारियों को रिक्तियां भरने हेतु अधिकृत किया हुआ है।

राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिलों में गठित पूर्व सैनिकों की सोसायटियों के माध्यम से संविदा के आधार पर सरकारी, अर्द्ध सरकारी व निजी संस्थानों में पूर्व सैनिकों को नियोजन दिलाया जाता है। परिशिष्ट-'2' पर दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न है।

निजी संस्थानों में रिक्तियां प्राप्त होने पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के माध्यम से भी पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाया जाता है।

(सूची एवं दिशा-निर्देश का विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राधा किशनपुरा (सीकर) मौहल्ला की क्षतिग्रस्त सड़क

662. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सीकर शहर के मौहल्ला राधा किशनपुरा (रेलवे स्टेशन के पीछे) में सड़क क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं ? यदि हां, तो इसे कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मौहल्ले में सीवरेज नाली एवं रोड लाइट की पर्याप्त सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो इनमें सुधार हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

(3) उक्त मौहल्ले में गत पांच वर्षों में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के करवाये गये तथा वर्तमान में कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। मौहल्ला राधाकिशनपुरा (रेलवे स्टेशन के पीछे) एन.एच. 11 से श्री प्रभुदयाल सैनी, पार्षद की गली तक सीमेन्ट सड़क मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई है।

(2) सीकर शहर में सीवरेज लाइन नहीं है। राधाकिशनपुरा में मुख्य सड़क पर नाला निर्माण करवाया जा चुका है। मुख्य रास्तों पर रोड़ लाइट की व्यवस्था है।

(3) गत पांच वर्षों में कराये ग़ये कार्यों का विवरण मय राशि एवं प्रस्तावित कार्यों का विवरण संलग्न है।

सूची

(अ)	गत पांच वर्षों में उक्त मोहल्ले में कराए गए कार्यों की सूची	
1.	श्री बी.एल. मीना के मकान से राधाकिशनपुरा रोड़ तक नाली निर्माण	43,944.00
2.	एन.एच.-।। से धन्वतंरी अस्पताल से लालसिंह तिराहे तक वाया लोक सेवा संघ राधाकिशनपुरा नाला तक नाला निर्माण	2,61,359.00
3.	दुर्गाप्रसाद वर्मा के मकान से रेलवे बाऊण्ड्री मेन नाला तक नाली	32,941.00
4.	डब्ल्यू.बी.एम. रोड़ लालसिंह तिराहे से डी.पी. सैनी तक वार्ड नं. 29	35,412.00
5.	नाला निर्माण लालसिंह तिराहे से बालाजी मंदिर तक	1,07,476.00
6.	बी.टी. रोड़ निर्माण कार्य लालसिंह तिराहे से श्रीमती इन्द्रा शर्मा के मकान होते हुए महिन्द्रा इण्डस्ट्रीज तक	3,42,736.00
7.	लाल सिंह तिराहे से लालसिंह कालोनी में अहुवालिया के मकान तक नाली	1,07,416.00
8.	डी.पी. सैनी से मुख्य नाले तक नाली निर्माण	41,219.00
(ब)	प्रस्तावित कार्यों की सूची :-	
1.	राधाकिशनपुरा में बालाजी मंदिर से सरकारी क्वाटर्स तक सड़क व नाली निर्माण	3.43 लाख
2.	मुख्य सड़क से कृष्णा छात्रावास तक सड़क व नाली निर्माण	1.37 लाख

3.	बालाजी मंदिर से डी.टी.ओ. आफिस रोड़ पर आबादी क्षेत्र तक डामर सड़क कार्य	2.90 लाख
4.	श्री प्रभुदयाल सैनी के मकान से मुख्य सड़क तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	1.50 लाख

(स) अन्य :- सीवरेज योजना का विभाग की नीति निर्धारण समिति की बैठक दि. 30-08-2003 में 1550.89 लाख रूपये की स्वीकृति हुई थी जिसके तहत शहर में सीवरेज लाईन व एक ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने का निर्णय लिया गया है। जिसकी क्रियान्विती जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जानी है।

राजगढ़ (चूरू) नगरपालिका में क्राउन एक्ट के तहत पट्टों का आबंटन

663. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्राउन एक्ट (स्टेट ग्रांट एक्ट) के तहत नगरपालिका क्षेत्र में पट्टे जारी करने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) राजगढ़ (चूरू) नगरपालिका में क्राउन एक्ट के तहत कितने व्यक्तियों ने पट्टे लेने के लिए आवेदन किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितने लोगों को पट्टे जारी कर दिये गये शेष रहे व्यक्तियों को कब तक पट्टे जारी कर दिये जावेंगे ? पृथक्-पृथक् सूचियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत नगरपालिका क्षेत्र में पट्टे जारी होने के लिये सामान्य वर्ग के लिये सन्दर्भित भूमि पर कब्जा 1-1-1960 से पूर्व तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु कब्जा 1-1-1980 से पूर्व का होना आवश्यक है। कब्जे को प्रमाणित करने हेतु निम्नांकित साक्ष्य

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

आवश्यक है :-

1. पट्टा पालिका स्वामित्व की भूमि का ही देय है।
2. पट्टा, कच्चा या पक्का निर्मित क्षेत्र का ही देय है, जो अधिकतम 300 वर्गमीटर ही दिया जा सकेगा।
3. कब्जा 40 वर्ष/20 वर्ष का साबित निम्न साधन के आधार से होगा :-

   अ. वोटर लिस्ट।

   ब. राशनकार्ड।

   स. पोस्ट आफिस का मोहर लगा पत्र आदि जो उसी पते का हो।

   द. पड़ोसी का पट्टा जो अधिकृत अधिकारी से जारी शुदा हो तथा उसमें कब्जाधारी का नाम पड़ोसी होने का हो।

   य. यथा स्थान के पते पर कोई भी न्यायालय के निर्णय की प्रति जो अधिकृत है।

   र. कब्जाधारी के नाम कोई भी नोटिस हो।

   ल. अन्य कोई भी सबूत, जो गवाही के स्वरूप हो।

   व. दो पड़ोसीयों के हलफनामें जिनकी आयु 60 वर्ष से कम नहीं हो, जिसे पड़ोसी कब्जा साबित करते हों।

(2) स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत नगर पालिका राजगढ़ में पट्टा प्राप्त करने हेतु 89 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनकी सूची संलग्न है।

(3) उक्त में सात आवेदकों को पट्टे दिये जा चुके हैं तथा शेष 82 आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है, जांच शीघ्र कर निर्णय ले लिया जावेगा। इन 89 में जिन्हें पट्टे दे दिये गये एवं जिनके आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है, पृथक-पृथक सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

ब्यावर नगर परिषद के कर्मियों के विरूद्ध जांच

664. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद, ब्यावर के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों/जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध सरकार के पास किस प्रकार की जांच दिनांक 1 अप्रेल, 2002 से विचाराधीन है ? इनमें से कितने में सम्बन्धित व्यक्ति दोषी पाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पाये गये दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो अब क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद, ब्यावर के अधिकारियों/कर्मचारियों/जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध 1 अप्रेल, 2002 से विचाराधीन प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

अ. नगर परिषद, ब्यावर के सभापति श्री प्रमोद सांखला के विरूद्ध बिना भू-उपयोग परिवर्तन कराये दुकानों के निर्माण की स्वीकृति देने, नगर परिषद की साधारण सभा दिनांक 30-12-1992 में लिये गए प्रस्ताव के विपरीत जाकर, भू-खण्ड संख्या 62 का नियमन कर पट्टा व लीजडीड जारी करने, पट्टा पर समय पर हस्ताक्षर नहीं कर, लम्बे समय तक पत्रावली लम्बित रखने एवं परिषद् के हितों की अनदेखी करने एवं अवैध निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं करने सम्बन्धी शिकायतें विचाराधीन थीं।

ब. इसी परिषद के स्टोरकीपर श्री जगदीश प्रसाद शर्मा के विरूद्ध नियम विरूद्ध कार्य करने, पद का दुरूपयोग करने एवं गम्भीर दुराचरण से सम्बन्धित शिकायतें लम्बित थीं।

इन प्राप्त शिकायतों की जांच में श्री प्रमोद सांखला, सभापति, नगर परिषद्, ब्यावर एवं श्री जगदीशप्रसाद शर्मा, स्टोरकीपर, दोषी पाये गये हैं।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(2) श्री सांखला के विरूद्व प्राप्त शिकायतों की जांच में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर, उन्हें नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धरा 63 के अन्तर्गत निलम्बित कर, प्रकरण की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है तथा श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, स्टोरकीपर के विरूद्व सी.सी.ए. नियम-16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रस्तावित कर, दिनांक 8-6-2000 को आरोप-पत्र जारी किये गये तथा प्रकरण में विशेषाधिकारी (जांच), निदेशालय को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

तारानगर (चूरू) नगरपालिका को वित्त आयोग द्वारा आबंटित अनुदान

665. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

नगरपालिका तारानगर को दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् राज्य वित्त आयोग अनुदान, ग्यारहवां वित्त आयोग अनुदान राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम, अपना घर योजना, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना आदि के अन्तर्गत कितने अनुदान का लक्ष्य रखा गया तथा क्या उनकी पूर्ति की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम, अपना घर योजना, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना आदि के अन्तर्गत राशि आबंटन के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राशि का आबंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार अपना घर योजना के अन्तर्गत भी कच्ची बस्ती के गरीब परिवारों के लिये निर्माण कराये जाने वाले आवासों पर 25% अनुदान निकायों द्वारा दिया जाता है तथा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में स्वरोजगार प्रशिक्षण एवं दाक्वा समूहों के गठन के भौतिक लक्ष्य नगर निकायों को आबंटित किये जाते हैं एवं इन लक्ष्यों के विरूद्व की गई प्रगति के अनुसार ही नियमानुसार अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। नगरपालिका, तारानगर को वर्ष 2003-04 में राज्य

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

वित्त आयोग के अन्तर्गत 6.87 लाख रूपये व ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत 5.04 लाख रूपये एवं ग्यारहवें वित्त आयोग (स्लम सुधार कार्यक्रम) के अन्तर्गत 0.53 लाख रूपये आबंटित किये गए। इसी प्रकार राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.98 लाख रूपये एवं स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत 1.00 लाख रूपये का आबंटन किया गया है। अपना घर योजना इस पालिका क्षेत्र में लागू नहीं है। अत: कोई राशि आबंटित नहीं की गई।

सीकर नगर परिषद के अपूर्ण नाले का निर्माण

666. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर शहर की जयपुर रोड स्थित बालूराम कम्पाउण्डर की गली में नगर परिषद, सीकर द्वारा पानी की निकासी हेतु बड़े नाले का निर्माण करवाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गली के दोनों छोर पर नाले का निर्माण करवा कर एक सिरा जयपुर रोड से व दूसरा सिरा बसंत बिहार कालोनी से मिलाकर बीच के भाग को अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त गली में छोडे गये भाग में पूर्णरूपेण नाले का निर्माण करवा कर स्थानीय वाशिंदों को राहत पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी की दीवार से पारासर भवन होते हुए मुख्य नाले तक नाला बनवाया गया है।

(2) जी नहीं। निर्माण कार्य स्वीकृति अनुसार ही कराया गया है।

(3) जी नहीं। भाग संख्या 2 के प्रत्युत्तर के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

चौमूं की कृषि भूमि का आवासीय भूमि में परिवर्तन

667. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं में आबादी क्षेत्र में नियमन नगरपालिका द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो उसके नियमन की दर क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका द्वारा वर्तमान में जो नियमन शुल्क लिया जा रहा है वह अत्यधिक है जिसे सामान्य व्यक्ति द्वारा जमा कराना नामुमकिन है ?

(3) क्या सरकार कृषि भूमि पर बसी कालोनियों का नियमन करने का अधिकार जयपुर विकास प्राधिकरण से मुक्त कर नगरपालिका को देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण व नगरपालिका द्वारा लिए जाने वाले नियमन शुल्क (आबादी व कृषि) में अन्तर हैं ? यदि हां, तो कितना ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नियमन की दरें अलग-अलग वार्डों के लिये अलग-अलग हैं। वार्डवार नियमन दरों की सूची संलग्न है।

(2) नगरपालिका द्वारा वर्तमान में नियमन शुल्क की दरे बोर्ड व नजूल समिति से हुए अनुमोदन के अनुसार ली जा रही है। नजूल कमेटी द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उक्त दरें नजूल सम्पत्ति की स्थिति को देखते हुए नियत की गई है।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। नगरपालिका द्वारा निर्धारित दरों का विवरण बिन्दु संख्या 1 में स्पष्ट है। जहां तक जयपुर विकास प्राधिकरण का प्रश्न है, चौमूं क्षेत्र में 200 वर्गगज तक 45/- रूपये एवं 200 वर्गगज से अधिक के भूखण्ड पर 50/- रूपये प्रति वर्गगज की दर से नियमन शुल्क लिया जा रहा है।

कार्यालय नगरपालिका, चौमूं

आज दिनांक 18-1-2002 को 4.00 बजे श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय आमेर मुख्यालय जयपुर की अध्यक्षता में नजूल समिति की मीटिंग नगरपालिका कार्यालय में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित हुये।

1.	श्री एस.एन. तिवाड़ी	उपखण्ड अधिकारी, आमेर अध्यक्ष
2.	श्रीमती प्रतिभा शर्मा	अध्यक्ष, नगरपालिका, चौमूं सदस्य
3.	श्री वी.के. जैन	सहायक अभियंता, सार्व. निर्माण विभाग (भवन व पथ) आमेर मुख्यालय, जयपुर सदस्य
4.	श्री बी.एस. लाम्बा	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, चौमूं सदस्य सचिव

कोरम पूरा होने पर नजूल समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

नजूल समिति ने नगरपालिका मण्डल चौमूं का प्रस्ताव व नजूल कमेटी की मीटिंग 11-6-1998 में की गई निर्धारित दरों का अवलोन किया। तहसील चौमूं विक्रय पत्रों की डी.एल.सी. द्वारा निर्धारित दरों का भी अवलोकन किया। डी.एल.सी. की दरों के सम्बन्ध में अध्यक्ष नगरपालिका चौमूं ने अवगत कराया कि पूर्व में दिनांक 11-6-1998 को नजूल समिति की मीटिंग में निर्धारित दरें भी अधिक थी। चूंकि नजूल सम्पत्तियां गरीब व मजदूर लोगों के पास हैं व उनकी क्रय शक्ति डी.एल.सी. दरों के अनुसार भूमि मूल्य देने की नहीं हैं साथ ही उन्होंने बताया कि डी.एल.सी. की दरें वर्तमान में विक्रित होने वाली भूमि की रजिस्ट्रीयों के लिये होती हैं। पूर्व में सन् 1989 की नजूल दरों को देखते हुये 1998 में निर्धारित की गई दरें काफी अधिक थी। पूर्व अध्यक्ष के एतराज के बाद भी 1998 में अधिक दरें तय कर दी गई। अतः ऐसी दरें

निर्धारित की जावें जो मान्य हों व लाभार्थी इस स्थिति के हो कि वो यह दरें दे सकें।

इस बिन्दु पर अध्यक्ष नजूल समिति ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुये बताया कि डी.एल.सी. की दरें जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। नजूल दरों का आधार डी.एल.सी. दर लेना उचित है परन्तु अध्यक्ष नगरपालिका चौमूं का विशेष आग्रह व नजूल सम्पत्तियों की स्थिति व लाभार्थियों की क्रय शक्ति देखते हुये निम्न प्रकार नजूल सम्पत्तियों की नजूल दरें निर्धारित की जाती हैं। इस प्रस्ताव को समिति के जन प्रतिनिधि श्रीमती प्रतिभा शर्मा अध्यक्ष नगरपालिका को छोडकर शेष सदस्यों ने सहमति प्रकट की।

नजूल समिति द्वारा निर्धारित दर प्रति वर्गमीटर

वार्ड सं.	आवासीय दर प्रति वर्ग मीटर	व्यावसायिक दर प्रति वर्ग मीटर
1 से 5	170	2200
6 से 8, 13 से 15 व 25	200	2100
9 से 12, 19 व 20	350	2700
16 से 18, 21 से 24	250	2500

बलदेव सिंह लाम्बा
सदस्य सचिव एवं
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका, चौमूं

एस.एन. तिवाड़ी
अध्यक्ष
नजूल समिति एवं उपखण्ड
अधिकारी आमेर मु. जयपुर

दौसा नगरपालिका की भूमि खसरा नम्बर 1369 का भू-परिवर्तन प्रकरण

668. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका दौसा में वर्ष 2000 से अब तक कितने खसरा नम्बरों की राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत 90 (बी) की कार्यवाही की गई और कितनों की होनी बाकी है ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका दौसा के खसरा नं. 1369 में 90 (बी) के तहत कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? उक्त भूमि के पट्टे जारी कर उक्त कार्यवाही कब तक कर दी जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका दौसा में एच.पी. गैस गोदाम के सामने जयपुर रोड बाई पास स्थित खसरा नं. 1369 में 90 (बी) के तहत कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त खसरा नं. में स्थित भवनों के पट्टे जारी कर दिये गये ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो अब पट्टे कब तक जारी कर दिये जावेंगे ? भू-स्वामियों के नाम व साइड प्लान की प्रतियों के साथ सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका दौसा में वर्ष 2000 से अब तक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कुल 740 खसरा नम्बरों की 90 (बी) की कार्यवाही की जा चुकी है तथा 5,216 खसरों की 90 (बी) की कार्यवाही होनी शेष है।

(2) जी नहीं। खसरा नं. 1369 में 90 (बी) की कार्यवाही नहीं हुई है। क्योंकि उक्त खसरा मास्टर प्लान के अनुसार वेयर हाउसिंग एण्ड गोडाउन के लिए आरक्षित है।

(3) जी नहीं। उक्त खसरा नं. 1369 में 90 (बी) की कार्यवाही नहीं हुई है और न ही कोई पट्टे जारी किये गये हैं। क्योंकि उक्त भूमि मास्टर

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

प्लान में वेयर हाउसिंग एण्ड गोडाउन के लिये आरक्षित है तथा उक्त भूमि का स्वामित्व श्री भरत सिंह पुत्र भवानी सिंह, जाति राजपूत के नाम दर्ज है। साइटप्लान की प्रति संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया।)

मानसरोवर (जयपुर) गणेश्वर मन्दिर की भूमि पर अतिक्रमण

669. मोहम्मद माहिर आजाद (जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रजत पथ स्थित मानसरोवर, जयपुर में स्थित गणेश्वर मन्दिर परिसर के पार्क हेतु निर्धारित भूमि की बाउण्ड्री वाल को तोड़कर अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमणी द्वारा लोडिंग ट्रोलियां खड़ी कर किराये पर चलाने के लिये सूचना पट्ट भी लगा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि वहां ट्रोलियां के आने-जाने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से वहां के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको रोकने के लिये कोई उपाय करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस पार्क में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। पार्क में सार्वजनिक पूजा स्थल गणेश्वर मन्दिर है, जिसके एक चबूतरा बना हुआ है। पार्क की दीवार जगह-जगह से टूटी हुई है।

(2) जी नहीं। उक्त स्थान पर न तो ट्रोलियां खड़ी होती हैं, और न ही सूचना पट्ट लगा हुआ है।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(3) प्रश्न का उत्तर बिन्दु सं. 2 में निहित है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-670

(स्थगित)

ढहर का बालाजी (जयपुर) के बरसाती नाले पर अतिक्रमण

671. **श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि परसराम नगर, सीकर रोड, जयपुर में कुमार स्टूडियो के पास बरसाती पानी की निकासी के लिए बने हुए सार्वजनिक नाले पर अतिक्रमण कर कुछ भू-माफिया व्यक्तियों ने दुकानों की नींव भर कर और लकड़ी की थड़ियां रखकर अवैध कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो किस-किस ने ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्य के कारण बरसात के पानी की निकासी रूक गई और लोगों के घरों में पानी भरने एवं मकानों के गिरने की स्थिति बन गई है ?

(3) क्या उक्त निर्माण को वैध करार देने हेतु माफियाओं ने मित्र गृह निर्माण सहाकारी समिति के मृत अध्यक्ष के फर्जी दस्तखत कर पट्टे भी तैयार कर लिए हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त नाला, जयपुर बसा उस समय से नक्शे में दर्ज हैं ?

(5) क्या सरकार जन सुविधा हेतु उक्त अतिक्रमण को हटाकर नाले का पुनः निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। राजस्व रिकार्ड में इसका इन्द्राज नहीं है।

(5) प्राधिकरण द्वारा सीकर रोड के पूर्व दिशा में नाला पूर्व में ही निर्मित कर दिया गया था जिसमें पश्चिमी छोर पर कुमार स्टूडियो तक बने नाले के पानी की निकासी भी होती है अतः वर्तमान में इस जगह नाले निर्माण की कोई योजना नहीं है।

फतहनगर सनवाड़ (उदयपुर) नगरपालिका की आराजी खसरा नम्बर 3170 का अवैध बेचान

672. **श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)** : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका फतहनगर सनवाड़, जिला उदयपुर में आराजी खसरा नम्बर 3170 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि पूर्व पंचायत व वर्तमान नगरपालिका के खाते में थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जमीन फर्जी खातेदारों के नाम से भूदान बोर्ड के नाम बताकर बाद में दिनांक 6 अप्रेल, 2004 को खातेदार भूदान होल्डर के नाम से नगरपालिका के हक में नामान्तरण खोला गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि भूदान बोर्ड के आदेश पत्र क्रमांक 2046 दिनांक 15 मार्च, 2004 के द्वारा जनहित में नगरपालिका के नाम दिनांक 24 अप्रैल, 2004 को नामान्तरण खोला गया ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जनहित में नामान्तरकरण खोलना उचित है ? क्या इस विषय में कोई नियम निर्धारित हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामकिशोर मीणा)

(5) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर पुराने कब्जे बताकर पार्षदों, नगरपालिका के कर्मचारियों व राजनैतिक व्यक्तियों के रिश्तेदारों के नाम भू-आबंटन पत्र जारी कर दिए गए हैं ? यदि हां, तो किस-किस को ? क्या यह भी सही है कि सिविल न्यायालय मावली द्वारा उक्त आबंटन पर स्थगन आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि एक मृत व्यक्ति के नाम से भी आबंटन पत्र जारी किया गया ? यदि हां, तो इस प्रकरण में कौन-कौन दोषी हैं एवं दोषियों के विरूद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्व ग्राम सनवाड़ जिला उदयपुर में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आराजी नं. 3170 नहीं है, बल्कि आ.नं. 3170 मी. है। उक्त भूमि पूर्व में पंचायत एवं नगरपालिका के खाते में नहीं थी, अपितु आ.नं. 5404/3170 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि पूर्व में बिलानाम आबादी दर्ज थी, जो प्रशासन शहरों के संग अभियान-2002 में नगरपालिका के नाम दर्ज की गई।

(2) जी नहीं। उक्त भूमि को फर्जी खातेदारान के नाम से भूदान बोर्ड के नाम बता कर नगरपालिका के हक में दर्ज करने की कार्यवाही नहीं की गई, अपितु यह भूमि भूदान होल्डर श्री केसर सिंह, राजेन्द्र सिंह, रणजीत सिंह, जसवन्त सिंह, पुष्पा पिता चन्दन सिंह, मु. मोहन कुंवर बेवा चन्दन सिंह के नाम से थी, जो इनके द्वारा समर्पण एवं भूदान बोर्ड के आदेश क्रमांक 2046 दिनांक 15-3-2004 के सन्दर्भ में नामान्तरकरण दिनांक 6-4-2004 द्वारा नगरपालिका के नाम से दर्ज की गई। यह नामान्तरण आ.नं. 3170 मी. रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा का दर्ज हुआ है।

(3) भूदान बोर्ड के आदेश पत्र 2046 दिनांक 15-3-2004 के क्रम में

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

नामान्तरकरण दिनांक 24-4-2004 को नहीं खोला जाकर, दिनांक 6-4-2004 को खोला गया। आदेश की प्रति संलग्न हैं।

(4) भूदान बोर्ड के आदेश के क्रम में नामान्तरकरण राजस्व अधिकारी द्वारा नियमानुसार खोला गया है। भूंदान बोर्ड की भूमि जनहित में दिये जाने के नियमों की प्रति संलग्न है।

(5) जी हां। उक्त भूमि पर पुराने कब्जे होने से काबिज कतिपय व्यक्तियों के नाम भूखण्ड नगरपालिका मण्डल के प्रस्ताव संख्या 5(8) दिनांक 29-8-1998 के अनुसरण में नियमन/आबंटन किये गये, जिनमें से कतिपय आबंटी नगरपालिका के पार्षद, कर्मचारियों व राजनैतिक व्यक्तियों के रिश्तेदार हों, लेकिन किसी पार्षद व कर्मचारी के नाम से कोई आबंटन नहीं किया है। सिविल न्यायालय, मावली द्वारा इस सन्दर्भ में दर्ज वाद संख्या 42/04 एवं 45/04 में नगर पालिका द्वारा यथास्थिति रखे जाने हेतु निवेदन किये जाने पर आगामी आदेश तक मौके की स्थिति यथावत रखने के आदेश दिये हैं। न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न है।

(6) जी नहीं। यह सही है कि किसी भी मृत व्यक्ति के नाम से कोई आबंटन पत्र जारी किया गया हो। इस प्रकार इस प्रकरण में कोई दोषी नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

टीलावाला (सांगानेर) ग्राम में सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

673. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चित्रकूट नगर, ग्राम टीलावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के कुछ भू-खण्डों में 200 फीट चौड़ी सड़क बनाने का निर्माण कार्य जारी है ? यदि हां, तो ऐसे कितने भूखण्ड हैं ? समस्त भूखण्डधारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूखण्ड धारियों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या जे.डी.ए. के नियमों में इस प्रकार से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें व यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त भूखण्ड धारियों को मुआवजा दिलवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या आदर्श विकास समिति ने उक्त भूखण्डों को भू-माफियाओं द्वारा सस्ते-मन्दे में हड़प लिये जाने की शिकायत दिनांक 22 जनवरी, 2004 में जयपुर विकास प्राधिकरण में की है ? यदि हां, तो शिकायत पर की गई जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि जांच नहीं की गई, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। चित्रकूट नगर ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर योजना में योजना मानचित्र को अन्तिम रूप देने के बाद ही 200 फीट चौड़ी सड़क में आने वाले भूखण्डों के सम्बन्ध में बताया जाना सम्भव होगा। विकास समिति द्वारा प्रस्तुत भूखण्डधारियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। नियमानुसार गैर अनुमोदित योजनाओं में भूखण्डधारियों को मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं। नियमानुसार गैर अनुमोदित योजनाओं में भूखण्डधारियों को मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है।

(4) जी नहीं। क्योंकि गैर गैर अनुमोदित योजना में भूखण्डधारियों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) जी हां। किन्तु मूल पत्रावली खो जाने के कारण शिकायत पर जांच नहीं की जा सकी है पत्रावली खो जाने के सम्बन्ध में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा काटे गये भू-खण्डों का इकरारनामे के आधार पर नियमन

674. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा काटी गई अनियमित आवासीय कालोनियों में इकरारनामे के आधार पर खरीद-बेचान किया जा सकता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इकरारनामे के आधार पर 90 (बी) की कार्यवाही के बाद नियमित करते समय क्रेता के पक्ष में भूखण्ड का नियमन कर दिया जावेगा ?

(3) क्या नियमित करते समय कोई हस्तान्तरण शुल्क व रजिस्ट्री शुल्क लिया जावेगा ? यदि हां, तो कितना ? नियमों की प्रति संहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इकरारनामे के आधार पर भूखण्ड को क्रेता के नाम नियमित करते समय गृह निर्माण सहकारी समिति के मूल आबंटी की आवश्यकता होगी ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जनहित में किसी व्यक्ति के द्वारा गृह निर्माण सहकारी समिति के आबंटी सदस्य से या अन्य किसी व्यक्ति से इकरारनामे के आधार पर भूखण्ड क्रय करने पर नियमन तिथी से पूर्व कितनी ही बार हस्तान्तरण हुआ हो, एक बार का हस्तान्तरण शुल्क 10/- रू. प्रति वर्ग गज लेकर नियमन कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं। आदेशों की प्रति संलग्न है। परिशिष्ट "अ"

(2) आवासीय योजना का ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने पर मूल आबंटी होने की स्थिति में भूखण्ड का नियमन शुल्क इत्यादि जमा होने

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

पर तथा इकरारनामे के आधार पर क्रय किये गये भूखण्ड की स्थिति में उप रजिस्ट्रार (सह.) द्वारा नाम हस्तान्तरण पश्चात् भूखण्ड का निर्धारित नियमन शुल्क जमा होने पर नियमन कर दिया जावेगा।

(3) इकरारनामे की स्थिति में हस्तान्तरण शुल्क 10/- रूपये प्रति वर्ग गज की राशि उप रजिस्ट्रार (सह.) प्राप्त कर नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाती है। नियमन करते समय रजिस्ट्रेशन शुल्क बतौर नान ज्युडिसियल स्टाम्प पेपर लिये जाते हैं, जो नियमन शुल्क, उपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज पैनल्टी की राशि एवं दो वर्ष के औसत किराये की राशि (यदि कोई हो) को शामिल करते हुये समस्त प्रतिफल की कुल राशि पर कन्वेस की दर से देय राशि के बराबर नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर लिये जाते है। नियमों की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर में रंगमंच की स्थापना

675. श्री गोविन्द राम मेघवाल (नौखा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बीकानेर में विगत लम्बे अर्से से रंगमंच की स्थापना किया जाना विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार अब कब तक बीकानेर में रंगमंच स्थापित किये जाने का विचार रखती है ? इस मद में सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि आबंटित एवं व्यय की जा चुकी है ?

उत्तर

जी हां। बीकानेर रंगमंच पर आबंटित, उपलब्ध राशि एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :-

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	आबंटित राशि (लाखों में)	उपलब्ध करायी राशि (लाखों में)	व्यय की गई राशि (लाखों में)
1.	नगर विकास न्यास, बीकानेर	20.00	31.50	31.50
2.	कला एवं संस्कृति विभाग, जयपुर।	70.00	63.50	63.50
3.	डी.आर.डी.ए.	5.00	5.00	5.00
4.	सांसद कोटा	5.00	5.00	5.00
5.	मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार	100.00	-	-
6.	जन सहयोग	34.00	-	-
	योग	**234.00**	**105.00**	**105.00**

वर्तमान अनुमानों के अनुसार इसे पूर्ण करने हेतु 150.00 लाख राशि की आवश्यकता है। राशि उपलब्ध होने पर ही पूर्ण करवाया जा सकेगा।

जयपुर गोविन्द विहार योजना के आवेदकों से वसूला गया रूपान्तरण शुल्क

676. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर वाल्मिकी गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर द्वारा ग्राम गेटोर में जिनेन्द्र नगर योजनान्तर्गत भूखण्डों का आबंटन किया गया था ? यदि हां, तो उक्त योजनान्तर्गत कितने भूखण्डों के पट्टे जारी किए गए ?

(2) क्या यह सही है कि जिनेन्द्र नगर योजनान्तर्गत भूखण्डों का आबंटन न किए जाने पर जयपुर वाल्मिकी गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर द्वारा ग्राम बुद्धसिंहपुरा में गोविन्द विहार योजनान्तर्गत भूंखण्डों का

(श्री बाबूलाल नागर)

आबंटन किया गया ? यदि हां, तो क्या इस हेतु अतिरिक्त राशि की वसूली की गई ?

(3) क्या यह सही है कि गोविन्द विहार योजनान्तर्गत आबंटित पट्टों के आबण्टन पत्रों में एवं समिति के रेकार्ड में भूखण्ड धारकों का नाम अलग-अलग दर्ज है ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता कर्ताओं के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? गोविन्द विहार योजना के भूखण्डधारकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गोविन्द विहार योजना के रूपान्तरण हेतु आवेदकों से रूपान्तरण शुल्क की वसूली भी की गई थी ? यदि हां, तो क्या रूपान्तरण की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो उक्त अवैध वसूली के लिए कौन जिम्मेदार है और सरकार उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर बाल्मिकी गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर द्वारा जिनेन्द्र नगर योजना ग्राम गैटोर का रेकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए यह जानकारी उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जयपुर बाल्मिकी गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर द्वारा गोविन्द विहार योजना ग्राम बुद्धसिंहपुरा का रेकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया है। किन्तु योजना अनुमोदित नहीं है। इसलिये यह बताया जाना सम्भव नहीं है, जिनेन्द्र नगर योजना अन्तर्गत भूखण्डों का आबंटन ना किये जाने पर जयपुर बाल्मिकी गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर द्वारा ग्राम बुद्धसिंहपुरा में गोविन्द विहार योजना अन्तर्गत भूखण्डों का आबंटन किया गया है तथा इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि भी वसूल की गई है अथवा नहीं।

(3) गोविन्द विहार योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं है। समिति द्वारा इस योजना के प्रस्तुत किये गये रिकार्ड में सदस्यता सूची उपलब्ध है, किन्तु गोविन्द विहार योजना अन्तर्गत आबंटित पट्टों

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

आबंटन पत्रों में एवं समिति के रेकार्ड में भूखण्ड धारियों के नाम अलग-अलग दर्ज है अथवा नहीं, इसकी जानकारी उपलब्ध रेकार्ड से नहीं होती है। सूची एवं आबंटन पत्र में अलग-अलग नाम दर्ज होने सम्बन्धी कोई प्रकरण प्रस्तुत नहीं हुआ है। गोविन्द विहार योजना की सदस्यता सूची परिशिष्ट "अ" पर है।

(4) जी नहीं। योजना अनुमोदित नहीं है। अतः जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस योजना में पट्टे जारी नहीं किये गये हैं और ना ही रूपान्तरण शुल्क वसूल किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

कालवाड़ रोड (जयपुर) का निजी खातेदारी भूमि पर स्वीकृत आवासीय योजनाएं

677. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा), श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में कालवाड़ रोड पर निजी खातेदारी जमीन पर गत तीन वर्षों में कौन-कौनसी आवासीय योजनाओं हेतु कितनी-कितनी भूमि पर किस-किस व्यक्ति या संस्थान को मंजूरी प्रदान की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवासीय योजनाओं में किस-किस योजना का ले-आउट प्लान प्राधिकरण द्वारा मंजूर कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया ? योजनावार ले-आउट प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं से किस-किस योजना में धारा 90 बी की कार्यवाही पूरी हो चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन योजनाओं की धारा 90 बी की कार्यवाही हो चुकी है उनके भूखण्डधारियों की सूची भी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में कालवाड़ रोड पर निजी खानेदारी जमीन पर गत तीन वर्षों में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 6 आवासीय योनजाओं को

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

मंजूरी प्रदान की गई है। परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) पूर्ण विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। ले-आउट प्लान की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) सभी 6 योजनाओं की 90 बी की कार्यवाही हो चुकी है। योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) गार्डन रेजीडेन्सी योजना एवं आदर्श विहार योजना के खातेदारों/विकासकर्ताओं द्वारा भूखण्डधारियों की सूची जयपुर विकास प्राधिकरण ने प्रस्तुत नहीं की गई है। शेष 4 योजनाओं के भूखण्डधारियों की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

महात्मा गांधी सर्किल से बजाज नगर मोड़ (जयपुर) के मध्य मार्ग विभाजक

678. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों के मध्य निर्मित डिवाइडर कई स्थानों पर काफी दूरी पर बिना किसी क्रोसिंग के बने हुये हैं ? यदि हां, तो क्या इससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है व विभाग को भी इसकी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि महात्मा गांधी सर्किल से बजाज नगर मोड तक बीच में कोई क्रोसिंग नहीं है ? क्या यह सही है कि इसके मध्य में राजस्थान महाविद्यालय एवं सौम्य मार्ग एकदम आमने-सामने है एवं वहां पर क्रोस भी नहीं है ?

(3) क्या सरकार उक्त स्थान पर एवं अन्य दूसरे स्थानों पर भी जहां पर लम्बी दूरी तक क्रोसिंग नहीं है, कोई क्रोसिंग बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

(श्री भंवरू खान)

(4) क्या यह भी सही है कि जवाहर सर्किल तिराहा जो जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर है, के दोनों और हरियाली से मार्ग विभाजक बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि यह विभाजक तिराहे से काफी पहले समाप्त हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे शीघ्रातिशीघ्र तिराहे के बराबर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि कई मार्गों पर तिराहे पर हरियाली लगाकर मार्ग विभाजक बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि कुछ स्थानों पर हरियाली तिराहे के काफी पहले ही समाप्त हो जाती है जिससे की गाडियां काफी अन्दर तक आकर ओवर टेक या क्रोस करती हैं जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

उत्तर

(1) जीं नहीं। प्राधिकरण द्वारा सड़क के मध्य निर्मित डिवाडर में आवश्यकतानुसार क्रासिंग दिये हुये हैं। इस सम्बन्ध में विभाग को समय-समय पर जो शिकायतें प्राप्त हुई उनका निराकरण यातायात सुरक्षा को मध्य नजर रखते हुये प्राधिकरण द्वारा किया गया है।

(2) जी हां। महात्मा गांधी सर्किल से बजाज नगर तिराहे के बीच डिवाइडर पर कोई क्रासिंग नहीं है तथा राजस्थान महाविद्यालय एवं सौम्य मार्ग लगभग आमने-सामने हैं और वहां पर भी क्रास नहीं है।

(3) जी नहीं। यातायात सुरक्षा को मध्य नजर रखते हुये डिवाइडर पर आवश्यकतानुसार क्रासिंग छोड़े हुये हैं। डिवाइडर पर क्रासिंग की अधिकता दुर्घटना को बढ़ावा देती है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

स्वर्ण जयन्ती पार्क, विद्याधर नगर (जयपुर) में असामाजिक गति-विधियां

679. श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राजकुमार रिणवा)

(1) विद्याधर नगर जयपुर में वर्तमान में कुल कितने पार्क हैं तथा इनका पृथक-पृथक किस-किस स्तर का विकास कार्य किया जा चुका है एवं इनके विकास पर कितनी राशि व्यय की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र स्थित स्वर्ण जयन्ती पार्क तथा चर्च के.सी. ब्लाक स्थित पार्क की वर्तमान में क्या स्थिति है ? क्या यहां सभी विकास कार्य कराए जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा भविष्य में सरकार की क्या योजना है ?

(3) क्या यह सही है कि उचित देखभाल व रख-रखाव के अभाव में उक्त दोनों पार्कों में गंदगी/अतिक्रमण एवं रेलिंग तोड़े जाने के फलस्वरूप असामाजिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं जिनसे स्थानीय जनता को भंयकर कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि स्वर्ण जयन्ती पार्क की बेशकीमती भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण एवं भू-माफियाओं की मिलीभगत से लगातार खुर्द-बुर्द किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विद्याधर नगर, जयपुर में कुल 65 पार्क हैं, इनमें से 17 पार्क पूर्ण रूप से विकसित है, जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। 2 पार्क नगर निगम, जयपुर द्वारा विकसित किये गये हैं,. वं 2 पार्क वहां के निवासियों द्वारा विकसित किये गये हैं। शेष 44 पार्कों में से 27 पार्कों में आंशिक वृक्षारोपण किया हुआ है व शेष 17 पार्क पूर्ण रूप से अविकसित हैं। पार्कों के विकास पर 62.00 लाख रूपयों का व्यय किया गया है। पार्कों के संधारण पर गत पांच वर्षों में 32.02 लाख रूपये व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र स्थित स्वर्ण जयन्ती पार्क तथा चर्च के.सी. ब्लाक स्थित पार्क की वर्तमान में स्थिति ठीक है, वित्तीय संसाधन एवं प्राथमिकता के आधार पर शेष विकास कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं। उपरोक्त पार्क का संधारण कार्य संवेदक द्वारा भली प्रकार से किया जा रहा है एवं किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियां नहीं हैं। पार्क के कुछ स्थानों पर रेलिंग टूटी हुई है, जिसे ठीक करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी नहीं। स्वर्ण जयन्ती पार्क की भूमि में अतिक्रमण होने पर समय-समय पर हटवाये गये हैं। किसी की मिलीभगत से पार्क की भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रकरण जानकारी में नहीं आया है। वर्तमान में स्वर्ण जयन्ती पार्क पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

<u>परिशिष्ट-"अ"</u>

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

विद्याधर नगर क्षेत्र में विकसित पार्कों का विवरण

क्रमांक	पार्क का नाम
1.	विद्याधर नगर सैक्टर 1 पार्क नं. 5
2.	विद्याधर नगर सैक्टर 1 पार्क नं. 6
3.	विद्याधर नगर सैक्टर 1 पार्क नं. 7
4.	विद्याधर नगर सैक्टर 2 पार्क नं. 2
5.	विद्याधर नगर सैक्टर 3 पार्क नं. 1
6.	विद्याधर नगर सैक्टर 4 पार्क नं. 1
7.	विद्याधर नगर सैक्टर 6 पार्क नं. 2
8.	विद्याधर नगर सैक्टर 6 पार्क नं. 11
9.	विद्याधर नगर सैक्टर 7 पार्क नं. 2
10.	विद्याधर नगर सैक्टर 8 पार्क नं. 3
11.	विद्याधर नगर सैक्टर 9 पार्क नं. 1
12.	महाराणा पार्क विद्याधर नगर

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

1	2
13.	विद्याधर नगर सैक्टर नं. 6 (सामुदायिक केन्द्र)
14.	मुरलीपुरा सामुदायिक केन्द्र
15.	विद्याधर नगर सैक्टर नं. 6 पार्क नं. 9
16.	विद्याधर नगर सैक्टर नं. 10 पार्क नं. 1
17.	मेटल कालोनी पार्क

वरिष्ठ उद्यान विज्ञ,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

परिशिष्ट-"ब"

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

गत पांच वर्षों में विद्याधर नगर क्षेत्र में विकसित उद्यानों पर संधारण पर किया गया व्यय :-

क्रमांक	वर्ष	राशि (लाखों में)
1.	1999-2000	8.80
2.	2000-2001	7.90
3.	2001-2002	4.26
4.	2002-2003	5.25
5.	2003-2004	5.75
	योग	32.02

वरिष्ठ उद्यान विज्ञ,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

गंगरार में उप तहसील की स्थापना

680. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(अर्जुन लाल जीनगर)

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र गंगरार के कस्बा बस्सी में सरकार द्वारा गत वर्ष में उप तहसील खोली गई ? यदि हां, तो वह कहां संचालित है व उसमें कितना स्टाफ कार्यरत है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उप तहसील भवन का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो अब कब तक नये भवन का निर्माण करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। जब उप तहसील खोली ही नहीं गई है तो भवन निर्माण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

नायब तहसीलदार, केलवाड़ा (उदयपुर) के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें

681. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केलवाड़ा तहसील में कौन-कौन नायब तहसीलदार पिछले एक वर्ष में कार्यरत थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस नायब तहसीलदार के विरूद्ध अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्राप्त शिकायतों पर किस जांच अधिकारी द्वारा क्या-क्या जांच की गई व जांच रिपोर्ट क्या रहीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप तहसील केलवाड़ा में एक वर्ष की अवधि में निम्न नायब तहसीलदार कार्यरत हैं :-

1- श्री छोटूलाल यादव, 18-1-2003 से 29-2-2004

2- श्री ओमप्रकाश जैन, 1-3-2004 से 21-6-2004

3- श्री कैलाशचन्द शर्मा, 22-6-2004

(राजस्व मंत्री)

(2) उक्त पदस्थापित नायब तहसीलदारों में से केवल मात्र श्री ओमप्रकाश जैन, नायब तहसीलदार के विरूद्ध अनियमितता की एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(3) उक्त शिकायत के सम्बन्ध में अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन) बारां को जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होना अपेक्षित है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-682

(स्थगित)

शिव के जल स्रोतों की भूमि पर अतिक्रमण

683. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शिव में प्राकृतिक जल स्रोत नाडिये, तालाब की भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं ? यदि हां, तो कितना क्षेत्र ऐसा है जहां पर अतिक्रमण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विधान सभा क्षेत्र शिव में अतिक्रमण नहीं होने से अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उप-खण्ड मुख्यालय दीगोद का स्थानान्तरण

684. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दीगोद जिला कोटा में तहसील व उपखण्ड मुख्यालय है व ग्राम की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना से 4247 है ?

(श्री भरत सिंह)

(2) क्या यह सही है कि दीगोद उप-खण्ड का बड़ा गांव सुलतानपुर है जिसकी जनसंख्या वर्ष 200 की जनगणना से 12364 है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम सुलतानपुर दीगोद तहसील क्षेत्र के मध्य बसा हुआ है तथा इस ग्राम में पंचायत समिति मुख्यालय के साथ-साथ सभी विभागों के कार्यालय हैं ? यदि हां, तो किन-किन विभाग के कार्यालय सुलतानपुर में है ?

(4) क्या यह सही है कि उप-खण्ड दीगोद का मुख्यालय यदि दीगोद के स्थान पर सुलतानपुर कर दिया जावे तो इससे समूचे तहसील क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार सुलतानपुर में उप-खण्ड कार्यालय तबदील करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्राम दीगोद की कुल जनसंख्या 4424 है।

(2) जी हां। यह सही है कि दीगोद उपखण्ड सबसे बड़ा गांव सुलतानपुर है जिसकी कुल जनसंख्या जनगणना 2001 के अनुसार 13342 है।

(3) जी हां। इस ग्राम में पंचायत समिति मुख्याल के साथ-साथ अन्य विभागों के कार्यालय यथा सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल छात्र व छात्राऐं, डी.पी.ई.पी., पी.एच.ई.डी. विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, सी.ए.डी. कार्यालय, वन विभाग, कृषि उपज मण्डी, वेयर हाउस, पुलिस थाना, चिकित्सालय, कृषि विस्तार कार्यालय, भूमि विकास बैंक, सेण्ट्रल बैंक आफ इंडिया, हाड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी-मार्केटिंग, ग्राम पंचायत, महिला बाल विकास विभाग, दूरसंचार, सी.डी.पी.ओ. इत्यादि कार्यालय हैं।

(4) वर्तमान में राज्य स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जिला स्तर पर यह प्रकरण परीक्षणाधीन है। तदुपरान्त ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा

प्रदेश के प्रसवोत्तर/मातृ शिशु कल्याण केन्द्र

685. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र और प्रसवोत्तर केन्द्र बड़े पैमाने पर बन्द किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोई भी मातृ शिशु कल्याण केन्द्र को बन्द नहीं किया गया है।

प्रसवोत्तर केन्द्र योजना हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2002-03 से ही अनुदान बन्द कर दिया है। इसी क्रम में विभाग ने दिनांक 24-3-2004 को आदेश जारी कर दिनांक 1-4-2004 से प्रसवोत्तर केन्द्रों को बन्द कर दिया है।

राज्य में जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा

686. डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जनगणना 2001 तक राज्य की विभिन्न पंचायत समितियों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध थी ? विभिन्न पंचायत समितियों की सूचना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराए जाने के लिए उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भारत सरकार के द्वारा निर्धारित ग्रामीण जन संख्या पर आधारित मानदण्डों के अनुरूप खोले जाने का प्रावधान है। सरकार के मानदण्डानुसार सीमित संसाधनों के होते हुए नये संस्थान खोलने हेतु प्रयासरत है लेकिन चिकित्सा सुविधा तो सभी को उपलब्ध है। उक्त निर्धारित मानदण्ड के अनुसार वर्ष 2001 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या पर चिकित्सा संस्थाएं उपलब्ध हैं, उसका विवरण पंचायत

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

समितिवार परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर जिले में चिकित्सकों के रिक्त पद

687. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जालौर में चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत व रिक्त हैं ? पदों का क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला जालौर के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण निम्न प्रकार हैं :-

विधान सभा क्षेत्र का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
जालौर	चिकित्सक संवर्ग	49	19
	अन्य कर्मचारी	312	39
आहौर	चिकित्सक सवर्ग	16	5
	अन्य कर्मचारी	177	16
भीलमाल	चिकित्सक संवर्ग	20	8
	अन्य कर्मचारी	185	40
रानीवाड़ा	चिकित्सक संवर्ग	24	6
	अन्य कर्मचारी	211	39
सांचोर	चिकित्सक संवर्ग	26	8
	अन्य कर्मचारी	179	29

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया हुआ है। स्थगन हटने पर ही पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों को स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

ड्रग कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत गाज एवं बैण्डेज के दर्ज प्रकरण

688. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ड्रग कन्ट्रोल विभाग के अधिकरी समय-समय पर जांच के लिये गाज और बैण्डेज के नमूने उठाते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नमूनों की जांच सरकारी ड्रग लेबोरेट्री में कराई जाती है ? यदि हां, तो गत दस वर्षों में कितने नमूने लिये गये और उनमें कितने मानक और अमानक पाये गये ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अमानक गाज बैण्डेज का उत्पादन और विपणन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या गत पांच वर्षों के दौरान अमानक पाई गई गाज बैण्डेज के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अमानक पाये जाने पर गाज बैण्डेज के उस बैच को नष्ट कर दिया जाता है ? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में किस-किस बैच में कितनी मात्रा में गाज, बैण्डेज नष्ट की गई ?

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(5) क्या यह सही है कि अमानक बैण्डेज के कुछ मामलों में ड्रग कन्ट्रोल एक्ट के तहत अदालतों में मुकदमे दर्ज किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने

उत्तर

(1) जी हां। ड्रग कन्ट्रोल विभाग के अधिकारी समय-समय पर जांच के लिये गाज और बैण्डेज के नमूने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम 1945 के तहत उठाते हैं।

(2) जी हां। उक्त नमूनों की जांच सरकारी ड्रग लेबोरेट्री से करायी जाती है। गत दस वर्षों में कुल गाज बैण्डेज के 426 नमूने लिये गये। 12 मानक एवं 411 अवमानक पाये गये व तीन नमूनों की रिपोर्ट अपेक्षित है :-

वर्ष	मानक	अवमानक
1994-95	-	5
1995-96	-	14
1996-97	1	41
1997-98	-	26
1998-99	-	36
1999-2000	-	100
2000-01	9	76
2001-02	1	19
2002-03	-	82
2003-04	1	12

(3) जी हां। उक्त अधिनियम के तहत अवमानक गाज बैण्डेज का उत्पादन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रावधान है। गत पांच वर्षों में गाज बैण्डेज के सम्बन्ध में कुल 119 अवमानक घोषित बैच के मामलों में संस्थाओं के लाईसेन्स निलम्बित किये गये, 44 अवमानक घोषित बैच के मामलों में संस्थाओं के लाईसेन्स निरस्त किये गये एवं 186 अवमानक घोषित बैच के मामलों में संस्थाओं के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमे प्रस्तुत किये गये।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) जी नहीं, अवमानक पाये जाने पर गाज बैण्डेज के उस बैच को औषधीय उपयोग में नहीं लिया जा सकता। उस बैच को वापिस कराया जाता है। वापिस प्राप्त स्टाक के औषधीय उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली में कोई पाबन्दी नहीं है।

(5) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत बैंडेज के कुल 18 प्रकरण निम्न जिलों के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में दर्ज किये गये जिसमें से 3 प्रकरण राज्य सरकार द्वारा वापिस लिये गये। न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1.	इन्द्रा हथ कर्घा वस्त्र उत्पादन, सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर।	दौसा
2.	ग्रामीण हथ कर्घा वस्त्र उत्पादन, सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर।	दौसा
3.	ग्रामीण हथ कर्घा वस्त्र उत्पादन, सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर।	उदयपुर
4.	खादी परिषद/खादी ग्रामधोग, जयपुर/जोधपुर	उदयपुर
5.	खादी ग्रामोधोग भण्डार (महिला जागृति खादी ग्रामोधोग विकास संस्थान द्वारा संचालित), जयपुर।	हनुमानगढ़
6.	खादी परिषद जोधपुर/खादी ग्रामोधोग भण्डार, जयपुर।	नागौर
7.	(अ) जयपुर जिला बुनकर सहकारी ससिति लिमिटेड, जयपुर।	बाड़मेर
	(ब) इन्द्रा हथ कर्घा वस्त्र उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर।	
8.	खादी परिषद/खादी ग्रामोधोग भंडार, जयपुर/जोधपुर/खाटूश्याम जी।	बारां
9.	खादी परिषद/खादी ग्रामोधोग भंडार, जयपुर/जोधपुर/खाटूश्याम जी।	झालावाड़

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

10.	जयपुर हथ कर्घा वस्त्र उत्पादन सहकारी समिति	कोटा
11.	खादी परिषद जयपुर, खाटूश्यामजी	कोटा
12.	नरेश सर्जिकल, अजमेर	पाली
13.	खादी ग्रामोधोग भंडार, जयपुर	जैसलमेर
14.	महिला जागृति खादी ग्रामोधोग विकास सस्थान, जयपुर।	टोंक
15.	(अ) खादी ग्रामोधोग भण्डार, जयपुर	टोंक
	(ब) एशियन सर्जिक ड्रेसिंग कम्पनी, कांठ	

पीपल्दा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

689. श्री प्रभुलाल (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बे मांगरोल (जिला बारां) के रैफरल चिकित्सालय में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) उक्त स्वीकृत पदों में से पिछले तीन वर्षों में कितने पदों पर चिकित्सक पदस्थापित रहे, उनमें से कितनें चिकित्सक, प्रतिनियुक्ति पर कहां-कहां एवं कितनी अवधि तक कार्यरत रहे तथा कितने पद रिक्त रहे ?

(3) क्या सरकार प्रतिनियुक्ति के कारण व रिक्त चिकित्सकों के पदों के कारण प्रभावित क्षेत्रीय जनता की चिकित्सा सेवाओं में सुधार लाने हेतु रिक्त पदों पर चिकित्सकों का पदस्थापन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? मामले अदालतों में लम्बित हैं और उक्त मामले किनके विरूद्ध हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बे मांगरोल (जिला बारां) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के 7 पद रिक्त हैं जिनका विवरण

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त स्वीकृत पदों में से पिछले तीन वर्षों में जो चिकित्सक पदस्थापित एवं प्रतिनियुक्ति पर रहे उनका विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष 2001-02

डा. शरद पारूथी चिकित्सा अधिकारी 1-4-2002 से 5-6-2002 तक प्रतिनियुक्ति पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां में कार्यरत रहे।

वर्ष 2002-03

डा. शरद पारूथी चिकित्सा अधिकारी 1-2-2003 से 23-5-2003 तक प्रतिनियुक्ति पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां में कार्यरत रहे।

वर्ष 2003-04

1. डा. मोहन लाल जैन, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण (अतिरिक्त कार्य) करने हेतु लगाया गया है। यह दिनांक 15-1-2004 से 15-7-2004 तक कार्यरत रहे हैं।

2. डा. रूचि गोयल, चिकित्सा अधिकारी, संविदा प्रथम नियुक्ति तिथि 1-5-2003 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मांगरोल में पदस्थापित हैं एवं प्रतिनियुक्ति पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बारां में कार्यरत हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मांगरोल में रिक्त रहे पदों की सूचना।

वर्ष	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
2001	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1
	चिकित्सा अधिकारी	2
2002	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्ष	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1
	चिकित्सा अधिकारी	1
2003	चिकित्सा अधिकारी	1

(3) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) का पद रिक्त है जो कि पदोन्नति का है। विभागीय पदोन्नति, समिति की बैठक आयोजित करने पर यह पद भरा जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट-अ

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मांगरोल बांरा में स्वीकृत एवं कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों का विवरण

क्र. सं.	स्थान	संस्था	स्वीकृति पद	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत चिकित्सक का नाम एवं पद	पदभार ग्रहण करने की तिथि
1	मांगरोल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	डा. उमेश कुमार विजय, चिकित्सा अधिकारी	9-2-2003
2	मांगरोल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1	डा. लीला चौबीसा, चिकित्सा अधिकारी	7-7-2004
3	मांगरोल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	रिक्त	
4	मांगरोल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	डा. मोहन चन्द जैन, चिकित्सा अधिकारी	29-7-2000

क्र. सं.	स्थान	संस्था	स्वीकृति पद	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत चिकित्सक का नाम एवं पद	पदभार ग्रहण करने की तिथि
5	मांगरोल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	चिकित्सा अधिकारी	2	डा. हंसराज सुमन, विकित्सा अधिकारी	9.7.04
					डा. दिलीप गोयल, चिकित्सा अधिकारी	22.10.02
6	मांगरोल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (एम.सी.डब्लयू. सी.)	चिकित्सा अधिकारी (एफ)	1	डा. रूचि गोयल, संविदा पर	1.5.03

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नेत्र चिकित्सकों की नियुक्ति

690. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में सरकार ने लाखों रूपये खर्च कर नेत्र चिकित्सा यूनिट सी.एच.सी. सेन्टरों पर खुलवाये थे। यदि हां, तो कितने ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा नेत्र चिकित्सा विशेषज्ञों की नेत्र चिकित्सा केन्द्रों पर नियुक्ति नहीं की गई ?

(3) क्या सरकार सी.एच.सी. सेन्टरों पर नेत्र चिकित्सा विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय अन्धता नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत केटरेक्ट ब्लाईडनेस कन्ट्रोल प्रोजेक्ट में विश्व बैंक की सहायता से पूर्व से स्वीकृत 44

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आपरेशन थियेटर एवं 20 बैड्स के आईवार्ड का निर्माण कार्य करवाया गया और उन चिकित्सा संस्थानों पर नेत्र आपरेशन से सम्बन्धित उपकरण भी उपलब्ध करवाये गये। चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त 44 केन्द्रों में से 39 केन्द्रों पर नेत्र विशेषज्ञों के पद सृजित है एवं शेष 5 केन्द्रों में नेत्र विशेषज्ञ के पद सृजित नहीं है। इन 39 केन्द्रों में से 33 स्थानों पर नेत्र विशेषज्ञों का पदस्थापन किया जा चुका है तथा 6 स्थानों में पदस्थापन नेत्र विशेषज्ञ उपलब्ध होने पर कर दिये जायेंगे।

(3) जिन 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नेत्र विशेषज्ञों के पद स्वीकृत नहीं हैं उनमें राज्य योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर नेत्र विशेषज्ञों के पद स्वीकृत करवाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

<u>परिशिष्ट-"अ"</u>

चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम जिनमें आपरेशन थियेटर एवं आई वार्ड का निर्माण कार्य करवाया गया है

जिले का नाम		चिकित्सा संस्थान का नाम
अलवर	1.	बहरोड
भरतपुर	2.	भरतपुर
धौलपुर	3.	धौलपुर
झुन्झुनू	4.	झुन्झुनू
सीकर	5.	सीकर
बांरा	6.	छबडा
टोंक	7.	टोंक
	8.	निवाई

जिले का नाम		चिकित्सा संस्थान का नाम
बून्दी	9.	बून्दी
झालावाड़	10.	झालावाड़
जोधपुर	11.	बिलाड़ा
	12.	फलौदी
पाली	13.	सोजतसिटी
नागौर	14.	नागौर
	15.	कुचामनसिटी
बाडमेर	16.	बाडमेर
	17.	बालोतरा
जालौर	18.	आहोर
जैसलमेर	19.	जैसलमेर
	20.	पोकरण
उदयपुर	21.	भीण्डर
	22.	सलूम्बर
चितौडगढ	23.	भोपालसागर
	24.	प्रतापगढ
राजसमन्द	25.	भीम
बांसवाडा	26.	बांसवाडा
भीलवाडा	27.	भीलवाडा
	28.	गुलाबपुरा
डूंगरपुर	29.	डूंगरपुर

जिले का नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
	30. सागवाड़ा
बीकानेर	31. नोखा
हनुमानगढ	32. हनुमानगढ
	33. भादरा
श्री गंगानगर	34 श्रीगंगानगर
	35. सादूलशहर
चूरू	36. चूरू
	37. रतनगढ
जयपुर	38. कोटपूतली
	39. विराटनगर
अजमेर	40. ब्यावर
	41. नसीराबाद
	42. किशनगढ़
करौली	43. हिण्डौनसिटी
सवाईमाधोपुर	44. सवाईमाधोपुर

महर्षि रमण राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय, जयपुर में अनियमितताएं

691. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलुम्बर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालयों में चिकित्सा उपकरण व अन्य सामग्री क्रय करने के लिये निविदाएं आमन्त्रित किए जाने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाता है ? यदि हां,

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

तो किस स्तर के कौन-कौन से समाचार पत्र अधिकृत किए गए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि महिर्ष रमण राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय बनीपार्क, जयपुर में वित्तीय वर्ष 2003-04 व 2004-05 में इस प्रकार कि कोई निविदाएं आमन्त्रित कर सामान्य क्रय किया गया है ? यदि हां, तो इनका किन-किन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ ? प्रकाशनों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि यह सामान क्रय करने के लिए कोई समिति का गठन किया गया है ? यदि हाँ, तो समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि समिति के सदस्यों की बिना राय के भी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा घटिया श्रेणी के उपकरण व सामान क्रय किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा ऐसे प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय में उपकरण एवं सामान क्रय करने हेतु निविदाएं आमन्त्रित करने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से निविदा सूचना का प्रकाशन किया जाता है। जन सम्पर्क विभाग के द्वारा अधिकृत समाचार पत्रों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2003-04 में निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई तथा न ही कोई सामान क्रय किया गया। वित्तीय 2004-05 में निविदाएं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से आमन्त्रित कर क्रय करने की प्रक्रिया चल रही है जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र प्रात:काल एवं राजस्थान लीडर में किया गया। प्रकाशनों की प्रति परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। क्रय समिति के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है :-

1.	डा. बी.एस. बाबेल	वरिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	अध्यक्ष

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

2.	डा. वाई.एस. खन्ना	कनिष्ठ विशेषज्ञ (एनेथिशिया)	सदस्य
3.	डा. सुषमा लाला	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु)	सदस्य
4.	डा. विश्वास गुप्ता	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	सदस्य
5.	श्री गोपाल लाल यादव	कनिष्ठ लेखाकार	सदस्य

(4) क्रय समिति के सदस्यों की राय एवं सहमति कि बिना सामान व उपकरण प्रभारी अधिकारी द्वारा क्रय नहीं किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

वजीरपुर (टोंक) के काश्तकार की प्लास्टिक सर्जरी प्रकरण

692. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारजी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के बर्न यूनिट में दिनांक 21 जून, 2001 को टोंक से रेफर एक काश्तकार निवासी वजीरपुरा, तहसील टोंक को भर्ती किया गया था ? यदि हां, तो उक्त काश्तकार को कब से कब तक भर्ती रखा गया तथा किस-किस प्रकार की जांच करवाई गई और क्या-क्या इलाज दिया गया ? जांच के निर्णय एवं भर्ती टिकिट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि करन्ट लगने के कारण उसके पैर की अंगुलियों का आपरेशन करके काटा गया था ? यदि हां, तो किस तिथि को ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति को दिनांक 2 अगस्त, 2001 को प्लास्टिक सर्जरी हेतु बर्न यूनिट में भर्ती किया गया था ? यदि हां, तो भर्ती करने के पश्चात् कौन-कौनसी जांच करवाई गई ? जांच रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त व्यक्ति की प्लास्टिक सर्जरी नहीं की गई थी ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सवाई मानसिंह चिकित्सालय की बर्न यूनिट (द्वितीय) में दिनांक 21-6-2001 को काश्तकार श्री रतन लाल पुत्र गंगाराम, निवासी वजीरपुरा, जिला टोंक को भर्ती किया गया था। मरीज श्री रतनलाल को 21-6-2001 से 10-7-2001 तक भर्ती रखा गया। मरीज का बर्न चार्ट, ई.सी.जी., हीमोग्लोबिन, टी.एल.सी. इत्यादि जांच करवाकर उसका इलाज किया गया। जांच का निर्णय एवं भर्ती टिकट संलग्न है (परिशिष्ट-1)।

(2) बिजली के करन्ट लगने के कारण मरीज के पैर की अंगुलियों में गेंगरीन हो गई थी, उसका आपरेशन दिनांक 1-7-2001 को किया गया।

(3) जी हां। यह सही है कि उक्त मरीज को दिनांक 2-8-2001 को बर्न यूनिट (द्वितीय) में पुनः भर्ती किया गया। ब्लड की जांच करने पर उसे डायबिटीज से ग्रस्त होना पाया गया। डायबिटीज के इलाज के लिए मरीज को स्पेशलिस्ट डा. संदीप माथुर को दिखाया गया। जांच रिपोर्ट संलग्न है (परिशिष्ट-2)।

(4) मरीज की प्लास्टिक सर्जरी नहीं की गई क्योंकि उस समय ब्लड शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा थी। ऐसी स्थिति में मरीज का आपरेशन करना उसके हित में नहीं होता है। उसे दिनांक 7-8-2001 को विभाग से छुट्टी देकर ब्लड शुगर कन्ट्रोल करके वापिस प्लास्टिक सर्जरी के लिए आने की सलाह दी गई थी। भर्ती टिकट संलग्न है (परिशिष्ट-3)।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना की क्षतिग्रस्त सड़क का डामरीकरण

693. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के अन्तर्गत कितने किलोमीटर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर तथा कितनी किलोमीटर सड़क राज्य मार्ग स्तर

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

तथा कितने किलोमीटर सड़क मुख्य जिला स्तर की है ? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डेगाना जंक्शन पर राज्य मार्ग संख्या 18 लगभग 2 किलोमीटर लम्बाई में पूर्णतया क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षतिग्रस्त भाग का पुनः डामरीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले के विधान सभा क्षेत्र डेगाना की सीमा में 29 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर की 95 किमी. राज्य मार्ग स्तर की एवं 53 किमी. मुख्य जिला स्तर की सड़कें निर्मित हैं। श्रेणीवार सड़कों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(2) जी हां, राज्य मार्ग सं. 18 के किमी. 66/0 से 68/0 का भाग डेगाना कस्बे के अन्दर से गुजरता है।

क्षतिग्रस्त भाग को पुनः डामरीकरण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-"अ"

जिला नागौर

क्र. सं.	सड़क की श्रेणी	सड़क का नाम	डेगाना विधान सभा क्षेत्र में आने वाली सड़कों की कुल लम्बाई
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग	अजमेर-बाड़ीघाटी-थांवला-मेड़ता नागौर-बीकानेर सड़क (वाया टेहला) रा.उ.मार्ग सं. 89	किमी. 21/0 से 50/0 = 29.00 किमी.
			योग : 29.0 किमी.

क्र. सं.	सड़क की श्रेणी	सड़क का नाम	डेगाना विधान सभा क्षेत्र में आने वाली सड़कों की कुल लम्बाई
2.	राज्य राज मार्ग	1. बाड़ीघाटी-डेगाना-डीडवाना सड़क राज्य राज मार्ग सं. 18	किमी. 26/0 से 90/0 = 64.00 किमी.
		2. दांतीवाड़ा-पीपाड़ सिटी-मेड़ता परबतसर सड़क राज्य राजमार्ग संख्या 21-ए	किमी. 123/0 से 145/0 = 22.00 किमी.
		3. नसीराबाद-परियां-पादू-सड़क राज्य राजमार्ग संख्या 18	किमी. 18/0 से 27/0 = 9.00 किमी.
			योग : 95.00 किमी.
3.	मुख्य जिला सड़कें	1. जैतारण-मेड़ता-डेगाना सड़क मुख्य जिला सड़क सं. 24	किमी. 22/0 से 46/0 = 24.00 किमी.
		2. डेगाना-खादू सड़क मुख्य जिला सड़क सं. 68	किमी. 0/0 से 29/0 = 29.00 किमी.
			योग : 53.00 किमी.

सलूम्बर की अपूर्ण सड़कें

694. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

2003-04 में कुल कितनी नवीन सड़कें मरम्मत के लिये स्वीकृत हुई ? इनमें से अब तक कितनी सड़कों पर कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितना बकाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की अपूर्ण सड़कों को पूरा करने एवं नई सड़कें स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कौन-कौनसी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सलूम्बर से के सरियाजी (ऋषभदेव) वाया कल्याणपुर सड़क की मरम्मत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2003-2004 में कोई नवीन सड़कें मरम्मत के लिये स्वीकृत नहीं हुई हैं।

(2) जी नहीं, विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कोई भी अपूर्ण सड़के नहीं है। जी हां, विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें स्वीकृति हेतु प्रस्तावित हैं उनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में सड़क की हालत अच्छी है इसके उपरान्त भी सड़क के ऊपर पैच भविष्य में हो जाते है तो यथासम्भव समय-समय पर मरम्मत करा दिये जावेंगे।

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित सड़कों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	जनसंख्या (2001)	लम्बाई (किमी.)
1.	मानपुरा "अ"	2801	3.00

क्र.सं.	गांव का नाम	जनसंख्या (2001)	लम्बाई (किमी.)
2.	खेड़ाव	996	4.80
3.	पानी कोटड़ा	972	2.00
4.	चिंबुदा	941	1.15
5.	रामज	955	2.00
6.	बारां	804	3.05
7.	बास	867	1.38
8.	कानपुरा	863	2.80
9.	आवरा	846	4.00

ढूंढिया-उदारखेडा (उदयपुर) सड़क का डामरीकरण

695. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ढूंढिया, तहसील मावली जो एक तीर्थ स्थल है से उदारखेड़ा तक डामरीकृत सड़क बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि मावली तहसील के पलानाकलां से भानसोल तक कच्ची सड़क बनी हुई है ? यदि हां, तो इसे डामरीकृत कब तक कर दिया जावेगा ?

(3) सरकार सिन्दू, तहसील मावली से भानसोल तक की सड़क कब तक डामरीकृत करवाने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार सांकरोदा, तहसील मावली से भुंगाना, तहसील नाथद्वारा तक गिट्टी रोड़ बनी हुई है ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक डामरीकृत करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बढ़गांव से ढूंढिया तक बची सड़क बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां। राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(3) ग्राम सिन्धु एवं भानसोल डामर सड़क से जुड़े हुए हैं एवं दोनों ग्राम के मध्य माण्डूथल जिसकी जनसंख्या 883 है जो सिन्धु सड़क से माण्डूथल तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत है एवं निर्माणाधीन है माण्डूथल से थानसोल के बीच सड़क निर्माण राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(4) सांकरोदा से मुगाणा तक अकाल राहत में सड़क बनी हुई है। इसका डामरीकरण राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

अजमेर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग

696. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला अजमेर में नये राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार में है।

(2) जी हां, अजमेर जिले से होकर गुजरने वाली नसीराबाद-देवली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करवाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित किये जा चुके हैं जिसका विवरण परिशिष्ट (क) पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया

697. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्रीं यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभाग में वर्तमान में कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने-कितने व कहां-कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों को भरने की सरकार की क्या योजना हैं ? क्या इन पदों पर नियुक्ति हेतु नियम/शर्तों/प्रक्रिया बनाई हुई है ? यदि हां; तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई बदलाव करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो नये नियमों/प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर देगी ?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 300, कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के 32, एवं कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के 4 पद रिक्त उपलब्ध हैं। ये पद समस्त राजस्थान में रिक्त हैं। सूची परिशिष्ट '6क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। रिक्तियों का निर्धारण कर लिया गया है। इन पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन व पथ ब्रान्च) सेवा नियम, 1973 के तहत निर्धारित नियम/प्रक्रिया आदि बनायी हुई है। (नियमों की प्रति संलग्न है)

(3) जी नहीं।

(4) पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण हो जावेगी पदों को भर दिया जावेगा।

परिशिष्ट "क"

सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) के उपलब्ध रिक्त पदों का संभागवार विवरण

क्र. सं.	सम्भाग का नाम	रिक्तियों की संख्या सिविल	यांत्रिक	विद्युत
1	सम्भाग- प्रथम, जयपुर	25	3	1
2	सम्भाग- द्वितीय,जयपुर	17	5	-
3	सम्भाग- अजमेर	44	1	1
4	सम्भाग- जोधपुर	77	11	-
5	सम्भाग - उदयपुर	55	4	2
6	सम्भाग- कोटा	48	2	-
7	सम्भाग- बीकानेर	34	6	-
	योग :	300	32	4

THE RAJASTHAN SUBORDINATE ENGINEERING (BUILDING & ROAD BRANCH) SERVICE RULES, 1973

April ever year, the actual number of vacancies occuring during the financial year .

(b) Where a post is to be filled in by a single method prescribed in the rule or Schedule, the vacancies so determined shall be filled in by that method.

(c) Where a post is to be filled in by more than are method as

prescribed in the rules or schedule, the apportionment of vacancies. determined under clause (a) above, to each such method shall be done maintaining the prescribed proportion for the over-all number of posts already filled in. If any fraction of vacancies is left over, after apportionment of the vacancies in the quota of various methods prescribed in a continuous cyclic order giving precedence to the promotion quota.

(2) The Appointing Authority shall also determine the vacancies of earlier years yearwise which were required to be filled in by promotion . if such vacancies were not determined and filled earlier in the year in which they were required to be filled in."

PART-IV PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT

16. Inviting of applications-Applications for direct recruitment to posts in the service shall be invited by the Commission or the Appointing Authority within whose purview the post lies, by advertising the vacancies to be filled in the official Gazette or in such other manner, as may be deemed fit :

Provided that while selecting candidate for the vacancies so advertised the Commission or the Appointing Authority may if intimation of additional requirement not exceeding 50% of the advertised vacancies is received by them before selection, also select suitable persons to meet such additional requirement.

17. Form of application - The application shall be made in the form approved by the Commission or the Appointing Authority, as the case may be, and obtainable from the Secretary to the Commission or from the office of the Appointing Authority, as the case may be. on payment of such fee as the Commission or the Appointing Authority from time to time fix

मालवाड़ा-जसवन्तपुरा-भीनमाल सड़क का डामरीकरण

698. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मालवाड़ा से जसवन्तपुरा व जसवन्तपुरा से भीनमाल सड़क टूटी हुई है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इस सड़क पर पुनः डामरीकरण करवाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही-है कि मालपुरा से राजपुरा सड़क पर श्री सुधा माता जी का स्थान हुआ है ? क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस सड़क का पुनः डामरीकरण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) एक सड़क बनाने के बाद पुनः कितने वर्षों बाद उसका डामरीकरण किया जाता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मालवाड़ा से जसवन्तपुरा सड़क के 16 किमी. एवं जसवन्तपुरा से भीलमाल के 22 किमी. वर्तमान में पेच रिपेयर द्वारा मरम्मत किये गये है। इनके नवीनीकरण के प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) जी हां। यह सही है कि मालवाड़ा से राजपुरा सड़क पर श्री सुधामाताजी का स्थान आया हुआ है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस सड़क के पुनः डामरीकरण कराने का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(3) यह अवधि विभिन्न सड़कों की श्रेणी के लिये अलग-अलग निर्धारित है जो इस प्रकार है :-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग - 4 वर्ष पश्चात्
2. शहरी सड़कें - 4 से 5 वर्ष पश्चात्
3. राज्य राजमार्ग - 6 से 8 वर्ष पश्चात्
4. मुख्य जिला सड़कें - 8 से 10 वर्ष पश्चात्
5. अन्य जिला सड़कें व ग्रामीण सड़कें 12 वर्ष पश्चात्

गांधीनगर (जयपुर) के राजकीय आवासों में निर्माण/ मरम्मत कार्य

699. **श्री नवरतन राजोरिया** (फूलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गांधीनगर स्थित एक टाइप के राजकीय आवास में दिनांक 1 जुलाई, 2003 से 30 जून, 2004 तक किस-किस आवास में क्या-क्या निर्माण अथवा मरम्मत कार्य कराये गये ? निर्माण/मरम्मत कार्य एवं व्यय राशि का आवास सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिन आवासों में कार्य कराया गया उन आवासों के अतिरिक्त क्या अन्य आवासों में रहने वाले कर्मचारियों ने कभी लिखित अथवा मौखिक रूप से निर्माण या मरम्मत कार्य के लिए सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता से अनुरोध किया है ? यदि हां, तो किन-किन ने कब-कब ? विवरण एवं उक्त अवधि में शिकायत पुस्तिका में दर्ज शिकायतों का विवरण व लिखित शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त आवासों में किये जाने वाले निर्माण/मरम्मत कार्यों में सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा जो भेदभाव/पक्षपात किया जाता है उसकी उच्चाधिकारियों ने जांच की है ? यदि हां, तो कब और उसकी क्या रिपोर्ट है ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उच्चाधिकारियों ने इस तथ्य की जांच करायी है कि इन आवासों में किये गये कार्य आवश्यक प्रकृति के थे अथवा नहीं ? यदि हां, तो जांच कब तक करायी और यदि नहीं, तो क्या अब जांच कराने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) जिन आवासों में उनमें रहने वाले कर्मचारियों के अनुरोध के बावजूद कार्य नहीं कराया गया उन आवासों के बारे में क्या यह निरीक्षण किया गया कि उन कर्मचारियों द्वारा बताया गया कार्य आवश्यक था या नहीं ? यदि हां, तो कब-कब और यदि नहीं, तो क्या अब इस तथ्य की जांच की जाएगी ?

उत्तर

(1) गांधी नगर स्थित एफ टाइप के राजकीय आवासों में दिनांक 1-7-2003 से 30-6-2004 तक कराये गये निर्माण मरम्मत कार्य एवं व्यय आवास सहित परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां। अनुरोध किया। जिन-जिन आवासियों ने जब-जब अनुरोध किया उनकी शिकायतों का विवरण व लिखित शिकायतों की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त आवासों में निर्माण/मरम्मत कार्यों में सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कोई भेदभाव पक्षपात नहीं किया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है।

(4) जी हां, उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर आवासों का निरीक्षण किया जाता रहा है एवं निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का निस्तारण समय-समय पर बजट की उपलब्धता एवं कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किया जाता रहा है।

(5) आवासों में रहने वाले कर्मचारियों के अनुरोध पर कार्य नहीं करवाया गया के सम्बन्ध में समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार निरीक्षण किया जाता रहा है एवं मौके पर निरीक्षण के दौरान आवश्यक मरम्मत प्रकृति के कार्य करवाने हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित करने के पश्चात् कार्य करवाये जाते रहे हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

टोडाभीम की सड़कों की मरम्मत

700. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के धवान-धौलेट से हिण्डौन व तिमावा से नांगल शेरपुर तक की सड़क जगह-जगह क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम के हिण्डौन से धवान धौलेटा होते हुए तिमावा तक की सड़क (कुल लम्बाई 32.5 किलोमीटर) में 2 किलोमीटर लम्बाई की सडक क्षतिग्रस्त है। उक्त 32.5 किलोमीटर में से आर.यू.पी. योजना के अन्तर्गत हिण्डौन से नांगल शेरपुर (17 किमी.) तक पुनः डामरीकरण किया जा चुका है। 2 किमी. लम्बाई की क्षतिग्रस्त सड़क जो कि वर्तमान में मेटल सड़क है को छोड़कर शेष लम्बाई में समय-समय पर डामर द्वारा पेच मरम्मत कार्य किया जाता है। शेष 2 किलोमीटर का डब्ल्यू.बी.एम. से डामरीकरण व 13.50 किमी. (नांगलशेरपुर से तिमावा) का पुनः डामरीकरण किया जाना राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

डिप्लोमा/डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं का पदोन्नति प्रकरण

701. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदोन्नति सम्बन्धी क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग में कौन-कौन से वर्ष तक के डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति कब-कब हो चुकी है ? वर्षवार सूची कनिष्ठ अभियन्ताओं के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ता कम तकनीकी शिक्षा प्राप्त डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं से पदोन्नति के मामले में पीछे रह गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार पदोन्नति के मामले में दोनों प्रकार के कनिष्ठ अभियन्ताओं के साथ समानता का व्यवहार करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति राजस्थान अभियान्त्रिकी सेवायें (भवन व पथ शाखा) नियम, 1954 के प्रावधानानुसार की जाती है। उपरोक्त नियमों के प्रावधानानुसार सहायक अभियन्ताओं के कुल काड़र स्ट्रेन्थ में से 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से एवं 50 प्रतिशत कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति से भरे जाते हैं। 50 प्रतिशत पद पदोन्नति में से 30 प्रतिशत डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं 20 प्रतिशत डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमाधारी) जिनकी नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर वर्ष 1974, 1978, 1979, 1980 एवं 1982 में हुई है जिनकी पदोन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर वर्ष 2002-03 में उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्व वरिष्ठता-सह योग्यता एवं योग्यता के आधार पर की गई है। वर्ष 1980 में नियुक्त 20 एवं वर्ष 1982 में नियुक्त 93 कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमाधारियों) अभी भी कनिष्ठ अभियन्ता के पदों पर कार्यरत है। पदोन्नत अभियन्ताओं की सूची परिशिष्ट "ब" पर दर्शायी गई है।

कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी) सामान्य वर्ग जिनकी कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर वर्ष 1982 में एवं अनुसूचित जाति/जनजाति जिनकी नियुक्ति वर्ष 1995 तथा 1996 में हुई है की पदोन्नति वर्ष 2003-04 में उपलब्ध सहायक अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 1982 में नियुक्त 35 कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारियों) को नियमित पदोन्नति देना शेष है। 35 डिग्रीधारियों में से 23 डिग्रीधारी सहायक अभियन्ता के पद पर रिक्त रिव्यू एवं रिवीजन के आधार पर कार्यरत है एवं शेष 12 डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर कार्यरत है। पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं की सूची परिशिष्ट "स" पर दर्शायी गई है।

(3) जी हां। नियमानुसार सहायक अभियन्ता के पद पर 30 प्रतिशत पद कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमा) एवं 20 प्रतिशत पद कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी) से पदोन्नति से भरने का प्रावधान है। चूंकि सहायक अभियन्ता (डिप्लोमा) सेवानिवृत्त अधिक संख्या में हो रहे हैं। अतः सेवानिवृत्ति से उपलब्ध

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

रिक्त पदों को कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमाधारी) से भरने के नियम है जब कि सहायक अभियन्ता (डिग्रीधारी) की सेवानिवृत्ति जल्दी नहीं हो रही है इसलिये कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारियों) की पदोन्नति शीघ्र नहीं हो पा रही है।

(4) राजस्थान अभियान्त्रिकी सेवाऐं (भवन व पथ शाखा) नियमन 1954 में यह प्रावधान है कि सहायक अभियन्ता के पद पर 30 प्रतिशत पद कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमा) एवं 20 प्रतिशत पद कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी) से पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे।

कोटपूतली की मिसिंग लिंक सड़कें

702. **श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में मिसिंग लिंक की कुल कितनी सड़कें बाकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मिसिंग लिंक की सड़कों के कारण वर्षा के दिनों में पंचायतों के लिए आवागमन अवरूद्ध हो जाता है ? सरकार उक्त पंचायतों के लिए आवागमन निर्बाध रूप से चालू रखने के लिए क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में मिसिंग लिंक की 9 सड़कें बाकी हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) मिसिंग लिंक की सड़कों पर पुलिया न होने के कारण वर्षा के दिनों में 7 ग्राम पंचायतों के लिये आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। मिसिंग लिंको का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में बाकी मिसिंग लिंक सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम
1.	दातिल से तालवा
2.	एन.एच. 8 से भूरी भड़ान (ललाना मोड़)
3.	सम्पर्क सड़क पंडितपुरा
4.	सम्पर्क सड़क करोली
5.	चौटिया से देवता रोड़ वाया बनेठी
6.	पावटा से नारेड़ा
7.	प्रागपुरा से पाछुड़ाला
8.	पाछड़ाला रोड़ से टोरड़ा ब्राह्मण
9.	विराटनगर से पावटा

दानपुर के ग्रामों में सड़क निर्माण

703. **श्री अर्जुन सिंह (दानपुर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र दानपुर के ग्रामों में जो 1000 या इससे अधिक आबादी के हैं, को प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां। दानपुर विधान सभा क्षेत्र में 1000 या उससे अधिक की आबादी के कुल 101 गांव है उनमें से 87 गांव डामर की सड़क से जुडे हुये हैं एवं 7 गांव को जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रगति पर है तथा शेष 7 गांव मेटल सड़क पर है, जिनको 500 व अधिक की जनसंख्या के ऐसे गांव जो किसी भी तरह की सड़क से नहीं जुडे है उनको इस योजना के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

अन्तर्गत बारहमासी सड़कों से जोड़ने के पश्चात्, उन्नयन के लिये प्रस्तावित किया जायेगा।

भीम के ग्राम चतरपुरा खेड़ी में सड़क निर्माण

704. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चतरपुरा खेड़ी का खेड़ाग्राम को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत जोड़ने का प्रस्ताव पारित हुआ है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य पूर्ण नहीं करवाने में ठेकेदार दोषी है यदि हां, तो उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि खेड़ी का खेड़ा ग्राम (1427) मेटल सड़क से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सड़क से नहीं जुड़े हुये 500 एवं अधिक जनसंख्या के गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है। उसके पश्चात् इस प्रकार के गांवों को प्रस्तावित करने का प्रावधान है।

(2) जी हां। खेड़ी का खेड़ा (1427) से रतनपुरा (जिला राजसमन्द) सीमा तक की दूरी 3 किमी. मेटल सड़क की है तथा खेड़ी का खेड़ा से शेखावास तक 6 किमी. दूरी भी मेटल सड़क की है। विधायक मद में खेड़ी का खेड़ा से रतनपुरा के बीच 1 किमी. के लिये डामरीकरण हेतु जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा रूपये 3.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 6-10-2003 को जारी की गई थी। ठेकेदार श्री जगदीश चन्द्र जाट द्वारा 850 मीटर लम्बाई में ही डामरीकरण किया गया शेष 150 मीटर लम्बाई में समय से पूर्व डामरीकरण नहीं करने पर शास्ती रूपये 8757/- रूपये लगाई गई है शेष डामरीकरण का कार्य शीघ्र करा दिया जायेगा।

राजसमन्द की तहसील रेलमगरा की डामर विहीन सड़कें

705. श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की तहसील रेलमगरा में अकाल राहत एवं अन्य मदों के तहत कौन-कौनसी ग्रेवल एवं डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत डामरीकरण हेतु स्वीकृत होने से वंचित रह गई ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब उक्त वंचित रही सड़कों को अन्य मद के तहत डामरीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस मद के अन्तर्गत एवं कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की तहसील रेलमगरा में अकाल राहत एवं अन्य मदों के तहत ग्रेवल एवं डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत डामरीकरण की स्वीकृति से वंचित रह गई हैं कि सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। परिशिष्ट "अ" पर दर्शायी गई क्र.सं. 1 से 6 तक की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जनसंख्या वरीयता के आधार पर सन् 2007 तक प्रस्तावित की जावेगी तथा क्र.सं. 7 से 11 तक की सड़कें 500 व इससे अधिक जनसंख्या के गांव जो किसी भी प्रकार की सड़क से नहीं जुड़े हैं, कि स्वीकृति के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित किये जावेंगे। क्र.सं. 12 से 20 तक की सड़कों को राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर प्रस्तावित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "अ"

राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र की तहसील रेलमगरा में अकाल राहत एवं अन्य मद में निर्मित मेटल एवं ग्रेवल (अनसर्टब्लाईज्ड सोईल) सड़कों की सूची

क्र. सं.	सडक का नाम	जुडने वाले गांव	वर्तमान स्थिति		राशि	विशेष विवरण
			मेटल	ग्रेवल अनसर्टब्लाईज्ड सोईल		
1	सम्पर्क सडक छापरी	छापरी (738)	_	2.00	24.00	जनसंख्या की वरीयता के आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना में प्रस्तावित किया जायेगा।
2	सर्म्पक सडक कारोलिया	कारोलिया (621)	_	0.75	12.00	-"-
3	सर्म्पक सडक छतरी खेडा	छतरीखेडा (556)	_	2.00	24.00	-"-
4	जूण्दा से जूण्दाखेडी	जुणदा खेडी (542)	1.00	2.00	32.00	-"-

1	2	3	4	5	6	7
5	सम्पर्क सडक लढिया खेडी	लढिया खेडी (537)	_	1.00	12.00	-"-
6	माली खेडा से अमरापुरा	अमरपुरा (529) मक्कन पुरिया (297) शिवपुरा (330)	2.5	6.00	92.00	-"-
7	रेलमगरा से भराई	भराई (1035)	4.00		40.00	500 व इससे अधिक जनसंख्या के गांव जो किसी भी प्रकार की सडक से नहीं जुडे हैं कि स्वीकृति के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना में प्रस्तावित किया जा सकेगा ।
8	सम्पर्क सडक मठ	मठ(997)	2.00		16.00	-"-

1	2	3	4	5	6	7
9	धनेरिया से चावण्डिया	चावण्डिया (841)	3.00		24.00	-"-
10	रेलमगरा से सिन्देसर खुर्द	सिन्देसर खुर्द (773)	3.75		30.00	-"-
11	रेलमगरा से जिवाखेडा	जिवाखेडा (672)	2.00		16.00	-"-
12	खण्डेल से बगतपुरा	बगतपुरा (446)	5.00		40.00	500 से कम जनसंख्या होने के कारण वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता ।
13	सम्पर्क सडक मेधाखेडा	मेधा खेडा (369)	0.50		4.00	-"-
14	कोटडी से पिपावास	पिपावास (483)	4.00		32.00	-"-

1	2	3	4	5	6	7
15	सम्पर्क सडक सरवरिया खेडी	सरवरियाखेडी (335)		1.00	12.00	-"-
16	दौलतपुरा से रामपुरिया	दौलतपुरिया (412)		1.50	18.00	-"-
17	लापस्या से तारो का खेडा	तारों का खेडा (228)		2.00	24.00	-"-
18	सम्पर्क सडक मालीखेडा	मालीखेडा (270)		1.00	12.00	-"-
19	जूणदा से दौलतपुरिया	दौलतपुरिया (412)		3.00	36.00	-"-
20	बेटूम्बी से गणेशपुरा	गणेशपुरा (330)		4.00	48.00	-"-

मौरोली (धौलपुर) ग्राम में चम्बल नदी पर एनीकट निर्माण

706. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मौरोली तहसील व जिला धौलपुर में फतेहसिंह एवं उदयभान के मकान के पीछे तथा ग्राम मौरोली के भीकापुरा के पास मुख्य सड़क पर चम्बल नदी से सड़क तक कटाव हो जाने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ?

(श्री बनवारी लाल)

(2) क्या यह भी सही है कि सड़क कटने की स्थिति में ग्राम मौरोली तथा भीकापुरा टापू बन जाएगा ? यदि हां, तो सरकार इस कटाव को रोकने के लिए प्रोटेक्सन वाल का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्थान पर सड़क के साथ-साथ पत्थरों की पिचिंग व नाली बनाना अतिआवश्यक है ? यदि हां, तो सरकार उक्त कार्य को कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त सड़क के नीचे एनीकट निर्माण कराने का विचार रखती है जिससे सड़क कटाव को रोका जा सके ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह सही है कि मौरोली ग्राम मुख्य सड़क पर सड़क नीचे होने के कारण पानी का भराव हो जाने से डामर की सड़क उखड़ जाती है ? जिससे आवागमन में बहुत असुविधा होती है ?

(6) क्या सरकार इसका कोई स्थाई हल निकालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। वर्षाकाल में बरसात का पानी आने से कटाव बन जाता है लेकिन वर्षा उपरान्त पानी निकलने के बाद आवागमन चालू रहता है। प्रोटेक्शन वाल का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(3) जी हां। यह कार्य राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। बरसात का पानी बह जाने के बाद आवागमन चालू कर दिया जाता है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(6) जी हां। यह कार्य राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

चन्द्रावती नगरी (सिरोही) का विकास

707. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला सिरोही की प्राचीन चन्द्रावती नगरी के विकास व कला संरक्षण के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

जिला सिरोही के चन्द्रावती के प्राचीन स्थल को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्थल घोषित किया हुआ है।

चन्द्रावती के प्राचीन स्थल पर बिखरी हुई प्रतिमाओं आदि के संरक्षण हेतु स्थल पर ही एक हाल का निर्माण कराया जाकर अन्दर रखवाया गया है।

राज्य सरकार अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत चन्द्रावती के प्रचीन स्थल पर ही पुरा सामग्री को सुरक्षित कर एक स्थल संग्रहालय विकसित कर पर्यटकों के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराने की योजना पर विचार कर रही है।

सवराड़ (पाली) ग्राम पंचायत की क्षतिग्रस्त बावड़ी

708. श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सवराड़, पंचायत समिति मारवाड़ जक्शन में एक सार्वजनिक बावड़ी है जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश (पाली) द्वारा उक्त बावड़ी की मरम्मत करने हेतु सर्वेक्षण करवाया गया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बावड़ी के जीर्ण-शीर्ण होने से कभी भी

(श्री जीतमल खांट)

कोई जनहानि हो सकती है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या उक्त बावड़ी हेतु पूर्व में भी कोई बजट आबंटित किया गया था ? यदि हां, तो कितना एवं उसमें कितनी राशि व्यय की गई ?

(5) क्या सरकार उक्त बावड़ी की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्या सरकार उक्त बावड़ी को मिट्टी से भरवाने की सहमति प्रदान कर सकती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत सवराड, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में एक सार्वजनिक बावड़ी है, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।

उक्त बावड़ी राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित नहीं है।

(2) जी हां। इस बावड़ी का सर्वेक्षण करवाया गया था तथा तत्कालीन सर्वेक्षण के आधार पर इसके जीर्णोद्धार हेतु राजीव गांधी परम्परागत जीर्णोद्धार कार्यक्रम के अन्तर्गत रूपये 2.81000/- स्वीकृत हुए थे।

(3) उक्त बावड़ी की उत्तर दिशा की दीवार जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इस दीवार के सहारे रामदेवजी का मन्दिर बना हुआ है। दीवार गिरने की स्थिति में यह मन्दिर भी गिर सकता है तथा जनहानि भी हो सकती है।

(4) जी हां। उक्त बावड़ी हेतु पूर्व में 2,81,000/- रूपये बजट आबंटित किया गया था एवं उसमें से 64,992/- रूपये व्यय किये गये।

(5) उक्त बावड़ी राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक नहीं हैं।

बासवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये ट्रान्सफार्मर्स

709. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला बांसवाड़ा में गांवों के किनारे ट्रान्सफार्मर्स लगाये गये हैं जब कि आबादी दूरी पर है ?

(श्री फतेह सिंह)

(2) क्या सरकार ऐसे गांवों की जांच कर गांव के बीच में डी.पी. लगाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्रामवासी घरेलू व कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं तो डी.पी. एक तरफ होने से डिमान्ड राशि अधिक आती है ? क्या सरकार जनता को राहत देने के लिए उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम के विद्युतीकरण के समय ग्राम का प्रथम ट्रान्सफार्मर पत्रावलियों के जमा होने पर मुख्य गांव के आबादी क्षेत्र के पास अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती के निकट उपलब्ध स्थान पर लगाने का प्रावधान है। जिला बांसवाड़ा में भी इन्हीं प्रावधानों के अनुसार ट्रान्सफार्मर लगाये गये हैं।

(2) किसी ग्राम विशेष में इस प्रकार की समस्या/मांग होने पर तकनीकी साध्यता होने पर ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(3) जी नहीं। गांवों में घरेलू कनेक्शन देने के लिये ग्राम की आबादी क्षेत्र में डाली जाने वाली एल.टी. लाइन के लिए प्रत्येक आवेदक से मात्र 1500/- रूपये लिये जाते हैं और आबादी क्षेत्र में लगने वाली 300 मीटर दूरी तक एल.टी. लाइन का खर्चा विद्युत निगम द्वारा वहन किया जाता है। सामान्यतया ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में इसी दूरी पर घरेलू उपभोक्ता को कनेक्शन देना सम्भव होता है। कृषि नीति 2004 के अनुसार सभी कृषि कनेक्शनों के आवेदकों से श्रेणीवार नियत एक समान राशि के मांग पत्र जारी किये जाने हैं। अतः डी.पी. की स्थिति से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सरवाड़ा (जयपुर) ग्राम के लम्बित कृषि कनेक्शन

710. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि भूमि के कुओं के विद्युत् कनेक्शन को विशेष परिस्थितियों में एक राजस्व ग्राम से दूसरे ग्राम में कृषक के अनुरोध

(श्री रामचन्द्र सराधना)

पर बदला (शिफ्ट) किया जा सकता है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार कृषक हित में उक्त सुविधा कब तक जारी करने का विचार रखती है ?

(2) ग्राम साइवाड़ (ग्राम पंचायत नटाटा) तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में कृषि कुओं के लम्बित (पैंडिग) कनेक्शनों की वरिष्ठता सूची मय कृषक के नाम वल्दीयत व किस वर्ष से लम्बित है का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में जारी कृषि नीति, 2004 के उद्धरण की प्रति परिशिष्ट-"अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) ग्राम साईवाड़ (ग्राम पंचायत नटाटा) तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में कृषि कुओं के सामान्य श्रेणी में कनेक्शन हेतु 18 आवेदन पत्र लम्बित हैं जिनकी वरीयता सूची मय कृषक नाम वल्दीयत व आवेदन की तिथि के प्रपत्र-"ब" में संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले में सतर्कता दलों की प्राप्त शिकायतें

711. श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विद्युत वितरण क़म्पनी के सतर्कता दल द्वारा जैसलमेर जिले में 25 हार्सपावर के स्वीकृत कनेक्शनों को अधिक हार्सपावर का विद्युत् कनेक्शन बताकर काश्तकारों को परेशान करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो वर्ष 2003-04 में ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुइ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन शिकायतों के आधार पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? जांच के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. के सतर्कता दल द्वारा जैसलमेर जिले में वर्ष 2003-04 में कुल 159 विद्युत कनेक्शनों की जांच की गई थी जिनमें से 4 प्रकरणों में शिकायत प्राप्त हुई। इनकी पुनः जांच कर शिकायत का निवारण कर दिया गया है। जिनका विवरण परिशिष्ट-"अ" के अनुसार है एवं सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। उपरोक्त प्राप्त शिकायतों/प्रकरणों में की गई पुनः जांच में कोई भी अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है। शिकायत निराधार पाई गई। इस आधार पर सम्भाग स्तरीय समझौता समिति व जिला स्तरीय समिति में उपभोक्ताओं की सहमति से इनका निस्तारण कर दिया गया है। अब कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

<u>परिशिष्ट "अ"</u>

जैसलमेर जिले में वर्ष 2003-04 में सतर्कता जांच के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	जांच तिथि	स्वीकृत भार	पाया गया भार	कार्यवाही का विवरण
1.	श्रीमती राकू देवी, धायसर	13.9.03	30 एच. पी.	45 एच. पी.	स्वयं उपभोक्ता ने संभाग स्तरीय समझौता समिति में वाद प्रस्तुत करने के पश्चात स्वीकृति भार से अधिक भार का उपयोग करना स्वीकार किया है तथा संभाग स्तरीय समझौता समिति द्वारा उक्त परिवाद का निस्तारण कर दिया गया है ।

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	जांच तिथि	स्वीकृत भार	पाया गया भार	कार्यवाही का विवरण
2.	श्री हडवन्त सिंह, सोढा कौर	12.10.03 16.1.04	30 एच. पी.	45 एच. पी.	इनकी जांच दिनांक 12.10.2003 को की गई थी तथा उपभोक्ताओं द्वारा पुन: जांच की मांग पर दिनांक 16.1.2004 को पुन: जांच की गई जिसमें इन तीनों के कनेक्शन में विद्युत भार बढा हुआ पाया गया। तदुपरान्त इनके परिवाद का जिला समिति ने निस्तारण कर दिया है।
3.	श्री सांग सिंह, सोढा कौर	"	30 एच. पी.	37.5 एच. पी.	
4.	श्री अचल सिंह, सोढा कौर	"	30 एच. पी.	37.5 एच.पी.	

सवाईमाधोपुर जिले के जनजाति क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

712. **श्री हीरालाल (बामनवास)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा सवाई माधोपुर जिले में जनजाति गांवों के विद्युतीकरण कार्य हेतु 20 लाख रूपये की राशि विद्युत मंडल सवाई माधोपुर को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या जनजाति गांवों में विद्युतीकरण कार्य हो चुका है ? ग्रामवार व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य अब तक नहीं करवाए जाने के कारण क्या रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार भविष्य में उक्त कार्य करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अन्तर्गत वृत्त कार्यालय सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति करौली व

(ऊर्जा मंत्री)

सपोटरा के 5 गांवों ग्राम टोडा, पिपरानी, जमूरा कालागुडा व निभेरा के विद्युतीकरण किये जाने हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाई माधोपुर से कुल 19.71 लाख रू. की राशि के चैक प्राप्त हुए थे।

व्यय राशि का ग्रामवार विवरण नहीं रखा जाता है।

(2) इन ग्रामों में से चार का विद्युतीकरण किया जा चुका है एवं एक का कार्य प्रगति पर है। ग्राम निभेरा के अब तक विद्युतीकरण न हो पाने का कारण निम्नानुसार है :-

यह ग्राम केलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है। वन विभाग की रोक के कारण विद्युतीकृत नहीं किया जा सका।

जी हां। वर्तमान में आरआरईसी द्वारा ग्राम निभेरा का विद्युतीकरण हेतु चयन किया गया है, एवम् इसके शीघ्र विद्युतीकरण करने की कार्यवाही कर रहा है।

शाहपुरा (भीलवाड़ा) के मृत लाइन मैन के बकाया वेतन परिलाभों का भुगतान

713. **श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में वर्ष, 1989 में विभाग में किस-किस लाइन मैन की पद पर रहते हुये मृत्यु हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वर्ष में श्री मांगीलाल चमार लाइन मैन राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल शाहपुरा (भीलवाड़ा) की ड्यूटी पर कार्य करते हुये मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी के आश्रितों को पेंशन आदि का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब उक्त कर्मचारी के आश्रितों को उसके बकाया वेतन भत्ता और पेंशन का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामरतन बैरवा)

(4) लगभग 15 वर्षों की अवधि तक लाइन मैन के पेंशन आदि के भुगतान नहीं करने हेतु कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में वर्ष 1989 में विद्युत मण्डल की सेवा में रहते हुए श्री मांगीलाल पुत्र श्री वरदा चमार की मृत्यु हुई थी।

(2) जी नहीं। उक्त श्री मांगीलाल की ड्यूटी पर काम करते हुए मृत्यु नहीं हुई।

(3) जी हां। आश्रितों को मृतक के सभी देय परिलाभों का भुगतान कर दिया गया था। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा देय पेन्शन मृतक की पत्नी को पी.पी.ओ. नं. 864/899 द्वारा जारी कर दी गई थी।

(4) कर्मचारी भविष्य निधि पेन्शन स्कीम के तहत मृतक के आश्रितों को पेन्शन के भुगतान का दायित्व सहायक आयुक्त उपक्षेत्रीय कार्यालय, भविष्य निधि उदयपुर का है। जो भारत सरकार के अधीन है। निगम व राज्य सरकार के स्तर पर कर्मचारी के आश्रितों का कोई भुगतान लम्बित नहीं है।

जैसलमेर के पवन ऊर्जा संयन्त्रों द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपयोग

714. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर में पवन ऊर्जा से संचालित कई संयन्त्र विद्युत् उत्पादक में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इनके द्वारा विद्युत् उत्पादन की कुल क्षमता क्या हैं ? संयन्त्रवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जैसलमेर ग्रिड में उक्त उत्पादन को वहन करने की क्षमता नहीं है और इस कारण वहां इन संयन्त्रों से पूर्ण उत्पादन नहीं

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

हो पा रहा है वहीं दूसरी ओर सरकार को इतनी मंहगी बिजली दूसरे स्रोतों से खरीदनी पड़ रही है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार इस उत्पादन के पूर्ण उपभोग हेतु ग्रिड व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। अब तक जैसलमेर क्षेत्र में पवन ऊर्जा उत्पादकों से कुल 247.89 मेगावाट क्षमता के अनुबन्ध किये गये हैं। उनमें से 202.19 मेगावाट क्षमता के संयंत्र विद्युत उत्पादन में कार्यरत हैं। विवरण सदन के पटल पर रख दिय गया है।

(2) जी हां। जैसलमेर ग्रिड के 132 के.वी. सिस्टम से जुड़े 122 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्रों से 100 प्रतिशत पवन विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जा रही है जबकि 33 के.वी. सिस्टम पर जुड़े 80 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्रों पर लगभग 40 प्रतिशत की कटौती है। जब 33 के.वी. सिस्टम से जुड़े ये संयंत्र 132 के.वी. सिस्टम से जुड़ जायेंगे तब यह कटौती भी खतम हो जायेगी।

(3) जी हां। इस उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपभोग हेतु वांछित प्रसारण तन्त्र को मार्च, 2005 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

गांधी कालोनी ब्रह्मपुरी (जयपुर) में अनियमित विद्युत प्रवाह

715. **श्री सुरेश मीणा (करौली)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ब्रह्मपुरी स्थित गांधी कालोनी, जयपुर में पिछले काफी समय से विद्युत् वोल्टेज में उतार चढ़ाव होने की समस्या बनी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा इसको सेवा दोष माना जाता है ?

(श्री सुरेश मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में वहां के निवासियों द्वारा कई बार लिखित व मौखिक शिकायतें भी की गई हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के निवासियों को विद्युत् प्रवाह के उतार-चढ़ाव से हो रही समस्या से निजात दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ब्रह्मपुरी स्थित गांधी कालोनी जयपुर में विद्युत वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की कोई समस्या नहीं है।

(2) जी नहीं। इस तरह की कोई भी समस्या किसी भी उपभोक्ता ने मौखिक या लिखित में नहीं की है।

(3) इस क्षेत्र में भविष्य में कोई भी शिकायत आयेगी तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सामूहिक विवाहों में नाबालिगों के विवाह पर रोक हेतु प्रयास

716. **श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष, 1998 से 31 मई, 2004 तक कुल कितने सामूहिक विवाह करने वाले बालिग जोड़ों ने अनुदान हेतु सरकार को आवेदन किया और कितने आवेदन स्वीकार कर कितना अनुदान दिया गया तथा कितने प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में किस-किस जाति के कितने सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किये गये और उनमें कितने नाबालिग जोड़ों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई और सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस प्रकार के सामूहिक विवाह सम्मेलनों में होने

(श्री हरिमोहन शर्मा)

वाले नाबालिग बच्चों के विवाह को रोकने हेतु कोई कारगर उपाय करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो अब तक इस हेतु क्या प्रयास किये गये ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1998 से 31 मई, 2004 तक 13947 बालिग जोड़ों ने सामूहिक विवाह अनुदान हेतु आवेदन किये। 4293 जोड़ों के आवेदन पत्र स्वीकार कर कुल 3967000 रूपये का अनुदान दिया गया। 213 प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर 7191 जोड़ो को अनुदान हेतु अस्वीकार किया गया। विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त अवधि में विभिन्न जातियों के सामूहिक विवाह सम्मेलन हुये जिनमें विभाग द्वारा विभिन्न जातियों को सामूहिक विवाह हेतु अनुदान दिया गया, जिनका विवरण परिशिष्ट "ख" पर रख दिया गया है। इन सम्मेलनों में जिन जोड़ों को अनुदान स्वीकृत किया गया उनमें से किसी जोड़े के नाबालिग होने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(3) राज्य में प्रशासन द्वारा हर सम्भव जांच तथा विशेष रूप से सामूहिक विवाहों के समस्त जोड़ों के आयु प्रमाण-पत्र की जांच कर ही अनुदान स्वीकृत किया जाता है। विभाग द्वारा बाल विवाह के विरूद्ध व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी में माडा योजना के तहत विद्युत कनेक्शन

717. **श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं पंचायत समिति चाकसू के माडा योजना के अन्तर्गत चयनित कौन-कौन से गांवों में विद्युत् लाइन खींचने की स्वीकृति जारी की गई ?

(2) क्या सरकार उक्त योजना में चयनित गांवों में विद्युत् लाइनें खींचकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

(3) माड़ा योजना में चयनित बस्सी विधान सभा क्षेत्र के ऐसे कौन कौन से गांव हैं, जहां विद्युत लाइनें नहीं हैं ?

(4) क्या सरकार उक्त गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम विभागीय योजनाओं में अनुमोदित नहीं होने से विभाग द्वारा ग्राम विद्युतीकरण का कार्य नहीं करवाया जाता है। ग्राम विद्युतीकरण का कार्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा करवाया जाता है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बस्सी के माडा योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम बसेड़ी, त्रिलोकपुरा तथा पंचायत समिति चाकसू के अन्तर्गत, ग्राम त्रिलोकीनाथपुरा, बाठरड़ा की ढाणी में विद्युत लाइन खेंचने की स्वीकृति जारी की गई हैं।

(2) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्रामों की स्वीकृति के अनुसार लाइन खेंच दी गई है तथा आवेदन करने पर आवेदकों को कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं।

(3) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम मण्डावरी, चक श्री किशनपुर, चक तालखां का बास, पृथ्वीपुरा बाढ केशोपुरा, चक सम्पतपुरा, बाढ फतेहपुरा एवं बाढ़ बाबनपुरा में विद्युत लाइन नहीं है। मण्डावरी को छोड़ शेष ग्राम गैर आबाद हैं।

(4) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण विद्युत वितरण निगम को राशि प्राप्त होने पर किया जा सकेगा।

बाली के गांवों में माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

718. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के कौन-कौन से गांव माडा योजना में चयनित हैं ? वर्तमान में इन गांवों की अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

(2) माडा योजना में चयनित उक्त गांवों में वर्ष 2001 से अब तक कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के स्वीकृत/पूर्ण हुये व कौन-कौन से कार्य अपूर्ण या प्रस्तावित हैं ?

(3) उक्त अपूर्ण एवं प्रस्तावित कार्यों को अब कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

(4) क्या सरकार बाली क्षेत्र में माडा योजना के अन्तर्गत भू-जल संरक्षण की कोई बड़ी योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के 21 गांव माडा योजना में चयनित हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इन गांवों में वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजाति की आबादी परिशिष्ट-अ के कालम सं. 4 पर दर्शायी गयी है।

(2) माडा योजना में चयनित गांव में वर्ष 2001 से अब तक स्वीकृत कार्यों, पूर्ण कार्यों एवं उनकी राशि सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। कोई कार्य अपूर्ण नहीं हैं एवं प्रस्तावित कार्य की सूची परिशिष्ट-स पर दर्शाई गई है।

(3) माडा योजना में चयनित गांव में वर्ष 2001 से स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं। प्रस्तावित कार्यों को इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण करवाने का प्रयास किया जायेगा।

(4) बाली क्षेत्र में माडा योजना के अन्तर्गत भू-जल संरक्षण की कोई बड़ी योजना बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

गोगुन्दा एवं कोटड़ा पंचायत समिति में कृषकों को निःशुल्क ब्लास्टिंग की स्वीकृति

719. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मांगीलाल गरासिया)

(1) पंचायत समिति गोगुन्दा एवं कोटडा में बिखरी आबादी माडा एवं जनजाति उप योजना क्षेत्र में वर्ष 1999 से 2003 तक कितने कृषकों को नि:शुल्क ब्लास्टिंग कराए जाने की स्वीकृति दी गई ? नामजद काश्तकारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्षवार किए फ्री-ब्लास्टिंग में से मदवार कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया एवं कितने कृषकों को लाभान्वित नहीं किया गया तथा लाभान्वित नहीं करने का कारण क्या था ? इसके लिए कौन दोषी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति गोगुन्दा एवं कोटडा क्षेत्र में वर्ष 1999 से 2003 तक जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 522, माडा क्षेत्र में 216 एवं बिखरी जनजाति क्षेत्र में 55 कुल 793 जनजाति काश्तकारों को नि:शुल्क ब्लास्टिंग की स्वीकृति जारी की गयी। स्वीकृति काश्तकारों की सूची परिशिष्ट-। पर संलग्न है। वर्ष वार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	उपयोजना क्षेत्र	माडा क्षेत्र	बिखरी आबादी क्षेत्र
1	1999-2000	-	216	-
2	2000-01	522	-	55
3	2000-02	-	-	-
4	2002-03	-	-	-

(2) वर्ष 1999-2003 तक जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्वीकृत 522 में से 406, माडा क्षेत्र में स्वीकृत 216 मे से 126 व बिखरी योजना में 55 मे से 50 कुल 582 काश्तकारों को लाभान्वित किया गया तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र के 116, माडा क्षेत्र के 90 तथा बिखरी जनजाति क्षेत्र के 5 कुल 211

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

कृषकों को ब्लास्टिंग से लाभान्वित नहीं किया। उपयोजना क्षेत्र के स्वीकृत ब्लास्टिंग कार्य से कृषकों को लाभान्वित नहीं किये जाने का मुख्य कारण यह है कि क्षेत्र में स्वीकृतियां आवंटित लक्ष्यों से अधिक की जारी की जाती हैं क्योंकि कई कृषक इस कार्य हेतु आवेदन तो कर देते हैं परन्तु मलवा निकालने में उनकी क्षमता न होने से कार्य नहीं करवाते हैं साथ ही कई कूप ऐसे दुर्गम स्थल पर होते हैं कि जिस पर विस्फोटन मशीन की पहुंच सम्भव नहीं होती हैं। अतः स्पष्ट है कि जिन कृषकों के कार्य नहीं हुए हैं वह कृषक तत्समय लाभान्वित नहीं हो सके हैं परन्तु उनके पक्ष में जारी स्वीकृति विद्यमान है उत्तरोत्तर वर्ष में जब भी कृषक अपने कुएं तक पहुचं सम्भव कर लेगा व मजदूरी करने को सहमत होगा उन्हें योजना का लाभ प्रदत्त करवा दिया जावेगा। अतः किसी कर्मी को इस हेतु जिम्मेदार नहीं माना जा सकता।

(3) उक्त कारणों को मध्य नजर रखते हुए किसी कार्मिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 14 जुलाई, 2004)

बनीपार्क की आवासीय योजनाओं के नियमन से प्राप्त आय व व्यय

108. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1999 से दिसम्बर, 2003 तक जयपुर की आवासीय योजनाओं का नियमितीकरण किया गया है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क की कितनी योजनाओं का नियमितीकरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क की योजनाओं के नियमितीकरण से सरकार को विकास शुल्क व अन्य शुल्कों के मद से कितनी आय हुई ?

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

मदवार व योजनानुसार गत 5 वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओं के नियमितीकरण से प्राप्त आय मे से किस-किस योजना में क्या-क्या विकास कार्य करवाये गये तथा इन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? योजनावार व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क की किन-किन आवासीय योजनाओं में सरकार क्या-क्या विकास कार्य कब तक करवाने का विचार रखती है ? इन पर कितनी राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क की योजनाओं में पिछले पांच वर्षों में नियमितीकरण से प्राप्त आय का मदवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क की योजनाओं में करवाये गये विकास कार्य एवं व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) प्राधिकरण की नीति एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये इसके अनुसार विकास कार्य करवाये जा सकेंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 19 जुलाई, 2004)

आवास विकास संस्थान के समायोजित कर्मियों को अग्रेत्तर लाभ

228. श्री लाल चन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) आवास विकास संस्थान में कार्यरत किन-किन कर्मचारियों को किन-किन विभागों में किन-किन पदों पर समायोजित किया गया ? नाम, पद सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री लाल चन्द मेघवाल)

(2) क्या यह सही है कि उक्त विभागों में समायोजित कर्मचारियों को समय-समय पर वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई और किन-किन को नहीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को अस्थाई नियुक्ति एक-एक वर्ष हेतु दी जाती है ? यदि हां, तो स्थाईकरण के क्या नियम है ? एक वर्ष पूर्ण होने पर कर्मचारियों का स्थाईकरण नहीं करने के क्या कारण हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार एक वर्ष पूर्ण हुये समस्त कर्मचारियों को स्थाई करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूचना संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण में समायोजित कर्मचारियों में से 30 कर्मचारियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों में समायोजित कर्मचारियों को समय-समय पर वेतन वृद्धि दी जा रही है। सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। जयपुर विकास प्राधिकरण में समायोजित जिन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की गई है उनकी सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) जी हां। विभिन्न विभागों के नियमों के अनुसार समायोजित कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई है। नियुक्ति की शर्तो के अनुसार परीविक्षाकाल संतोषप्रद पाये जाने पर नियमानुसार स्थाई किया जाता है। सेवानियमों की प्रतियां परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(4) सम्बन्धित विभागों के सेवा नियमों में स्थाईकरण करने के प्रचलित नियमों के अनुसार स्थाई करने का प्रावधान है। तदनुसार विभिन्न विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ के 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव जो सड़क से नहीं जुडे हुये हैं:-

क्र. सं.	गांव का नाम	जनसंख्या	सड़क की लम्बाई (किमी.में)	अनुमानित लागत (लाखों में)	विशेष विवरण
1	हापास	2295	3.3	35.75	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (विश्व बैंक पोषित) में स्वीकृत है । निविदा की कार्यवाही विश्व बैंक से अनुमोदन के पश्चात की जावेगी ।
2	यालसर	2234	2.90	29.50	–"–
3	पोषाणी	1412	3.28	31.49	–"–
4	किरडोली बडी	1303	8.38	94.63	–"–
5	ढहर का बास	1181	क्र. सं.4 से जुड रहा है		–"–
6	हमीरपुरा	1248	5.18	55.41	–"–

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र गंगरार में सम्मिलित ग्रामों की पंचायतवार एवं वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सूची

क्र.सं.	नाम तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	जनसंख्या
1.	गंगरार	गंगरार	1	गंगरार	8902
		ग्रामदानी	2	जलकी का खेडा	62
		ग्रामदानी	3	मोडसिंह जी की चौकी	42
		सुंदरी	4	सुदरी	1219
			5	रायपुरिया	577
			6	कुरातिया	411
			7	करेडिया	720
		बूढ	8	बूढ	2639
			9	हमेरपुर	405
			10	जयसिंहपुरा	354
			11	एकलिंगपुरा	85
			12	गणेशपुरा	359
			13	गिरवरसिंह जी का खेडा	107
		उण्डवा	14	उण्डवा	807
			15	भवानीपुरा	156
			16	निम्बाहेडा	354
			17	नागोका खेडा	286
			18	नक्शनपुरा	90

1	2	3	4	5	6
			19	मोतीबुकन का खेडा	165
			20	बिन्दोलिया	416
			21	कांसडी	1072
		ग्रामदानी	22	देवदा	658
		सोनियाणा	23	सोनियाणा	3420
			24	गेजरा	494
			25	त्रेष्ठा	857
		चौगावडी	26	चौगावडी	1124
			27	मुरलिया	286
			28	किशनपुरा	243
			29	नोलागाडरी का खेडा	241
			30	जोधसिंह जी का खेडा	194
			31	धुवालिया	297
			32	सदापुरा	242
			33	सेमलिया	944
		सुवाणिया	34	सुवाणिया	1611
			35	खुंटिया	778
			36	मेडीखेडा	627
			37	भवानीपुरा	448
			38	डेट	579
			39	मानसिंह जी का खेडा	301

1	2	3	4	5	6
		जोजरों का खेडा	40	जोजरों का खेडा	74
			41	गोवालिया	513
			42	नयाखेडा	28
			43	मोखमपुरा	218
			44	नंगपुरा	70
			45	जीवानायक का खेडा	599
			46	माखमसिंह जी का खेडा	6
			47	बखतपुरा	98
			48	अमरपुरा	146
			49	लाम्बिया	375
			50	ढाडा	39
			51	मेवासा	108
			52	शम्भूपुरा	104
			53	गुलाबपुरा	336
			54	दांता का खेडा	106
			55	सोलंकियो का खेडा	0
			56	दादिया	617
			57	सूरतसिंह जी का खेडा	302
		कुवालिया	58	कुवालिया	2089
			59	लालदूदा का खेडा	148

1	2	3	4	5	6
			60	आकोडिया	427
			61	लाला का खेडा	95
			62	लाखां का खेडा	13
			63	जितियारा	508
		लालास	64	लालास	1053
			65	मानसिंह जी का खेडा	207
			66	नीमडखेडा	191
			67	सारण	910
			68	पीपलियाकली	609
		तुम्बडिया	69	तुम्बडिया	1444
			70	धुंवालिया	651
			71	धातोल	328
			72	फागणिया	429
			73	धोली	738
			74	साण्डिया	207
			75	सालरिया	1048
			76	चतरा का खेडा	254
		साडास	77	साडास	2436
			78	लीरडी खेडा	160
			79	सुरजनियास	548
			80	भाणपी	435
		रघुनाथपुरा	81	रघुनाथपुरा	610

1	2	3	4	5	6
			82	अमरपुरा	461
			83	मुण का खेडा	281
			84	बादनकला	540
			85	फलोदी	625
			86	जावलियों का खेडा	338
			87	राज्यास	495
		मण्डपिया	88	मण्डपिया	1180
			89	भाटखेडा	169
			90	बडलिया	447
			91	जवासिया	1944
			92	खेडली	113
			93	करतियास	505
			94	चंदनपुरा	63
		शादी	95	शादी	989
			96	मेहताबसिंह जी का खेडा	26
			97	मोटलियास	609
			98	लालसिंह जी का खेडा	359
			99	नयातालाब	840
			100	रूपपुरा	696
			10	कोजुन्दा	543
		पुठोली	102	पुठोली	3349

1	2	3	4	5	6
			103	चंदेरिया	नगरपालिका क्षेत्र में
			104	मुंगा का खेडा	575
		बोरदा	105	बोरदा	1784
			106	नाथी का खेडा	398
			107	तालेडी	537
			108	भटवाडा कला	1230
		आजोलिया का खेडा	109	आजोलिया का खेडा	1851
			110	सालेरा	913
		कांटी	111	कांटी	1203
			112	सोकडिया	257
			113	सांकडों का खेडा	541
			114	भटवाडा खुर्द	898
			115	सिंगोला	887
			116	कचनारिया	559
		बोलो का सावता	117	बोलो का सांवता	1553
			118	लक्ष्मीपुरा	238
			119	गेणिया	920
			120	भाटखेडा	1020
			121	लाडूपुरा	308
			122	गुरजनिया	386
			123	ऐरा	898
			124	अम्रा गडरी का खेडा	211

1	2	3	4	5	6
			125	लक्ष्मणसिंह जी का खेडा	94
		खारखन्दा	126	खारखन्दा	1604
			127	बानीपा	831
			128	इन्दोरा	1484
			129	राणावर्तो का खेडा	394
2.	राशमी	आरणी	1	आरणी	3135
			2	गोपालपुराकला	746
			3	गोपालपुराखुर्द	0
			4	भोपालपुरा	0
			5	उत्तमपुरा	252
		सांखली	6	सांखली	811
			7	लालपुरा	998
			8	मान्यास	746
			9	करजिया	251
		सोमी	10	सोमी	1191
			11	गंगपुरा	514
			12	कीरो का खेडा	418
			13	बख्तावरपुर	304
			14	देवीपुरा	671
		उपरेडा	15	उपरेडा	1666
			16	पन्नाखेडा	145
			17	मुरोली	1828

1	2	3	4	5	6
			18	पुठवालिया	497
		राशमी	19	राशमी	4429
		हरनाथपुरा	20	हरनाथपुरा	906
			21	अचलपुरा	0
			22	गन्दरफ	316
			23	देवपुरा	560
			24	नवलपुरा	36
			25	गुरजनिया	1589
		सोमरवालों का खेडा	26	सोमरवालों का खेडा	615
			27	परमेश्वरपुरा	284
			28	कानपुरा	402
			29	देपुरिया	312
			30	नंगपुरा	315
			31	चितौडिया	552
		डिण्डोली	32	डिण्डोली	2458
			33	गणेशपुरा	290
			34	चमनपुरा	382
		अडाना	35	अडाना	769
			36	अडाना चक ए	0
			37	अडाना चक बी	0
			38	चटावटी	1395
			39	जवानपुरा	308
			40	हरीपुरा	29

1	2	3	4	5	6
			41	रघुनाथपुरा	524
			42	जवाहरपुरा	0
			43	सांवलपुरा	0
		रूद	44	रूद	2562
			45	जगपुरा	662
		जाडाना	46	जाडाना	2092
			47	लसाडियाखुर्द	1307
		भीमगढ	48	भीमगढ	3479
			49	रायपुरिया	5
		बारू	50	बारू	1890
			51	दौलतपुरा	200
			52	भट्रटखेडी	486
			53	धीमलियाखेडा	204
		पावली	54	पावली	1253
			55	नारायणपुरा	541
			56	करीण्डा	723
			57	भोपलाई	380
			58		1598
			59		140
			60		0
			61		1200
			62		1890
			63		361
			64	मिच्याखेडी	361

1	2	3	4	5	6
			65	रतना का खेडा	113
		पहूना	66	पहेना	5229
		सिंहाना	67	सिंहना	2467
			68	मेदाखेडी	713
		उचा	69	ऊंचा	1474
			70	रतनखेडी	511
			71	हीराखेडी	1032
		लसोडियाकला	72	लसोडियाकला	1707
			73	देवपुरी	72
			74	बलवंतपुरा	143
			75	बस्सी	557
			76	रामपुरिया	150
			77	रूपपुरा	200
		नेवरिया	78	नेवरिया	2363
			79	मण्डफिया	365
			80	लूकडी	426
			81	रोलिया	46
		भालोटा की खेडी	82	भालोटा की खेडी	1383
			83	इण्डनपुरा	157
			84	गणेशपुरा	414
			85	दडबा	912
		रेवाडा	86	रेवाडा	1652
			87	कारास	263

1	2	3	4	5	6
			88	पहुनी	681
			89	गुडलिया	235
[illegible]	चित्तौड़गढ	बस्सी	1	बस्सी	9872
		पालक	2	पालका	1724
			3	मेघपुरा	455
			4	सिंयालिया	819
			5	जयसिंहपुरा	592
			6	सुठावा	733
		सोनन‌गर	7	सोननगर	800
			8	छापियाखेडी	222
			9	दुवावा	722
			10	दहीखेडी	295
			11	सोकिया	597
			12	लक्ष्मीपुरा	280
			13	पीपलियाखुर्द	38
			14	भूचरतों की खेडी	310
		घांसुण्डे	15	घोसुण्डी	870
			16	संग्रामपुरा	669
			17	सोननगरों की खेडी	451
			18	नेगडियाकला	490

1	2	3	4	5	6
			19	नेगडियाखुर्द	402
			20	बिहारीपुरा	143
		नगरी	21	नगरी	2989
			22	बिलिया	1174
			23	ऐकलिंगपुरा	106
		सुवाणिया	24	शिवपुरा	429
		ग्रामदानीग्राम	25	भील्याखेडा	365
		आवलेहडा	26	अबलहेडा	2591
			27	बन्दरखां	1437
		केलझर	28	बबलाकला	223
			29		77
			30		51

विधान सभा क्षेत्र गंगरार में सम्मिलित मजरे/ढाणियों की पंचायतवार एवं वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सूची

क्र. सं.	नाम तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	जनसंख्या (वर्ष 2001)	क्र. सं.	मजरे ढाणी का नाम	जनसंख्या (वर्ष 2001)
1	गंगरार	गंगरार	1	गंगरार	8902	1	भवानीपुरा उर्फ नायकों का खेडा	186
						2	कालबेलिया बस्ती	147
		सुंदरी	2	करेडिया	720	3	दला का खेडा	129

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		बूढ	3	बूढ	2639	4	चमारों का खेडा	147
		उण्डया	4	उण्डया	807	5	नई आबादी	212
		सोनियाना	5	सोनियाना	3420	6	गणेशपुरा	170
						7	दोलाजीका खेडा	209
						8	गुंसाईयों का खेडा	125
						9	बलाईयों की झोंपडिया	114
						10	रगसपुरिया	152
			6	त्रेष्ठा	897	11	बंजारा धोला दांता	110
		चौगावणी	7	मुरलिया	286	12	मुरली	95
		सुवाणिया	8	सुवाणिया	1611	13	नईआबादी	213
			9	खूटिया	778	14	सूरजपुरा डांग	39
		कुवालिया	10	कुवालिया	2089	15	बंजारा बालद	227
		लालास	11	लालास	1053	16	तीतरडी	120
						17	जंगलात	95
			12	मानसिंह जी का खेडा	207	18	रामा बा का खेडा	29
			13	सारणा	910	19	बंजारा बालद	201
			14	पीपल्याकला	609	20	कंजर बस्ती	197
		तुम्बडिया	15	धातोला	328	21	कागसा की धातोल	102
						22	राजपुत की धातोल	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						23	बालाजी की धातोल	129
			16	धोली	738	24	रूपा का खेडा	237
			17	सालरिया	1048	25	बंजारा बालद मोटकी	195
						26	बंजारा बालद डांग की	79
		साडास	18	भाणपी	435	27	कंजर बस्ती	32
		रूगनाथपुरा	19	फलोदी	625	28	भील बस्ती	22
			20	राज्यास	495	29	कालूसिंह जी का झोंपडा	38
		मण्डपिया	21	मण्डपिया	1180	30	नई आबादी	161
			22	बडलिया	447	31	भील बस्ती	67
			23	जवासिया	1944	32	माताजी का खेडा	237
						33	भडाणी खेडा	182
						34	बन्जाराबस्ती	21
			24	करतियास	505	35	रामपुरिया	23
		शादी	25	शादी	989	36	खेडिया	110
			26	लालसिंह जी का खेडा	359	37	गुजर बस्ती बंजारा बस्ती	203
			27	नया तालाब	840	38	बंजारा बस्ती	82
			28	रूपपुरा	696	39	नया खेडा	137
			29	कोजून्दा	543	40	भारमल का झोंपडा	115
						41	बंजारा बस्ती	107
		बोरदा	30	भटवाडाकला	1230	42	खेडा	31
		आजोलिया का खेडा	31	सालेरा	913	43	गणेशपुरा	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		कांटी	32	कांटी	120:	44	कन्जर बस्ती	42
			33	सिंगोला	887	45	कीर खेडा	147
		बोलो का सांवता	34	बोलो का सांवता	1553	46	नया सांवता	197
2	राशमी	सांखली	1	लालपुरा	998	1	कालबेलियों का खेडा	70
						2	चमारों का खेडा	40
		सोमी	2	सोमी	1191	3	चमारों का खेडा	75
						4	कालबेलियों का खेडा	100
			3	देवीपुरा	671	5	देवीपुरा दितिय	400
		राशमी	4	राशमी	4429	6	दल्लाखेडा	100
		हरनाथपुरा	5	देवपुरा	560	7	नोहरा	60
			6	गुरजनिया	1589	8	मात्रकुण्डिया	300
		रूद	7	रूद्	2562	9	गुजरिया खेडा	10
		जाडाना	8	जाडाना	2092	10	ओडो का खेडा	12
		बारू	9	बारू	1890	11	मानीसिंह जी का खेडा	10
						12	बंजारों का खेडा	12
			10	भट्रटखेडी	486	13	भगवानपुरा	10
		पावली	11	करीथडा	723	14	रेगरों का खेडा	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		पहुना	12	पहुना	5229	15	गणेशपुरा	35
						16	नंदपुरा	30
						17	भीलाखेडा	8
		सिहना	13	सिहाना	2467	18	मोतीनगर	15
						19	झाडीखेडा	24
		ऊचा	14	ऊचा	1474	20	मनमोहननगर	15
			15	हीराखेडा	1032	21	भोमका खेडा	5
		लसाडिया कला	16	लसाडिया कला	1702	22	शंभूपुरा	60
			17	बस्सी	557	23	भैरूखेडा	26
		भालोटा की खेडी	18	भालोटा की खेडी	1383	24	माताजी का खेडा	22
		रेवाडा	19	रेवाडा	1652	25	गंगाखेडा	15
3	चित्तौडगढ़	पालका	1	पालका	1724	1	नयापालका	11
			2	सियालिया	819	2	रेगरों का सियालिया	19
						3	धाकडों का सियालिया	10
		आंवलाहेडा	3	आंवलाहेडा	2591	4	दल्ला का खेडा	17
			4	बल्दरखा	1437	5	मीणों का खेडा	15
		नगरी	5	नगरी	2989	6	गुसाई खेडा	16
						7	सावरिया नगर (रूडिया)	23
						8	रामनगर (धोरडिया)	24

सदस्य सूची

सोमवार, 2 अगस्त, 2004

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अध्यक्ष	
स्थगन प्रस्ताव	
श्री मांगीलाल गरासिया एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से गोगुन्दा के विद्यालयों में अध्यापकों के पद नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में	3[illegible]
श्री संयम लोढ़ा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य सरकार द्वारा राहत कार्य खोलने की तिथि की घोषणा नहीं करने के सम्बन्ध में	39
श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-अजमेर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग	370
श्री अमराराम (धोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-गत तीन वर्षों में स्वैच्छिक अनिवार्य सेवा निवृत्त राज्यकर्मी	302
-पेंशनर्स मेडिकल डायरी के शुल्क में कमी	300
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-अनुबन्धित चिकित्सा कर्मियों का नियमितीकरण	2(
सार्वजनिक निर्माण	
-लक्ष्मणगढ़ के ग्रामों में सड़क निर्माण	4

क्रम	पृष्ठ संख्या

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

-चम्बल सिंचित क्षेत्र की समस्याओं तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अवैधानिक चैकअप लघु सिंचाई परियोजना और एनीकट्स बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में 97

विधेयक पर विचार

-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004 202

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-गंगरार में उप तहसील की स्थापना 347

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-गंगरार के प्रस्तावित राजस्व ग्राम 10

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-महर्षि रमण राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय जयपुर में अनियमितताएं 362

सार्वजनिक निर्माण

-सलूम्बर की अपूर्ण सड़कें 367

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-सामुदायिक चिकित्सालय, सलूम्बर को 100 शैय्याओं का अस्पताल बनाने 58

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-जालौर जिले में चिकित्सकों के रिक्त पद 352

नाम	पृष्ठ संख्या
सार्वजनिक निर्माण	
-मालवाड़ा जसवन्तपुरा भीनमाल सड़क का डामरीकरण	374
श्री अर्जुन सिंह बामनिया (दानपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-दानपुर के ग्रामों में सड़क निर्माण	380
श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-करजू ग्राम तहसील छोटी सादड़ी का अपूर्ण छात्रावास	279
श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-श्री विजयनगर (श्रीगंगानगर) सेठ केसरीचन्द राजकीय चिकित्सालयों में डाक्टर्स का पदस्थापन	56
श्री अशोक बैरवा (खण्डार)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-टोडारायसिंह (टौंक) में नियुक्त वकील	27
श्री उपाध्यक्ष	
विधेयक का पारण	
-दण्ड प्रक्रिया (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004	269
-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004	235

नाम	पृष्ठ संख्या
सहकारिता	
-राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2004	139
डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-टोडारायसिंह (टोंक) नगरपालिका में नियुक्त वकील	23
विधेयक का पारण	
-दण्ड प्रक्रिया (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004	238
-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004	178
-राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004	144
श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सामान्य प्रशासन	
-राजकीय समारोह में अग्रताक्रम सूची (प्रोटोकोल) की पालना	36
श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-बस्सी में माडा योजना के तहत विद्युत कनेक्शन	398
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-मन्दिर माफी भूमि पर काबिज काश्तकार	294
श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार)	
याचिका	
-कृष्णानगर आगरा रोड सयाड़ा में रोडवेज बस स्टोप की मांग	80

नाम	पृष्ठ संख्या
-घाट की गूणी जयपुर में टर्नल निर्माण	80
-घाट की गूणी जयपुर में भारी वाहनों पर रोक की मांग	80
-दिल्ली आगरा टौंक रोड जयपुर का बाईपास बनाये जाने विषयक	80
श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-लक्ष्मणगढ़ के ग्रामों में सड़क निर्माण	1
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य में लगाये गये हैण्ड पम्पों में उपयोग किया गया पाइप	59
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-जन स्वास्थ्य अभियन्ता कार्यालय सीकर में अनुपयोगी सामान की खरीद	71
श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-श्री पन्नालाल चितलांगिया इम्दादी उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर के सेवानिवृत्त अध्यापक का वेतन स्थिरीकरण	298
स्वायत्त शासन	
-ढहर का बालाजी (जयपुर) के बरसाती नाले पर अतिक्रमण	333
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-गंगरार के प्रस्तावित राजस्व ग्राम	12
श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-वजीरपुर (टौंक) के काश्तकार की प्लास्टिक सर्जरी प्रकरण	364

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-गोगुन्दा में लगातार बढ़ती जा रही वारदातें	79
विधेयक पर विचार	
-दण्ड प्रक्रिया (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004	254
-दण्ड प्रक्रिया (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004	236
श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-बीकानेर में रंगमंच की स्थापना	339
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-नोखा में प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन	275
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री	
विधेयक का पारण	
-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004	219
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004	168
-राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004	140
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-कक्षा-4 की किताबों में सारे धार्मिक त्यौहारो का उल्लेख न होना	76
-लोक जुम्बिश परियोजना के अनुदेशकों का सर्व शिक्षा अभियान में समायोजन	70
सूचना प्राप्ति प्रश्न	
-बगरू (जयपुर) के पास नीमेडा रोड पर छत गिरने से 50 लोगों के दब जाने की सूचना	101

नाम	पृष्ठ संख्या

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायत्त शासन

-तारानगर (चूरू) नगरपालिका को वित्त आयोग द्वारा आबंटित अनुदान 326

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-अनुबन्धित चिकित्सा कर्मियों का नियमितीकरण 18

सार्वजनिक निर्माण

-पुनसीसर टिडियासर एवं बाय-अलायला सड़क निर्माण 288

विधेयक पर विचार

-दण्ड प्रक्रिया (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 239

श्री जयराम जाटव (खैरथल)

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-अनुबन्धित चिकित्सा कर्मियों का नियमितीकरण 17

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-शिव के जल स्रोतों की भूमि पर अतिक्रमण 349

श्री जीतमल खांट (बागीडौरा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पुरातत्व

-सवराड़ (पाली) ग्राम पंचायत की क्षतिग्रस्त बावड़ी 388

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-लोक जुम्बिश परियोजना के अनुदेशकों का सर्व शिक्षा अभियान में समायोजन 67

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री जीतराम (मालपुरा)

तारांकित प्रश्नोत्तर

पर्यटन

-पर्यटन उद्योग के विकास हेतु केन्द्र सरकार को प्रेषित प्रस्ताव 290

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया 371

तारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायत्त शासन

-टोडारायसिंह (टौंक) में नियुक्त वकील 26

विधेयक पर विचार

-दण्ड प्रक्रिया (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 244

-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004 168

-राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 140

सूचना प्राप्ति प्रश्न

-बगरू (जयपुर) के पास नीमेड़ा रोड पर छत गिरने से 50 लोगों के दब जाने की सूचना 100

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-जयपुर शहर में निर्मित बहुमंजिला इमारतें 287

विधेयक पर विचार

-राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 166

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-बायतू तहसील में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय की पुनर्स्थापना 285

नाम	पृष्ठ संख्या

विधेयक का पारण

-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004 227

डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-अनुबन्धित चिकित्सा कर्मियों का नियमितीकरण 15

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-लक्ष्मणगढ़ के ग्रामों में सड़क निर्माण 4

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायत्त शासन

-ब्यावर नगर परिषद के कर्मियों के विरुद्ध जांच 325

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायत्त शासन

-राजगढ़ (चूरू) नगरपालिका में क्राउन एक्ट के तहत पट्टों का आबंटन 323

तारांकित प्रश्नोत्तर

मुख्य मंत्री सचिवालय

-राजगढ़ (चूरू) के असाध्य रोगियों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से स्वीकृत राशि 281

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-गंगरार के प्रस्तावित राजस्व ग्राम 13

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-कालवाड़ रोड (जयपुर) के निजी खातेदारी भूमि पर स्वीकृत आवासीय योजनाएं	342
सार्वजनिक निर्माण	
-गांधीनगर (जयपुर) के राजकीय आवासों में निर्माण/मरम्मत कार्य	375
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-अनुबन्धित चिकित्सा कर्मियों का नियमितीकरण	15
श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सामान्य प्रशासन	
-सहयोग अपार्टमेंट विद्याधर नगर जयपुर के राजकीय आवासों में आवश्यक व्यवस्था	309
श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-लक्ष्मणगढ़ के ग्रामों में सड़क निर्माण	7
श्री निर्भय लाल (रूपवास)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-रूपवास में संचालित अवैध मदिरा विक्रय केन्द्र	313
श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-बाली के गांवों में माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य	399

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-बाली के लम्बित विद्युत कनेक्शन	270
श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), राज्य मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-टोडारायसिंह (टौंक) में नियुक्त वकील	23
श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-अनुबन्धित चिकित्सा कर्मियों का नियमितीकरण	21
श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-पीपल्दा के चिकित्सालयों में रिक्त पद	356
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-चाकन बान्ध (ग्राम गुढ़ा व जिला बून्दी) सिंचाई परियोजना की स्वीकृति	66
श्री प्रमोद जैन "भाया"(बारां)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सामान्य प्रशासन	
-राजकीय समारोह में अग्रताक्रम सूची (प्रोटोकोल) की पालना	35
श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये ट्रान्सफार्मर्स	389

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-राजसमन्द की तहसील रेलमगरा की डामर विहीन सड़कें	382
श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-टोडाभीम की सड़कों की मरम्मत	376
श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-मौरोली (धौलपुर) ग्राम में चम्बल नदी पर एनीकट निर्माण	386
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-टहरी-मानपुर (धौलपुर) के मध्य मिसिंग लिंक सड़क का डामरीकरण	279
श्री बाबूलाल नागर (दूदू)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जयपुर की गोविन्द विहार योजना के आवेदकों से वसूला गया रूपान्तरण शुल्क	340
वित्त	
-दयालपुरा ग्राम (बस्सी) का वृद्धावस्था पेंशन प्रकरण	307
स्वायत्त शासन	
-दौसा नगरपालिका की भूमि खसरा नम्बर 1369 का भू-परिवर्तन प्रकरण	331
प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-झारखण्ड महादेव मन्दिर (जयपुर) के समीप स्थित मदिरा बिक्री केन्द्र	311

नाम	पृष्ठ संख्या
नगरीय विकास एवं आवासन	
-बनीपार्क की आवासीय योजनाओं के नियमन से प्राप्त आय व व्यय	402
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)	
विधेयक का पारण	
-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004	222
सहकारिता	
-राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004	134
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004	162
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-प्रदेश के प्रसवोत्तर/मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	350
नगरीय विकास एवं आवासन	
-गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा काटे गये भू-खण्डों का इकरारनामे के आधार पर नियमन	338
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-गंगरार के प्रस्तावित राजस्व ग्राम	11
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-मामूली राशि लेकर लीज पर निजी संस्थाओं को आबंटन	64
श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-डिप्लोमा/डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं का पदोन्नति प्रकरण	377

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री भंवरू खान (फतेहपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-महात्मा गांधी सर्किल से बजाज नगर मोड (जयपुर) के मध्य मार्ग विभाजक 343

श्री भरतसिंह (दीगोद)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-उप खण्ड मुख्यालय दीगोद का स्थानान्तरण 349

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण 293

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़)

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-ज्याक व जोगलसर ग्राम (चूरू) हेतु सड़क निर्माण 284

श्री मदन दिलावर (अटरू), मंत्री

विधेयक का पारण

सहकारिता

-राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004 121

विधेयक पर विचार

सहकारिता

-राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004 102

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-सड़क निर्माण में दोषी संवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही.	37
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-कक्षा-4 की किताबों में सारे धार्मिक त्यौहारो का उल्लेख न होना	74
श्री महादेव सिंह (खण्डेला)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-कालेज आफ नर्सिंग का मान्यता प्रकरण	296
श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक), मुख्य सचेतक	
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	184
श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़)	
विधेयक का पारण	
-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004	219
सहकारिता	
-राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004	122
श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-गोगुन्दा एवं कोटड़ा पंचायती समिति में कृषकों को नि:शुल्क ब्लास्टिंग की स्वीकृति	400
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-गोगुन्दा में लगातार बढ़ती जा रही वारदातें	77

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर)	
नियम 295 के तहत विशे .उल्लेख	
-पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बेरू (जोधपुर) द्वारा अपने पद का दुरूपयोग	54
श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-जयपुर शहर में चिकित्सालयों में वितरित औषधियां	276
मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-मानसरोवर (जयपुर) गणेश्वर मन्दिर की भूमि पर अतिक्रमण	332
तारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-सवाईमाधोपुर में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर	277
विधेयक पर विचार	
-दण्ड प्रक्रिया (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004	246
-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004	170
-राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004	141
श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-पैतृक सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर मुद्रांक दर	299
श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-स्वर्ण जयन्ती पार्क विद्याधर नगर (जयपुर) में असामाजिक गतिविधियां	344

नाम | पृष्ठ संख्या

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायत्त शासन

-राधाकिशनपुरा (सीकर) मौहल्ले की क्षतिग्रस्त सड़क 321

-सीकर नगर परिषद् के अपूर्ण नाले का निर्माण 327

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-आयुर्वेद विभाग में संविदा चिकित्सकों को दिया जा रहा वेतन 53

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-लक्ष्मणगढ़ के ग्रामों में सड़क निर्माण 1

-सड़क निर्माण में दोषी संवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही 37

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायत्त शासन

-फतहनगर सनवाड़ (उदयपुर) नगरपालिका की आरजी खसरा नम्बर 3170 का अवैधबेचान 334

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ऊर्जा

-सरवाड़ा (जयपुर) ग्राम के लम्बित कृषि कनेक्शन 390

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-नेशनल हाईवे नम्बर 8 से जयपुर बाईपास के लिए अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा 56

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-गंगरार के प्रस्तावित राजस्व ग्राम 10

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-शाहपुरा (भीलवाड़ा) के मृत लाइन मैन के बकाया वेतन परिलाभों का भुगतान	394
श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-चौमूं की कृषि भूमि का आवासीय भूमि में परिवर्तन	328
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-गंगरार के प्रस्तावित राजस्व ग्राम	13
वित्त	
-बिक्री कर की दरें	285
श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-कालवाड़ रोड (जयपुर) का निजी खातेदारी भूमि पर स्वीकृत आवासीय योजनाएं	342
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-विराटनगर (जयपुर) के नेत्र चिकित्सालय में रिक्त पद	281
श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-डेगाना की क्षतिग्रस्त सड़क का डामरीकरण	365

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-आम/कटानी रास्तों की समस्या के समाधान हेतु काश्तकारी अधिनियम में संशोधन	280
श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-पाली जिले के बाढ़ पीडितों को आबंटित भू-खण्डों के पट्टे	283
श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-आवास विकास संस्थान के समायोजित कर्मियों को अग्रेतर लाभ	403
श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-लूणकरणसर के नहरी क्षेत्र में भूमि की कम कीमत	58
याचिका	
-लूणकरणसर तहसील में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना	81
श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जयपुर शहर में निर्मित बहुमंजिला इमारतें	287
श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-ढूंढिया-उदारखेड़ा (उदयपुर) सड़क का डामरीकरण	369

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-ड्रग कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत गाज एवं बैण्डेज के दर्ज प्रकरण	353
तारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-अजमेर नगर सुधार न्यास द्वारा नगरीय कर की वसूली	292
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कला एवं संस्कृति	
-चन्द्रावती नगरी (सिरोही) का विकास	388
सामान्य प्रशासन	
-सिरोही ट्रस्ट द्वारा देय छात्रवृत्ति	308
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-भवन विहीन पोस्टमार्टम केन्द्र	286
राजस्व	
-शिवगंज एवं पिंडवाड़ा (सिरोही) में उपखण्ड कार्यालय	272
स्वायत्त शासन	
-टोडारायसिंह (टोंक) में नियुक्त वकील	25
विधेयक पर विचार	
-दण्ड प्रक्रिया (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004	236
-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004	176
श्री सभापति	
विधेयक का पारण	
-राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004	168

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-जैसलमेर जिले में सतर्कता दलों की प्राप्त शिकायतें	391
श्री सांवर लाल (भिनाय), मंत्री	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-जन स्वास्थ्य अभियन्ता कार्यालय सीकर में अनुपयोगी सामान की खरीद	74
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-चम्बल सिंचित क्षेत्र की समस्याओं तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अवैधानिक चैकअप लघु सिंचाई परियोजना और एनीकट्स बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में	82
श्री सी. डी. देवल (रायपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-पाली जिला कलक्टर द्वारा पटवारियों का स्थानान्तरण	289
डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-राज्य में जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा	351
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004	185
-राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004	145
सहकारिता	
-राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2004	104
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-कोटपूतली की मिसिंग लिंक सड़कें	379

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. सुरेश चौधरी (भादरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नेत्र चिकित्सकों की नियुक्ति	359
श्री सुरेश मीणा (करौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-गांधी कालोनी ब्रह्मपुरी (जयपुर) में अनियमित विद्युत प्रवाह	396
श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-जैसलमेर के पवन ऊर्जा संयन्त्रों द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपयोग	395
श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सैनिक कल्याण बोर्ड	
-राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार	320
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-सामूहिक विवाहों में नाबालिगों के विवाह पर रोक हेतु प्रयास	397
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-चम्बल सिंचित क्षेत्र की समस्याओं तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अवैधानिक चैकअप लघु सिंचाई परियोजना और एनीकट्स बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में	81
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-कक्षा-4 की किताबों में सारे धार्मिक त्यौहारो का उल्लेख न होना	75

नाम	पृष्ठ संख्या
विधेयक पर विचार	
-दण्ड प्रक्रिया (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004	249
-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004	173
सहकारिता	
-राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2004	111
श्री हरीसिंह रावत (भीम)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-भीम के ग्राम चतरपुरा खेड़ी में सड़क निर्माण	381
श्री हीरालाल (निवाई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-टीलावाला (सांगानेर) ग्राम में सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा	336
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-निवाई में ट्रोमा अस्पताल स्थापना की स्वीकृति	291
श्री हीरालाल (बामनवास)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-सवाईमाधोपुर जिले के जनजाति क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण	393
श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-नायब तहसीलदार केलवाड़ा (उदयपुर) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें	348

	पृष्ठ संख्या

मान्य सन

-सहयोग अपार्टमेंट विद्याधर नगर जयपुर के राजकीय आवासों में आवश्यक व्यवस्था 309

तारांकित प्रश्नोत्तर

कार्मिक

-किशनगंज के विभिन्न विभागों में रिक्त पद 295

न्याय प्रशासन

-टोडारायसिंह (टोंक) में नियुक्त वकील 28

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

-चम्बल सिंचित क्षेत्र की समस्याओं तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अवैधानिक चैकअप लघु सिंचाई परियोजना और एनीकट्स बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में 99

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-राज्य में गरीबी उन्मूलन परियोजना तहत कराये गये निर्माण कार्यों की जांच 62

श्री देमाराम चौधरी (गुढामालानी)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-गंमरार के प्रस्तावित राजस्व ग्राम 12

सार्वजनिक निर्माण

-गणमहट के ग्रामों में सड़क निर्माण [illegible]

विधेयक का पारण

सहकारिता

-राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2004 [illegible]25

विधेयक पर विचार

-दण्ड प्रक्रिया (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 265

-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004 [illegible]97

-राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 [illegible]53